उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिये नयी कृषि सम्बन्धी तकनीक की समस्यायें एवं सम्भावनायें

(Problems and Prospects of New Agricultural Strategy for Rural Development in U. P.)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल० डिग्री हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

निर्देशक
डा० आर० के० द्विवेदी
रीडर अर्थशास्त्र विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद
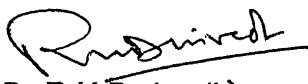
शोधकर्त्ता
सुभाष चन्द्र यादव

अर्थशास्त्र विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

1993

CERTIFICATE

This is to certify that the Thesis entitled"उत्तर-प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिये नयी कृषि सम्बन्धी तकनीक की समस्यायें एवं सम्भावनायें"। "Problemes and Prospects of New Agricultural strategy for Rural Development in U.P." is the work of the candidate Mr. Subhash Chandra Yadav and he worked under my supervision to complete the doctoral dissertation for the period required under the ordinance.

22 Dec. 1993

(Dr.R.K.Dwivedi)
Reader
Department of Economics
University of Allahabad

विषय-सूची

आमु ख

प्रस्तुत शोध ग्रन्थ में ग्रामीण विकास की समस्या का विस्तृत विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। "उत्तर-प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिये नयी कृषि तकनीक की समस्यायें और सम्भावनाएँ" शीर्षक के अन्तर्गत ग्रामीण समाज में फैली गरीबी, बेरोजगारी, कम उत्पादकता जैसी समस्याओं का अध्ययन और उनके निदान के लिये सुझाव देने का प्रयास किया गया है।

प्राथमिक विधि के आंकड़ों को एकत्रित करने के लिये उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के चुने हुये कृषकों से स्वनिर्मित प्रश्नावली के आधार पर शोध प्रबन्ध की सामग्री एकत्रित करने की चेष्टा की गयी है।

इस अध्ययन को व्यवहारिक दृष्टि से महत्व प्रदान करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों के कार्यालयों से सामग्री ली गयी।

इस सम्बन्ध में मैं अपना प्रथम और पुनीत कर्तव्य समझता हूं कि उक्त संस्थाओं, विभागों के अधिकारियों का आभार व्यक्त करुं जिनके सहयोग के बिना यह शोध कार्य प्रारम्भ करना सम्भव नहीं था।

ज्ञान के सागर में गहरा तैरने की प्रेरणा और इसे मूर्त रूप देने के लिये मैं नमन करता हूं अपने परम आदरणीय गुरु डा० आर.के. द्विवेदी जी का। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे उन जैसे सुयोग्य गुरु का हर पग पर कुशल आत्मीय निर्देशन मिला। जिससे मैं इस शोध प्रबन्ध को पूरा कर सका हूँ। उनके प्रति मैं श्रद्धा और आदर सहित पुष्पांज्जली अर्पित करता हूं।

इस कार्य को पूरा करने में मुझे सहारा दिया डा० राजेन्द्र सिंह जी ने, जो कि एग्रो रिसर्च इन्स्टीट्यूट में शोध अधिकारी हैं। जिनके स्नेहपूर्ण सानिध्य से मुझे आत्मविश्वास और शक्ति मिलती रही और उन्होंने

मुझे अपने बहुमूल्य समय में से समय दिया । जिसके लिये मैं उनका कृतज्ञ हूं और अपना सम्मान व्यक्त करता हूं ।

ऐसे कार्य बिना आर्शिवाद के सम्पन्न नहीं हो सकते इस श्रृंखला में मैं नतमस्तक हूं अपने पिता श्री रघुनाथ सिंह जी का, जिनका आर्शिवाद और इस कार्य को पूरा करने में मेरी क्षमता पर विश्वास, हमेशा मेरे साथ रहे ।

इसी प्रकार मेरे जीजा जी श्री अमित यादव जी एवं बहन श्रीमती मंजू यादव का सहयोग और आर्शिवाद मुझे हमेशा मिलता रहा और वे हमेशा मेरी सफलता की कामना करते रहें ।

मेरे कुछ विशिष्ट साथियों ने मुझे हर पग पर पूर्ण सहयोग दिया और इस कार्य को पूरा करने के लिये कठिन समय में भी मुझे हौसला दिया । जिसके लिये मैं उनका आभारी हूं ।

साथ ही साथ मैं श्री वीरेन्द्र जी का भी आभारी हूं जिनके सहयोग और लगन से मेरा शोध इस रूप में सामने आ पाया है ।

मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा अपनी देवी जैसी माँ का, जिनका ममता भरा आर्शिवाद मेरे साथ रहा । और शायद ही कोई ऐसी अराधना बची हो जो उन्होंने मेरी सफलता के लिये न की हो । अत: मैं अपने शोध को अपनी मां के चरण कमलों में समर्पित करता हूँ ।

सुभाष चन्द्र यादव

ता लिका-ि ववरण

क्रम संख्या विवरण

१९९१-९२ में खरीफ ऋतु में विभिन्न फसलों से प्राप्त आय ।

५.२७ - पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा

१९९१-९२ में रवी ऋतु में विभिन्न फसलों से प्राप्त आय ।

५.२८ - पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा वर्ष

१९९१-९२ में जायद में विभिन्न फसलों से प्राप्त आय ।

५.२९ - पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों की वर्ष

१९९१-९२ में खरीफ ऋतु में विभिन्न फसलों से प्राप्त आय ।

५.३० - पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों की वर्ष

१९९१-९२ में रवी ऋतु में विभिन्न फसलों से प्राप्त प्रतिशत आय ।

५.३१ - पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चयनित कृषकों की वर्ष

१९९१-९२ में जायद की ऋतु में विभिन्न फसलों से प्राप्त आय ।

५.३२ - उत्तर-प्रदेश में मध्य क्षेत्र के चयनित कृषकों द्वारा खरीफ की फसल में वर्ष

१९९१-९२ में विभिन्न फसलों पर आय ।

५.३३ - उत्तर-प्रदेश में मध्य क्षेत्र के चयनित कृषकों द्वारा वर्ष

१९९१-९२ में जायद की फसल में जिन्सवार व्यय ।

५.४१ - उत्तर-प्रदेश के मध्य क्षेत्र में चयनित कृषकों द्वारा खरीफ की फ़सल में विभिन्न फसलों से प्राप्त आय ।

५.४२ - उत्तर-प्रदेश के मध्य क्षेत्र में चयनित कृषकों द्वारा रवी की फसल में विभिन्न फसलों से प्राप्त आय ।

५.४३ - उत्तर-प्रदेश के मध्य क्षेत्र में चयनित कृषकों द्वारा जायद की फसल में विभिन्न फसलों से प्राप्त आय ।

५.४४ - पूर्वी उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा वर्ष

१९९१-९२ में खरीफ की फसल में विभिन्न फसलों से प्राप्त आय ।

५.४५ - मध्य उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा वर्ष

१९९१-९२ में रवी की फसल में विभिन्न फसलों से प्राप्त आय ।

५.४६ - उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा वर्ष

१९९१-९२ में जायद की फसल में विभिन्न फसलों से प्राप्त आय ।

५.४७ - पूर्वी उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा वर्ष

१९९१-९२ में खरीफ फसल में विभिन्न फसलों पर व्यय ।

५.५५ - पूर्वी उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा वर्ष १९९१-९२ में जायद की फसल में विभिन्न फसलों पर व्यय।

५.५६ - पूर्वी उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा वर्ष १९९१-९२ में खरीफ की फसलों से विभिन्न फसलों द्वारा प्राप्त आय।

५.५७ - पूर्वी उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा वर्ष १९९१-९२ में रवी की फसल में विभिन्न फसलों से प्राप्त आय।

५.५८ - पूर्वी उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा वर्ष १९९१-९२ में जायद की फसल में विभिन्न फसलों से प्राप्त आय।

५.५९ - पूर्वी उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा वर्ष १९९१-९२ में खरीफ की फसल में विभिन्न फसलों से प्राप्त आय।

५.६० - पूर्वी उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा वर्ष १९९१-९२ में रवी की फसल में विभिन्न फसलों से प्राप्त आय।

५.६१ - पूर्वी उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा वर्ष १९९१-९२ में जायद की फसल में विभिन्न फसलों से प्राप्त आय।

५.६२ - उत्तर-प्रदेश में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के चयनित कृषकों द्वारा वर्ष १९९१-९२ में खरीफ की फसल में विभिन्न फसलों पर व्यय।

५.६३ - उत्तर-प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्ष १९९१-९२ में रवी की फसल में विभिन्न फसलों पर व्यय ।

५.६४ - उत्तर-प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्ष १९९१-९२ में जायद की फसल में विभिन्न फसलों पर व्यय ।

५.६५ - उत्तर-प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में चयनित कृषकों द्वारा खरीफ की फसल में जिन्सवार व्यय का विवरण ।

५.६६ - उत्तर-प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में चयनित कृषकों द्वारा रवी की फसल में जिन्सवार व्यय का विवरण ।

५.६७ - उत्तर-प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में चयनित कृषकों द्वारा जायद की फसल में जिन्सवार व्यय का विवरण ।

५.६८ - उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा खरीफ की फसल में वर्ष

१९९१-९२ में विभिन्न फसलों पर व्यय ।

५.६९ - उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा रवी की फसल में वर्ष

१९९१-९२ में विभिन्न फसलों पर व्यय ।

५.७० - उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा जायद की फसल में वर्ष

१९९१-९२ में विभिन्न फसलों पर व्यय ।

५.७१ - उत्तर-प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र से चयनित कृषकों द्वारा खरीफ की फसल में वर्ष

१९९१-९२ में विभिन्न फसलों से प्राप्त आय ।

५.७२ - उत्तर-प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के चयनित कृषकों द्वारा रवी की फसल में वर्ष १९९१-९२ में विभिन्न फसलों से प्रापत आय ।

५.७३ - उत्तर-प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के चयनित कृषकों द्वारा जायद की फसल में वर्ष १९९१-९२ में विभिन्न फसलों से प्राप्त आय ।

५.७४ - उत्तर-प्रदेश में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के चयनित कृषकों द्वारा खरीफ की फसल में वर्ष १९९१-९२ में विभिन्न फसलों से प्राप्त आय ।

५.७५ - उत्तर-प्रदेश में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के चयनित कृषकों द्वारा रवी की फसल में वर्ष १९९१-९२ में विभिन्न फसलों से प्राप्त आय ।

५.७६ - उत्तर-प्रदेश में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के चयनित कृषकों द्वारा जायद की फसल में वर्ष १९९१-९२ में विभिन्न फसलों से प्राप्त आय ।

५.७७ - उत्तर-प्रदेश के चयनित जनपदों में चयनित कृषकों का वर्ष १९९१-९२ में विभिन्न फसलों का आय, व्यय एवं लाभ का विवरण ।

५.७८ - उत्तर-प्रदेश के चयनित जनपदों में लघु श्रेणी के कृषकों का वर्ष १९९१-९२ में विभिन्न कृषीय ऋतुओं में आय, व्यय एवं लाभ का विवरण ।

५.७९ - उत्तर-प्रदेश के चयनित जनपदों में मध्य श्रेणी के कृषकों का वर्ष

१९९१-९२ में विभिन्न कृषीय ऋतुओं आय, व्यय एवं लाभ का विवरण ।

५.८० - उत्तर-प्रदेश के चयनित जनपदों में बड़े कृषकों का वर्ष १९९१-९२ में विभिन्न कृषीय ऋतुओं में आय, व्यय एवं लाभ का विवरण ।

५.८१ - उत्तर-प्रदेश के चयनित जनपदों में विभिन्न श्रेणियों के कृषकों द्वारा प्राप्त आय, व्यय एवं लाभ का विवरण ।

भूमिका

ग्रामीण विकास की प्रगति में अनेकों बुनियादी और बड़ी जटिल समस्यायें आती हैं ग्रामीण देश का सबसे गम्भीर भयावह अभिशाप है, गरीबी, बेरोजागारी और उससे जुड़ी कम उत्पादकता तथा उत्पादन की स्थिति स्वाधीनता प्राप्ति के बाद गरीबी दूर करने का संकल्प किया गया तथा इस दिशा में योजनाबद्ध सतत् प्रयत्न भी किये गये प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण सुविधाओं को विकसित करने के लिए कार्यक्रम रखे गये जिनसे गरीब बेरोजगारों को रोजगार मिले और वे गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें

कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है पिछले दो दशक से अधिक अवधि में औद्योगिकरण के संगठित प्रयास के बावजूद कृषि का महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है देश का सबसे बड़ा उद्योग होने के कारण कृषि देश की 70% से अधिक जनता की जीविका का स्रोत है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का हिस्सा राष्ट्रीय आय तथा अन्य सांख्यिकीय आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय आय तथा अन्य सांख्यिकीय आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय आय में कृषि तथा सम्बन्धित व्यवसायों (जैसेपशुपालन, वानिकी आदि) का हिस्सा 1960-61 में 52% था परन्तु 1988-89 में यह कम होकर केवल 33% हो गया

उल्लेखनीय बात यह है कि राष्ट्रीय आय सम्बन्धी अनुमानों से न केवल कृषि की प्रधानता का पता चलता है अपितु उसमें कृमिक गिरावट का भी संकेत मिलता है उदाहरणतया प्रथम विश्व युद्ध (1914-18) तक राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा 65% था किन्तु बाद में इसमें कमी होती गयी 1950-51 में कृषि का

राष्ट्रीय आय में हिस्सा 59% था परन्तु 60-61 के पश्चात् कृषि का राष्ट्रीय आय में हिस्सा और भी कम होता गया और यह 1988-89 तक गिरकर केवल 33% रह गया

अन्य देशों की तुलना में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि के अनुपात की स्थिति के अध्ययन से पता चलता है कि भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का भाग 1983-84 में 33% था जबकि इंग्लैण्ड में यह 2%, अमेरिका में 3% कनाडा में 4% और आस्ट्रेलिया में 5% था जितना ही कोई देश उन्नत है कृषि का हिस्सा उतना ही कम है भारत जो उन्नत अर्थव्यवस्था की स्थिति तक नहीं पहुँचा है अभी कृषि प्रधान है भारत की कार्यकारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग रोजगार के लिए इस पर आश्रित है एक अनुमान के अनुसार 1985 में कार्यकारी जनसंख्या का 68.7% कृषि में लगा हुआ था जबकि 1961 और 1971 की जनगणनाओं के अनुसार यह अनुपात 69.7% था जबकि अमेरिका में केवल 2.3% कार्यकारी जनसंख्या कृषि में लगी हुयी थी फ्रांस में यह अनुपात 7% और आस्ट्रेलिया में 6% था केवल पिछड़े हुये और अल्प विकसित देशों में कार्यकारी जनसंख्या का अनुपात काफी ऊंचा होता है उदाहरणार्थ यह मिश्र में 42%, वर्मा में 50% और चीन में 72% है

भारत में कृषि के महत्व का कारण यह है कि इससे हमारे प्रमुख उद्योगों को कच्चा माल मिलता है सूती और पटसन उद्योग, चीनी, वनस्पति तथा बगान उद्योग में सब कृषि परनिर्भर है और भी अनेक ऐसे उद्योग हैं जो कृषि पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं हाथकरघा, बुनाई, तेल निकालना, चावल कूटना आदि बहुत से लघु और कुटीर उद्योगों को भी कृषि से कच्चा माल मिलता है

किंतु इधर कुछ वर्षों से उद्योगों के लिए कृषि का महत्व कम होता जा रहा है क्योंकि अनेक ऐसे उद्योग विकसित हो गये हैं जो कृषि पर निर्भर नहीं हैं पंचवर्षीय योजनाके अधीन लौह और इस्पात उद्योग,

रसायन उद्योग, मशीनी औजार और अन्य इंजीनियरी भारी उद्योग तथा विमान निर्माण आदि आरम्भ किये गये हैं, जो कृषि पर निर्भर नहीं हैं पंचवर्षीय योजना के अधीन लौह और इस्पात उद्योग तथा विमान निर्माण आदि आरम्भ किये गये हैं जो कृषि पर निर्भर पारम्परिक उद्योगों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माने जाने लगे हैं इसके बावजूद कृषि द्वारा बहुत से उद्योगों अर्थात चीनी, चाय, सूती वस्त्र उद्योग और पटसन, वनस्पति, तेल और खाद्य पदार्थों और अन्य कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है देश में उत्पन्न आय का 50% इस क्षेत्र से प्राप्त होता है अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के ढंग में भारत से निर्यात की जाने वाली वसतुओं में मुख्य कृषि वस्तुयें ही हैं चाय, तम्बाकू, तेल निकालने के बीज, गर्म मसाले आदि स्थूल रूप में कुल निर्यात में कृषि वस्तुओं का अनुपात लगभग 50% है और कृषि से बनी वस्तुएं (जैसे निर्मित पटसन और कपड़ा) का अनुपात गभग 20% इस प्रकार भारत के निर्यात में कृषि और इससे सम्बन्धित वस्तुओं का कुल भाग 70% है पिछले कुछ वर्षों में भारत की निर्यात मात्रा और मूल्य दोनों में वृद्धि हुई है यह वृद्धि विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे मशीनों और कच्चे माल के आयात की अदायगी में सहायता मिलती है

भारतीय कृषि के महत्व का एक कारण यह भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए कृषि का विकास अनिवार्य शर्त है रौनर बर्कर्स का कहना है कि कृषि के अतिरिक्त जनसंख्या को वहाँ से उठाकर नये आरम्भ किये गये उद्योगों में लगाया जाना चाहिए इससे एक ओर कृषि देश मेंकुल गाँवो के आधे गाँव सुदूर और दूर-दराज के इलाकों में स्थित हैं कृषि भारत का मुख्य व्यवसाय है ग्रमीण क्षेत्रों में अधिकतर खेती बाड़ी के व्यवसाय जुड़े हैं तथा यह अभी जीविकापार्जन का मुख्य साधन है इसलिए यह हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है उन्नत कृषि से ही देश में औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार संवर्धन तथा विदेशी

मुद्रा अर्जन सम्भव है यही आर्थिक स्रोत विकास का मुख्य साधन है आज हमारी यह रीढ़ विकास के लिए योजनाओं का मुंह जोह रही है

भारत गाँवों का देश है स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 70% जनसंख्या गाँवों में निवास करती थी आजादी के 44 वर्ष बाद भी लगभग65% जनसंख्या कृषि पर आधारित है अत: कृषि क्षेत्र पर जनसंख्या का दबाव अधिक है अधिकांश बढ़ी हुयी जनसंख्या विकल्प के अभाव में कृषि क्षेत्र पर आश्रित हो जाती है जोत का आकार छोटा होता जाता है और अनार्थिक भी इसलिए कृषि अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार और छुपी हुई बेरोजगारी की अवस्था विद्यमान है यद्यपि कृषि में लगी आबादी की प्रतिशत संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है किन्तु कुल संख्या की दृष्टि से शताब्दी के आरम्भ 1901 में 1,630 लाख के मुकाबले 1981 में यह 4800 लाख हो गयी

तालिका नं0 1.1

कार्यकारी जनसंख्या का वितरण (प्रतिशत में)

प्रथमिक क्षेत्र में

	1901	1951	1961	1971	1981-91
कृषि क्षेत्र	71.8	72.1	71.8	72.1	68.7
कृषक	50.6	50.0	52.8	43.4	41.6
खेतिहर मजदूर	16.9	19.7	16.7	26.3	24.9
वन उद्योग पशु पालन	4.3	2.4	2.3	2.4	2.2

Source: India 1984

तालिका से स्पष्ट होता है कि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 70% भाग कृषि क्षेत्र पर आधारित

है तथा देश का बड़ा भाग कृषि पर ही आधारित रहा है जिससे यह स्पष्ट होता है कि कृषि की प्रधानता बनी रही है

तालिका-1.2

भारत तथा उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या (प्रतिशत में)

वर्ष	उत्तर प्रदेश	भारत
1901	88.6	89.1
1911	88.16	89.7
1921	87.96	88.8
1931	87.02	88.0
1941	86.87	86.4
1951	85.72	82.7
1961	86.52	82.0
1971	85.39	80.1
1981	82.05	76.7
1991	80.3	74.3

SOURCE: POPULATION CENSUS 1991

UNIVERSITY ... ALLAHABAD.

तालिका से स्पष्ट है कि 1901 से लेकर 1951 तक भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत उत्तर प्रदेश के प्रतिशत से अधिक था परन्तु 1951 के पश्चात् उत्तर-प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि हुयी है तालिका से स्पष्ट है कि आज भी उत्तर-प्रदेश में 60% से अधिक जनसंख्या ग्रामों में निवास कर रही है जिनकी जीविका का मुख्य आधार खेती ही है तालिका से ही स्पष्ट है कि 1901 से 1981 तक ग्रामीण जनसंख्या

के प्रतिशत में कमी आयी है परन्तु यह कमी खेती पर निभ्ररता को कम नहीं करती है इस कमी का मुख्य कारण भुखमरी और बेरोजगारी के कारण लोगों का शहरों की ओर पलायन है जबकि उनकी जड़ें गाँवो में ही बसी हुयी हैं

1901 में जहाँ देश की जनसंख्या का 89.1% भाग गाँवों में निवास करता था वहीं 1981 में 76.7% भाग ग्रामों में निवास करता था इसकी कमी का मुख्य कारण नगर जनसंख्या में वृद्धि होना है गांवों की भुखमरी की स्थिति के बचने के लिए अकुशल मजदूर नगरों की ओर पलायन कर रहे थे अधिकांश ग्रामीणों के पास उत्पादक आधार की कमी होती है बहुतायत के पास मात्र उनका शारीरिक श्रम ही उत्पादक होता है अत: भुखमरी से बचने के लिए उनका नगरों की ओर पलायन हो जाता है इसके बावजूद कृषि पर उनकी निर्भरता बनी रहती है वर्ष1951-61 के दशक में ग्रामीण जनसंख्या में 6.1 करोड़ अर्थात20.4 की वृद्धि हुयी यह वृद्धि 1961-71 के दशक में 7.9 करोड़ अर्थात21.9% रही 1971-81 में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि में पिछले दशक की तुलना में कमी हुयी, तथापि ग्रामीण जनसंख्या के कुल आकार में वृद्धि हुयी

तालिका- 1.3

विश्व बैंक के अनुसार निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाली ग्रामीण जनसंख्या अनुपात

निर्धनता रेखा के नीचे ग्रामीण जनसंख्या (करोड़ में)			निर्धन जनसंख्या का प्रतिशत		
1970	1983	1988	1970	1983	1988
23.6	25.2	25.2	53	44.9	41.7
अति निर्धनता रेखा के नीचे ग्रामीण जनसंख्या (करोड़ में)			**अति निर्धनता का अनुपात प्रतिशत में**		
13.5	12.8	12.3	30.1	22.8	20.4

स्रोत- Word Bank India Poverty, Employment and social services (1989)

ल निर्धनों की बहुसंख्या ग्रामों में रहती है इसमें छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर प्रमुख वर्ग हैं ग्रामों में लगभग आधे भूमिहीन मजदूर हैं तथा आधे से कुछ अधिक सीमान्त किसान हैं जिनकी मुख्य समस्या खुली बेरोजगारी नहीं बल्कि निम्न उत्पादिकता रोजगार है

1973-74 में योजना आयोग ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः 49.1 रूपये तथा 56.6 रूपये प्रति व्यक्ति प्रति मान निर्धनता रेखा निर्धारित किया जिसे 1983 में बढ़ाकर क्रमशः 89 और 111.2 कर दिया गया जिसके परिणाम स्वरूप निर्धनता रेखा के नीचे जनसंख्या का अनुपात 1970 में 53% से गिरकर 1988 में 41.7% हो गया जो कि विकास की स्थिति को देखते हुए अभी भी बहुत अधिक है अति निर्धनता की रेखा के नीचे 1988 तक 20.4 ग्रामीण व्यक्ति थे जो 1970 से अठारह वर्षों में घटकर 9.7% की कमी हुयी है 1970 में अति निर्धनता की रेखा के नीचे 30.1% व्यक्ति थे अतः उचित मापदंड के अनुसार मापों पर पता चलता है कि ग्रामीण भारत में निर्धनता का भयानक स्तर विद्यमान है

ग्रामीण क्षेत्र में आय, सम्पत्ति उपयोग स्तर में अत्यधिक विषमतायें व्याप्त है वर्ष 1970-71 में ग्रामीण क्षेत्र के निम्नतम 20% परिवारों के पास कुल ग्रामीण आय का केवल 0% था जबकि उच्चतम 20% परिवारों के पास 42% था वर्ष 1975-76 में ग्रामीण क्षेत्र के उच्चतम 10% निवासियों को ग्रामीण आय में 33.6 प्रतिशत था जबकि निम्तम 10% निवासियों का ग्रामीण आय में अंश केवल 2.5% था

NCAER: Changes in Pural Incomes in India

कुल ग्रामीण परिसम्पत्ति का 1971 में निम्तम 10% परिवारों के पास 0.1% जबकि उच्चतम 10% के पास कुल परिसम्पत्ति में भूमि का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भूमि का असामान्य वितरण ही ग्रामीण सम्पत्ति वितरण में असमानता का मूल कारण है 1971 की कृषि गणना के अनुसार कुल ग्रामीण जनसंख्या के 44% भाग के पास कुल भूमि का 4% निवासी कुल भूमि के 31% भाग के स्वामी थे देश में लगभग 72% कृषकों की जोत का आकार5 एकड़ से कम है जिनके पास कुल भूमि का कवल 23.5 प्रतिशत भाग है जबकि 3% कृषकों के पास कुल भूमि का26.3% भाग है

भारत में निर्धनता का कारण असंगठित मजदूरी गरीबी का पर्याय बन चुकी है इसलिए अल्परोजगारी और बेरोजगार व्यक्तियों की सबसे अधिक संख्या इसी असंगठित क्षेत्र में है यद्यपि पिछले अनेक वर्षों से असंगठित ग्रामीण श्रमिकों पर हमारी योजनाओं में प्रमुख रूप से ध्यान दिया गया है किन्तु ऐसा नहीं लगता है कि स्थिति में कोई खास सुधार हुआ हो इसके विपरीत कृषि के व्यापरीकरण तथा दिहाड़ी पर काम करने वाले किसानों की संख्या में वृद्धि से बेरोजगारों की तादाद लगातार बढ़ रही है बन्धुआ मजदूरों की कुप्रथा समाप्त करने और ग्रामीणों के गरीबी का शिकार बनने की प्रक्रिया को रोकने में राज्य सरकारें एकदम विफल रही हैं

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 28वें दौर में ग्रामीण मजदूरों के स्वरूप का ब्यौरा दिया गया है ग्रामीण मजदू रोंकी अनुमानितसंख्या19 करोड़ 80 लाख है इसमें यदि आमतौर पर बेरोजगार रहने वाले को शामिल कर लिया जाय तो यह संख्या 20 करोड़ 10 लाख बनती है इसमें 13 करोड़ 90 लाख पुरु ष है और6 करोड़ 10 लाख महिलायें हैं असंगठित क्षेत्र अधिक संख्या ग्रामीण मजदू रों की है 60 प्रतिशत लोगों का अपना व्यवसाय है या वे पारिवारिक काम धन्धों में संलग्न हैं 40% वेतन पर काम करते हैं इनमें से पुरु ष मजदू रों में 75% और महिला मजदू रों में 90% दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदू र हैं गाँवों में 80% पुरु ष और 86% महिला मजदू र, कृ षि, पशुपालन, मछली पालन वसिकी आदि क्षेत्रों में है

गाँवों में आज भी शारीरिक श्रम की ही महत्ता है कृषि कार्य में लगे मजदूरों का अधिकांश भाग शारीरिक श्रम का है वहाँ नयी टेक्नालजी का प्रयोग लगभग नहीं के बराबर हुआ है

तालिका- 1.4

वु ऽलश्रमकाप्रा तिशतर्वि वतरण

कार्य	पुरुष	महिला	कुल
हल चलाना	14.0	1.5	10.3
बुवाई	2.0	1.6	1.9
पौध लगाना	2.7	5.8	3.6
खर पतवार उखाड़ना	7.2	14.7	9.7
कटाई	12.7	19.5	14.7
अन्य कृषि कार्य	55.9	53.8	54.8
कृषि यंत्रों से होने वाले काम	5.5	3.1	4.3
कुल	100	100	100

स्रोत- सर्वेक्षण जे0ओ0 1981 एस 37, एस 38

तालिका से स्पष्ट है कि कृषि यंत्रों से होने वाला कार्य का प्रतिशत मात्र 4.3 है तथा शेष 95.7% कार्य मजदू रों को शारीरिक श्रम के द्वारा करना पड़ता है 1981 की जनगणना सम्बन्धी आंकड़ो के अनुसार कुल 24 करोड़ 16 लाख के लगभग मजदू रों में से 64.6% मजदू र खेती बाड़ी में काम करते हैं वहीं बेरोजगार और वेतन रोजगार में लकीर खींचना मुश्किल है इस क्षेत्र में अधिकतर मजदू र असंगठित और कमजोर वर्ग के है इसके अलावा अधिकतर मजदू रों के मामले में राष्ट्रीय नमू ना सर्वोच्च के 32वें चक्र के अनुसार इन मजदू रों के अल्परोजगार का प्रतिशत 19.07 है और 21.04 है उनकी पू र्णकालिक बेरोजगार, जिसका प्रतिशत 3.74 और 3.97 है, के मुकाबले यह प्रतिशत गम्भीर है अल्प रोजगार के इस अनुपात को मजदू रों की वर्तमान संख्या पर लागू करके यह तथ्य सामने आता है कि 6 करोड़ 40 लाख सीमान्त किसान और भू मिहीन मजदू र अल्परोजगार में है तथा 90 लाख पू री तरह बेरोजगार इस प्रकार कृ षि तथा गैर कृ षि रोजगार में लगे असंगठित श्रमिक बुरी तरह अल्प रोजगार के शिकार हैं और उसमें से कुछ कम सीमा तक पू री तरह बेरोजगार हैं

तालिका- 1.5

विभिन्न वर्षों में श्रम का वितरण (प्रतिशत में)

श्रेणी	पुरुष			महिला		
	1972-74	77-78	1983	1972-74	77-78	1983
स्वरोजगार	65.90	62.77	60.40	64.48	62.10	62.21
वेतन रोजगार	12.06	10.57	10.77	4.08	2.84	3.10
दिहाड़ी मजदूर	22.04	26.66	28.83	31.44	35.06	34.60

स्रोत- सर्वेक्षण भाग 14 सं0 - 4

सातवीं योजना के मध्य की समीक्षा में 1971 से 1982-83 के बीच के वर्षो क ग्रामीण मजदूरी में

हैं इस तरह सुदृढ़ परम्पराओं वाले भारत को पहला जबरदस्त झटका मध्ययुग के उन अनेक आक्रमणकारियों से नहीं लगा बल्कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी से लगा था और वह भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रान्ति के पूरा होने के बाद भारत को महानगरीय सभ्यता से जोड़ने के ब्रिटेन के साम्राज्यवादी प्रयास से भारत की राजनैतिक अर्थव्यवस्था की जड़ें हिल गयीं दो शताब्दियों तक चले ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में दूरगामी उसर वाले परिवर्तन किये गये कुछ बदलाव तो इतने जबर्दस्त थे कि इनसे देश की आर्थिक व्यवस्था का नक्शा ही बदल गया ब्रिटिश शासक अपने साथ पश्चिमी विज्ञान और बुद्धिवादी मानवीय मूल्य भी भारत लाये हालांकि उन्होंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, बल्कि अनजाने में ही ये बातें भारत पहुँची, लेकिन इनसे यहां आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरु हो गयी आधुनिकीकरण के मार्ग में दूसरा मील का पत्थर 1947 में भारत की आजादी थी स्वतन्त्रता के बाद तो कृषि पर आधारित सामाजिक ढ़ांचें,इसके स्वरूप तथा उत्पादन में इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नालाजी में व्यापक गुणात्मक परिवर्तन हुये हैं लेकिन इसके बावजूद कुछ क्षेत्रों में अब भी उत्पादन का अद्‌र्धसामंती तरीका जारी है इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अद्‌र्ध सामंती मूल्यों पर आधारित पतनशील व्यवस्था अब भी ज्यों की त्यों बनी हुयी है जहां तक कृषि पर आधारित व्यवस्था में परिवर्तन का सवाल है ऐसा लगता है कि भारत, परंपरा से आधुनिकता की ओर के संक्रमण दौर से गुजर रहा है

मध्ययुगीन भारतीय कृषक समुदायों ने कई युगों के अनुभव से खेती बाड़ी की ऐसी प्रणालियॉ विकसित कर ली थी जो क्षेत्र विशेष की जलवायु के अनुरुप थी उन्होंनेअपने इलाके को ध्यान मं रखकर उपयुक्त टेक्नोलाजी भी विकसित की है वे जहां एक ओर वीरानी खेती वाले इलाकों में गेहूँ तथा अन्य मोटे अनाज पैदा करने में माहिर थे, वहीं वे नदियों की घाटियों तथा समुद्र तटवर्ती डेल्टा क्षेत्र में और इसी तरह

की अधिक पानी वाली फसलें उगाते थे कृ षक समुदायों ने सू खे और अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिये आपदा प्रबन्ध की अपनी ही प्रणाली विकसित कर ली हजारां व र्षों तक यह कौशल ज्यों का त्यों बना रहा और उत्पादन टेक्नालाजी की ही तरह इसमें भी कोई सुधार नहीं हो पाया टेक्नालाजी के क्षेत्र में आये इस ठहराव का सबसे प्रमुख कारण आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बरकरार रहना था परिवर्तन की हवा से बेखबर और शासकों के बदले जाने से अनजान भारत के आत्मनिर्भर गाँव सदियों तक जैसे के तैसे बने रहे

भारत और शायद समूचे एशिया में कृषि की यह विशेषता थी कि यह जनसंख्या और जमीन की उपज के बीच सन्तुलन कायम रहता था यह सन्तुलन देश के विभिन्न इलाकों में अपनायी गयी फसल उत्पादन टेक्नालाजी की वजह से सम्भव हो पाता था जिन इलाकों में जमीन की उत्पादकता अधिक होती थी वहां जनसंख्या का दबाव भी ज्यादा होता था

नदियों की घाटियों और डेल्टा क्षेत्र में तो यह बात विशेष रूप से देखी जा सकती थी दूसरी ओर भारत के पश्चिमोत्तर के अर्ध-शु ष्क क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव कम था प्राकृतिक आपदाओं और लोगों के एक स्थान से दू सरे स्थान पर बसने से जनसंख्या संतुलन स्वयं काम हो जाता था नतीजा यह होता था कि देश भर में किसानों का औसत अनाज उत्पादन लगभग एक समान बना रहता था इस प्रकार की टेक्नालाजी एक महत्वपू र्ण परिणाम यह होता था कि कुल जनसंख्या और कृ षि उत्पादनमेंवृद्धि के बीच एक तरह का तालमेल बना रहता था उत्पादन की शक्तियों की सीमित क्षमता के कारण उपज तेजी से नहीं कट पाती थी और टेक्नालाजी भी ज्यों की त्यों बनी रहती थी इसलिये जनसंख्या वृद्धि भी अत्यन्त सीमित रहती थी प्रकृति के क्रूर हाथ भी संतुलन में भू मिका निभाते थे बाढ़, अकाल तथा अन्य आपदायें बड़ी संख्या में लोगों को

लील जाती थी उनके साथ-साथ ऐसी बीमारियाँ भी फैलती थीं जिनका उस समय कोई इलाज सम्भव नहीं था इसका अर्थ यह हुआ कि टेक्नालाजी और उत्पादन सम्बन्धों से उत्पादन और उस पर निर्भर जनसंख्या का निर्धारण होता था उस युग के कृषक समुदाय के लोगों का जीवन स्तर इन्हीं पर निर्भर था

ब्रिटिश शासन की शुरुआत से पहले भारत की अर्थव्यवस्था बुनियादी तौर पर कृषि पर आधारित थी स्थानीय दस्तकारी सेवायें तथा व्यापारिक गतिविधियां सीधे कृषि सेजुड़ी हुयी थी गांवों की बहुतायत वाले समाज के ऊपर एक छोटा सा शहरी ढांचा था जो अपने अस्तित्व के लिये शासकों की न्याय प्रणाली पर निर्भर था हालांकि सिद्धान्त रूप से तो सारी जमीन राजा की हुआ करती थी, लेकिन व्यवहार में जमीन का स्वामित्व काश्त करने वाले किसानों की कुछ उपजातियों के हाथों में होता था जागीरदारी प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले गांवों में जागीरदार को जमीन के स्वामित्व के व्यापक अधिकार प्राप्त थे काश्तकारों को अपनी उपज का एक हिस्सा लगान के रूप में शासन को देना पड़ता था यह कुल उपज के आधे से अधिक एक तिहाई तक हो सकता था कुछ मामलों में काश्तकारों को अपने ऊपर के बिचौलियों को भी लगान देना पड़ता था वन तथा खाली पड़ी जमीन गांव की साझा सम्पत्ति मानी जाती थीसभीग्रामवासियों,जिनमेंआर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोग भी शामिल थे, सम्पत्ति संबंधी एक से अधिकार प्रापत थे जमीनसम्बन्धी लेन-देन कम होते थे और जमीन एक व्यक्ति से दूसरे को नहीं दी जा सकती थी, लेकिन जमीन के बारे में निजी अवधारणा मौजूद थी जमीन का वास्तविक मालिकाना हक काश्तकार तबके के लोगों का ही होता था भू-सम्पत्ति के उत्तराधिकार पुरुष सदस्यों की संख्या में मित्रता के कारण समय के साथ-साथ जोतों के आकार में भारी अंतर आ जाता था खेती बाड़ी के अधिकतर तौर तरीके एक जैसे थे लेकिन सारी जमीन पर एक ही जैसी खेती नहीं की जाती थी

अधिकतर ग्रामीण समाजों में दस्तकारी से श्रमिकों को रोजगार और आमदनी बढ़ाने का अवसर मिलता था दस्तकारी से उन्हें पूरे वर्ष रोजगार मिलता रहता था इससे गाँवोंमें कुछ हद तक आत्मनिर्भरता भी आयी और यही वजह थी कि हमारे गाँवों के लिये अपना अस्तित्व बनाये रखना आसान हो गया भारतीय ग्रामीण समाज की एक विशेषता यह थी कि इसमें जाति प्रथा पर आधारितस्पष्ट श्रम विभाजन था इस श्रम विभाजन के अनुसार मेहनत-मजदूरी और हेय दृष्टि से देखे जाने वाले कार्य अक्सर नीची समझी जाने वाली जातियों को सौंप दिये गये थे जिन इलाकों में हिन्दुओं से अलग धर्म मानने वालों, जैसे मुसलमानों और इसाइयों का बहुमत था, वह भी जातिगत आधार पर श्रम विभाजन लागू होता था जाति-प्रथा के अन्तर्गत तथाकथित नीची जातियों और अछूत समझे जाने वाले को जीवन के बुनियादी अधिकारों और मानवीय गरिमा तक से वंचित कर दिया जाता था इन लोगों का भरपूर शोषण होता थ जाति प्रथा के कठोर बंधनों ने भारतीय गाँवों को अत्याचारी समाज में बदल दिया था कुल मिलाकर जमींदारों द्वारा खेतीर मजदूरों को जो आमतौर पर अनुसूचित जातियों के लोग हुआ करते थे सेवाओं के एवज में चीजें दी जाती थी जो कुछ मामलों में उपज का एक निश्चित हिस्सा होती थी इस वजह से गांवों में रहने वालों की खुशहाली इस बात पर निर्भर करती थी कि फसल कैसी हुयी है खुशहाली का सीधा सम्बन्ध फसल के अच्छे या बुरा होने पर निर्भर करता था लेकिन इसके बावजूद उपज का समाज में वितरण समान नहीं था यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि जमींदार यानि ताल्लुकदार था सूबेदार या राजा लगान के रूप में उपज के एक चौथाई से आधे हिस्से तक अनाज ले लिया करते थे जो निश्चित ही काफी बड़ा हिस्सा था किसानों का शोषण दो स्तरों पर होता था, एक स्तर पर काश्तकारों का सीधा शोषण होता था क्योंकि शासन और उसके एजेंट उपक का एक हिस्सा हड़प जाते थे, दूसरे स्तर पर ऊंची जातियों के किसान जजमानी प्रथा के जरिये खेतीहर मजदूरों और अन्य लोगों का शोषण करते थे

भारत के विदेशी शासकों में से ब्रिटिश शासकों का भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर सबसे अधिक असर पड़ा इसका बुनियादी कारण यह है कि भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत उस समय हुयी जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रान्ति का सूत्रपात होने वाला था इसके अलावा भारत पर आक्रमण करने वाले अनेक लोगों की तरह ब्रिटिश लोग यहाँ रहने और भारत में अपना घर बनाने के इरादे से नहीं आये थे यहाँ आने का उनका उद्देश्य भारत पर शासन करना, यहाँ के लोगों का भरपूर शोषण करना और अधिक से अधिक दौलत बटोरेना था

रजनी पामदत्त के अनुसार ब्रिटिश लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिये कई हथकंडे अपनाये इन हथकंड़ों के तहत 16वीं से 18वीं शताब्दी तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत में खूब लूट खसोट की अति प्राचीन काल से पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा उचित रखरखाव के ज़रिये सुरक्षित रखी गयी सिचाई प्रणालियों तथा सार्वजनिक निर्माण कार्यों के प्रति औपनिवेशिक शासकों द्वारा घोर उपेक्षा दिखाई गयी जमीन सम्बन्धी एक ऐसी प्रणाली की शुरुआत की गयी जिसमें न सिर्फ जमीन के स्वामित्व और उसकी बिक्री तथा बटवारे की इजाजत थी, बल्कि कृषि के व्यावसायीकरण के माध्यम से इसे बढ़ावा दिया गया भारत को आयात किये जाने वाले माल पर तो सीधी रोक लगा दी गयी या फिर उस पर भारी कर लगा दिये गये ये प्रतिबन्ध इंग्लैंड में फिर यूरोप में भी लागू कर दिये गये लेकिन भारतीय आर्थिक ढांचे को तहसनहस करने का अंतिम फैसला तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रान्ति की शुरुआत के बाद 1913 में उस समय किया गया जब सोच विचार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल बैठाने के प्रयास किये गये इसी साजिश के तहत भारत को कच्चे माल का निर्यात तथा तैयार माल का आयात करने वाला देश बना दिया गया भारतीय बाजारों में इंग्लैंड के सस्ते औद्योगिक उत्पादों का हमला भारतीय वस्तुओं और

हस्तशिल्प, विशे ष रूप से ह थकरघे पर बने कपड़े तथा ढाका और अन्य शहरों बी मलमल के लिये बड़ा घातक सिद्ध हु आ हस्तशिल्प की वस्तुयें बनाने वाले तथा उन पर निर्भर शहर दीवालिये हो गये बुनकरों को मजबू र होकर गां व लौटना पड़ा इससे कृ षि और उद्योग के बीच अटू ट सम्बन्धटू ट गया और दे श में जमीन पर अनावश्यक बोझ बढ़ता चला गया

ब्रिटिश शासन काल में जमीन के बन्दोबस्त औपचारिक तौर पर तीन प्रणालियां थीं जमींदारी यानी भू मि का स्थाई बन्दोबस्त रै यतवाड़ी और महालवाड़ी ब्रिटिश शासकों ने 1773 में बं गाल प्रेसीडे न्सी में बड़े सोच विचार के बाद जमीन का स्थाई बन्दोबस्त किया जमीं दारी वाले इलाकों में बेनामी जमीं दारों को लगान वसू ल करने का अधिकार सौंपा गया सोचा यह गया था कि जमीदारों का यह नया वर्ग खेती के आधुनिक तौर तरीके अपनायेगा और कृ षि का पुनरुद्धार करे गा, लेकिन व्यवहार में बिल्कुल उल्टा हु आ जमीं दारों ने काश्तकारों से भारी लगान वसू ल कर उन्हें तो कंगाल बना दिया जबकि वे खुद शहरों में विलासिता का जीवन बिताते थे काश्तकारों की अनेक गलतियों की वजह से जमीं दार उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते थे बिचौलिए रखने का प्रचलन बहु त बढ़ गया था जमीन को जमीं दार से काश्तकार और बं टाईदारों को पट्टे पर दे ना बड़ी आम बात थी लोग भारत के ब्रिटिश शासन के अधिकार नहीं थे शे ष भारत के ब्रिटिश शासकों के अधिकार में आ जाने के बाद उन्होंने इस तरह का बन्दोबस्त बाकी दे श में लागू नहीं किया दक्षिण और उत्तर-पश्चिम भारत में भू -स्वामित्व की उस समय की प्रणाली ही जारी रखी गई रै यतवाड़ी और महालवाड़ी वाले इलाकों में ग्रामीण इलाकों के काश्तकारों को जमीन सम्बन्धी अधिकार प्राप्त थे और बिचौलिये नहीं थे लेकिन इन क्षेत्रों में भी जमीन का लेन-दे न बड़े पैमाने पर होता था और कर्ज तथा अन्य कारणों से जमीन ऐसे लोगों के पास पहुँ च जाती थी जो खुद खेती नहीं करते थे भारत के रजवाड़ों में भी कुल मिलाकर जमीं दारी

प्रथा अपने क्रूरतम रूप में मौजूद थी जिसके अंतग्रत कई तरह की पट्टेदारियाँ होती थीं, और काश्तकारों को कोई निश्चित अधिकार प्रापत नहीं थे ब्रिटिश शासकों ने राजनीतिक कारणों से भूमि सुधार के क्षेत्र में बहुत ही पुरानी प्रणाली अपनायी और उसे बढ़ावा दिया जमीन से जुड़े निहित स्वार्थों ने ब्रिटिश राज के लिए अत्यंत शक्तिशाली हथियार तैयार किया बेनामी जमींदारी, बंटाईदारी, अद्‌र्धसामंती व्यवस्था, जमीन के स्वामित्व में भारी असमानता और किसानों पर कर्ज के बढ़ते बोझ ने काश्तकारों को कंगाल ही नहीं बनाया बल्कि देश में कृषि के पुनरुत्थान में बड़ी बाधा उत्पन्न कर दी

ब्रिटिश काल में दूसरा बदलाव कृषि के क्षेत्र में उत्पादन टेक्नोलाजी में छुटपुट परिवर्तनों के रूप में सामने आया सिंचाई के जरिये टेक्नोलाजी संबंधी जो थोड़े बहुत सुधार किये गये वे बुनियादी तौर पर उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तथा बीसवीं शताब्दी के शुरु के वर्षों में कई बार पड़े अकालों से निपटने के लिए देर से उठाये गये कदम थे ब्रिटिश सरकार ने सिंचाई के क्षेत्र में काफी पैमाने पर पूंजी निवेश किया सन् 1920 तक पंजाब, सिंध और उत्तर प्रदेश में नई नहरों का काफी अच्छा जाल बिछाया जा चुका था दक्षिण में नहरों ने जरिए सिंचाई की प्रणाली सफलतापूर्वक बहाल की जा चुकी थी सन् 1924 तक भारत में कृषि योग्य करीब 24 प्रतिशत जमीन पर सिंचाई की व्यवस्था हो चुकी थी लेकिन इसमें से अधिकांश क्षेत्र भारत के पश्चिमोत्तर तथा दक्षिण भाग में था टेक्नोलाजी संबंधी विकास का दूसरा पहलू 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कृषि सम्बन्धी अनुसंधान के लिये रायल काउंसिल आफी एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना के रूप में सामने आया इस दौरान कुछ कृषि विश्वविद्यालय भी स्थापित किये गये और कृषि अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की वैज्ञानिक प्रणाली विकसित करने के प्रयास किये गये और उसके अन्तर्गत अच्छी किस्म के बीच विकसित किये गये तथा विदेशों से नयी प्रजातियों का आयात किया गया जबकि

पर्याप्त पूंजी निवेश की कमी की वजह से उपलब्धियां अधिकांशत: व्यापारिक फसलों तक सीमित रहीं लेकिन इस सन् के बावजूद यह कहना गलत नहीं होगा कि ब्रिटिश शासनकाल ही में कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान और वैज्ञानिक विकास की नींव पड़ी

सारांश में यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश काल कृषि के व्यावसायीकरण और इसे ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वित करने के प्रयासों के कारण भारतीय कृषि और भारतीय गाँवों के आत्मनिर्भर स्वरूप में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त के वर्षों और बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में नहरों के जरिये सिचाई करने की परियोजनाओं में पूंजी निवेश के कारण में परिवर्तन हुये कृषि के वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाने के कारण परिवर्तन की शुरूआत हुयी और भारत के कुछ भागों में इसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई दिया लेकिन पुराने पड़ चुके अद्र्धसामंती भूमि-सम्बन्धों के रहते इन परिवर्तनों से भारतीय कृषि में ज्यादा गतिशीलता नहीं आ पायी नतीजा यह हुआ कि कृषि के क्षेत्र में विकास कुल मिलाकर निराशाजनक हो रहा

आजादी के समय भारत के कृषि पर आधारित बुनियादी ढांचे में कई समस्यायें और बाधायें विद्यमान थी स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ही, भारत में कृषक समुदाय के लोगों की दशासुधारने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने के योजनाबद्ध प्रयास शुरु हुये कृषि में नयी जान फूंकने के उद्देश्य से नीति निर्माताओं ने दोहरी नीति अपनायी इसकी पहली विशेषता यह थी कि कृषि के विकास में संस्थागत बाधाओं को दूर करने के लिये भूमिसुधारों को लागू किया गया चूंकि किसान आन्दोलन हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का ही एक हिस्सा था और इस आन्दोलन से राष्ट्रीय आन्दोलन को जोरदार समर्थन मिला, इसलिये हमारे राष्ट्रीय नेता आजादी मिलने के बाद व्यापक भूमि सुधार लागू करने के प्रति वचनबद्ध थे हमारी राष्ट्रीय नीति का दूसरा पहलू यह

रहा कि हमने सिचाई, बिजली और ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश किया साठ के दशक के मध्य में एक अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत प्रयास के तहत कृषि मूल्य नीति लागू की गयी जो काफी उपयोगी सिद्ध हुयी

भारत में आजादी के बाद मोटे तौर पर चार चरणों में भूमि सुधार सम्बन्धी कानून बनाये गये भूमि सुधार कार्यक्रमों की आवश्यकता और समग्र आर्थिक विकास में योगदान को देखते हुए देश में राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व ही भूमि सुधारों की अनिवार्यता पर जोर दिया जाता रहा 1928 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये घोषित कर दिया था कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कांग्रेस के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में है इस प्रकार जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन और जमींदारी को प्रथा के आधार पर जोतने वाले को जमीन की व्यवस्था स्थापित करना स्वतंत्रता आन्दोलन का एक प्रमुख अंग बन गया था स्वतंत्रता के तुरंत बाद इस समस्या के निराकरण हेतु सक्रिय कदम उठाये गये हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1948 में ग्रामीण सुधार सीमित की स्थापना की जिसने यह विचार प्रस्तुत किया कि भारतीय कृषि में मध्यस्थों का कोई स्थान नहीं होना चाहिये और भूमि की मल्कियत काश्तकार को दे देनी चाहिये भविष्य में उप भूमि धारण प्रथा का निषेध होना चाहिये और यह सुविधा केवल नाबालिग बच्चों और नितान्त अक्षम व्यक्तियों तक ही सीमित होनी चाहिये इसलिये स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही इस दिशा में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी स्वतंत्रता प्राप्त के बाद किये गये विभिन्न भूमि सुधार कार्यक्रमों से उत्पादन और उत्पादिकता में वृद्धि हुयी है

स्वंत्रता प्राप्ति के बाद कृषि क्षेत्र में व्याप्त मध्यस्थों के उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप राज्यों की विधानसभा द्वारा क्रमशः कानून बनाये गये अधिकांश राज्यों में मध्यस्थता उन्मूलन कार्यक्रम 1948 से 1954 की अवधि में लागू किया गया जमींदारी उन्मूलन सन्नियमों

की वैधता को भी चुनौती दी गयी तथा विभिन्न पक्षों राज्यों के उच्च न्यायालयों और अंतत: उच्चतम न्यायालयों में मुकदमे दायक किये गये तथापि इन सन्नियमों को ही सामान्यत: वैधता प्रदा नकी गई जमींदारी उन्मू लनकार्यक्रममुख्यत: परिसम्पत्तिकाराज्यद्वाराक्षतिपू िर्तदे कर अधिग्रहणकरने का कार्य था मध्यस्थों की समाप्ति का कार्य 1948 में मद्रास के से आरम्भ हुई इसके पश्चात् बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बम्बई आदि राज्यों ने भी कानू न बनाये यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पश्चिमी बंगाल बिचौलियों की लम्बी श्रृंखला और कुप्रभावों से अधिक प्रभावित था तभी राज्यों में जमींदारी उन्मू लन अधिनियम बन चुका था और मध्यस्थों के उन्मू लन का कार्य लगभग पू रा हो चुका है

जमींदारी उन्मूलन की दिशा में सभी राज्यों में लागू किये गये अधिनियमों के फलस्वरूप लगभग 20 मिलियन काश्तकारी का सरकार से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया और वे सामन्तवादी प्रथा के चंगुल से मुक्त हो गये भारत में मध्यस्थ प्रथा, यथा जमींदारी, जागीरदारी, इनाम देश के लगभग 40 प्रतिशत भू - भाग पर फैली हुई थी इस कार्यक्रम से इनका उन्मू लन हुआ और काश्तकारी की स्थिति में सुधार हुआ कुल मिलाकर 173 एकड़ भू मि राज्य के अधिकार में आ गई सरकार ने 670 करोड़ रुपये की क्षतिपू िर्त कर भू मि पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया इसके साथ-साथ सरकार ने बड़े भू मिखंडों, सामू हिक भू मियों और वनों पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया कृ षि सुधार की दिशा में इसशक्तिशाली वर्ग का नि षेध एक उल्लेखनीय उपलब्धि की तथा कृ षि सुधार के इतिहास में यह एक अद्वितीय घटना रही है मध्यस्थों के उन्मू लन और काश्तकारों की भू मि का स्वामित्व मिलने से किसानों को उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा मिली इसके पू र्व मध्यस्थ प्रथा के कारण कृ षि में उन्नति के लिए आवश्यक विनियोग नहीं हो पाता था और कृ षि की उत्पादिता निम्न कोटि की बनी रहती थी उत्तर प्रदेश में भू मि सुधार के एक अध्ययन से पता चलता है कि

जमींदारी उन्मूलन के कारण जोतों की संरचना समानता की ओर बढ़ी है और जमींदारी उन्मूलन ने व्यक्तिगत पूँजी निर्माण को प्रोत्साहित किया है यद्यपि बटाई की कुप्रथा पर मध्यस्थों के उन्मूलन का कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि कानून ने इसके निराकरण हेतु कोई व्यवस्था नहीं की थी •

जमींदारी और रैयतवारी भूमि व्यवस्था के अधीन देश में पट्टेदारी काश्त प्रचलित रही है पट्टे पर कृषि कार्य करने वाले किसानों के तीन वर्ग रहे हैं-(1) स्थायी काश्तकार, (2) इच्छित काश्तकार, (3) उप काश्तकार स्थायी काश्तकार के पट्टेदारी हक स्थायी रहे हैं उन्हें पट्टे की स्थिरता और सुरक्षा प्राप्त रहती है इस कारण अंततः वे कृषि भूमि के स्वामी बन जाते हैं भूमि व्यवस्था के इस प्रारुप में इच्छित काश्तकारों और उप काश्तकारों की स्थिति अत्यन्त खराब थी इन काश्तकारों का भू-स्वामियों द्वारा बार-बार लगान में वृद्धि, बेदखली, बेगार आदि माध्यमों से शोषण किया जाता था इनकी काश्तकारी भू-स्वामी की प्रसन्नता तक ही बनी रह सकती थी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 8वें दौर में यह अनुमान लगाया था कि सम्पूर्ण भारत में 1953-54 में लगभग 20 प्रतिशत भूमि पट्टेदारी व्यवस्था के अन्तर्गत थी इन ऑकड़ों में स्थायी काश्तकारों की भूमि को सम्मिलित नहीं किया गया था क्योंकि स्थायी पट्टेदारों को भूमि-स्वामियों के समान अधिकार प्राप्त थे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पट्टेदारी में सुधार के निम्नलिखित प्रयास किये गये

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व देश के विभिन्न भागों में लगा कि दर अत्यन्त ऊंची थी और साथ साथ लगान वसूली की अमानुषिक विधि भी प्रचलित थी पट्टेदारों लगान प्रदान करने के लिए प्रताड़ित किया जाता था विभिन्न भागों में प्रचलित लगान उपज का 50 प्रतिशत व इससे भी कुछ अधिक था एम.डी. मालवीय ने अनुमान लगाया था कि देश में लगान की दर उपज के 34 से 75 प्रतिशत भाग तक थी उस समय लगान या तो परम्परा के आधार पर लिये जाते थे इनका निर्धारण माँग पूर्ति के शक्तियाँ द्वारा होता था ब्रिटिश शासन

के अन्तिम चरण तक देश का ग्रामोद्योगी ढाँचा चरमरा गया था परिणामत: कृषि पर जनसंख्या का बोझ बढ़ जाने से माँग शक्तियाँ अधिक प्रबल हो गयी और लगान बढ़ता गया इन विरोधों को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक हो गया था कि लगान नियमन किया जाये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विभिन्न राज्यों में निर्धारण की गई लगान दरों में विभिन्नता है, तथापि वे एक निश्चित अंगीकृत मान के आस-पास ही हैं

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में योजना आयोग की ओर से यह सुझाव दिया गया कि सम्पूर्ण देश में लगान का नियमन करके इसके कुल उपज का 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक भाग निश्चित किया जाना चाहिए तदनुसार अधिकांश राज्यों में लगान नियमन की व्यवस्था कर दी गई है छठी पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि पंजाब, हरियाणा और आन्ध्र प्रदेश के कुछ भागों को छोड़कर अन्यत्र सब जगह लगान का अधिकतम स्तर कुल उपज का 20 से 25 प्रतिशत तक भाग निश्चित कर दिया गया है राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में अधिकतम लगान कुल उपज का छठा भाग नियत किया गया है उड़ीसा, बिहार, असम, मणिपुर और त्रिपुरा में कुल उपज का छठा भाग नियत किया गया है मध्य प्रदेश में लगान भू-राजस्व का गुणज है तथा लगान भू-राजस्व के दुगने से चार गुने के बीच निश्चित किया गया है योजना आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि उपज रूप में लगान निर्धारित किया जाना चाहिए, ताकि लगान दर में होने वाले वार्षिक उच्चावचनों को समाप्त किया जा सके और जोतने वाले को उसके विनियोग का लाभ सुनिश्चित किया जा सके इससे यह स्पष्ट होता है कि लगान नियमन हेतु प्रयास हुये और लगान के सम्बन्ध में विद्यमान किसी भी शोषण और अनिश्चितता को समाप्त करनेका प्रयास किया गयाl काश्तकारी सुरक्षा की दिशा में भूमि सुधार कार्यक्रमों का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष काश्तकारों के लिये भूमि स्वामित्व अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था करना है भूमि व्यवस्था में न्याय प्रदान करने की दिशा में

यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है दूसरी पंचवर्षीय येजना में यह व्यवस्था की गयी कि उन जोतों पर जिन्हें भू-स्वामी पुन: नहीं प्राप्त कर सके, काश्तकार और सरकार के बीच सम्बन्ध स्थापित किये जायें इस आकांक्षा के अनुरुप राज्यों में कानून लागू किये गये हैं जिनके अनुसार पट्टेदार कृषक भू-स्वामीको प्रकनिश्चितक्षतिपूर्तिप्रदान कर भू-स्वामित्व प्राप्त कर सकता है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक आदि राज्यों में इसके लिये कानून बनाये गये हैं भारतीय योजना आयोग के एक अनुमान के अनुसार लगभग 8 मिलियन काश्तकार और बटाई पर खेती करने वालों के इस व्यवस्था के अधीन लगभग 7 मिलियन एकड़ भूमि पर स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया जा चुका है

समतावादी समाज की स्थापना का विचार भारतीय आर्थिक नीति में आरम्भ से ही निहित रहा है इस कारण आरम्भ से ही सामाजिक व आर्थिक असमानतायें घटाने के लिये प्रयास किया जाता रहा है और किसी भी प्रकार की असमानता का निषेध नीति निर्धारण का मूल प्रेरक त्त्व रहा है इसी परिकल्पना के अन्तर्गत जोत सीमाबन्दी की नीति बनायी गई सामान्य रूप से जोत सीमाबन्दी निर्धारण के दो पक्ष हैं प्रथम बड़े कृषकों के जोत के आकार में कमी करना और द्वितीय अतिरिक्त भूमि वितरण द्वारा अत्यन्त छोटी जोतों वाले भू-स्वामियों और भूमिहीनों को भूमि प्रदान करना कृषि गणना के आंकड़ों से प्रतीत होता है कि देश की कुल जोतों का लगभग 51 प्रतिशत भाग सीमान्त जोते हैं जिनका आकार 1.0 हेक्टेयर से छोटा है परन्तु इन 51 प्रतिशत जोतों में कुछ क्षेत्र का केवल 9.0 प्रतिशत भाग आता है इसी प्रकार लघु आकारीय जोतें कुल जोत का लगभग 19 प्रतिशत भाग हैं जिसके अन्तर्गत कुल क्षेत्र का 12.0 प्रतिशत भाग है दूसरी ओर केवल 3.9 प्रतिशत जोतों का आकार 10.0 हेक्टेयर से अधिक है जबकि इनके अन्तर्गत आने वाले कुल क्षेत्र 30.9 प्रतिशत हैं इससे यह ज्ञात होता है कि भारत का भूमि में कुछ हाथों में ही संकेन्द्रण है अधिकांश सम्पनन

कृषक भूमि के मालिक बने हैं बहुसंख्यक जोतों का आकार अनार्थिक है इन छोटी जोतों के अतिरिक्त एक बड़ी संख्या में भूमिहीन कृषि श्रमिक विद्यमान है भूमि संसाधन का यह नितान्त विषमतापूर्ण विवरण जोत सीमाबन्दी का अनिवार्यता का संकेत करता है

आरम्भ से लेकर अब तक जोत सीमाबन्दी के वेग में हुई प्रगति का विश्लेषण चार आधारों- सीमा बन्दी लागू करने की इकाई, जोत की अधिकतम सीमा, छूट की अधिकतम सीमा और अतिरिक्त घोषित भूमि की उपलब्धि और उसका वितरण पर किया गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिद्धान्ततः सीमा बन्दी नीति को मान लिया गया था और राज्य सरकारों को यह स्वतंत्रता दी गयी थी कि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को देखते हुए जोतबन्दी सीमा का निर्धारण करे भूमि रखने की अधिकतम सीमा लागू करने के सिद्धान्त की घोषणा सर्वप्रथम1953 में की गयी भूमि सम्बन्धी ऑकड़ों को एकत्र करने का प्रयास किया गया 22 राज्यों ने कृषि जोतों की गणना का कार्य किया और1953-54 के भूमिसम्बन्धी आंकड़े एकत्र किये अंततः द्वितीय पंचवर्षीय योजना से सीमाबन्दी नीति को क्रियान्वित करने के प्रयास किये गए

जोत सीमाबन्दी के सन्दर्भ में 1972 के नियम के पूर्व सभी राज्यों में व्यक्ति को सीमा बन्दी की इकाई माना गया था इस आधार पर परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने पास एक निश्चित स्तर तक रख सकता है परिणामतः जोत सीमाबन्दी के बाद भी प्रत्येक परिवार के पास बड़ी-बड़ी जोतें बनी रही इस प्रकार 1972 के कानून ने पूर्व जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण बहुत ऊंचे स्तर पर किया गया था तथा उच्चतम और निम्नतम सीमाओं के बीच अत्यधिक अन्तर था विभिन्न राज्यों ने अपनी परिस्थिति के अनुरुप सीमा निर्धारण किये थे इस प्रकार विभिन्न राज्यों द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा में भी अन्तर था उदाहरणार्थ अधिकतम जोत सीमा का विस्तार प्रति व्यक्ति आन्ध्र प्रदेश में 27 से 324 एकड़ तक, राजस्थान में 22 से

326 एकड़ तक था इस प्रकार आन्ध्र प्रदेश में 5 व्यक्तियों का एक परिवार 324x5=1620 एकड़ तक जमीन अपने पास रख सकता था पूर्व के जोत सीमाबंदी कानून में भूमि के लिए विभिन्न प्रकार की छूट की व्यवस्था थी, उत्तर-प्रदेश में 20 प्रकार की भूमियाँ, केरल में 17 और पंजाब में 13 प्रकार की भूमियाँ छूट से युक्त थी छूट प्रदान की इन भूमियों में बगान क्षेत्र, सहकारी कृषि फार्म, धर्मार्थ संस्थाओं के अन्तर्गत आने वाली भूमियाँ आद सम्मिलित थी इन छूटों के कारण लोग भूमि को परिवार के अन्य व्यक्तियों छूट वाले विशिष्ट प्रयोगों में हस्तांतरित करने लगे परिणामत: अत्यन्त कम भूमि की अतिरिक्त घोषणा की जा सकी थी इन विसंगतियों और अल्प निष्पादन के कारण यह आवश्यक हो गया था कि जोत सीमाबन्दी पर पुर्नविचार किया जाये

जोत सीमाबंदी पर पुनर्विचार और जोत सीमाबन्दी की नवीन योजना बनाने के लिए एक केन्द्रीय भूमि सुधार सीमित का 1971 में गठन किया गया जोत सीमाबन्दी पर पुर्नविचार पूर्व अधिनियमों की विसंगतियों के अतिरिक्त इस कारण भी आवश्यक था क्योंकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक हरित क्रान्ति का प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा था उत्पादन, उत्पादिकता और कीमतें बढ़ने के कारण कृषकों की, विशेषकर बड़े कृषकों की आय बढ़ने लगी थी अत: समिति ने राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श किया और जोत सीमाबन्दी के लिए पृथक महत्वपूर्ण निर्णय लिये इसके निर्णयों ने जोत सीमाबन्दी के पुराने कानूनों की विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया, साथ-साथ भूमि की बढ़ती हुई माँग को देखते हुए अपेक्षाकृत नीची जोत सीमा निर्धारित की इसी सन्दर्भ में 23 जुलाई, 1972 को मुख्य का एक सम्मेलन बुलाया गया सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के आधार पर जोत सीमाबन्दी के लिए नवीन अधिनियम बनाया गया सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के आधार पर जोत सीमाबन्दी के लिए नवीन अधिनियम बनाया गया 1972 के बाद जोत सीमाबन्दी से सम्बद्ध विभिन्न आयामों का वितरण और तत्सम्बद्ध निष्पादन, निम्नवत् रहा है

वर्तमान सीमाबन्दी नीति के अन्तर्गत अधिकतम जोत सीमाबन्दी के लिए परिवार का आधार बनाया गया और परिवार की संकल्पना में पति-पत्नी तथा तीन बच्चों को सम्मिलित किया गया है नवीन नीति के अन्तर्गत अधिकतम सीमा का स्तर और विस्तार घटा दिया गया है भूमि की उर्वरा शक्ति, स्थिति और सुविधा देखते हुए सिंचित भूमियों के लिए जोत की सीमा 10 से 18 एकड़ निश्चित की गयी है जिन भूमियों पर सिंचाई की सुविधा केवल एक फसल के लिए सीमित थी, उस पर अधिकतम सीमा 27 एकड़ निर्धारित की गई थी अन्य सभी प्रकार की भूमियों के लिए जोत की अधिकतम सीमा 54 एकड़ निर्धारित की गई थी नवीन जोत सीमाबन्दी नीति के अन्तर्गत छूट वाली भूमियों का प्रावधान को अत्यन्त सीमित कर दिया गया नवीन जोतसीमाबन्दी नीति नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अंडमान नीकोबार द्वीप समूह और गोवा दमन व द्वीव को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में लागू कर दी गई है फरवरी 1986 तक देश में 430 लाख हेक्टर अतिरिक्त भूमि का अनुमान किया गया है इसमें से 29.40 लाख हेक्टर भूमि को अतिरिक्त घोषित कर दिया गया है इसमें से 23.19 हेक्टर भूमि को सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया अधिकार में ली गयी भूमि में से 17.52 लाख हेक्टर भूमि वितरित की जा चुकी है इसमें से अधिकांश लाभान्वित लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित परिवारों से थे यह भूमि कुछ 36.76 लाख व्यक्तियों को वितरित की गयी है इसमें से 54.7 प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हैं

भारत में समुचित ग्रामीण विकास की आवश्यकता दीर्घकाल से अनुभव की जा रही थी विचारकों और नीति निर्धारकों का यह विचार था कि विकास और कल्याण सम्बन्धी कार्यों में ग्रामवासियों को सहभागी बनाया जाना चाहिये स्वतंत्रता के पूर्व व्यक्तिगत प्रयासों के आधार पर जनसहभागिता की परिकल्पना में वर्धा, श्री निकेतन, मारतंडम, गुड़गांव, बड़ौदा, इटावा एवं फरीदपुर में ग्रामीण विकास की परियोजनायें चलायी

गयीं परन्तु विदेशी शासन की तटस्थ नीति और संसाधनों की कमी के कारण इनको उपयुक्त सफलता नहीं मिल सकी पहले से अनुभव की जा रही इस आवश्यकता को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद व्यवहारिक स्वरूप देने का प्रयास किया गया और 2 अक्टूबर 1952 से सामुदायिक विकास कार्यक्रम देश में आरम्भ किया गया

सामुदायिक विकास कार्यक्रम से आशय उन संगठित एवं सुनियोजित क्रियाओं से है जिनमें विकास और कल्याणकारी क्रियाओं में जनसमुदाय के प्रयास के साथ-साथ राजकीय प्रयास को भी मिलाया जाता है जनसमुदाय और सरकार की विकासगत और कल्याणकारी क्रियाओं के समन्वय को ही सामुदायिक विकास कहते हैं भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास को एक ऐसी ही क्रिया माना गया है जिसके द्वारा गांवों के सामाजिक व आर्थिक जीवन की प्रक्रिया आरम्भ होती है मूल धारणा यह है कि संगठन द्वारा जनसमूह अपने पारस्परिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अपने समस्त साधनों का संग्रह और उपयोग करना सीखता है यह कार्यक्रम जनता और सरकार की सहभागिता पर आधारित है इसके अन्तर्गत विकास और कल्याण की योजनायें बनाने, उन्हें लागू करने तथा उनके लिये श्रम, पूंजी आदि साधनों के जुटाव में सरकारी व्यवस्था के साथ-साथ जनसमूह को भागीदार बनाने का प्रयास किया जाता है व्यापक परिपेक्षय में सामुदायिक विकास कार्यक्रम सामाजिक क्रिया का एक अंग है जिसमें किसी समूह के लोग विकास और कल्याणकारी कार्यों के लिये संगठित होते हैं तथा अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समस्याओं को परिभाषित करते हैं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये समूह के साधनों और आवश्यकता पड़ने पर सरकारी साधनों का भी प्रयोग करते हैं इस प्रकार सामुदायिक विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के सभी

लोगों की स्वयं की प्रेरणा एवं सक्रिय सहयोग से सरकार की सहभागिता के आधार पर आर्थिक व सामाजिक प्रगति की दशायें सृजित तथा कार्यान्वित की जाती है

सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1952 से प्रयोगात्मक आधार पर 55 मार्गदर्शी योजनाओं से आरम्भ किया गया था इनमें 27388 गांव और 1.64 करोड़ जनसंख्या सम्मिलित थी प्रत्येक परियोजना का विस्तार क्षेत्र लगभग 300 वर्ग किलोमीटर था प्रत्येक परियोजना में लगभग 3 लाख जनसंख्या और 300 गांव सम्मिलित थे अप्रैल 1958 से इस ढांचे में परिवर्तन लाया गया जिसके अनुसार एक सामुदायिक विकास क्षेत्र में सामान्यतः 110 गांव 92 हजार जनसंख्या और 620 किलोमीटर क्षेत्र आता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम के साथ 'राष्ट्रीय विस्तार सेवा' नामक एक अन्य कार्यक्रम भी जोड़ा गया सामुदायिक विकास योजना का मुख्य आधार यह है कि इनमें कृषि, ग्रामीणउद्योग, शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य आदि के विकास पर जोर दिया जाता है परन्तु राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम मुख्य रूप से उन कृषकों से सम्बन्धित है जो अपनी कृषि के संगठन व प्रबधि में सुधार करना चाहते हैं यह उन्नत कृषि विधियों के प्रसार में सहायक है सामुदायिक विकास कार्यक्रम अब देश के समस्त गांवों में फैला है

सामुदायिक विकास कार्य का संगठन व प्रशासन बहुस्तरीय है कार्यक्रमों का व्यापक प्रतिरूप केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किया जाता है कार्यक्रमों को लागू करने का दायित्व राज्य सरकारों का है राज्यों में इसके संचालन हेतु एक विकास आयुक्त होता है जिला स्तर पर यह कार्यक्रम जिला परिषद के निर्देशन में चलाया जाता है कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु जिला खण्ड और गांव स्तर पर कर्मचरियों एवं अधिकारियों की एक श्रृंखला होती है मुख्य क्रियान्वयन इकाई विकास खंड कहलाती है जो क्षेत्र समिति के निर्देशन में कार्य करती है प्रत्येक विकास खण्ड के कार्यक्रमों को चलाने के लिये एक खण्ड विकास अधिकारी तथा कृषि, पशुपालन,

सहकारिता, ग्रामोद्योग आदि से सम्बद्ध सहायक विकास अधिकारी होते हैं गांव स्तर कार्यक्रम को लागू करने के लिये ग्राम विकास अधिकारी होता है जो बहुधंधी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता है प्रत्येक ग्राम विकास अधिकारी लगभग 10 गांवों में इस कार्यक्रम को चलाता है

इस कार्यक्रम के लिये वित्त व्यवस्था राजकीय क्षेत्र से की जाती है इसमें अब कुछ संरचनात्मक परिवर्तन हुये हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना तक सामुदायिक विकास खण्डों के लिये वित्त का दायित्व केन्द्र सरकार का था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से सामुदायिक विकास हेतु केन्द्र की सहायता से राज्य सरकारें वित्त व्यवस्था करती हैं प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं में सामुदायिक विकास पर कुल 501 करोड़ रु0 व्यय किये गये वार्षिक योजनाओं और चतुर्थ योजना में कुल172 करोड़ रुपये तथा पांचवी योजना में 127 करोड़ रूपये व्यय किये गये छठी योजना में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज कार्यक्रम पर कुल 352.07 करोड़ रुपया व्यय किया गया जिसमें केन्द्र सरकार के क्षेत्र से 7.17 करोड़ रुपये तथा राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों से 344.90 करोड़ रुपया व्यय किया गया था सातवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकारोंऔर केन्द्रशासित क्षेत्रों की सरकारों द्वारा सामुदायिक विकास और पंचायती राज कार्यक्रम पर कुल 416.15 करोड़ रुपये व्यय किये गये

भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास के अभिकरण के रूप में चलाया जा रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के द्वारा सामान्य जनता में उन्नत जीवन के निर्माण की आशा निर्मित हुयी है उन्नतशील कृषि के लिये उन्नत बीज, रासायनिक खाद, उन्नत औजार और कीटनाशक दवाओं इत्यादि नवीन निवेशों का प्रयोग तेजी से बढ़ा है सिंचाई की सुविधाओं, चकबन्दी एवं भेड़बन्दी में भी प्रगति हुयी है गांवों के लिये चिकित्सालय, स्कूल विद्युतीकरण, पंचायत घर इत्यादि की सुविधा की गयी है सहकारी साख का

भी तीव्रगति से प्रसार हुआ है इस कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुये नेहरु जी ने कहा था, ''सामुदायिक परियोजनायें कान्तियुक्त अत्यन्त आवश्यक एवं गतिमान चिन्गारियां हैं, जिनसे शक्ति आशा और उत्साह की किरणें प्रवाहित होती हैं'' ग्रामीण विकास के लिये समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू करके विकास खण्डों को अधिक सक्रिय बनाया गया है अब यह प्रयास किया जा रहा है कि स्थानीय संसाधनों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर खण्ड स्तरीय नियोजन किया जाये अभी तक विकास खण्डों को केन्द्र अथवा राज्य स्तर पर निर्धारित कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की इकाई माना जाता था अब विकास खण्ड अभीकरण को विकास की योजनायें बनाने और उनमें प्राथमिकतायें निर्धारित करने का भी दायित्व दिया जा रहा है यह अवश्य ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कारण आज देश में 5028 विकास खंडों के माध्यम से किसी भी विकास योजना को दूरस्थ गांवों तक लागू कर सकने की प्रशासनिक और प्रावधिक समता उपलब्ध है

कृषि सुधार और ग्रामीण विकास के लिये स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद का समय इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ है आंकड़ों से यह बात एकदम साफ है कि 1950 से पहले भारत में कृषि विकास दर सिर्फ 0.5 प्रतिशत वार्षिक से भी कम थी जबकि आजादी के बाद के वर्षों में कृषि उत्पादन 2.6 प्रतिशत वार्षिक की अभूतपूर्व दर से बढ़ा है हालांकि जनसंख्या में भारी वृद्धि और बढ़ती हुयी प्रति व्यक्ति आय को देखते हुये कृषि विकास की दर आवश्यकता से काफी कम है, फिर भी इससे पहले के युग के मुकाबले यह काफी महत्वपूर्ण है मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि आजादी के बाद की अवधि में विकास के दो स्पष्ट दौर दिखाई पड़ते हैं जिनकी विशेषता यह है कि उनमें कृषि के विकास की अलग-अलग नीतियां अपनायी गयीं पहला दौर 1951 से 1961 तक का है इस दौरान संस्थागत परिवर्तन, भूमि सुधार और सिंचाई की सुविधा के विस्तार

पर विशेष जोर दिया गया इस दौर में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के जरिये विकास का फायदा देश भर में पहुंचाने का प्रयास किया गया अर्धसामंती जमींदारों की ताकत घटा दिये जाने के बाद, अपनी खुद की जमीन पर खेती करने वाली बहुसंख्यक काश्तकारों को सिंचाई के साथ खेती-बाड़ी के बेहतर तौर तरीकों की जानकारी देने का प्रयास किया गया इस अवधि में कृषि उत्पादन3.1 प्रतिशत वार्षिक की औसत दर से बढ़ा इसी तरह कृषि भूमि में58 प्रतिशत वृद्धि हुयी और कृषि पदार्थों की पैदावार में42 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुयी

वर्ष 1960-61 से आगे के दूसरे दौर में सघन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के जरिये देश के चुने हुये क्षेत्रों में खेती का आधुनिक साज सामान और सुधरी हुई विधियां अपनाकर उपज बढ़ाने का प्रयास किया गया इस दौर में कृषि में टेक्नोलाजी को एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में स्पष्टरूप से मान्यता मिली शुरु में नयी टेक्नोलाजी कोई ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुयी और 1960 के दशक के शुरु में कृषि की हालत काफी बिगड़ गयी नतीजा यह हुआ कि देश को बड़े पैमाने पर अनाज विदेशों से मंगाना पड़ा कृषि के क्षेत्र में नयी टेक्नोलाजी का अच्छा असर 1960 के दशक के मध्य में दिखायी देने लगा यह वह समय था जब हरित क्रान्ति की टेक्नालाजी अपनायी गयी हालांकि शुरु में यह टेक्नालाजी देश के कुछ उत्तर-पश्चिमी राज्यों में सिर्फ गेहूँ के उत्पादन में इस्तेमाल की गयी लेकिन शीघ्र ही यह देश के अन्य भागों और अन्य फसलों के लिये भी उपयोग में लायी जाने लगी कृषि और वैज्ञानिक अनुसंधान केक्षेत्र में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश के परिणाम स्वरूप नयी नीति की सफलता सामने आने लगी इसके अलावा 1960 के दशक के मध्य में कृषि मूल्य आयोग के गठन के बाद जब कृषि उपज के लिये अत्यन्त उपयोगी मूल्यनीति लागू कर दी गयी तो किसानों को नई टेक्नालाजी बड़े पैमाने पर अपनाने की पर्याप्त प्रेरणा मिली

1949-50 से 1964-65 के दौरान 3.1 प्रतिशत की विकास दर के मुकाबले 1966-67 से 1984-85 की अवधि में कृषि उत्पादन2.6 की दर से बढ़ा इस दौरान उत्पादकता में वृद्धि से उत्पादन में करीब 75 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुयी जबकि इससे पहले की अवधि में यह सिर्फ 43 प्रतिशत बढ़ी थी इसी तरह कृषि क्षेत्र में बढ़ोत्तरी 58 प्रतिशत से घटकर 25 प्रतिशत रह गयी भारत में कृषि के विकास की विशेषता यह है कि देश के अलग-अलग भागों में विकास दर की दृष्टि से व्यापक क्षेत्रीय असमानतायें हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर-प्रदेश जैसे उत्तर-पश्चिम राज्यों में विकास दर एक समान रूप से ऊंची बनी रही है इसके अलावा 1970 के दशक में भी आंध्रप्रदेश में भी विकास दर काफी ऊंची रही यह बात बड़ी दिलचस्प है कि जहां एक ओर गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में 1970 के दशक में उत्पादन में सुधार हुआ वहीं आंध्र प्रदेश के अपवाद को छोड़कर जहां विकास दर 4.32 प्रतिशत रही, अन्य दक्षिणी राज्यों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा तमिलनाडु और केरल की स्थिति तो विशेष रूप से असंतोषजनक रहीलेकिन कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिहाज से पूर्वी राज्यों की हालत अब भी नाजुक बनी हुयी है असम को छोड़कर सभी पूर्वी राज्यों, जैसे उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल का कार्य बहुत निराशाजनक रहा है इन राज्यों में कृषि के क्षेत्र में धीमी गति से विकास का सामान्य कारण सिंचाई और जन प्रबन्ध के क्षेत्र में कम पूंजी निवेश और संस्थागत कमियां रही हैं विकास दर में विभिन्न राज्यों में जो अन्तर रहा है उससे देश देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले कृषक समुदाय के जीवन स्तर में अन्तर उत्पन्न हो गया जिन राज्यों में विकास दर ऊंची थी वहां उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ श्रमिकों की उत्पादकता में भी तेजी से बढ़ोत्तरी हुयी है दूसरी ओर पूर्वी राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या और श्रम शक्ति में वृद्धि की दर कृषि उत्पादन में वृद्धि की दर से अधिक रही है जिन इलाकों में पुरुष श्रमिकों की वृद्धि दर उत्पादन में वृद्धि की दर से अधिक होती है वही यहसमस्या उत्पन्न होती है यह माना जा सकता है कि इसी वजह से व्यापक गरीबी और कंगाली पैदा होती है कृषि विकास के स्वरूप की

दू सरी प्रमुख विशे षता यह है कि इससे विभिन्न वर्ग के काश्तकारों के बीच आपसी असमानता का सिलसिला बढ़ता गया है समय के साथ-साथ कृ षि होतों के औसत आकार में काफी अन्तर आ गया है व र्ष 1953-54 में जोतों का औसत आकार प्रति परिवार 3.1 हेक्टेयर था जो 1981-82 में घटकर 1.7 हेक्टेयर रह गया इसके अलावा यह बात भी ध्यान देने की है कि अगर अखिल भारतीय स्तर पर तो छोटे और सीमांत किसानों की कुल संख्या 1981-82 में बढ़कर 75.3 प्रतिशत हो गयी है जबकि 1953-54 में यह 60 प्रतिशत थी छोटे और सीमान्त किसानों की अधिक संख्या का नतीजा यह हुआ है कि कृ षि की दृष्टि से विकसित क्षेत्रों में भी छोटे काश्तकार नई टेकनालाजी का पू रा-पू रा फायदा नहीं उठा पाये हैं उनमें से काफी बड़ा हिस्सा गरीबी और कंगाली का शिकार है कृ षि उत्पादन की दृष्टि से ठहराव की स्थिति में पहुँचगये क्षेत्रों में यह बात विशे ष रूप से देखने में आयी है भारत के विकसित और अविकसित इलाकों में अलग अलग प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया शुरु शुरु हुयी है कृ षि की दृष्टि से ठहराव की स्थिति में पहुं च गये क्षेत्रों में यह बात विशे ष रूप से देखने में आयी है भारत के विकसित और अविकसित इलाकों में अलग अलग प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया शुरु हुई है कृ षि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों में आमदनी में बढ़ोत्तरी से आद्यौगिक उत्पादों की माँग भी बढ़ी हैं जिससे औद्योगीकरण को बढ़ावा मिला है अकसर प्रशासनिक, सांस्कृतिक और आधारभू तढाँचे सम्बन्धी बाधाओं के कारण इन इलाकों में भी औद्योगीकरण तथा विविधता लाने के प्रयास असफल हो गये हैं राजनीतिक दलों में समृद्ध किसानों की ताकत और दबदबा बहुत अधिक बढ़ गया है इसके साथ-साथ मजदू रों की माँग में, बढ़ोत्तरी से अपन मजदू री के बारे में मोल-तोल करने की मजदू रों की क्षमता बढ़ी है एक संगठित ताकत के रूप में (मार्क्स के अनुसार एक वर्ग के रूप में) ग्रामीण सर्वहारा से उदय से देहाती इलाकों में संस्थागत ढाँचे में दू रगामी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है

प्रारंभ में इन किसानों ने खेती में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश किया और नई टेक्नालाजी अपनाने में पहल की इसके लिए कुछ पैसा किसानों ने अपनी बचत से जुटाया और कुछ सरकारी एजेंसियों से उधार लिया इसलिए कृषि उपज में भारी वृद्धि का श्रेय कुछ हद तक किसानों की पहल और उद्यमिता को दिया जा सकता है लेकिन एक बार आवश्यक साज-सम्मान प्राप्त कर लेने के बाद पूंजी निवेश के दर में गिरावट शुरु हो गई किसान कृषि से इतर औद्योगिक गतिविधियों में पूंजी निवेश की ओर आकृष्ट नहीं हुए इन गतिविधियों के बारे में उनकी जानकारी बहुत कम थी किसानों ने कृषि से होने वाली अतिरिक्त आमदनी का इस्तेमाल अपनी खुशहाली के प्रदर्शन में किया है आलीशान मकान बनाने, शादी-विवाह और इसी तरह के सामाजिक आयोजनों में जम कर फिजूलखर्ची लेती है

यही नहीं, राजनीतिक दृष्टि से ताकतवर हो जाने के कारण धनी किसान, बिजली उर्वरक और सिंचाई में दी जा रही रियायतों को कम करने या कृषि आय पर करों के जरिए संसाधन जुटाने के सरकार के प्रयासों का जम कर विरोध करते हैं प्रमुख फसलों के सरकारी खरीद मूल्य बढ़ाने के लिए भी इन किसानों की ओर से जबरदस्त दबाव रहता है इस तरह देश में उभर कर आ रही यह कुलक ताकत अतिरिक्तपूंजी जुटानेकी सरकार की कोशिशों के रास्ते में बड़ी बाधा बनती जा रही है

जैसा कि उम्मीद थी, पूंजीवादी तरीके से कृषि के विकास की वजह से इन क्षेत्रों में जो विरोधाभास की स्थितिउत्पन्नहुई है उसनेखेतिहर मजदूरों और पूंजीपति किसानों को आमने-सामने खड़ा कर दिया है इसके अलावा, चूंकि सीमान्त और छोटे किसानों को नयी टेक्नोलाजी का कुछ न कुछ फायदा हुआ है, इसलिए छोटे काश्तकारों और धनी किसानों में राजनीतिक आधार पर कोई अंतर नहीं है, लेकिन जहाँ तक

नई टेक्नोलाजी के फायदे का सवाल है छोटे और बड़े किसान के बीच भारी अंतर है जो और बढ़ता जा रहा है

इसके विपरीत भारत के अन्य भागों में जहाँ कृषि अभी भी पिछड़ी हालत में है, अधिकतम छोटे सीमान्त किसानों तथा खेतिहर मजदूरों की हालत बहुत ही दयनीय है कृषिउत्पादन में ठहराव की वजह से गतिशीलता में आई गिरावट ने बाजार संभावनाओं को अत्यन्त सीमित कर दिया है इन इलाकों में औद्योगीकरण की प्रक्रिया शुरु करने के लिए आधार तैयार करना संभव नहीं हो पाया है

इसमें अधिकतम इलाकों में अलग-अलग तरह के विरोधाभास सामने आये हैं इसका कारण यह है कि जो भूमि सुधार किये गये उनसे बिचौलियों को समाप्त नहीं किया जा सका नतीजा यह हुआ है कि जमींदारों और काश्तकारों के बीच प्रतिद्वंद्विता की स्थिति उत्पन्न हो गई है इसी के साथ-साथ जातिगत संघर्ष भी पैदा हुआ है जिससे एक ओर अनुसूचित जातियों के भूमिहीन और खुद खेतीबाड़ी करने वाले मध्यम वर्ग किसान है तो दूसरी ओर परंपरागत वादी ब्राह्मण, ठाकुर व जमींदार है

ये तो परस्पर विरोधी और संघर्षपूर्ण प्रक्रियाएँ हैं जो भारतीय कृषि की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के वर्तमान स्परूप को उजागर करती है

भारत में आधुनिक टेक्नोलाजी का कृषि पर भारी असर पड़ा है पुराने समय से ही भारतीय किसानों को सिचाई टेक्नालाजी की काफी जानकारी थी ब्रिटिश शासन काल में सिचाई वाले क्षेत्र में काफी बढ़ोत्तरी हुयी हालांकि ब्रिटिश शासकों ने बार-बार पड़ने वाले अकालों को ध्यान में रखकर काफी देरी से सिचाई की सुविधा में विस्तार के कदम उठाये सिचाई की सुविधायें बढ़ने से उपज बढ़ी, विशेष रूप से वाणिज्यिक

फसलों का उत्पादन बढ़ा ब्रिटिश शासन काल में ही 20वीं शताब्दी के प्रारं भ में रायल कृषि अनुसं धान परि षद के गठन और कई कृ षि महाविद्यालयों के खुलने से कृ षि के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान की नींव पड़ी इन सं स्थानों में बेहतर किस्म के बीज विकसित किये गये तथा फसलों की अदला-बदली करके बोने जैसे कई वैज्ञानिक तौर-तरीकों का प्रचार कर बड़ी अच्छी शुरुआत की लेकिन इस पहल के बावजू द इन सब प्रयासों के व्यापक परिणाम सोने नहीं आये कारण यह था कि औपनिवेशिक सरकार ने कृ षि अनुसं धान के क्षेत्र में पर्याप्त पूं जी निवेश नहीं किया जो भी अनुसं धान हुआ वाणिज्यिक महत्व की फसलों पर ही हुआ और वह भी सिंचाई वाले इलाकों तक ही सीमित रहा आधारभू त ढांचे वाले और टेक्नालाजी सम्बधी इन कमियों की वजह से ही कृ षि क्षेत्र में विकास का स्तर नीचा रहा लेकिन इस क्षेत्र में गतिशीलताकी कमी का प्रमुख कारण सं स्थागत बाधायें भी थी जिनकी वजह से कई टेक्नालाजी का प्रसार अवरुद्ध हो गया इन बाधाओं में खेती की पट्टेदारी प्रथा, बेनामी जमीदारों की जकड़न और काश्तकारों पर कर्ज के बोझ की समस्या सबसे ज्यादा हानिकारक सिद्ध हुई कृ षि के क्षेत्र में पू री तरह विकास न होने का एक अन्य कारण सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्र का बहुत कम था इसके अलावा साधन विहीन बंधुआ खेती मजदू रों की वजह से कृ षि के क्षेत्र में पूं जी निवेश की कमी रही है इसी तरह बाजार और ऋण सम्बन्धी बुनियादी ढांचे में कमियों ने कृ षि क्षेत्र का पर्याप्त विकास नहीं होने दिया आजादी के बाद इन समस्याओं के समाधान के लिये गम्भीरता से प्रयास किये गये हालांकि भू मि सुधार की दिशा में प्रयास पू रे मन से नहीं किये गये लेकिन इनसे देश के कुछ इलाकों को छोड़कर अधिकतर भागों में बिचौलियों को समाप्त करने में काफी मदद मिली अधिकतम भू मिसम्बन्धी कानू नों पर अमल न हो पाने से जमीन का एक समान वितरण भी सम्भव नहीं हो सका फिर भी बिचौलियों के समाप्त हो जाने से कृ षि विकास के रास्ते में एक सबसे बड़ी बाधा समाप्त हो गयीभू मि वितरण की कमियों के कारण कृ षि के पूं जीवादी तरीके से असमान विकास की पृष्ठभू मि भी तैयार हुयी है टेक्नोलाजी सम्बन्धी

बाधाओं को दू र करने सम्बन्धी नीति की दू सरी महत्वपू र्ण बात यह है कि िसचाई,बिजली तथा आधार भू त ढांचे से सम्बन्धित अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पू ंजी निवेश किया गया एक तरह से यह ब्रिटिश शासकों द्वारा शुरु किये गये कार्य को ही आगे बढ़ाने का प्रयास था लेकिन योजना में बड़े पू ंजी निवेश के कारण ग्रामीण आधार भू त ढांचे, विशे ष रूप से बिजली की उपलब्धता में गुणात्मक सुधार हुआ और िसचित क्षेत्र में भी बढ़ोत्तरी हुयी नीति निर्माताओं ने इन बाधाओं को दू र करने के लिये तीसरी जिस बात पर जोर दिया वह थी बड़े पैमाने पर टेक्नालाजी के क्षेत्र में पू ंजी निवेश नीति निर्माताओं ने ब्रिटिश शासकों द्वारा निर्िमत अनुसंधान सम्बन्धी छोटे से ढांचे की शुरुआत की और बड़े पैमाने पर पू ंजी निवेश तथा प्रयासों से इसका विस्तार किया भारतीय कृ षि अनुसंधान परि षद को ऊंचा दर्जा दिया गया और बड़ी संख्या में कृ षि विश्व विद्यालय खोले गये बीजों की नई प्रजातियों के विकास और फसलों की बीमारियों की रोकथाम की दिशा में सार्थक अनुसंधान कार्य किया गया यहां पर इस बात का विशे ष रूप से उल्लेख करना जरुरी है कि आधार भू त ढांचे में विकास और टेक्नोलाजी में गुणात्मक सुधार िसचित इलाकों तक ही सीमित रहे साठ के दशक के मध्य में बीज और उर्वरक सम्बन्धी नई टेक्नालाजी के सफल उपयोग से इस पू ंजी निवेश के फायदे सामने आने लगे नई नीति की एक अन्य विशे षता यह थी कि इसके तहत 1965 में कृषि मू ल्य आयोग का गठन कर किसानों को उनकी फसल का उचित मू ल्य दिलाने के लिये अनुकूल माहौल तैयार किया गया मू ल्य नीति तथा नई टेक्नालाजी के बीच ताल-मेल से उत्पादन में व्यापक बढ़ोत्तरी हुयी लेकिन इस विकास का लाभ कुछ उत्तर-पश्चिमी राज्यों तक सीमित रहा समय के साथ-साथ देश के पू र्वी तथा दक्षिणी इलाकों में भी इसका प्रसार हुआ लेकिन सिर्फ उत्तर-पश्चिमी राज्यों में ही नई टेक्नालाजी से किसानों की आमदनी और जीवन स्तर में महत्वपू र्ण सुधार हो सका कृ षि क्षेत्र में व्यापक क्षेत्रीय असमानताओं तथा किसानों के बीच बढ़ते अन्तर से इस क्षेत्र के पू ंजीवादी तरीके से विकसित होने के पता चला है साठ के दशक में तो यह

बात विशेष रूप से देखी जा सकती है जहां तक उत्पादन के तरीके का सम्बन्ध है यह कहा जा सकता है कि देश देश में जहां एक ओर उत्पादन का पूंजीवादी तरीका प्रचलित हो रहा है वहीं कुछ भागों में सामंती उत्पादन सम्बन्धों के अवशेष अब भी विद्यमान है आधुनिक टेक्नालाजी देश के सभी क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पायी है कृषि के विकास में क्षेत्रीय असमानताओं के गम्भीर परिणाम सामने आये हैं जिन इलाकों में कृषि विकास तीव्र और एक समान रहा है वहां ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी मिटाने की दिशा में अच्छी सफलता मिली है दूसरी ओर देश के अधिकांश भागों में जहां बदलाव नहीं आया है ग्रामीण आबादी का काफी बड़ा हिस्सा गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है

विकास प्रक्रिया के कारण हम अपनी 84 करोड़ जनसंख्या के लिये खाद्यान्न पूर्ति के साथ-साथ निर्यात की स्थिति में भी आ गये हैं खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करके हम न केवल उपयोगी विदेशी मुद्रा की बचत कर रहे हैं बल्कि इस आरोप से भी मुक्त हुये हैं कि कृषि प्रधन देश होते हुये भी भारत को खाद्यान्नों के लिये विदेशों का मुंह देखना पड़ रहा है इस तालिका से स्पष्ट है कि भारत के खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है

तालिका- 1.6

भारतमें विभिन्नवर्षोमें विभिन्नफसलोंकाउत्पादन(मिलियनटनमें)

फसलें	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1985-86	1950-51 के ऊपर प्रतिशत वृद्धि
चावल	20.6	34.5	42.2	53.6	64.1	211
गेहूँ	6.5	11.0	23.8	36.3	46.9	621
ज्वार	5.5	9.8	8.1	10.4	10.1	83.0
बाजरा	2.6	3.3	8.0	5.3	3.7	42
मक्का	1.7	4.1	7.5	6.9	6.5	305
दालें	8.4	12.7	11.8	10.6	13.0	54
कुल खाद्यान्न	50.8	82.4	108.4	129.6	150.5	196

योजनाकाल में समस्त फसलों की उपज बढ़ी है यह कृषि विकास का अत्यन्त उज्जवल पक्ष है वस्तुत: कृषि विकास का मुख्य लक्षण विभिन्न फसलों की प्रति हेक्टअर औसत उपज से स्पष्ट होता है योजनाकाल में खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न फसलों की औसत उपज में उल्लेखनीय वृद्धि हुयी है 1950-51 में खाद्यान्न की प्रति हेक्टअर औसत उपज552 कि0ग्रा0 से बढ़कर 1985-86 में 1984 कि0ग्रा0 प्रतिहेक्टअर हो गयी विशेष वृद्धि चावल गेहूँ मक्का की उपज में हुयी है यह वृद्धि क्रमश: 211, 621, 305 प्रतिशत तक हुयी है

1951 के आरम्भ में होने वाली पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को योजना के वरियताक्रम में

सर्वोपरि स्थान दिया गया व उससे अगली पंचवर्षीय योजनाओं में कृशि क्षेत्रके विकास के लिये किया जाने वाली विनियोग बढ़ता गया

तालिका- 1.7

कृषि क्षेत्रमें योजनागतव्यय

योजनाकाल	व्यय करोड़ रु0	योजनागत व्यय में कृषि क्षेत्र के व्यय का प्रतिशत
ाथम योजना (1951-56)	72.4	36.9
द्वितीय येजना (1956-61)	948	20.6
तृतीय योजना (1961-66)	1754	20.5
वार्षिकयोजना(1966-69)	1578	23.8
चतुर्थ योजना (1969-1974)	3948	24.4
पंचम योजना (1974-1979)	8528	20.5
छठी योजना (1979-1985)	16829	18.0
सातवीं योजना (1985-1990)	39769	22.1

कृषि क्षेत्र में बढ़ता हुआ विनियोग उत्पादन बढ़ाने के लिये और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये एक सराहनीय प्रयास माना जा सकता है योजनाकाल में विभिन्न फसलों के उत्पादन में सराहनीय वृद्धि रही है समस्त खाद्यान्नों का उत्पादन 1950-51 के 508 मिलियन टन से बढ़कर 1983-84 में 152.4 मिलियनटन हो गया अर्थात लगभग 200 प्रतिशत की वृद्धि हुयी खाद्यान्नों के उत्पादन में सर्वाधिक सफलता गेहूँ की फसल को मिली है 1950-51 से 1983-84 की अवधि में गेहूँ की कुल उपज में 600 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है इसके अतिरिक्त धान और गन्ना का उत्पादन भी इस अवधि में तिगुने से भी अधिक हो गया अब तक गेहूँ की औसत उपज प्रति हेक्टेअर 1950-51 में 655 कि0ग्रा0 से बढ़कर 1985-86 में 2812 कि0ग्रा0 प्रति

हेक्टअर हो गयी पहले सर्वथा अनुवूःल मौसम में भी गेहूँ का उत्पादन 10 मिलियन टन से भी अधिक नहीं होता था वही अब अत्यन्त प्रतिवूःल मौसम में भी यह 26 मिलियनटनसे कमनहीं होताइससे भी महत्पूवपूर्ण तथ्य यह है कि अब पहले के गैर चावल उत्पादक राज्यों पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी चावल का और पहले के गैर गेहूँ उत्पादक राज्यों जैसे, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गंजरात में गेहूँ का उत्पादन होने लगा कृषि विकास कार्यक्रमों ने न केवल देश को भुखमरी से बचाया है वरन् आत्मनिर्भर बनाकर निर्यात की स्थिति में ला दिया है

उत्तर-प्रदेश के हिस्से में भूमि का मात्र 9% है जबकि यहां जनसंख्या का 16% निवास करता है इस पर भूमि की उर्वरता में दिन-प्रति-दिन ह्रास हो रहा है साथ ही बढ़ती हुयी मानव एवं जीवों की संख्या का दबाव कुल कृषीय उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है बढ़ती हुयी खाद्यान्न, ईधन, चारा और लकड़ी की मांग और भूमि को सुरक्षित रखने वाले पौधों के स्थान रिक्त करने से और भूमि के बंटवारे से उत्पादकता में कमी ही हुई है

इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुये कृषि की उत्पादकता को बढ़ाकर ग्रामीण विकास के लिये कृषि की नयी व्यूह रचना की अवश्यकता महसूस की गयी है हमारी देश में हरित क्रान्ति के समय से खाद्यान्नों में पर्याप्त वृद्धि हुयी है कृषि की नयी तकनीक के द्वारा यह उत्पादन वृद्धि कुछ समस्यायें भी लेकर आयी हैं हमारे इस अध्ययन में कृषि की नयी तकनीक के द्वारा कृषीय विकास कीसमस्याओं और सम्भावनाओं पर प्रकाश डाला गया है

उद्देश्य-

(1) कृषि के विकास में नयी तकनीक को लागू करने में मुख्य बाधाओं और विसंगतियों को पहचानना

(2) नयी कृषि नीतियों को लागू करने से ग्रामीण लोगों को पहुंचने वाले लाभ का परीक्षण करना

(3) खेत/परिवार के स्तर पर नयी कृषि नीति की आर्थिक सम्भावनाओं का अध्ययन करना

परिकल्पना- ल्र (1) यद्यपि कृषि की नयी तकनीक से कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है परन्तु यह सुधार की स्थिति आशातीत स्तर को नहीं छू पायी है

(2) कृषि की नयी तकनीक से कृषि का बहुत विकास हुआ है फिर भी नयी तकनीकी के अधिक उपयोग से भारतीय कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ा है

इस शोध अध्ययन के लिये पूरे उत्तर-प्रदेश को लिया गया है उत्तर प्रदेश के समस्या ग्रस्त क्षेत्रों को लिया गया है जो कि नयी कृषीय नीति से बुरी तरह प्रभावित हुये हैं प्रदेश के पांचों कृषीय नीति से बुरी तरह प्रभावित हुये हैं प्रदेश के पांचों कृषीय क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र से सबसे अधिक समस्याग्रस्त और प्रभावित जिले में लिया गया है इसी के आधार पर प्रत्येक जिले से दो विकास खण्ड लिये गये हैं और प्रत्येक विकास खण्ड से एक गांव का चुनाव किया गया है प्रत्येक गांव से 10 किसान जिन्होंने कृषि की नयी तकनीक का प्रयोग किया है लिये गये हैं इस प्रकार पांच जिलों के 10 विकास खण्डों ओर 10 ग्रामों से 100 किसानों को चुना गया है जिनमें से 50 सीमान्त किसान 30 मध्यम तथा 20 बड़े किसान हैं अध्ययन के लिये कृषि का 1991-92 वर्ष लिया गया है

अध्ययन के लिये चुने गये जिले इस प्रकार हैं-

(1) इलाहाबाद- इलाहाबाद जिला उत्तर-प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है इस जिले में कृषीय जलवायु में बहुत विभिन्नता पायी जाती है भौगोलिक रूप से यह जिला तीन भागों में बंटा है (1) गंगा का तटीय क्षेत्र (2) दोआब (3) यमुना का तटीय क्षेत्र अत: इन तीनों क्षेत्रों में कृषि के फसल चक्र में विभिन्नता पायी जाती हैं इनके दोआब का क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से अधिक उपजाऊ है चुने हुये किसान इस दोआब और गंगा के तटीय क्षेत्र से हैं

(2) झांसी- झांसी जिला बुन्देल खण्ड का प्रतिनिधित्व करता है इसका अधिकांश हिस्सा समतल है और इस जिले में सिंचाई की सुविधाओं का विकास नहीं है इस जिले में वर्षा भी अस्थिर है इसलिये खरीफ की फसलें जो वर्षा के ऊपर निर्भर करती हैं भी अस्थिर है

(3) एटा- पश्चिमी क्षेत्र के अधिकतर जिलों में उर्वरक जमीन, अधिक खेती योग्य भूमि और सिंचाई की पर्याप्त सुविधा पायी जाती है पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के एटा जिले में भी ये सभी बातें पायी जाती हैं परन्तु रासायनिक खाद के अधिक उपयोग से यहां भूमि में लवणता पायी जाती है वनों का क्षेत्रफल बहुत ही कम है अत: भूमि की उर्वरकता कम हो रही है

(3) रायबरेली- रायबरेली जिला प्रदेश के मध्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है यहां सिंचाई के पर्याप्त साधन हैं और खरीफ के मौसम में पर्याप्त मात्रा में यहां वर्षा होती है

(निधित्व करता है इस जिले में अधिकांश किसान सीमान्त है खेती योग्य जमीन बहुत कम है अधिकांश लोग अपने जीवन यापन के योग्य ही उपज प्राप्त कर पाते हैं वर्षा और तापक्रम में यहां बहुत अधिक अन्तर पाया जाता है

नयी कृषीय तकनीकों को लागू करने में समस्यायें

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रहा है और अब भी है इसे सिर्फ घरेलू सकल उत्पाद में कृषि क्षेत्र के योगदान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये बल्कि कृषि पर बड़ी संख्या में लोगों की निर्भरता और औद्योगिकीकरण में कृषि क्षेत्र की भूमिका के रूप में भी देखा जाना चाहिये देश में कई महत्वपूर्ण उद्योग कृषि उत्पाद पर निर्भर है जैसे कि वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग या फिर लघु व ग्रमीण उद्योग जिनके अन्तर्गत तेल मिलें, दाल मिलें, आटा मिलें और बेकरी आते हैं

आजादी के बाद से भारतीय कृषि ने काफी बढ़िया काम किया है वर्ष 1950-51 में खाद्यान्न उत्पादन 5.083 करोड़ टन था जो 1990-91 में बढ़कर 17.6 करोड़ टन हो गया इस प्रकार खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 350 प्रतिशत की वृद्धि की गयी तिलहन, कपास और गन्ने की उत्पादकता और उत्पादन में भी इसी प्रकार वृद्धि दर्ज की गयी है परिणामस्वरूप जनसंख्या में भारी वृद्धि होने के बावजूद अनेक जिन्सों के प्रति व्यक्ति उपलब्धता में सुधार आया है विकास प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस बात का प्रभाव हमें इस तथ्य से पता चलता है कि हाल के वर्षों में सूखे वाले वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन और उससे पहले के अधिक उत्पादन वाले वर्ष के खाद्यान्न के उत्पादन का अन्तर, पचास और साठ के दशकों की तुलना में कम हैं अब हमें कुपोषण या अल्पपोषण की वजह से अकाल व महामारी जैसी स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता है जैसा कि सदी के आकस्मिक दौर में करना पड़ता था मुख्य रूप से सिचाई सुविधाओं के विस्तार की बदौलत यह स्थिति आयी है इस समय कुछ बुआई क्षेत्र के 32 प्रतिशत हिस्से में सिचाई सुविधायें उपलब्ध हैं कृषि विकास की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में किसानों द्वारा आधुनिक तौर तरीके अपनाया जाना और सरकारी

निजी व सहकारी क्षेत्रों में किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये संस्थाओं के जाल बिछाने से भी मदद मिली हैं फिर भी, भारतीय कृषि के सामने न सिर्फ अपने मामलेमें बल्कि समग्र आर्थिक स्थिति के एक हिस्से के रूप में भी अनेक बड़ी चुनौतियां हैं यहां इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिये कि भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी हुयी है और अर्थव्यवसथा दूसरे क्षेत्रों को प्रभावित करती है तथा उनसे प्रभावित होती है कृषि अर्थव्यवस्था के अस्तित्व को समग्र आर्थिक स्थिति के बाहर देखना सम्भव नहीं है ऐसा इसलिये है क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में कृषि बजार एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं कृषि के आधुनिकीकरण से अभिप्राय आदानों पर बढ़ती निर्भरता से भी है यह निर्भरता सिर्फ स्थानीय रूप से उपलब्ध आदानों तक सीमित रही है इस प्रकार जब हम भारतीय कृषि कीचुनौतियों पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि कुछ चुनौतियां स्वयं कृषि के लिये विशिष्ट हैं जबकिअन्यचुनौतियां कमोवेशसभीआर्थिक गतिविधियों के समान है

जब हम देखते हैं कि भारत के किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और नीति नियंताओं के प्रयासों के फलस्वरूप पैदावार में वृद्धि की पहली प्रतक्रिया उत्साह की होती है लेकिन दूसरी प्रतिक्रिया चिंता की होती है, क्योंकि इस शताब्दी के अन्त तक भारत की जनसंख्या 100 करोड़ पहुंच जायेगी अतः इस सन्दर्भ में परेशान कर देने वाला प्रश्न यह उठता है कि क्या भारत अब इतना अनाज पैदा कर पायेगा अधिक पैदावार देने वाले बीजों के विकास की दिशा में साठ के दशक के अन्तिम वर्षों की शानदार प्रौद्योगिकी सफलता। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के व्यापक उपयोग के कारण हरित क्रान्ति हुयी इस विकास के बावजूद, भारतीय कृषि अभी भी काफी कुछ मानसूनों पर निर्भर है ऐसा लगता है कि अस्सी के दशक के मध्य से हरित क्रान्ति की गति कुछ थक सी गयी है एक साल से दूसरे साल उत्पादन में उतनी तीव्र वृद्धि नहीं हो रही है जितनी कि पिछले डेढ़ दशक में देखने में आती थी देश में 1960-61 के पैदावार 8 करोड़ 20 लाख टन से कुछ अधिक थी जो 1970-71 में छलांग मारकर 10 करोड़ 84 लाख टन से कुछ अधिक हो गयी स्पष्टतया यह हरित क्रान्ति की सफल था आंकड़ों के अनुसार पैदावार 1963-64 तक कमोवेश इसी स्तर तक बनी रही लेकिन दरअसल तब पैदावार घटकर 8 करोड़ 7 लाख टन पर आ गयी 1964-65 में

स्थिति सुधरी और पैदावाली 8 करोड़ 94 लाख पहुंच गयी तत्पश्चात 1965 और 1966 में लगातार दो वर्ष तक मानसून की विफलता का जोरदार झटका लगा और 1965-66 में पैदावार घटकर मात्र 7 करोड़ 23 लाख टन रह गयी और 1966-67 में 7 करोड़ 42 लाख टन ये वे वर्ष थे, जब हमें भारी मात्रा में अनाज का आयात करना पड़ा वर्ष 1966 में ही लगभग 1 करोड़ टन अनाज का आयात करना पड़ा लेकिन इसके पश्चात 1967-68 में पैदावार में वृद्धि हुई और यह 9 करोड़ 51 लाख टन पहुंच गयी इस प्रकार विभिन्न वर्षों में देश में फसलों के उत्पादन में क्रमश: उतार-चढ़ाव आता रहा है

तालिका- 2.1

भारत में पिछले वर्षों (1978-79 से 1988-89) में मुख्य खाद्यान्नों का उत्पादन (लाख टन में)

फसल	1978-79	1979-80	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89
चावल	53.77	42.33	60.10	58.34	63.83	60.56	56.86	70.67
	(2.1)	(-21.3)	(27.6)	(-2.9)	(9.4)	(-8.1)	(-6.1)	(24.3)
गेहूं	35.51	31.83	45.48	44.07	47.05	44.32	46.17	53.99
	(11.8)	(-10.4)	(6.3)	(-3.1)	(6.8)	(-5.8)	(4.2)	(156.9)
दाल	12.18	8.57	12.89	11.96	13.36	11.71	10.96	13.70
	(1.8)		(8.7)	(-7.2)	(11.7)	(-12.4)	(-6.4)	(25.0)
मोटे	30.44	26.97	33.90	31.17	26.20	26.83	26.36	31.89
अनाज	(1.4)	(-11.4)	(22.2)	(-8.0)	(-15.9)	(2.4)	(-1.8)	(21.0)
कुल	131.90	109.70	152.37	145.54	150.44	143.42	140.35	170.25
खाद्यान्न	(4.3)	(-16.8)	(17.6)	(-4.5)	(3.4)	(-4.7)	(-1.2)	(21.3)
तिलहन	10.10	8.74	12.69	12.95	10.83	11.27	12.65	17.89
	(4.5)	(-13.5)	(26.9)	(2.1)	(-16.5)	(4.1)	(12.2)	(41.4)

ब्रैकेट में आंकड़े वर्ष के दूसरे वर्ष के उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करते है)

उत्तर-प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में मुख्य कृषि जिंसों का उत्पादन (मीट्रिक टन में)
ज्वार
मक्का
तिलहन
आलू
चावल
गेहूँ
गन्ना
उत्पादन
62324
81387
78244
807
1515
4296
5964
11458
264
836
1210
4287
5646
15258
545
1120
1052
5557
6777
16121
1694
825
6331
7509
19691
1982-83
1984-85
1985-86
1988-89

स्रोत- इकोनामिक सर्वे 1989-90

तालिका से स्पष्ट है कि विभिन्न फसलों के उत्पादन में कमी और अधिकता होती रही है चावल के उत्पादन में 1979-80 में (-21.3) 1984-85 में 2.9, 1986-87 में (-8.1), 1987-88 में (-6.1) प्रतिशत की कमी आयी है इसी प्रकार गेहूँ के उत्पादन में 1979-80, 1984-85 और 1986-87 में क्रमशः (-10.4), (-3.2), (-5.8) प्रतिशत की कमी हुयी है इसी प्रकार दाल, मोटे अनाज, खाद्यान्नों और तिलहन आदि की फसलों में विभिन्न वर्षों में उतार-चढ़ाव आते रहे हैं

देश की ही भांति उत्तर-प्रदेश में भी विभिन्न वर्षों में फसलों के उत्पादन में उतार-चढ़ाव आया है फसलों के उतपादन में क्रमिक विकास सामान्य गति से नहीं हो पाया है

तालिका- 2.2

उ0प्र0 में पिछले कुछ वर्षों में मुख्य कृषि जिंसो का उत्पादन (000 मिलियन टन)

फसल	1982-83	1984-85	1985-86	1988-89
चावल	5964	5646	6777	7509
		(-5.33)	(20.03)	(10.80)
गेहूँ	11458	15258	16121	19691
		(33.16)	(5.65)	(22.19)
ज्वार	481	284	545	
		(-40.95)	(91.90)	
मक्का	807	836	1120	1694
		(3.59)	(33.97)	(51.25)
तिलहन	1515	1210	1052	825
		(-20.13)	(-13.05)	(-21.57)
आलू	4296	4287	5557	6331
		(-0.20)	(29.62)	(13.92)
गन्ना	62324	81387	78244	93054
		(30.58)	(-3.86)	(18.92)

स्रोत- कृषि भवन लखनऊ उत्तर प्रदेश

तालिका में उत्तर प्रदेश की विभिन्न फसलों के उत्पादन को दर्शाया गया है स्पष्ट है कि फसलों के उत्पादन में विभिन्न वर्षों में भारत उतार-चढ़ाव आया है चावल का उत्पादन 1982-83 में 5964 हजार मिलियन टन था जो 1985-85 में घटकर 5646 हजार मिलियन टन हो गया आगे के वर्षों में इसके उत्पादन में भारी वृद्धि हुयी है तालिका से स्पष्ट है कि 1982-83 से 1988-89 तक विभिन्न फसलों के उत्पादन में कमी तो कभी बहुत अधिक उत्पादन वृद्धि हुयी है 1982-83 में चावल का उत्पादन 5964 हजार मिलियन टन था जो 1984-85 में -5.33 की कमी आयी है और अगले वर्ष ही इसके उत्पादन में 20.03 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी गेहूँ के उत्पादन में 1984 से 1984 तक क्रमशः 33.16, 5.65 और 22.14 प्रतिशत की वृद्धि हुयी इसी प्रकार मक्का के उत्पादन में 3.59, 33.97, 51.25 प्रतिशत की क्रमिक वृद्धि हुयी है और तिलहन के उत्पादन में लगातार कमी रही है इस प्रकार आगे देखने पर पता चलता है कि विभिन्न फसलों के उत्पादन में उतार-चढ़ाव आते रहे हैं और उतपादन में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है

भारत में वर्षा का क्षेत्रीय, मौसमी और वार्षिक वितरण अत्यन्त असमान है विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा का वास्तविक स्तर सामान्य स्तर से पृथक होता रहता है कभी वार्षिक वास्तविक वर्षा का स्तर सामान्य स्तर से कम हो जाता है तो सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है सूखे का आशय शुरुकता से नहीं बल्कि वर्षा की कमी से है सूखे का मुख्य कारण वर्षा की अनिश्चितता है भारत में कुल वर्षा का लगभग 80 प्रतिशत भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है परन्तु इसकी प्रवृत्ति अत्यन्त अनियमित है देश के शुद्ध कृषि क्षेत्र के 30 प्रतिशत भाग पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है और प्रदेश का लगभग 56 प्रतिशत भाग सिंचित है इस कारण फसलों

के उत्पादन पर व र्षा के कम होने का प्रभाव पड़ता है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार यदि वार्षिक वर्षा का स्तर सामान्य स्तर से75 प्रतिशत से कम है तो यह अति गम्भीर सूखे की स्थिति कही जाती है और 50 प्रतिशत पर इसे गम्भीर सूखे की स्थिति माना जाता है सामान्यतः यह पाया गया है कि 4 5 व र्षों मे एक बार सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है परन्तु कभी यह अवधि अत्यन्त कम और कभी अधिक हो जाती है कभी-कभी लगातार कई व र्ष सूखे पड़ जाते है प्रदेश में1876 से अब 36 अभिलिखित सूखे पड़े है जिनमें कई अति सामान्य, गंभीर और अति गंभीर अथवा अकाल की स्थिति वाले रहे हैं

तालिका- 2.3

उत्तरप्रदेशमें सूखे के वर्षों में प्रभावित क्षेत्रों और श्रेणियों का विवरण

वर्ष	सूखे से प्रभावित क्षेत्र (प्रतिशत)	सूखे की श्रेणी
1951	33.2	सामान्य
1952	25.8	अति सामान्य
1965	42.9	सामान्य
1966	32.3	सामान्य
1968	20.6	अति सामान्य
1969	19.9	अति सामान्य
1971	13.3	अति सामान्य
1972	44.4	गंभीर
1974	29.3	सामान्य
1979	33.1	सामान्य
1982	30.1	सामान्य
1986	19.0	अति सामान्य
1987	42.2	गम्भीर

योजनाकाल से अब तक 14 सूखे पड़ चुके हैं इनसे अर्थव्यवस्था को भारी क्षति उठानी पड़ी है 1966 में भारी खाद्यान्न का आयात करना पड़ा था क्योंकि इस दौरान सू खे के कारण उत्पादन में भारी कमी आयी थी 1987 का सू खा गम्भीर प्रकृत्ति का रहा है सू खा गहनता क्रम में 1987 का सू खा गम्भीर प्रवृत्ति का है और यह चौथे क्रम पर है परन्तु 1985 और 1986 के सू खे के कारण अति गम्भीर प्रकृति का माना जाता है इस कारण 1987-88 में उत्पादन में भारी कमी आयी यह उल्लेखनीय है कि 1965-67 को सू खे की तुलना में 1987 का सू खा अतिगम्भीर स्थिति का है परन्तु आर्थिक अव्यवस्था उन वर्षो की अपेक्षा 1987-88 में कम हुयी इससे यह स्पष्ट होता है कि कृ षि पर मानसू न की निर्भरता घटी है और इसमें सक्षमता आयी है परन्तु अभी भी इसके ऊपर से निर्भरता पू री तरह से समाप्त नहीं हुयी है यों तो सू खे का प्रभाव सभी किसानों पर पड़ता है किन्तु छोटे और सीमान्त किसान सू खे से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं सू खे से केवल फसलें ही नष्ट नहीं होती बल्कि पीने के पानी, पशुओं के चारे में कमी आती है साथ ही सू खे के कारण किसान और खेतीहर मजदू र बेरोजगार हो जाते हैं कृ षकों की लागत मिट्टी में मिल जाती है उसके साथ-साथ सरकार को भी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है अब यह तो स्थिति नहीं रही कि भारतीय कृ षि मानसू न का जुआ है फिर भी मानसू न के ऊपर कृ षि की निर्भरता को नकारा नहीं जा सकता उत्तर-प्रदेश में सिंचाई के साधनों का प्रसार हुआ है परन्तु यह प्रसार केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक दिखायी पड़ता है उत्तर-प्रदेश में बुन्देलखण्ड और पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी सिंचाई का उतना प्रसार नहीं हुआ है जितना कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में हुआ है इन क्षेत्रों में मानसू न की निर्भरता अभी भी बनी हुयी है

भारत में कृषि योग्य अप्रयुक्त भूमि, भूमिक्षरण और भूमि अपकर्ण के परिणाम अर्थव्यवस्था के लिए अत्यन्त हानिकारक हो रहे हैं अप्रयुक्त भू मि के कारण वन और फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र कम हो रहा

है राष्ट्रीय वन नीति यह अपेक्षा करती है कि देश के लगभग 33 प्रतिशत भू - भाग पर तनों का होना आवश्यक है जबकि अभी केवल 22.7 प्रतिशत भाग पर ही वन है वनों की कमी वर्षा और जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है रेगिस्तानी क्षेत्र बढ़ रहा है वनोपज में कमी हो रही है और वनोपज पर आधारित लोगों का जीवन अधिक कष्टदायक होता जा रहा है इस समस्त क्षेत्र जो जंगलों के अंतर्गत परन्तु जिस पर वन नहीं है और परती तथा कृषि योग्य खाली भूमि पर यदि वनों का विकास कर दिया जायतो वनों के अंतर्गत कुल क्षेत्र 10.87 करोड़ हेक्टर हो जायेगा और इससे सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत भाग पर वन हो जायेंगे जो अर्थव्यवस्था के परिस्थितिक संतुलन के लिए आवश्यक है यदि फसलों के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र प्रयुक्त किया जाये तो कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है

भू-क्षेत्र के अल्प उपयोग की भाँति भूमिक्षरण से भी अर्थव्यवस्था में गंभीर क्षति हो रही है यह अनुमान किया गया है कि भूमिक्षरण से प्रतिवर्ष औसतन 5.37 मिलियन टन से 8.4 मिलियन टन तक पोषक तत्वों की क्षति होती है तंग घाटियों का विकास न हो सकने के कारण प्रतिवर्ष लगभग 3 मिलियन अनाजों की क्षति होती है तंग घाटियों को नियंत्रित न करने से प्रतिवर्ष लगभग 8000 हेक्टर भूमि पर तंग घाटियों का अतिक्रमण हो जाता है यह अनुमान है कि भूमि की ऊपर सतह पर एक इंच मोटी सतह बनाने के लिए प्रकृति का 500 से 1000 वर्ष तक का समय लगता है अनियंत्रित दशाओं में भूमिक्षरण से प्रभावित क्षेत्रों में एक इंच मोटी सतह एक वर्ष में कट जाती है भूमिक्षरण से नष्ट होने वले नाइट्रोजन और फास्फोरस की वार्षिक क्षति लगभग 7 खरब रूपये मूल्य भी है इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है वर्तमान स्थिति के चलते क्षतिग्रस्त हुयी भूमि की पूर्ववत पाना अत्यन्त कठिन है मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उर्वर और हवादार बनाये रखने वाले जीवों का नष्ट होना, भूमि संसाधन की अपूर्णीय क्षति है

भूमिक्षरण के परोक्ष प्रभाव अधिक घातक हैं भूमि क्षरण के कारण मिट्टी का जल अवशोषण क्षमता अत्यन्त कम हो जाती है इससे क्रमशः भू मिगत जल स्तर नीचा हो जाता है जिससे िसचाई और पेय जल की समस्या बढ़ जाती है अरबों रूपये की लागत योजनाकाल में जो जलाशय, बाँध और तालाब बनाये गये हैं, उनकी तलहटी में मिट्टी भर रही है इनकी तलहटी में मिट्टी सिमटने की दर अनुमान की तुलना में 4 से 6 गुना तक अधिक है इस कारण जितने समय तक इनके उपयोगी रहने का अनुमान था उसके चौथाई या छठवें हिस्से के ही समय तक ही ये उपयोगी रह सकेंगे भू मिक्षरण के कारण नदियों में तीव्र दर से पहुँचती हुयी मिटटी नदी तल को ऊंचा कर रही है कई स्थानों पर यह देखा गया है कि नदी तल के कुछ भाग आसपास की भू मियों से भी कुछ ऊंचे हो गये हैं नदी तल ऊंचा होने के कारण व र्षा का पानी अति शीघ्र नदी सीमा पर अतिक्रमण कर आस-पास की फसल नष्ट कर जन-जीवन अस्तव्यस्त कर देता है भू मिक्षरण जन्य इस अभिशाप के कारण पू र्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश राज्यों में बाढ़ से करोड़ों रूपये की फसल पशु, मकान एवं अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं का नष्ट होना प्रति व र्ष की कहानी है

भारतीय कृषि प्रणाली का मुख्य दोष जोतों का उपविभाजन और उपखंडन है जोतों के उपविभाजन से आशय खेतों के उन छोटे छोटे टुकड़ों से है जो भू मि विभाजन के कारण अत्यन्त छोटे आकार के हो गये हैं भू मि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, गरीबी और बेरोजगारी, वैकल्पिक रोजगार, अवसरों की कमी और भू मि की कमी और भू मि अत्यन्त लगाव के कारण परिवार के प्रत्येक सदस्य भू मि में अपना हिस्सा चाहते हैं संयुक्त परिवार प्रणाली क्षीण होने तथा एकाकी परिवार की प्रवृत्ति बढ़ने के कारण प्रत्येक अपने लिये पृथक भू-क्षेत्र चाहता है, इन सब कारणों से कृ षि अर्थ व्यवस्था में उपविभाजन की समस्या बढ़ी है कृ षि क्षेत्र में दू सरी बड़ी समस्या अपखण्डन की है अपखण्डन से तात्पर्य किसी कृ षक जोत के उन टुकड़ों से होता है जो

एक साथ मिले न होकर दू र-दू र बिखरे या छिटके होते हैं अपखण्डन के कारण कृ षक का एक खेत एक स्थान पर न होकर दू र-दू र बिखरे होते हैं एक ही कृ षक की भू मि कुछ गांवके एक किनारे और कुछ दू सरे किनारे पर होती है सामान्यत: यह होता है कि परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार नियम के कारण प्रत्येक भृ-खण्ड से अपना हिस्सा चाहते हैं इससे समस्या अधिक जटिल हो जाती है भारत में उपविभाजन और अपखण्डन की समस्यायें अधिक गहन रूप से विद्यमान है

उपविभाजन और अपखण्डन के कारण सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर अत्यन्त घातक परिणाम उत्पन्न होते हैं ग्रामीण गरीबी और कृ षकों को दयनीय दशा में इसका विशे ष योगदान हैउपविभाजन के कारण कृषि भू मि बाड़ लगाने और गेट बनाने में नष्ट होती है खेतों की संख्या जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक भू मि इसमें नष्ट होगी जब खेतों का आकार अत्यन्त छोटा हो जाता है तो उस पर कृ षिकार्य करना सम्भव नहीं रह जाता खेत का आकार छोटा होने पर कृ षि लागत बढ़ जाती है कृ षकों कोकृ षि कार्य हे तु विभिन्न उपकरण लेने होते हैं जबकि उनका छोटी जोत पर पू र्ण क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता है इस प्रकार पूं जी और श्रम का अपव्यय होता है कई आधुनिक कृ षि यंत्रों का प्रयोग तो अत्यन्त छोटीआकार की जोत पर किया ही नहीं जा सकता है या वे छोटी जोत के सन्दर्भ में अनार्थिक हो जाती है

वर्ष 1986 में उत्तर-प्रदेश में क्रियात्मक जोतों के अनुसार जोतो की संख्या क्षेत्रफल (000 हेक्टेअर में)

तालिका- 2.4

वर्ष 1986-[illegible] में उत्तरप्रदेश में क्रियात्मक जोतों के आकारों के अनुसार जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल (000 हेक्टअर में)

आकारवर्ग	संख्या		क्षेत्रफल	
	लाख	प्रतिशत	कुल	%
0.5 से कम	90001.6	50.5	2029.9	13.3
0.5 - 1.0	3570.6	20.0	2585.6	14.4
1.0 - 2.0	2898.2	16.3	4063.5	22.6
2.0 - 3.0	1097.6	6.2	2645.4	14.7
3.0 - 4.0	516.0	2.9	1767.5	9.9
4.0 - 5.0	284.0	1.6	1255.6	7.0
5.0 - 10.0	377.2	2.1	2502.9	13.9
10 से अधिक	72.1	0.4	1111.3	6.2

स्रोत- बोर्ड आफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश

तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में 505 प्रतिशत लोगों के पास .5 हेक्टअर से भी कम जमीन है जो कि कुल क्षेत्र का 13.3 प्रतिशत है और 70 प्रतिशत लोगों के पास 2 हेक्टेयर से कमी जमीन है जबकि उनके पास 50.3 प्रतिशत भूमि ही आती है ये आंकड़े भूमि के टुकड़ों में विभाजित होने के भयावता को प्रदर्शित करते हैं

ग्रामीण असंगठित मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन कानून सबसे महत्वपूर्ण मामला है श्रम के बारे में संसदीय सलाहकार समिति के लिए राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा किये गये सर्वेक्षण में कहा गया है कि साढ़े ग्यारह करोड़ असंगठित मजदूर है और इनके लिए राज्यों निर्धारित न्यूनतम वेतन 8.50 रूपये से 12.75 रूपये प्रतिदिन है, जिसे उच्च स्तर पर 3600 रूपये वार्षिक आंका जा सकता है, जबकि गरीबी रेखा के लिए आय 6400 रू0 वार्षिक निश्चित की गयी है इसका अर्थ यह हुआ कि सभी राज्य में न्यूनतमवेतन लेने असंगठित मजदूर गरीबी रेखा के नचे रहने को मजबूर है इस बारे में रिकार्ड और रजिस्टर नहीं बनाये जाते मजदूरों को कानून में निर्धारित वेतन की लगभग आधी राशि मिल पाती है असंगठित मजदूरों के शोषण का गम्भीर मुद्दा है

गाँवों में असंगठित मजदूरों का सबसे घिनौना पहलू बंधुआ मजदूरी है राष्ट्रीय श्रम संस्थान के अनुसार बंधुआ मजदूरी उनमूलन कानून 1976 का क्रियान्वयन बहुत धीमा है सरकार का दावा है कि बहुत कम लोग अभी बंधुआ हैं तथा बड़ी संख्या में लोगों को रिहा किया जा रहा है उनसे भी अधिक लोगों का पुर्नवास किया जा रहा है जबकि गाँधी शान्ति प्रतिष्ठा और श्रम मंत्रालय ब्यूरो के सर्वेक्षण से पता चलता है कि 2 करोड़ 62 लाख मजदूरों में केवल 21 लाख मजदूरों को रिहा किया गया है और 16 लाख मजदूरों का पुर्नवास हुआ है बन्धुआ मजदूरी और असंगठित ग्रामीण मजदूरी का अभिन्न हिस्सा

देश में वृद्धावस्था पेंशन, चिकित्सा बीमा, दुर्घटना, मुआवजा, बेरोजगारी भत्ता जैसी सामाजिक सुरक्षा कि जितनी भी योजनायें हैं वे 90% कामगारों पर लागू नहीं होती और यह सभी लोग गाँव के संगठित मजदूर हैं

ग्रामीण असंगठित मजदूरों और भूमिहीनों को सीलिंग की भूमि वितरित की जाती है यह जमीन

प्राय: अच्छी किस्म की नहीं होती यदि इनमें भू मि के वितरण को गरीबी दू र करने का प्रमुख साधन मान लिया जाय तो प्रत्येक परिवार को आबं टित की जाने वाली जमीन की मात्रा अ िसचित क्षेत्र में 2 हेक्टेयर से अधिक होनी चाहिये ताकि वे गरीबी रेखा के ऊपर पहुं च सके िसचाई वाले क्षेत्र में 2 एकड़ जमीन परिवार के पालन-पो षण के लिये पर्याप्त होती है जबकि अ िसचित क्षेत्र में बड़े टुकड़े की आवश्यकता होती है अत: वर्तमान सी िलग कानू न लागू होने के बाद गरीबों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने के लिये पर्याप्त नहीं है

भारत में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा है परन्तु विकसित देशों की तुलना में यह अभी भी कम है हाल के व र्षो में कई अध्ययनों ने रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते प्रयोग से अनेक हानियों की ओर भी सं केत किया है पं जाब और हरियाणा प्रदे श इस बात का प्रमाण हैं रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग वहां अधिक होता है जहां िसचाई की सुविधा पर्याप्त हो

तालिका - 2.5

वर्ष 1985-86 एवं 1988-89 में उत्तर प्रदे श के चु ने गये िजलों में उर्व रक खपत (कि.ग्रा. हे क्टअर में)

	N		
जिला	1985-86	1988-89	% परिवर्तन
एटा	52.21	40.40	-21.66
इलाहाबाद	64.56	54.24	-15.9
झांसी	13.18	11.22	-14.87
रायबरेली	57.78	45.83	-20.68
चमोली	3.08	1.97	-36.03
उ0 प्र0	59.16	48.57	-17.90

P

जिला	1985-86	1988-89	% परिवर्तन
एटा	13.73	11.21	-18.35
इलाहाबाद	15.75	13.05	-17.14
झांसी	8.59	8.63	+ .46
रायबरेली	13.90	14.28	+2.73
चमोली	2.61	1.87	-28.35
उ0 प्र0	14.94	13.54	-93.7

K

जिला	1985-86	1988-89	% परिवर्तन
एटा	3.50	2.08	-40.0
इलाहाबाद	5.17	4.94	-4.4
झांसी	.73	.25	-90.6
रायबरेली	3.34	1.96	-41.3
चमोली	1.46	.29	-80.1
उ0 प्र0	4.58	3.28	-28.50

तालिका - 2.6

वर्ष 1985-86 एवं 1988-89 में उ0प्र0 के चुने जिलों में उर्वरकों की खपत में परिवर्तन

वर्ष	एटा	इलाहाबाद	झांसी	रायबरेली	चमोली	उ0प्र0
1985-86	69.44	85.48	22.50	75.02	7.15	78.68
1988-89	54.15	72.23	20.10	62.07	4.13	65.39
% परिवर्तन	-22.01	-15.50	-10.66	-17.26	-42.23	-16.89

स्रोत- कृषि भवन लखनऊ उत्तर प्रदेश

कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से एक तरफ जहां उत्पादकता में अधिक वृद्धि हुयी है, वहीं दू सरी तरफ इन उर्वरकों के प्रयोग की अज्ञानता के कारण कृ षि भू मि पर इनका विपरीत दू रगामी प्रभाव भी पड़ा है रासायनिक खादों के अतिशय प्रयोग से भू मि की उर्वरता आगे चलकर कम होने लगती है उर्वरकों के गलत प्रयोग से अनेक तरह के कीटों एवं जीवाणुओं के विकास को भी बल मिलाहै, जिससे अनेक तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के गलत प्रयोग से भू मिगतजल भी प्रदू षितहो रहा है भू मिगत जल में रेडियोधर्मी, पदार्थ सहित, जस्ता, निकल, सीसा, मैगनीज, लोहा एवं नाइट्रेट जैसे वि षैली धातुओं का स्तर भी मान्य स्तर से अधिक पाया गया है इसीलिये भूमिगत जल को पीने से खास अवरोधन जैसे खतरनाक बीमारी जन्म ले रही है भू मि की उर्वरा शक्ति कम होने एवं भू मि प्रदू षित होने से खेत का पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो रहा है, जिसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ रहा है और उत्पादकता में कमी आ रही हैं अत: रासायनिक उर्वरकों कउ उचित प्रयोग एवं देशी उर्वरकों के अधिक उपयोग पर बल देने की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की तालिका से स्पष्ट है कि व र्ष 1985-86 की अपेक्षा उत्तर-प्रदेश एवं विभिन्न जिलों में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी आयी है प्रदेश के इलाहाबाद जिले में सर्वाधिक प्रयोग होता है यहां व र्ष 1988-89 में -15.50 प्रतिशत की कमी उर्वरक उपभोग में कमी आयी है उत्तर प्रदेश में उर्वरक उपभोग में -10.89 प्रतिशत की कमी आयी है

कीट नाशक दवाओं का प्रयोग कृषि के लिये हानिकारक कीटों को समाप्त करने के लिये एवं खरपतवार नाशक रसायनों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिये तीव्र गति से प्रारम्भ हुआ किन्तु इन दवाओं के अधाधुन्ध प्रयोग एवं गलत प्रयोग से खेत का अजैविक घटक असंतुलित होता जा रहा है कृषि

भू मि में ये रसायन इतनी अधिक मात्रा में प्रवेश कर गये हैं कि भू मि का मू ल स्वरूप ही बदल गया है कारण कि ये कीटनाशक दवायें एक तरफ जहां फसलों की कीड़े मकोड़ों के आक्रमण से पू र्णतया सुरक्षज्ञ वही कर पातीं वहीं दू सरी तरफ ऐसे कीटाणुओं को भी मार डालती हैं जो उन कीड़े मकोड़े को मारने की क्षमता रखते हैं साथ ही साथ इन दवाओं के प्रयोग से ऐसे नये कीटाणु जन्म ले रहे हैं, जिनमें दवाओं को निष्क्रिय करने की असीम क्षमता होती है कीटनाशक दवाओं का प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है जिससे तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं इनका संयुक्त प्रभाव पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर भी पड़ रहा है, जिससे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन की स्थिति पैदा होती जा रही है अत: कीटनाशकों का अतिशय प्रयोग अति आवश्यक है परम्परागत कृ षि पद्धति में अपनाये गये तरीकों, प्राकृतिक खेती एवं नाशकों के कम प्रयोग तथा उनके छिड़काव हेतु विशे ष प्रशिक्षण प्राप्त कर कीटनाशक दवाओं के अत्यधिक प्रयोग को रोककर इस धरती पर उत्पन्न हो रहे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी असंतुलन को बचाया जा सकता है

कृषि में सिंचाई के बढ़ते प्रयोग ने भी पर्यावरण समस्या को जन्म दिया है सिंचाई के लिये बड़े-बड़े बाँध एवं जलाशय बनाये गये तथा नहरों का निर्माण किया गया, जिससे जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती जा रही है एवं भू मिगत जल स्तर भी उपर आ जाता है, जिससे मलेरिया एवं फ्लोरोसिस जैसे भयंकर रोग उत्पन्न हो रहे हैं सिंचाई के गलत प्रयोग से भू -क्षरण एवं भू -स्खलन में भी वृद्धि हो रही है बांधों एवं जलाशयों के निर्माण से भू कम्प का भी खतरा बना रहता है तथा इनके निर्माण के समय होने वाले वन विनाश से वन्य प्राणियों का जीवन भी संकट में पड़ जाता है इस तरह हमारा सम्पू र्ण पर्यावरण ही प्रभावित हो रहा है

खेती में विभिन्न फसलों के उत्पादन हेतु गहन कृषि पद्धति पर विशेष जोर दिया गया, किन्तु जिन

क्षेत्रों में गहन कृषि पद्धति अधिक अपनायी गयी वहां की भूमि में एन.पी.के. सहित कैल्शियम, मैगनीशियम, सल्फर जैसे दोयम तत्वों एवं मैगनीज, लोटा, तांबा, जिंक, बोरोन एवं मोलीवडेनम आदि तत्वों की कमी होती जा रही है जिसका भयंकर दूरगामी परिणाम होगा कृषि में अधिक पैदावार लेने हेतु अधिक उपज देने वाले बीजों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है वर्ष 1966, 1970, 1980, 1985, 1989 को भारत में क्रमश: 1.7, 15.3, 31.8, 3.0, 56.0 और 60.0 करोड़ हेक्टेअर भूमि पर अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया है इन बीजों से अधिक उत्पादन लेने हेतु अधिक मात्रा में उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना पड़ा, जिसका प्रभाव भूमि की उर्वरता पर पड़ा है और भूमि की उर्वरता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है तथा भूमि प्रदूषित होती जा रही है अत: ऐसे उन्नत बीजों की खोज की आवश्यकता है जिनमें कम से कम रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना पड़े

कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग को दूसरी हरित क्रान्ति कहा जा रहा है अब कृषि उत्पादनों की और अधिक वृद्धि जैवतकनीकी एवं हमारी पुरानी पद्धतियों के संश्लिष्ट स्वरूप से हो सकती है किन्तु इसका विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थतियों में क्षेत्र परीक्षण करना भी आवश्यक है विषयजीवी पौधों के परीक्षण स्थलों के पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव का मूल्यांकन करना भी अति आवश्यक है कारण कि जैव प्रौद्योगिकी के भी अपने खतरे हैं इनमें जरा चूक या असावधानी हो जाने पर उनके भयंकर दूरगामी परिणाम हो सकते हैं

इस प्रकार स्पष्ट है कि कृषि में हरित क्रान्ति के उपयोग से एक तरफ जहाँ कृषि में क्रान्तिकारी परिवत्रन आया है एवं कृषि फसलों में विविधता सहित उत्पादकता में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी तरफ इससे अनेक समस्याओं का भी जन्म हुआ है जो लाभ की तुलना में किसी तरह की बेहतर नहीं कहा जा सकता हरित

क्रान्ति के चलते व्यक्तिगत एवं सामाजिक एवं क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है हरित क्रान्ति का प्रभाव फसली विभिन्नताओं में, कृ षि जोतों के आकार की विभिन्नताओं छोटे बड़े किसानों की वि षमताओं, काश्तकारी एवं भू मिहीन मजदू रों की वि षमताओं के रूप में परिलक्षित हेा रहा है इसके द्वारा संस्थागत परिवर्तनों की उपेक्षा की गई है एवं कृ षिगत साधनों की पू र्ति में वृद्धि एक महान चुनौती के रूप में प्रकट हुई है तथा उर्वरकों की आवश्यकता से अधिक प्रयोग पर बल देने से अनेक समस्यायें उत्पन्न हुई हैं एवं कृ षि उपजों में बीमारियों के लगने का भय बना रहता है इस तरह हरित क्रान्ति के नाम पर शताब्दियों से चली आ रही विविध प्रकार की सुदृढ़ कृ षि प्रणालियों को तहस-नहस करके एक ही तरह की फसल लगाने की कमजोर प्रणाली स्थापित की गई इसका नतीजा यह हुआ कि फसलों की प्रतिरोधक क्षमता खत्म होती चली गई एवं मू ल बीज, फसलें एवं सहनशील कृ षि प्रणालियाँ सदा के लिए समाप्त हो गई

इस प्रकार स्पष्ट है कि विकसित कृषि पद्धतियों के चलते विकसित देशों के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय अनुदान कार्यक्रमों के धन देकर तीसरी दुनिया के देशों की जैविक विविधताओं को समाप्त किया जाता है एवं पुन: उसी हरित क्रान्ति के अपनाने के लिए गरीब देश अमीर राष्ट्रों से कई गुना खर्चीले बीज खरीदते हैं उसके बिना यह आधुनिक खेती सम्भव नहीं इससे एक ही प्रकार फसलें होती हैं और इसलिए कमजोर एवं महंगी फसल टिकाये रखने के चक्कर में किसान ही बिक जाता है

भारत में 1985 में एक अनुमान के अनुसार 175 मिलियन हेक्टेयर भूमि निरर्थक भूमि थी वर्तमान में इसमें से 27 मिलियन हेक्टअर भू मि ब्यर्थ भू मि को सुधार लिया गया है इस सुधार के कारण इस समय 146 मिलियन हेक्टअर भू मि ब्यर्थ भू मि है जिसमें से 11.74 प्रतिशत कृ षि योग्य ब्यर्थ भू मि थी और शे ष 4.47 प्रतिशत कृ षि के अयोग्य भू मि थी कृ षि के योग्य ब्यर्थ भू मि सबसे अधिक 60.14 प्रतिशत भू मि जम्मू

कश्मीर में, सिक्किम में 36.93 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 36.67 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 14.67 प्रतिशत और अरुणाचल प्रदेश में 14.67 प्रतिशत भूमि व्यर्थ भूमि थी देश में लगभग 148 जिले व्यर्थ भूमि की समस्या से बुरी तरह प्रभावित थे

तालिका - 2.7

उत्तरप्रदेश में विभिन्न श्रेणी की व्यर्थ भूमि के अन्तर्गत क्षेत्र ([illegible])

श्रेणी	क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में	क्षेत्र हेक्टेयर में	कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत
(अ) खेती योग्य व्यर्थ भूमि			
क्षारीय भूमि	12823	1282300	4.36
जलीय भूमि	9958	995800	3.38
दलदली भूमि	2204	220400	.75
पत्ती और झाड़ी रहित भूमि	1165	116500	.40
झूम या वन रहित भूमि	612	61200	.21
रेतीली भूमि	1301	130100	.40
(ब) खेती अयोग्य व्यर्थ भूमि			
बंजर और पहाड़ी भूमि	1389	138900	.47
बर्फ से घिरी भूमि	13728	1372800	4.66
कुल	43180	4318800	14.67

स्रोत- बोर्ड आफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेशल

तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में 14.67 प्रतिशत क्षेत्र ब्यर्थ भूमि के अन्तर्गत है जिसका 4.66 प्रतिशत क्षेत्र बर्फ से घिरा हुआ है शेष में क्षारीय भूमि4.36 प्रतिशत, जलीय भूमि3.38 प्रतिशत और बाकी दलदली, पठारी, रेतीली, वनरहित, बंजर और पहाड़ी भूमिहै

पूरे उत्तर-प्रदेश के क्षेत्रीय और जिलेवार आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कुल क्षेत्र का सर्वाधिक 19.53 ब्यर्थ भूमि क्षेत्र है कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का सबसे कम 13.76 प्रतिशत व्यर्थ भूमि का क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र में है जिसमें से सर्वाधिक 25.78 प्रतिशत ब्यर्थ भूमि चमोली जिले में है मध्यक्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में व्यर्थ भूमि लगभग 16.29 प्रतिशत मध्यक्षेत्र में और 16.07 प्रतिशत पूर्वी क्षेत्र में है पश्चिमी क्षेत्र में कुल भूमि का 14.76 प्रतिशत क्षेत्र व्यर्थ भूमि का है

तालिका - 2.8

उत्तरप्रदेशमें क्षेत्रानुसार व्यर्थ भूमि का (1985-86 के राजस्व विभाग के रिकार्ड के अनुसार)

(हेक्टअर में)

क्षेत्र	कुल क्षेत्र	बंजर और खेती योग्य भूमि	खेती योग्य व्यर्थ भूमि	खेती के अयोग्य भूमि	कुल भूमि से व्यर्थ भूमि का प्रतिशत
पश्चिमी क्षेत्र	8207195	271881	178987	760824	14.76
मध्य क्षेत्र	4572784	174207	138020	440168	16.29
पूर्वी क्षेत्र	8660465	224019	216588	881121	16.07
पहाड़ी क्षेत्र	5391520	299114	318664	124179	13.76
बुन्देलखण्ड क्षेत्र	2967108	130437	263209	185836	19.53
उत्तर प्रदेश	29819072	1099748	1115468	2392128	15.45

स्रोत- पब्लिकेशन नं0 121, कृषि भवन लखनऊ उत्तर प्रदेश

1987-88 में उत्तर प्रदेश के क्षेत्रानुसार महत्वपूर्ण क्षेत्रों के तापमान का लेखा देखने पर पता चलता है कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड सबसे अधिक गर्म क्षेत्र था जिसमें सबसे अधिक औसतन 47.9o तापमान रिकार्ड किया गया पहाड़ी क्षेत्र में सबसे अधिक तापमान 40.3o सेन्टीग्रेड और सबसे कम 0.7o सेन्टीग्रेड तापमान रिकार्ड किया गया पश्चिमी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र में तापमान लगभग बराबर पाया गया जबकि पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक तापमान 40.7o सेन्टीग्रेड और सबसे कम 4.7o सेन्टीग्रेड तापमान पाया गया था

तालिका - 2.9

उत्तरप्रदेश के महत्वपूर्ण केन्द्रों में क्षेत्रानुसार तापमान का [illegible]88) (सेन्टीग्रेड में)

क्षेत्र	केन्द्र	अधिकतम	न्यूनतम
पश्चिमी क्षेत्र	अलीगढ़	47.2	3.4
	आगरा	48.0	
	बरेली	45.6	5.0
	शाहजहांपुर	44.6	4.5
	मुजफ्फरनगर	44.6	2.3
	एटा	47.1	4.0
	औसत	46.2	3.8
मध्यक्षेत्र	लखनऊ	45.8	4.0
	हरदोई	47.0	5.0
	फतेहपुर	46.9	5.9
	खीरी	47.0	5.5
	कानपुर	46.8	4.2

	औसत	46.7	4.9
पूर्वी क्षेत्र	गोन्डा	44.5	3.9
	गोरखपुर	43.4	5.6
	इलाहाबाद	47.3	5.1
	वाराणसी	45.2	4.2
	गाजीपुर	44.6	5.0
	औसत	44.7	4.8
बुन्देलखण्ड	झांसी	47.6	-
	हमीरपुर	47.6	5.0
	बान्दा	48.6	5.8
	औसत	47.9	5.4
पहाड़ी क्षेत्र	जोशी मठ	32.2	-
	देहरादून	42.8	1.7
	चमोली	42.0	-
	पंतनगर	44.3	-0.4
	औसत	40.3	.7

स्रोत- पब्लिकेशननं0 121 कृषि भवन लखनऊ

उत्तर-प्रदेश में क्षेत्रानुसार कुल क्षेत्र का वन, चारागाह और कुंजों के अन्तर्गत क्षेत्र

तालिका - 2.10

उत्तरप्रदेशमें क्षेत्रानुसार कुल क्षेत्र का वन, चारागाह और कुंजो के अन्तर्गत क्षेत्र
(1988-81) (प्रतिशतमें)

क्षेत्र	वन	चारागाह	पेड़ों के समूह	वर्तमान परती
पहाड़ी	22.08	10.04	6.54	0.01
पश्चिमी क्षेत्र	0.05	.26	.67	5.27
मध्यक्षेत्र	1.96	.61	4.61	9.74
पूर्वी क्षेत्र	.11	.49	4.36	4.53
बुन्देलखण्ड	6.30	.97	.37	8.02
सभी क्षेत्र	7.84	3.20	3.38	5.14

स्रोत- पब्लिकेशन नं() 121 कृषि भवन लखनऊ उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी में वन का प्रतिशत (22.08) था जो कि पूरे प्रदेश में सर्वाधिक है पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में वन क्षेत्र बहुत कम था यह क्रमशः (.05) और (.11) प्रतिशत था मध्य क्षेत्र में वन का क्षेत्र 1.96 प्रतिशत था जबकि बुन्देलखण्ड में वन का क्षेत्र मध्य के क्षेत्र से अधिक 6.30 प्रतिशत था प्रदेश में चारागाह का क्षेत्र भी सर्वाधिक 10.04 प्रतिशत पहाड़ी क्षेत्र में था प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में यह लगभग बराबर था पेड़ों और झाड़ियों के अन्तर्गत पहाड़ी क्षेत्र में सर्वाधिक 6.54 प्रतिशत क्षेत्र था मध्य और पूर्वी क्षेत्र में यह लगभग बराबर था जबकि झाड़ियों के अन्तर्गत पश्चिमी क्षेत्र में बुन्देलखण्ड का दुगना क्षेत्र था

परती भूमि, भूमि की उत्पादकता बनाये रखने के लिये एक वर्ष या एक मौसम के लिये खाली छोड़ दी जाती है यह भूमिपहाड़ी क्षेत्रमें लगभगनगण्यहै परती भूमि सर्वाधिकमध्यक्षेत्रमें है जबकि बुन्देलखण्ड में उससे थोड़ी कम (8.02) प्रतिशतभूमिहै

तालिका - 2..11

उत्तरप्रदेशमें क्षेत्रानुसारखेतीयोग्यऔरखेतीकेअयोग्यव्यर्थ भूमि (प्रतिशतमें)

क्षेत्र	खेती योग्य व्यर्थ भूमि			रेतीली और खेती के अयोग्य ब्यर्थ भूमि	खेती में प्रयुक्त न होने वाली भूमि
	बंजर	परती	कुल		
पहाड़ी क्षेत्र	7.86	.23	8.09	9.42	34.82
पश्चिमी क्षेत्र	8.13	7.03	15.16	3.90	9.72
मध्य क्षेत्र	5.90	5.14	11.04	7.36	8.64
पूर्वी क्षेत्र	1.82	4.91	6.73	2.04	16.67
बुन्देलखण्ड	29.82	7.09	36.91	4.59	6.57
कुल क्षेत्र	11.70	4.56	16.26	5.94	16.63

स्रोत- पब्लिकेशननं0 121 कृषि भवन लखनऊ उत्तर प्रदेश

खेती के योग्य व्यर्थ भूमि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सर्वाधिक 36.91 प्रतिशत है इसमें से बंजर 29.82 प्रतिशत और परती भूमि 7.09 प्रतिशत है पूर्वी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र में थोड़ा

बहुत अन्तर था इस प्रकार की भूमि में बंजर भूमि का प्रतिशत अधिक था बंजर भूमि बुन्देलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक (29.82) प्रतिशत और पूर्वी क्षेत्र में सबसे कम 1.82 प्रतिशत भूमि बंजर थी

रेतीली और खेती के अयोग्य भूमि में पहाड़, पहाड़ के ढाल और रेगिस्तान को खेती के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता इस प्रकार की भूमि में पहाड़ी क्षेत्र में सर्वाधिक 9.42 प्रतिशत था मध्यक्षेत्र में इससे कम 7.36 प्रतिशत भूमि खेती के अयोग्य भूमि थी पूर्वी क्षेत्र में सबसे कम 2.04 प्रतिशत भूमि खेती के अयोग्य भूमि थी

इस प्रकार खेती में प्रयुक्त न होने वाली भूमि में सर्वाधिक प्रतिशत 31.82 प्रतिशत भूमि पहाड़ी क्षेत्र में है इसके अन्तर्गत भवन, सड़कें, रेलवे, नदी, नहरें आदि आते हैं पूर्वी क्षेत्र में इसके अन्तर्गत 16.67 प्रतिशत और अन्य क्षेत्र में थोड़े बहुत अन्तर से लगभग समान क्षेत्र खेती के अन्तर्गत न आने वाला क्षेत्र था

तालिका- 2..12

क्षेत्रानुसार कुल क्षेत्र का खेती के प्रयुक्त क्षेत्र का प्रतिशत (प्रतिशत में)

क्षेत्र	कुल क्षेत्र	एक बार से अधिक दिखाया गया क्षेत्र	खरीफ	रवी	जायद	कुल
पहाड़ी	6.53	3.54	6.46	3.61	-	10.07
पश्चिमी क्षेत्र	64.87	32.42	39.18	52.82	5.29	97.29
मध्य क्षेत्र	55.98	30.57	42.96	41.83	1.76	86.55
पूर्वी क्षेत्र	36.48	43.81	49.85	48.55	3.89	102.29
बुन्देलखण्ड क्षेत्र	36.32	12.55	32.21	25.19	.87	48.87
कुल क्षेत्र	40.05	21.21	28.69	30.62	1.95	61.26

स्रोत- पब्लिकेशन नं0 121 कृषि भवन लखनऊ उत्तर प्रदेश

विश्लेषण से ज्ञात होता है कि पश्चिमी क्षेत्र में कुल क्षेत्र सर्वाधिक 64.87 प्रतिशत हैं जबकि यह पहाड़ी क्षेत्र में सबसे कम 6.53 प्रतिशत हैं अन्य क्षेत्रों में महाक्षेत्र, बुन्देलखण्ड और पूर्वी क्षेत्र क्रमशः अति है एक बार से अधिक प्रतिवेदित क्षेत्र सर्वाधिक पूर्वी क्षेत्र में है इसके पीछे क्रमशः पश्चिमी क्षेत्र और मध्य खेत्र अति हैं जबकि बुन्देलखण्ड और पहाड़ी क्षेत्र में यह क्षेत्र बहुत कम है इस प्रकार कुल कृषित क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक है जबकि पश्चिमी क्षेत्र और मध्यक्षेत्र थोड़े अन्तर से इससे कुछ कम है कुल कृषित क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र में सबसे कम पाया गया है और बुन्देल खण्ड में भी इसका हिस्सा अन्य क्षेत्रों से बहुत कम है

ग्रामीण विकास के लिये नयी कृषीय तकनीक की भविष्य की सम्भावनायें

कृषि प्रधान अर्थ व्यवस्था होने के कारण भारत के आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है इसी कारण भारतीय नियोजन में कृषिक्षेत्र के विकास पर लगातार ध्यान दिया गया है और इसी कारण प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को वरिष्ठता क्रम में सर्वोच्चस्थान दिया गया इससे कृषि क्षेत्र में ब्याप्त दीर्घकालीन गतिहीनता की अवस्था समाप्त हुयी योजना काल के प्रथम दशक में नयी भूमि का उपयोग शुरू हुआ सिचाई साधनों का विकास हुआ, राष्ट्रीय प्रसार एवं सामुदायिक विकास सेवा की स्थापना हुयी और कृषि सम्बन्धी शिक्षा एवं शोध विधियों का आरम्भ भी किया गयया इस प्रगति के होने पर भी खाद्य उत्पादन बढ़ती हुयी माँग की पूर्ति नहीं कर पाया क्योंकि जनसंख्या की अनुमान से अअधिक बृद्धि हुयी और योजनाओं में भारी विनियोग के कारण प्रति ब्यक्ति आय स्तर बढ़ गया वर्ष प्रतिवर्ष मानसून की अनिश्चितता ने इस समस्या को अधिक भयावह कर दिया था देश को प्रति वर्ष खाद्यान्नों का आयात करना पड़ रहा था कृषि क्षेत्र के पिछड़ेपन के कारण यह आवश्यक समझा जानेलगा था कि कृषि विकास के लिये गैर परम्परागत माध्यमों का प्रयोग करना पड़ेगा केवल फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाकर देश की खाद्य समस्या का समाधान नही किया जा सकता है

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के पिछड़ेपन के निदान और खाद्य समस्या के समाधान हेतु सुअवसर देने के लिये विदेशी कृषि विशेषज्ञों को आमंत्रित किया इसी क्रम में कोई फाउंडेशन के कृषि विशेषज्ञों की एक टीम जनवरी 1059 में बुलायी गयी फोर्ड फाउंडेशन के कृषि विशेषज्ञों की इस समिति ने 1959 में ही भारत के खाद्य संकट और कृषि के पिछड़ेपन के समाधान हेतु अपनीरिपोर्ट प्रेषित की और जिला सघन कृषि कार्यक्रम का सुझाव दिया बाद में उसी संस्थाकी एक टोली ने खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के कतिपय सुझाव दिये जिससे कि तृतीय पंचवर्षीय योजन के प्रारम्भ में जिला सघन कृषि

कार्यक्रम (आई0 ए0 डी0 पी0) को आरम्भ किया गया विचार यह था कि प्रोग्राम के द्वारा कृ षि उत्पादन में तीव्र वृद्धि कुछ निश्चित निर्वाचित क्षेत्रों में सम्भव हो सकेगी और अन्य स्थानों के लिये नई विधियॉ और कार्य प्रणाली के सुझाव दिये जायेगें पे िकज प्रोग्राम दे श के सात जिलों में आरम्भ किया गया था और प्रत्येक जिले का चुनाव करते समयय मुख्य फसल के उत्पादन बढ़ाने की योजना थी यह आवश्यक समझा गया था कि चुने हु ये जिले में जहां तक सम्भव हो, जल पू ि त निश्चित रूप से पायी जाती हो तथा प्राकृतिक प्रकोप न्यूनतम हो यह आवश्यक समझा गया था कि सहकारी समितियॉ तथा पंचायत जैसी संस्थायें उस जिले में अच्छी तरह से विकसित हो और छोटे समय में कृ षि उत्पादन बढ़ाने की अधिकतम क्षमता उस जिले में होनी चाहियये यद्यपि प्रयोगात्मक योजनाओं द्वारा जितनी गति अथवा विकास कृ षि क्षेत्र में अपेक्षित थी, उतनी उपलब्धि तो नहीं हो सकी परन्तु सघन कृ षि कार्यक्रम अपने उद्दे श्यों की पू ि त ककर सका दो बातें निश्चित रूप से अनुभव में आयी प्रथम-खेती के विभिन्न उन्नतिशील उपकरणों को एक साथ प्रयोग करने से उनकी सामू हिक योग्यता में विकास हो जाता है और द्वितीय कृ षि उत्पादन क्षमता परसुनियोजित एवं केन्द्रित प्रयासों से होने वाले लाभ की सम्भावना भारत सरकार ने धीरे-धीरे इसे अन्य राज्यों में भी बढ़ाया जिसमें प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिला चुना गया आरम्भ में जिलों को एक मुख्य फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिये चुना गया था परन्तु वाद में इस कार्यक्रम को समस्त फसलों तक बढ़ा दिया गया था इसी प्रकृति का एक अन्य कार्यक्रम 1964 में 114 जिलों के 1084 विकास खण्डो में चलाया गया जिसे सघन कृ षि क्षेत्र कार्यक्रम(I.A.A.P) कहा जाता है

नई कृषि नीति में मुख्य लक्षय विज्ञान तथा तकनीक के विकास को महत्व देना था इससे रुढ़िवादी भारतीय किसान नई तकनीक के प्रति जागरूक हु आ यह परिवर्तन काफी सीमा तक जिला सघन कृ षि कार्यक्रम

द्वारा सम्भव हो सका है जिसके द्वारा किसानों की मनोवृत्ति एवं सूझ बूझ में परिवर्तन हुआ है योजनाकाल के अरम्भिक वर्षों में दे विभिन्न प्रखण्डों में सामुदायिक विकास योजना का जो कार्यक्रम चलाया गया था, वह उत्पादकता को बढ़ाने की समस्या के छोर तक ही पहुंचा था संसाधनों के व्यापक प्रयोग से उनका सघन रूप से धनीभूत प्रयोग सम्भव नही हो सका था इसके विपरीत सघन-कृषितकनीक का उद्देश्य मुख्य रूप से खाद्यों के उत्पादन को बढ़ाकर खाद्य संकट की स्थिति दूर करना था और द्रुतगति से आर्थिक विकास की आधारशिला का निर्माण करना था इस उद्देश्य की पूर्ति भौतिक और मानवीय संसाधनों का देश के चुने हुये जिलों में प्रयोगात्मक दृष्टि से विनियोग किया गया जिससे यह प्रदर्शित हुआ कि जिन स्थानों पर योग्य संगठन और उन्नत तकनीक उपलब्ध थी, वहां पूर्व-उपागम की तुलना में कृषि विकास अधिक तीव्र गति से हुआ है

भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण में पैकेज प्रोग्राम का महत्वपूर्ण योगदान रहा फिर भी 1960 के बाद कई वर्षों तक उत्पादन सम्बन्धी कठिनाइयाँ बनी रहीं और विषम परिस्थिति में खाद्यान्न का बड़ी मात्रा में आयात होता रहा 1960-61 में 3.5 मि0 टन खाद्यान्न का आयात हुआ जो कि प्रतिवर्ष बढ़ता गया और 1965-66 व 66-67 में सूखे की परिस्थिति में क्रमशः 0.36 और 8.7 मि0 टन खाद्यान्न का आयात हुआ विभिन्न फसलों के उत्पादन सघन-कृषि प्रयोगों से प्रभावित तो अवश्य हुये, परन्तु पुराने किस्मों की फसल और बीज की सीमा में ही उत्पादन बढ़ पाया खाद्यान्न संकट लगातार बढ़ता रहा देश में भुखमरी की अवस्था उत्पन्न होने लगी यह अनुमान लगाया जाने लगा था कि देश में लाखों लोगों की मृत्यु भूख के कारण हो जायेगी कृषि क्षेत्र में व्याप्त इस संकट को दूर करने के लिये प्राविधिक तथ्यों पर ध्यान दिया गया खाद्य समस्या के प्राविधिक समाधान हेतु कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिये अधिक उपजाऊ किस्म के बीज,

रासायनिक उर्वरक और सिचाई विकास पर बल दिया गया इनके सम्मिलित प्रभाव को हरित क्रान्ति कहा जाता है कृषि विकास की इस नवीन तकनीक ने कृषि उत्पादिता वृद्धि और निर्धन कृषकों को अधिक समृद्ध बनाने की सम्भाव को प्रकट किया गया है इस नवीन तकनीक में अधिक उउपज देने वाली किस्मों के अतिरिक्त बहुफसली कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं साथ-साथ पौध संरक्षण पर भी जोर दिया जाता है

भारतीय कृषि में तकनीक सुधार की इस नवीनतम अभिव्यक्ति के द्वारा देश में खाद्य संकट को दूर करके नियोजन कर्ताओं ने राहत की सांस ली और दीर्घ कालीन आर्थिक नियोजन के प्रश्नों पर अपने विचार को पन: केन्द्रित किया वास्तव में तीन वर्ष के स्थगन के बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तभी शुरू की जा सकी जबकि खाद्य स्थिति और मूल्यस्तर साममान्य हो चुका था यदि पिछले 50 वर्षो के खाद्यान्न उत्पादन को दृष्टिकोण में रखा जाय तो भारतीय कृषि उत्पादन अवरोध की अवस्था में थाजिसे कि कृषि में नवीन तकनीक सुधारों ने मूलरूप से परिवर्तित कर दिया है उत्पादन 3.3% प्रतिवर्ष बढ़ता रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुयी जनसंख्या की आवश्यकताओं को देखते हुए तथा कृषि उत्पादन के योजनाबद्ध लक्षयों के सम्बन्ध में यह विकास पर बहुत संतोषजनक नहीं है परन्तु मुख्य तथ्य यह है कि लगभग एक शताब्दी तक कृषि की अवरोध अवस्था को दूर करके भारतीय कृषि में प्रगति के लक्षण स्पष्ट हुये हैं तथा खाद्यान्न में आत्म निर्भरता की ओर महत्वपूर्ण कदम उठाया जा चुका है

कृषि विकास की नयी प्रविधि ने कृषि उत्पादकता और उत्पादन वृद्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है हरित क्रान्ति के आरम्भिक वर्षो 1965-66 और 1966-67 में भयंकर सूखा पड़ने के कारण कृषि विकास में बाधा आयी खाद्यान्नों का भारी मात्रा में आयात किया गया, परन्तु बाद के वर्षों में स्थिति सुधरने लगी विभिन्न खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ने लगा सर्वाधिक सफलता गेहूं की फसल में मिली पंजाब हरियाणा और

कृषि विकास के कुछ संकेत (मिलियन टन में)
चावल
गेहूँ
मोटा अनाज
दालें
1965-66
1980-81
1985-86

पश्चिमी उत्तर-प्रदेश मे विशेष सफलता मिली है गेहूं का कुल उत्पादन 1985 में 10.4 मिलियन टन था जो 1985-86 में 46.9 मिलियन टन तथा 1990-91 में बढ़कर 55.1 मिलियन टन हो गया 1965-66, 1983-84 की अवधि में मक्का, ज्वार और बाजरा के उत्पादन में सामान्य वृद्धि हुयी, तथापि इनका स्तर अभी नीचा है चावल के उत्पादन में 1965-66 से 1983-84 की अवधि में वृद्धि हुयी है परन्तु यह वृद्धि भी सीमित ही रही है चावल का उत्पादन 1965-66 में 30.5 मिलियन टन था जो 1985-86 में 60.2 मिलियन टन से बढ़कर 1990-91 मे 74.3 मिलियन टन हो गया

तालिका नं० 3.1

कृषि विकास के कुछ संकेत (मिलियन टन)

वर्ष	चावल	गेहूं	मोटा अनाज	दालें	कुल खाद्यान्न
1950-51	20.6	6.5	15.38	8.4	50.8
1965-66	30.5	10.4	-	-	72.3
1980-81	53.6	36.3	29.02	10.6	129.6
1985-86	64.2	46.9	29.3	12.0	151.5
1991-91	74.3	55.1	32.70	14.26	176.39

स्रोत- इकोनोमिक सर्वे- 1991

तालिका से स्पष्ट है कि 1950-51 से 1990-91 तक लगभग सभी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुयी है परन्तु सबसे अधिक बृद्धि गेहूं में दिखायी देती है 1950-51 में ददालों का उत्पादन 8.4 मिलियन टन था जो 1990-91 में 14.26 मिलियन टन हो गया इसी प्रकार मोटे अनाजों में 1950-51 के 15.38 मिलियनटन

की अपेक्षा 1990-91 में 32.70 मिलियन टन उत्पादन हुआ है जो कि अन्य खाद्यान्नों की अपेक्षा कम उत्पादन वृद्धि को दर्शाता है जबकि चावल के उत्पादन में सामान्य वृद्धि हुगी है

तालिका नं0 32

नब्बे के दशक में कृषि विकास के कुछ सूचक (उत्पादन मिलियन टन में)

मद	1989-90	1990-91	1991-92
खाद्यान्न	171.04	176.39	167.06
गेहूं	49.85	55.14	55.09
चावल	73.57	74.29	73.66
मोटा अनाज	34.76	32.70	26.26
दालें	12.86	14.26	12.05
तिलहन	16.92	18.61	18.28
गन्ना	229.57	241.05	249.26

स्रोत- इकोनोमिक सर्वे 1992

नब्बे के दशक में 1989-90 मे खाद्यान्न 171.04 मिलियन टन से घटकर 1991-92 में 167.06 मिलियन टन हो गया इसी प्रकार 1990-91 से 1991-92 में गन्ने को छोड़कर खाद्यान्नों- गेहूं, चावल, मोटा अनाज दालें और तिलहन के उत्पादन में कमी आयी

कृषि क्षेत्र के उत्पादन के लक्ष्य और उपलब्धि
— लक्ष्य
— उपलब्धि
छठी योजना (1984-85)
— लक्ष्य
— उपलब्धि
सातवीं योजना (1989-90)
— लक्ष्य, आठवीं योजना (1992-97)
1- गेहूँ
2- चावल
3- मोटा अनाज
4- दालें
5- खाद्यान्न
6- तिलहन
7- गन्ना
44
44.7
54.10
49.85
66.00
63.0
58.34
72.0
76.57
88.0
32.5
31.17
32.8
34.76
39.0
154.0
145.54
174.1
171.04
210.0
23.0
215.0
170.0
206.0
225.60
275.00

कृषि उपज में वृद्धि के लक्ष्य और उपलब्धि

तालिका नं0 3.4

कृषि उपज में वृद्धि के लक्षय व उपलब्धि (प्रतिशत वार्षिक के रूप में समायोजित)

कृषि उपज	इकाई	छठी योजना		सातवी योजना		आठवी योजना
	दस लाख टन	1984-85		1989-90		1992-93
		लक्षय	उपलब्धि	लक्षय	उपलब्धि	लक्षय
चावल	,,	8.28	6.63	4-4.6	4.75	3.95
गेहूं	,,	6.69	6.72	4.5-4.8	2.50	3.34
मोटा अनाज	,,	3.80	2.94	1.2-1.8	2.20	5.40
दालें	,,	11.09	6.89	2.9-4.3	1.46	3.96
खाद्यान्न	,,	7.02	5.82	3.5-4.1	3.28	4.01
तिलहन	,,	4.90	8.18	6.70	5.46	5.61
	,,	10.79	5.74	3.80	5.78	3.19

स्रोत - इकोनोमिक सर्वे 1989-90

उत्पादन की ही भांति कृषि उपज में वृद्धि का प्रतिशत छठी और सातवी योजना में लक्षय से कम रहा है फसलों की उपलब्धि उसके लक्षय को कभी भी नही छू पायी है केवल गेहूं का प्रतिशत वृद्धि छठी योजना में और गन्ने के प्रतिशत वृद्धि सातवी योजना में लक्षय से अधिक रही है विभिन्न फसलों के लक्षय में विभिन्न योजनाओं में कमी प्रतीत होती है जो यथार्थ के नजदीक है

हरित क्रान्ति की अवधि में फसलों की उत्पादकता में भी वृद्धि हुयी है उत्पादकतता के सन्दर्भ में गेहूं की फसल को विशेष सफलता मिली है खाद्यान्नों की औसत उपज 1967-68 में 783 कि0 ग्रा0 प्रति

हेक्टेयर थी जो 1970-71 में बढ़कर 872 कि0 ग्रा0 प्रति हेक्टेअर और 1985-86 में 1184 कि0 ग्रा0 प्रति हेक्टेयर हो गयी इसी प्रकार चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, गेहूं और मक्का आददि की फसलों में प्रति हेक्टेयर उपज में भी वृद्धि हुयी है भारत में फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाने की सम्भावनायें अब कम हो गयी हैं इसलिये प्रतिभूमि इकाई से अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन बढ़ाकर ही कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है इस प्रकार हरित क्रान्ति के कारण कृषि उत्पादन और उत्पादकता में मात्रात्मक वृद्धि हुयी है तालिका से स्पष्ट हैं कि कई फसलों के प्रति हेक्टेयर उपज में उल्लेखनीय वृद्धि हुयी है

तालिका नं0 35

प्रमुख फसलों की प्रति हेक्टेयर उपज

मद	1970-71	1975-76	1980-81	1985-86	1988-89
कुल खाद्यान्न	872	944	1023	1175	1327
कुल अन्न	949	1041	1142	1266	1490
कुल दालें	524	533	473	547	5090
चावल	1123	1235	1336	1552	1688
गेहूं	1307	1410	1630	2046	2241
कुल ज्वार	466	591	660	633	708
मक्का	1279	1203	1159	1146	1401
बाजरा	622	496	458	344	646
चना	663	707	657	742	735
कुल तिलहन	579	627	532	510	827
गन्ना(टन/हे0)	48	51	58	60	61
आलू (टन/हे0)	10	12	13	12	16

स्रोत- इकोनोमिक सर्वे 1990

तालिका से स्पष्ट है कि खाद्यान्न, चावल, गेहूं, ज्वार, गन्ना और आलू की प्रति हेक्टेयर उपज में

उल्लेखनीय वृद्धि हुयी है जबकि दाल, तिलहन, चना बाजरा और मक्का में वृद्धि उतार चढ़ाव के साथ रही है गेहूं के प्रति हेक्टेयर उपज में सर्वाधिक वृद्धि हुयी है यह 1970-71 में 1307 कि0ग्रा0/हीट से बढ़कर 1988-89 में 2241 कि0/नेट तक जा पहुंची है दूसरी ओर चावल उत्पादन में सामान् रूप से वृद्धि हुयी है

नात्रात्मक उपलब्धियों के अतिरिक्त हरित क्रान्ति ने कृषि अर्थ व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन भी किये हैं ककर्कृ ष को अब मात्र जीवन निर्वाह का साधन न मानकर इसके व्यावसायिक गतिविधिकी प्रतिष्ठा की गयी है भारतीय कृ षक अब लाभ कमाने के लिये नवीन तकनीकों व प्रयोग के प्रति तत्पर है जहां कही भी नवीन तकनीक उपलब्ध है, कृ षक उसके महत्व को अस्वीकार नहीं करत श्रेयस्कर कृ षि विधियों तथा श्रेयस्कर जीवन ययापन की आकांक्षा न केवल उत्पाददन तकनीकों का प्रयोग करने वाले एक छोटे से धनी वर्ग तक सीमित है बल्कि उन लाखों कृ षकों में भी फैल गयी है जिन्होंनेइसे अभी तक अपनाया नही है और जिनके लिये उच्च जीवन स्तर अभी भी एक सपना मात्र है कृ षकों के दृष्टिकोण में यह परिवर्तन निश्चय ही कृ षि विकास में सहायक है हरित क्रान्ति के कारण अब कृ षक अच्छे अनाजोंऔर व्यापारिक फसलों के उत्पादन के प्रति अग्रसर हुये हैं छोटे कृ षकों का झुकाव सब्जियों की फसलोंके प्रति बढ़ा है कृ षक नवीन बीजों कीट नाशक दवाओं और उच्च ककृ षि यंत्रों के प्रयोग के प्रति ततर है प्रयोगशालाओं और शोध संस्थानों से विकसित की गयी प्रविधियों के प्रयोग के प्रति कृ षक जागरूक है विभिन्न नवीन कृषि प्रविधियों और आगतों का प्रयोग कर भारत के कृषको ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे नवीन कृषिगत सखोजों के प्रति सर्वथा सचेत है और उनका पारंम्परिक भी इसमें बाधक नही है

हरित क्रान्ति के परिणाम स्वरूप फसलों के संरचना में आधार भृत परिवर्तन आया है भूमि उपयोग के आकड़ों से यह स्पष्ट होता है गेहूं और चावल की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ा है इसी प्रकार तिलहन की

फसलों, फल वाली फसलों, सब्जी वाली फसलों और रेशेदार फसलों के अन्तर्गत भी क्षेत्र में वृद्धि हुयी है सर्वाधिक वृद्धि गेहू की फसल के अन्तर्गत क्षेत्र में हुयी है 1960-61 के बाद ज्वार, बाजरा आर तिलहन की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी आयी है कई मोटे अनाज, क्षेत्रीय प्रकृति के तो फसलो की संरचना से हटते जा रहे हैं

तालिका नं0 36

विभिन्न फसलों के अन्तर्गत कृषित क्षेत्र (मिलियन हेक्टेयर)

मद	1970-71	1975-76	1980-81	1984-85	1988-89
कुल खाद्यान्न	124.32	128.18	126.67	106.66	128.30
कुल धान्य	101.78	103.73	104.21	103.93	105.04
कुल दालें	22.53	24.45	22.46	22.74	23.26
चावल	37.59	39.48	40.15	41.16	41.86
गेहूं	18.24	20.45	22.28	23.56	24.09
ज्वार	17.37	16.09	15.81	15.94	1485
मक्का	5.85	6.03	6.01	5.80	5.95
बाजरा	12.91	11.57	11.66	10.62	12.05
चना	7.84	8.32	6.58	6.91	6.89
तिलहन	16.94	16.92	17.60	18.92	21.64
गन्ना	2.62	2.76	2.67	2.95	3.37
आलू	.48	.62	.73	.85	.94

स्रोत इकोनोमिक सर्वे 1990

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 1970-71 में गेहूं की फसल के अर्न्तगत 18.24 मिलियन हेक्टेयर

क्षेत्र था जो 1988-89 में बढ़कर 24.09 मिलियन हेक्टेयर हो गया इसी प्रकार उक्त अवधि में चावल की फसल के अन्तर्गत क्षेत्र 37.59 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 41.86 मिलियन हेक्टेयर हो गया इसी प्रकार विभिन्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र के कुछ वर्षों के आकड़े उपरोक्त तालिका में दिये गये हैं उत्तर प्रदेश में भी हरित क्रान्ति के बाद से फसलों के उत्पादन और उत्पादित में काफी वृद्धि हुयी है तालिका से स्पष्ट है कि प्रदेश की प्रमुख फसलों के उत्पादन क्षेत्र तथा उत्पादिकता सभी में वृद्धि हुयी है

तालिका नं0 37

उ0 प्र0 में प्रमुख फसले के क्षेत्र, उत्पादन तथा उत्पादिकता

उत्पादन 1000 मिलियन टन
क्षेत्र - 1000 हे0
औसत उपज- कुन्टल/हे0

फसल	1978-79			1984-85			1988-89		
	क्षेत्र	उत्पादन	औसत उपज	क्षेत्र	उत्पादन	औ0 उपज	क्षेत्र	उत्पादन	औ0 उपज
पैडी	5147	5964	11.59	5352	6777	12.66	5725	7509	14.65
गेहूं	7391	11458	15.50	8528	16559	18.90	9995	19691	19.70
मक्का	1177	807	6.85	1115	1120	10.04	1210	1694	14.01
खाद्यान्न	16792	23108	13.76	17745	29200	16.46	18722	34560	18.46
कुल दाले	3103	2365	5.2	2832	2499	8.82	2812	2089	7.43
तिलहन	782	1515	5.43	1086	1052	6.78	1405	825	5.87
गन्ना	1634	62324	381.46	1688	78244	463.54	1800	193054	516.68
आलू	277	4296	155.10	299	5577	185.55	327	6331	193.73

स्रोत- कृषि भवन लखनऊ उत्तर प्रदेश

तालिका में उत्तर प्रदेश मे वर्ष 1978-79, 1984-85 तथा 1988-89 में विभिन्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र, उत्पादन और औसत उपज के आकड़े है प्रत्येक वर्ष में क्षेत्रपल, उत्पादन और प्रति हेक्टेयर औसत उपज में वृद्धि साफ दिखाई पड़ती है उत्तर प्रदेश में भी देश की भांति सबसे अधिक वृद्धि गेहूं के क्षेत्र में दिखाई पड़ती है गेहूं के क्षेत्र, उत्पादन और औसत उपज में निरन्तर वृद्धि हो रही है 1978-79 गेहूं का क्षेत्र 391 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 1983-89 में 9995 हजार हेक्टेयर हो गया इसी प्रकार उक्त अवधि में गेहूं का उत्पादन 11458 मिलियन टन से बढ़कर 19691 मिलियन टन हो गया इस अवधि में लगभग सभी प्रमुख फसलों के क्षेत्र उत्पादन और औसत उपज में वृद्धि हुयी है परन्तु दालों के क्षेत्र उत्पादन और औसत उपज में इस समय अवधि में कमी आयी है इसी प्रकार उक्त अवधिक में चावल, गन्ना और आलू के भी सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि हुयी है परन्तु मक्का के क्षेत्रफल में कोई खास बृद्धि तो नहीं हुयी है परन्तु उसके उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुयी है तिलहन की औसत उपज में इन अवधि में कमी आयी है

यदि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक कृषित क्षेत्र के पांच हिस्सों पर निगाह डाली जाय तो 1985-86 से 1988-89 में स्पष्ट दिखाई पड़ता है उत्तर प्रदेश पांच जिलों में से कुछ में क्षेत्रफल में वृद्धि हुयी है तो कुछ में क्षेत्रफल में कमी भी हुयी है

तालिका नं० 38

उ० प्र० के विभिन्न जिलों में प्रमुख फसलों के क्षेत्रवार आकड़े (हजार हेक्टेयर में)

	एटा		इलाहाबाद		झांसी		रायबरेली		चमोली	
फसल	1985-86	1988-89	1985-86	1988-89	1985-86	1988-89	1985-86	1988-89	1985-86	1988-89
चावल	27	21	182	112	3	3	139	112	17	15
मक्का	53	55	1	1	4	4	.2	.9	.2	.2
गेहूं	155	169	210	229	103	110	148	151	22	18
कुल धान	831	337	511	454	165	164	326	297	60	51
कुल दालें	79	65	112	102	161	167	54	49	1	1
कुल खाद्यान्न	410	402	623	556	326	331	380	346	61	52
कुल तिलहन	23	17	11	11	18	15	6	7	1	.3
गन्ना	7	9	5	6	.1	.1	4	4	–	-
आलू	8	8	12	14	. 3	1	3	4	2	2

स्रोत- कृषि भवन लखनऊ उत्तर प्रदेश

तालिका नं0 3.9

उत्तर-प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रमुख फसलों का उत्पादन (हजार मीट्रिक टन मे)

फसल	एटा		इलाहाबाद		झांसी		रायबरेली		चमोली	
	1985 86	1988 89	1985 86	1988 89	1985 86	1988 89	1985 86	1988 89	1985 86	1988 89
चावल	32	21	274	112	3	2	213	169	20	17
मक्का	69	37	1	1	6	4	-	-	-	-
गेहूं	353	379	348	355	144	169	255	289	22	18
कुल धान्य	553	541	741	606	194	206	490	467	67	53
कुल दालें	88	54	136	98	118	119	47	31	–	
खाद्यान्न	641	596	877	703	312	325	537	499	67	53
तिलहन	16	12	4	4	9	8	4	3	-	-
गन्ना	302	462	200	122	7	5	162	177	–	-
अलू	94	162	152	260	5	9	39	69	21	30

स्रोत- कृषि भवन लखनऊ उ0 प्रदेश

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों के चुने हुये जिलों में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुयी है केवल पहाड़ी क्षेत्र के चमोली जिले में गेहूं के उत्पादन में कमी आयी है इसी प्रकार उपरोक्त अवधि

मे सभी क्षेत्रों मे आलू के उत्पादन मे उल्लेखनीय वृद्धि हुयी है गन्ने के उत्पादन में पश्चिमी क्षेत्र के एटा जिले तथा केन्द्रीय क्षेत्र के रायबरेली जिले मे वृद्धि हुयी है मक्का के उत्पादन में कमी आ रही है

तालिका नं0 3.10

उ0 प्र0 के विभिन्न जिलों में वर्ष 1985-86 की अपेक्षा 1988-89 में प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल तथाउत्पादनमेंप्रतिशतअन्तर

फसल	एटा		इलाहाबाद		झांसी		रायबरेली		चमोली	
	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
चावल	-22.22	-34.70	-38.46	-59.12	-	-33.33	-19.42	+20	-11.76	-15
मक्का	+3.77	46.37			-	-33.33	350	-	-	-
गेहूं	+9.03	+7.36	9.04	2.01	+6.79	+17.36	2.02	22	-18.18	-25
कुल धान्य	+1.81	-2.16	-11.15	-18.21	-0.60	+6.18	-.11	67	-15	-20.89
कुल दालें	17.22	38.63	8.92	38.77	3.72	+.84	-9.25	-	-	-
खाद्यान्न	-1.92	-7.02	-10.75	-19.84	1.53	+4.16	-8.24	67	-14.75	-20.89
तेलहन	-0.03	-25	-	-	-16.66	-11.11	16.66	-	-70	-
गन्ना	+28.57	53.97	+20	-39	-	-28.57	-	-	-	-
आलू	- 72.34	+16.66	71.05	233.33		80	33.33	21	-	42.85

स्रोत- कृषि भवन लखनऊ उत्तर- प्रदेश

तालिका से स्पष्ट है कि चावल के अन्तर्गत क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र केन्द्रीय क्षेत्र और पहाड़ी

क्षेत्र में कमी आयी है यह कमी क्रमशः -22.22% -38.46%, -19.42 और -11.76% है केवल बुन्देलखण्ड क्षेत्र मे यह क्षेत्रफल समान रहा है प्रदेश के सभी क्षेत्रों मे चावल के उत्पादन मे कमी आयी है पश्चिमी क्षेत्र में- 34.37, पूर्वी क्षेत्र मे 59.12 बुन्देलखण्ड मे - 33.33, केन्द्रीय क्षेत्र मे- 20.65 और पहाड़ी क्षेत्र मे इसके उत्पादन में - 15% की कमी आयी है

मक्का के क्षेत्रफल में केन्द्रीय क्षेत्र में 350% की वृद्धि हुयी है साथ ही पश्चिमी क्षेत्र में 3-77% की वृद्धि हुयी है बाकी सभी क्षेत्रों मे यह क्षेत्रफल समान रहा है इसी प्रकार मक्का के उत्पादन में पश्चिमी क्षेत्र में -4637 बुन्देलखण्ड में- 33.33 प्रतिशत कम उत्पादन रहा है बाकी सभी प्रदेशों में इसका उत्पादन समान रहा है गेहूं के क्षेत्रफल में पहाड़ी क्षेत्र के चमोली जिले को छोड़कर सभी क्षेत्रों में वृद्धि हुयी है पहाड़ी क्षेत्र में -18.18% की कमी हुयी है जबकि पश्चिमी जिले एटा में 9.03% इलाहाबाद में 9.04% बुन्देलखण्ड में 6.74% रायबरेली में 2.02 प्रतिशत की वर्ष 1985-86 की अपेक्षा 1988-89 मे गेहूं के क्षेत्रफल में वृद्धि हुयी है इसी प्रकार गेहूं के उत्पादन में 4.36 प्रतिशत एटा में 7.36 प्रतिशत, इलाहाबाद में 2.01 ,बुन्देलखण्ड में 17.36 प्रतिशत तथा रायबरेली जिले मे गेहूं के उत्पादन मे 13.33% की वृद्धि हुयी है परन्तु पहाड़ी क्षेत्र के चमोली जिले में गेहूं के उत्पादन में -25% की कमी आयी है

कुछ धान्य के वर्ष 1985-86 की अपेक्षा 1988-89 में इलाहाबाद जिले में 1.81% की क्षेत्रफल मे कमी आयी है दूसरी ओर इलाहाबाद, झांसी रायबरेली और चमोली जिलों में उक्त अवधि में क्रमशः -11.15% -0.60%, -0.11% -15% और-6.06 प्रतिशत की क्षेत्रफल में कमी आयी है कुल धान्य के उत्पादन में एटा में- 2.16%, इलाहाबाद में- 18.2%, रायबरेली में- 4.69% चमोली में -20.89% की कमी हुयी है जबकि झांसी जिले में उक्त अवधि में 6.18 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है

कुल दालों के क्षेत्रफल में 1985-86 की अपेक्षा 1988-89 में इलाहाबाद में -8.92, एटा में -17.72, रायबरेली में -9.25 प्रतिशत की कमी हुयी है जबकि झांसी जिले में दालों के क्षेत्रफल में +3.72% की वृद्धि हुयी है ल दालों के उत्पादन में झांसी जिले के .84 प्रतिशत वृद्धि के अलावा अन्य सभी जिलों एटा-38.63, इलाहाबाद -38.77 रायबरेली में-34.04 प्रतिशत की उत्पादन में बढ़ी आयी है

इसी प्रकार खाद्यान्नों का क्षेत्रफल झांसी में 1.53% बढ़ा है जबकि एटा, इलाहाबाद, रायबरेली और चमोली मे क्रमशः -1.95-10.75 -8.94 और -5.32 प्रतिशत की कमी आयी है झांसी जिले में इनके उत्पादन में 4.16 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है जब कि एटा में -7.02, इलाहाबाद में -19.84% रायबरेली में -7.04 और चमोली में 20.89 प्रतिशत की कमी उक्त अवधि में आयी है

तिलहन के क्षेत्रफल रायबरेली में 16.66 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुयी है साथ ही झांसी में इसके क्षेत्रफल में -16.66 प्रतिशत की कमी भी हुयी है एटा अऔर चमोली जिले तिलहन के क्षेत्रफल में क्रमशः -03%, -70% की कमी हुयी है तिलहन के उत्पादन में एटा में -25% झांसी में 11.11% रायबरेली मे -25% की कमी आयी है

गन्ने के क्षेत्र फल में एटा, इलाहाबाद जिले में क्रमशः 28.57% और 18.63% की वृद्धि हुयी है जबकि अन्य चुने हुये जिलों में इसका क्षेत्रफल पिछले वर्षों के बराबर ही रहा है गन्ने के उत्पादन में इलाहाबाद में -39% तथा झांसी जिले में -28.57 प्रतिशत की कमी आयी है जबकि इनका क्षेत्रफल में वृद्धि हुयी है एटा जिले में 53.97 तथा रायबरेली में इसके उत्पादन में 9.25 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है आलू के क्षेत्रफल में रायबरेली, इलाहाबाद तथा झांसी जिले में क्रमशः 33.33%, 16.66% और... की वृद्धि हुयी है तथा इसके

उत्पादन में एटा, इलाहाबाद, झांसी, रायबरेली और चमोली जिले में भारी वृद्धि हुयी है यह वृद्धि क्रमशः 72.34, 71.04, 80,76.92, 42.85 प्रतिशत की हुयी है

भारत में 1965-66 के पश्चात कृषि उत्पादन और उत्पादकता के आकड़े महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत करते हैं निःसन्देह कृषि विकास के कारण विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में आत्मविश्वास की भावना आयी है मानसून की अस्थिरता के कारण यद्यपि उत्पादन वृद्धि की प्रवृत्ति बाधित होती रही है, तथापि उत्पादन वृद्धि के उच्च स्तर प्राप्त किये जा सके हैं कृषि उत्पादन और उत्पादिता में वृद्धि के लिये विभिन्न क्रान्ति को आगत क्रान्ति भी कहा जाता है इन गैर परम्परागत कृषि आगतों में अधिक उपजाऊ किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक,सिंचाई, पौध संरक्षण और यान्त्रीकरण सम्मिलित हैं

कृषि उत्पादन वृद्धि के लिये नवीन प्रविधियों के अन्तर्गत उत्पन्न महत्वपूर्ण तत्व अधिक उपज देने वाले चमत्कारी बीजों का समावेश् रहा है 1665-66 की खरीफ फसल से इन चमत्कारी बीजों का प्रयोग आरम्भ किया गया धान की ताई चुंगनेटिव-1 और गेहूं की लेरमा रोजो किस्मों से कृषि क्षेत्र में चमत्कारी बीजों का प्रयोग आरम्भ किया गया इसके बाद इस कड़ी में अनेक किस्में जुड़ती गयीं गेहूं, धान, ज्वार और मक्का की फसलों में उन बीजों का प्रचलन अधिक तीव्र गति से हुआ है कृषि विशेषज्ञों ने इन बीजो की विशेषतायें शोध के द्वारा प्रस्तुत की हैं इन बीजों से अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिये भारती किस्म के होते हैं अर्थात इनसे उगने वाले पौधों की लम्बाई अपेक्षाकृत कम होती है इनके पक कर तैयार होने में भी अपेक्षाकृत कम समय लगता है इस प्रकार के उक्त बीजों का प्रयोग उन स्थानों पर अधिक सफलतापूर्वक होता है जहां सिंचाई और उर्वरक सुचारू रूप से उपलब्ध होते हैं यह फसल धूप और जैवक्रियाओं के प्रति असंवेदनशील होती है इन बीजों में विभिन्न पोषक तत्वों का उपयोग कर सकने की क्षमता होती है इनसे पृथक परम्परागात बीजों की उर्वरक उपभोग क्षमता अत्यन्त कम थी पौधे का आकार बड़ा होने के कारण अधिकांश पोषक तत्व पौधे के विकास में ही लग जाते थे और आना उत्पादन में वृद्धि नहीं होती थी जैवकीय अभियान्त्रिकी की नवीन खोज चमत्कारी बीजों में कृषि अर्थव्यवस्था में नवीन चेतना उत्पन्न कर दी है कृषीय उत्पादन बढ़ाने के लिये उन्नत किस्म के बीजों का उत्पादन और वितरण अति आवश्यक है उन्नत किस्म के बीजों के महत्व को समझते हुये सरकार की तरफ से प्रमाणित बीजों के वितरण के समुचित प्रयास किये गये हैं प्रमाणित

- 1979-80
- 1985-86
- 1988-89
0.89
5.6
0.54
6.5
0.19
0.8
3.05
6.08
6.67
0.06
2.0
2.96
4.99
5.84
0.21
0.5
1.35
1.80
2.19
धान
गेहूँ
ज्वार
बाजरा
मक्का

बीज नेशनल सीड्स कारपोरेशन, स्टेट फामर्स कारपोरेशन आफ इण्डिया और स्टेट सीड्स कारपोरेशन की ओर से वितरित किये जाते हैं छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में कुल56 मिलियनहेक्टेयर क्षेत्रउन्नतकिस्म के बीजों के अन्तर्गत था सातवीं पंचवर्षीय योजना में70 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र उन्न किस्म के बीजों के अन्तर्गत लाने का लक्षय था

तालिका नं. 3.11

उन्नत किस्म के बीजों के अन्तर्गत क्षेत्र (मिलियन हेक्टेअय)

फसल	1966-67	1970-71	1979-80	1985-86	1988-89
धान	0.89	5.6	15.99	23.47	27.20
			(40.6)	(57.0)	(65.6)
गेहूं	0.54	65	15.03	19.08	20.67
			(67.6)	(83.0)	(85.4)
ज्वार	0.19	0.8	3.05	6.08	667
			(19.3)	(37.8)	(44.9)
बाजरा	0.06	2.0	2.96	4.99	5.84
			(28.0)	(46.8)	(48.5)
मक्का	0.21	0.5	1.35	1.80	2.19
			(23.7)	(31.0)	(34.9)
योग	1.89	15.4	38.38	55.42	62.57

स्रोत इकोनोमिक सर्वे 1990

ब्रेकेट में आकड़े के कुल क्षेत्र के उन्नत किस्म के बीजों के क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं

उगर्युक्त तालिका से अधिक उपज देने वाली फसलों के अधीन क्षेत्र की बुद्धिमान प्रवृत्ति प्रतीत होती है

1966-67 मे केवल 1.39 मिलियन हेक्टयर क्षेत्र पर अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रसार था 1980.81 में यह बढ़कर 43 मिलियन हेक्टर हो गया उन्नत किस्म के बीजों के अन्तर्गत गेहूं का विशेष स्थान है जबकि चावल के क्षेत्र से अधिक है उन्नत किस्म के बीजों के अन्तर्गत 1984-85 में गेहूं का क्षेत्र 81 प्रतिशत और 1988-89 में 85 प्रतिशत था चावल के अन्तर्गत गेहूं से कम है इसी अवधि में चावल के अन्तर्गत उन्नत किस्म के बीजों का हिस्सा 55-65 प्रतिशतथा इस प्रकार घटिया किस्म के बीज फसलों में 31.48 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं चावल की उत्पादकता बढ़ाने के लिये उन्नत किस्म के बीजों के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाने के प्रयास किये जा रहे है

प्रमाणित बीजों का विवरण 1980-81 के 25 लाख कुन्तल से बढ़कर 1988-89 में लगभग 5.7 कुन्तल का हुआ है प्रमाणित बीजों का वितरण वर्ष दर वर्ष उतार-चढ़ाव वाला रहा है इसके विशेषरूप से निम्न कारण रहे हैं

(1)फसलों की विभिन्नता के कारण मांग में परिवर्तन (2) कृषि क्षेत्र से एक फसल से दूसरी फसल की ओर झुकाव जैसे महगें बीज वाली मूंगफली से सस्ते बीज वाली सरसों की ओर (3) कम सिंचाई वाली फसलों का चुनाव प्रमाणित बीजों का वितरण निम्न तालिका में देखा जा सकता है

तालिका नं. 3.12 (उन्नत बीजों का वितरण)

वर्ष	वितरण लाख कुन्तल में	पिछले वर्ष की अपेक्षा वृद्धि का प्रतिशत
1980-81	25.01	-
1081-82	29.81	19.2
1982-83	42.06	41.1
1983-84	44.97	6.9
1984-85	48.46	7.8
1985-86	55.01	13.5
1986-87	55.83	1.5
1987 88	56.30	0.8
1988-89	56.80	0.9

स्रोत इकोनोमिक सर्वे 1990

तालिका से स्पष्ट है कि प्रमाणित बजों का वितरण असमान गति से बढ़ा है प्रारम्भिक वर्षों में इसके

वितरण मे पूर्व वर्षों की तुलना मे गति आयी है बाद के वर्षों में इसके वितरण में पूर्व की अपेक्षा कम वृद्धि हुयी है

दुर्घटनाओ (जैसे बीमारी, सूखा, बाढ़ आदि) सम्भावना को देखते हुए इन बीजो के वफल स्टाक बनाये गये है केन्द्रीय नीति के अन्तर्गत वफर स्टाक बनाने में केन्द्र तथा राज्य 50.50 का अनुपात है इसके अन्तर्गत धातु, दाल, तिलहन, बाजरा और ज्वार, मक्का के बीज रखे गये हैं इन बीजों के वितरण और बढ़ावा देने के लिये विश्व की सहायता से सरकार ने राष्ट्रीय वीज निगम का गठन किया है इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को सही कीमत मे समय पर उन्नत बीज देना है

इस योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं- (1) संस्था को बढ़ाना (2) बीजों का उत्पादन और रख-रखावकरना (3) किसानों का विकास करना (4) संकर किस्म के बीजों पर शोध करना

बीज विकास की नयी योजना एक अक्टूबर 1988 से लागू है इसके उद्देश्यों में किसानों को उन्नत बीज देना जिससे वे अपने उत्पादन और औसत उपज में वृद्धि कर अपनी आय को बढ़ा सकें नयी नीति के परिणाम स्वरूप विशेष रूप से तिहन और सब्जियों के बीजों के आयात में वृद्धि हुयी है इस नयी नीति के कारण बीजों के आयात में सुविधा प्रदान की गयी है जिससे उनके प्रयोग से भारतीय किसान अपनी आर्थिक स्थिति में उन्नति कर सकें

आधुनिक युग में गहन खेती होने के कारण विभिन्न जैविक खादें फसलों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने मे समर्थ नही होती है पौधे के 17 ऐसे भोज तत्व है जिन्हें पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं जैविक खादें इन तत्वों को विशेषकर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश को पूर्णतया प्रदान करने में समर्थ नहीं हैं

जैविक खादें प्रतिवर्ष फसल के कारण भूमि से ह्रास होने वाले उर्वरक तत्वोंको पूरा नहीं कर पाती है दूसरी ओर पशुओं की खादों अथवा जैविक खादों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का अनुकूलतम मिश्रण नही होता है भूमि की उर्वरता को कायम रखने के लिये यह आवश्यक है कि समय-समय पर इन तत्वों की कमी को पूरा किया जाय अर्थात भूमि की उर्वरता तभी कायम रह सकती है जबकि ह्रास होने वाले सभी तत्वों की कमी पूरी की जाय, इसीलिये इस कमी को पूरा करने के लिये अजैविक अथवा रासायनिक खादों की पूर्ति की जाय रासायनिक उर्वरक भूमि के पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं और कृषि उत्पादन में भारी एवम् तेज वृद्धि लाने तथा भूमि की उत्पादन शक्ति को नष्ट होने से बचाने के लिये महत्वपूर्ण कार्य करते हैं

भारत में यद्यपि नियोजन के आरम्भ से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ने लगा था परन्तु हरित क्रान्ति के आरम्भ से रासायनिक उर्वरको के प्रयोग में अत्यन्त तेजी से वृद्धि हुयी है 1952-53 में रासायनिक उर्वरकों के कुल प्रयोग 0.6 लाख टन था जो 1966-67 में बढ़कर 12.4 लाख टन हो गया इसके पश्चात् रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अत्यन्त तीव्र दर से बढ़ा रासायनिक उर्वरकों की कुल खपत 1984-85 में बढ़कर 8 मिलियन टन हो गयी प्रति हेक्टयर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी बहुत तेजी से बढ़ा है हरित क्रान्ति के आरम्भिक वर्षों में कृषकों को रासायनिक उर्वरकों के प्रयोगके प्रति सहमत करना पड़ता था, परन्तु अब स्थिति यह है कि कृषक स्वयं ही रासायनिक उर्वरकों के अधिक से अधिक प्रयोग को तत्पर है कृषकों के दृष्टिकोण का यह परिवर्तन कृषि विकास के लिये अत्यन्त सहायक है

उर्वरकों का प्रयोग (मिलियन टन में)
रसायनिक उर्वरक (मिलियन टन में)
0.2
1.49
2.15
3.68
7.25
5.66
0.1
0.46
0.46
1.21
2.00
2.72
0.23
0.28
0.63
0.81
1.22
0.3
1.3
2.18
2.89
5.52
8.47
N
P
K
(N+P+K)

तालिका नं. 3.13. (रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग मिलियन टन में)

वर्ष	नत्रजनिक	फास्फेटिक	पोटासिक	योग
1960-61	0.2	0.1	-	0.3
1966-67	-	-	-	1.3
1970-71	1.49	0.46	0.23	2.18
1975-76	2.15	0.46	0.28	2.89
1980-81	3.68	1.21	0.63	5.52
1985-86	5.66	2.00	0.81	8.47
1988-89	7.25	2.72	1.07	11.04
1989-90	7.90	3.31	1.22	12.43

स्रोत इकोनोमिक सर्वे 1990

तालिका से स्पष्ट है कि उर्वरकों की खपत अच्छी सिंचाई सुविधा और उन्नत बीजों के प्रयोग के कारण 1966-67 के 1.3 मिलियन टन से बढ़कर 1989-90 में 12.43 मिलियन टन तक बढ़गयी है जोकि 1988-89 की खपत से 12.70 प्रतिशत अधिक है सातवीं पंचव र्षीय योजना के प्रथम तीन व र्षो में मानूसू की अनियमितता और 1987-88 के सूखे के कारण उर्वरकों की खपत का लक्षय पूरा नही किया जा सका परन्तु योजना के अन्तिम दो व र्षो में मानसू न अच्छा रहा जिससे उर्वरकों को भी खपत में बढ़ोत्तरी हुयी और

उर्वरकों के प्रयोग का लक्षय 19899-90 में 12.00 मिलियन टन से बढ़कर 12.43 मिलियन टन हो गया। अधिक उपज देने वाली बीजों तथा जल प्रबन्ध एवं उर्वरकों के सन्तलित उपयोग के कारण उत्पादन में काफी वृद्धि होती है परन्तु विदेशी किस्मों की पौध में विकास के दौरान तथा बुवाई के बाद विभिन्न प्रकार के सूक्षम वनस्पतियों, कीटों तथा रोगों से हानि होने की सम्भावना काफी रहती है इसलिये आधुनिक निविसियों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि उन नाशक जीवों तथा रोगों पर नियंत्रण किया जाय जो फसलों को क्षति पहुंचाते है नाशक जीव तथा रोग पौधों को कमजोर बना देते हैं जिसके कारण प्राप्त फसल गुण, मात्रा तथा फल की दृष्टि से निकृसर होती है कीड़े, पौधे-रोग तथा घास-पात भारत में वार्षिक अन्न उत्पादन का एक भाग नष्ट कर देते है इसीलिये फसलों को कीड़ों तथा रोगों से बचाना अत्यन्त आवश्यक होता है और पौध संरक्षण उपाय उपज बढ़ाने में वास्तुविकरूप से सहायक सिद्ध होते हैं खरपतवार तथा शाक विनाश से फसलों को अधिक पोषक तत्व तथा अधिक जल की प्राप्ति होती है जिसके फलस्वरूप उपज में भी वृद्धि होती है और कृषक पूर्ण रूप से लाभान्वित होता है इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पौध संरक्षण उपायों को अपनाये बिना कृषि उत्पादन में वृद्धि को सम्भावनाअत्यन्त क्षीण हो जाती है

भारत में नियोजन के आरम्भ के पूर्व कीटनाशकों का प्रयोग लगभग नगण्य था प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ के समय भारत में केवल 100 टन कीटनाशकों का प्रयोग होता था नियोजन काल में कीटनाशकों के प्रयोग में वृद्धि हुयी है नियोजन के पूर्व तो प्रभावित खेतों की फसल को काटकर और कभी कभी जलाकर अन्य खेतों की बीमारियों से बचाया जाता था परन्तु नियोजन काल में रासायनिक कीटनाशक दवाइयां का प्रचलन बढ़ा है और कृषक इसके लिए तत्पर हुये हैं हरित क्रान्ति के आरम्भ के बाद कीटनाशकों का अधिक प्रयोग होने लगा है वर्ष 180-81 में 60 हजार टन कीटनाशकों का प्रयोग हुआ

था 1951-52 और 1980-81 के इन आकड़ों से कीटनाशकों के प्रयोग में अत्यन्त वृद्धि की स्थिति स्पष्ट है परन्तु फसलो मे बढ़ती बीमारियो के परिप्रेक्षय में अभी इस दिशा में और अधिक प्रयास आवश्यक है

1976-77 मे किये गये एक अध्ययन से पता चलता है कि वर्ष 1976-77 में देश में बोये गये कुल क्षेत्र का कुल 19.8 प्रतिशत भाग विभिन्न बीमारियों से प्रभावित था जबकि कीटनाशक दवाइयों से उपचारित क्षेत्र केवल 7.2 प्रतिशत ही था कपास, धान, गन्ना, मूं गफली, तिलहन और दलहन की फसलों में बीमारियों के कारण अधिक क्षति होती है यदि फसल बीमारियों के कारण होने वाली क्षति का न्यूनतम अनुमान समग्र कृ षि उत्पादन का10 से 15 प्रतिशत तक भी लगाया जाय तो यह स्पष्ट है कि प्रत्येक व र्ष भारत में करोड़ों रूपये के अनाज की क्षति होती है भारत में अधिक व र्षा वाले पू र्वी क्षेत्रों में फसल बीमारियों का अधिकर प्रकोप होता है पसल बीमारियों को ध्यान में रखते हुए सातवीं पंचव र्षीययोजना के अंत 1989-90 तक 75 हजार टन कीटनाशकों की खपत हुयी है

प्रकृति प्रदत्त संसाधनों में जल अत्यन्त विशिष्ट संसाधन है, क्योंकि यह समस्त जीव और वनस्पति जगत के अस्तित्व का आधार है समाज की समस्त आर्थिक क्रयायें किसी न किसी रूपमं जलआपूर्तिकी अपेक्षा करती है लेकिन कृषि के क्षेत्र मे इसका विशेष महत्व है क्योंकि कृषिकार्य पूर्णतः जल आपूर्तिपर निर्भर है यह वर्षा से प्राप्त हो, या नदियों से अथवा भूमिगत स्रोतों से कृषिउत्पादिताकेआधारभूतनिर्णायकों मे से जल की सामयिक और प्रयाप्त उपलब्धि से पौधे का विकास अनुकूलतम गति से होता है इसी कारण यह कहा जाता है कि जल ही जीवन है कृषि प्रधान अर्थ व्यवस्था में तो फसलोंके विकास के लिये जल का प्रयोग अत्यन्त आवश्यक है सिचाई से आशय मानवीय अभिकरण के माध्यम से विभिन्न फसलों और

पशुओं के चारे की उपज बढ़ाने का उद्देश्य से लेकर जल के प्रयोग से है कुछ अन्य निर्माण कार्यों में सिचाई कार्यक्रम का निश्चय मुख्यरूप से सिचाई के लिये रखे गये जल द्वारा होता है

जल ससाधन स्वयं सुरक्षात्मक और उत्पादक भूमिका निभाने तथा अन्य कृषि निवेशो, यथा बीज, उर्वरक, दवाइयां आदि के प्रयोग और उनके अनुकूलतम स्तर तक निष्पादन हेतु आधारिक पूर्व अपेक्षा होने के कारण भूमि की उत्पादिता हेतु सिचाई एक उत्प्रेरक अभिकर्ता का रूप धारण कर लेती है सिचाई से भूमि के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणधर्म में परिवर्तन हो जाता है भूमि सतह पर पानी का प्रयोग भूमि पर मिट्टी के गुणधर्म मे परिवर्तन ला देता है सिचाई से भूमि के आयतन में परिवर्तन होने लगता है जिससे भूमि सतह पर 'खाद मिट्टी' पहले की तुलना में 50 से 75 प्रतिशत तक अधिक हो जाती है शुष्क भूमि में मिट्टी के कण सघनता और कठोरता पूर्वक एक दूसरे से संग्रथित रहते हैं सिचाई के साथ-साथ मिट्टी के करण फैलने और अधिक स्थान पर आच्छादित होने लगते हैं मिट्टी कणों की इसी सह व्यवस्था और पुनव्यवस्था के कारण भूमि आयतन में परिवर्तन होता है जो पौधों को अधिक पौष्टिक तत्व भूमि से ग्रहण करने में सहायक होता है समुचित सिचाई उस अवस्था में अपरिहार्य हो जाती है जब वर्षा अनिश्चित, अपर्याप्त और सीमित समय अवधि मे ही केन्द्रित होती है ऐसी अवस्था में सिचाई की दोहरी भूमिका होती है

कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था और वर्षा की प्रकृति के परिप्रेक्षय में सिंचाई का भारतीय अर्थव्यवस्था में विशेष स्थान है कृषि विकास की अनिवार्य अपेक्षा के रूप में प्रत्येक योजना में सिचाई विकास के लिये भारी विनियोग किया गया परन्तु अधिक उपजाऊ किस्म के बीजों के प्रचलन के पश्चात सिचाई के प्रसार हेतु विशेष प्रयास किया गया भारत में 1950.51 में कुल स्थापित सिचन क्षमता 22.6 मिलियन हेक्टयर थी जो 1988-89 में 68.4 कर ली गयी यह अनुमान किया गया है कि समस्त स्रोतों से देश में 113.5 मिलियन

9.7
12.9
20.7
20.1
26.2
31.4
25.8
36.5
27.5
40.9
1950-51
1970-71
1975-76
1980-81
1985-86
1988-89

हेक्टयर सिंचन क्षमता ही सृजित की जा सकती है योजनकाल सिंचन क्षमता के प्रसार की प्रवृत्ति स्पष्ट है इसी प्रकार सिंचन क्षमता के उपयोग मे भी वृद्धि हुयी है वस्तुत: अधिक उपज देने वाली किस्मो में अधिक और अधिक बार पानी की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार सुनिश्चित सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रो मे हरित क्रान्ति की सफलता अधिक रही है

तालिका नं. 3.14 (सिंचन क्षमता मिलियन हेक्टयर)

मद	1950-51	1970-71	1975-76	1980-81	1985-86	1988-89
सिंचित क्षत	22.6	38	45.3	54.1	62.3	68.4
वृहद और मध्यम सिचाई	9.7	17.3	20.1	22.7	25.8	27.5
लघु सिचाई	12.9	20.7	25.2	31.4	36.5	40.9

स्रोत इकोनोमिक सर्वे 1990

प्रथम पंचवर्षीय योजना लगा होने के समय से सिंचाई क्षमता तीन गुने से भी अधिक हो गयी है 1950-51 मे कुल सिंचित क्षेत्र 26.6 मिलियन हेक्टयर से बढ़कर 1988-89 में 68.4 मिलियन हेक्टयर हो गया योजना काल मे शुद्ध कृषि क्षेत्र तथा कुल कृषित क्षेत्र मे वृद्धि हुयी जैसे भूमियां जो बंजर तथा कम उपजाऊ थी, सिचाई सुविधाओ मे प्रसार के कारण उन्हें लाभदायक फसलों के अन्तर्गत लाया गया इस प्रकिया के फलस्वरूप शुद्ध कृषित क्षेत्र 1950-51 में 118.8 मिलियन हेक्टयर से बढ़कर 1980-81 मे 140.3 मिलियन

हेक्टयर हो गया। सिचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण 1980-81 में कुल 173.3 मिलियन हेक्टयर क्षेत्र पर फसलें बोयी गयी

विभिन्न फसलो के अन्तर्गत भी सिचित क्षेत्रफल में वृद्धि हुयी है

तालिका नं. 3.15

विभिन्न फसलों के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र (मिलियन हेक्टयर)

फसल	1970-71	1976-77	1980-81	1985-86	1988-89
चावल	14.34	14.77	16.34	17.68	17.84
	(34.4)	(38.4)	(40.21)	(42.8)	(43.4)
ज्वार	.61	.80	.63	.71	.76
	(3.7)	(5.1)	(3.8)	(4.3)	(4.8)
बाजरा	.53	.53	.64	.55	.65
	(4.0)	(4.9)	(5.4)	(5.4)	(5.7)
मक्का	.93	1.06	1.20	1.10	1.23
	(15.9)	(17.7)	(19.7)	(17.6)	(20.8)
गेहूं	9.92	13.59	15.52	17.47	17.88
	(54.3)	(65.1)	(69.8)	(75.0)	(77.3)
कुलधान	28.09	32.45	35.59	38.51	39.32
	(27.6)	(32.0)	(33.8)	(36.5)	(37.8)
कुलदाल	2.03	1.77	2.02	2.11	2.29
	(8.8)	(7.5)	(8.9)	(8.1)	(9.8)
तिलहन	1.09	1.10	2.28	3.48	3.46
	(7.4)	(7.6)	(14.3)	(18.8)	(8.8)
गन्ना	1.87	2.39	2.29	2.52	2.59
	(72.4)	(77.2)	(80.8)	(873)	(82.1)

गन्ना	1985-86	4	5	-	4	-	1211
	1988-89	6	6	-	4	-	1888
आलू	1985-86	8	12	-	4	-	2853
	1988-89	8	14	-	5	-	3136

स्रोत कृषि भवन लखनऊ, उत्तर प्रदेश

तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश की फसलों के सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुयी है यहां देश की भांति गेहू के क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र मे अच्छी वृद्धि हुयी है परन्तु प्रदेश में रायबरेली और झांसी को छोड़कर एटा, इलाहाबाद और प्रदेश में चावल के सिंचित में भारी वृद्धि हुयी है इसी प्रकार दालो के सिंचित क्षेत्र में कमी हो रही है

उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सिचित क्षेत्र में भारी वृद्धि हुयी है

तालिका नं 3.17

उत्तर प्रदेश में शुद्ध कृषित क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत

वर्ष	पश्चिमी क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	बुन्देल खण्ड	पूर्वी क्षेत्र	पहाड़ी क्षेत्र	उ. प्र.
1960-61	34.5	21.7	15.9	35.5	10.7	30.1
1965-66	43.7	25.4	17.2	36.5	11.4	33.4
1968-69	51.2	28.0	20.2	37.9	16.8	38.0
1974-75	62.6	36.4	22.0	42.3	20.4	45.3
1978-79	68.0	43.0	24.5	48.3	25.5	50.4

1980-81	72.4	48.8	24.0	52.7	28.6	54.4
1985-86	73.6	48.1	21.0	54.1	29.1	55.4
1988-89	76.2	52.9	25.3	56.4	30.6	57.4

स्रोत- कृषि भवन लखनऊ उत्तर प्रदेश

तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र मे सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत में भारी वृद्धि हुयी है 1960-61 मे पश्चिमी क्षेत्र मे 34.5 प्रतिशत क्षेत्र सिचित था जो 1988-89 मे 76.2 प्रतिशत हो गया जो कि प्रदेश के प्रतिशत से अधिक है प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिचाई का कम प्रसार हुआ है वहां 1988-89 में केवल 25.3 प्रतिशत ही सिंचित क्षेत्र था केन्द्रीय क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र से अधिक सिंचित क्षेत्र है जो 1988-89 में क्रमशः 52.9 और 56.4 प्रतिशत है उ. प्र. में 1960-61 में 30.1 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित था जो 1988-89 में बढ़कर 57.4 प्रतिशत हो गया पहाड़ी क्षेत्र में भी सिचाई सुविधाओं का कम प्रसार हुआ है परन्तु यहां सिचित क्षेत्र बुन्देल खण्ड से अधिक है पहाड़ी क्षेत्र में 1960-61 में पहाड़ी क्षेत्र में 10.7 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र था तथा 1988-89 30.6 प्रतिशत हो गया

पंचवर्षीय योजनायें तथा कृषि विकास (प्रथम योजना 1951-56)

स्वाधीन भारत को विरासत के रूप में जीर्ण-शीर्ण अर्थ-व्यवस्था मिली थी, इसीलिये प्रथम योजना के आयोजकों ने इस जर्जर अर्थव्यवस्था को समाप्त करने का बीड़ा उठाया देश में विद्यमान खाद्यान्न संकट के समाधान हेतु तथा औद्योगिक कच्चे माल की प्राप्ति हेतु इस योजना के कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी प्रथम योजना का कुल योजना व्यय 1960 करोड़ रूपये था जिसमें कृषि पर 291 करोड़ रूपये तथा सिचाई

पर 340 करोड़ रूपये व्यय किये गये जो कुल योजना व्यय का 30.6 प्रतिशत था सिचाई सुविधाओं हेतु 160 लाख एकड़ बड़ी सिचाई तथा 100 लाख एकड़ भूमि लघु एवं मध्यम सिंचाई हेतु उपलब्ध कराई है रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नत्रजन युक्त व फास्फेट के रूप में 1950-51 में जहां 2.75 लाख टन व 43 हजार टन था 1955-56 में बढ़कर 6 लाख टन व 78 लाख टन हो गया परिणामत: 1950-51 की तुलना में 1955-56 में खाद्यान्न, तिलहन, गन्ना कपास व जूट में क्रमश: 26.0 प्रतिशत, 10 प्रतिशत 6.1 प्रतिशत, 38.8 प्रतिशत व 27.7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुयी कृषि उत्पादकता बढा हेतु सामुदायिक विकास येजना क्रियान्वित की गयी राज्यों में भू धारण की जागीदारी प्रणाली को समाप्त करने के कदम उठाये गये

द्वितीय योजना (1955-56 से 1960-61)- इस योजना का बुनियादी उद्देश्य अर्थव्यवस्था को औद्योगिक आधार प्रदान करना था इसीलिए इसमें कृषि की अपेक्षा उद्योग को अधिक प्राथमिकता प्रदान की गयी द्वितीय योजना में कुल व्यय 4,600 करोड़ रूपये किया गया जिसमें 530 करोड़ रूपये कृषि पर तथा 340 करोड़ रूपये सिंचाई पर व्यय किये गये अर्थात कृषि विकास पर कुल 870 करोड़ रूपये व्यय किये जो कुल व्यय का 21 प्रतिशत था

तृतीय योजना (1960-61 से 1965-66)- तृतीय योजना के दो बुनियादी लक्षय निर्धारित किये गये जिनमें एक था आत्मनिर्भरता और दूसरा आत्मस्फूर्ति अर्थव्यवस्था को प्राप्त करना, इसीलिये इस योजना में द्वितीय योजना की तुलना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गयी द्वितीय योजना की तुलना में कुल योजना परिव्यय

का 11.7 प्रतिशत था जो तृतीय में बढ़कर 12.7 प्रतिशत हुआ इस योजना में कुल योजन व्यय 8,577 करोड़ रूपये किया गया और कृषि व सिंचाई पर क्रमश:1089 करोड़ रूपये व 580 करोड़ रूपये व्यय किये गये जो कि योजना व्यय का 20.5 प्रतिशत था

वार्षिक योजनायें (1966-67 से 1968-69)- इन वार्षिक योजनाओं का मुख्य लक्षय खाद्यान्न संकट को समाप्त करना रखा गया इसीलिए कृषि विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान कीगयी इन तीनों योजनाओं का कुल योजना व्यय 6,626 करोड़ रूपये हुआ और कृषि व सिंचाई पर क्रमश:476 करोड़ रूपये व 471करोड़ रूपये व्यय किया गया, जो कुल व्यय का 24.1 प्रतिशत था तृतीय योजना की तुलना में इन योजनाओं का व्यय 2 प्रतिशत अधिक रहा लघु सिंचाई को भी प्राथमिकता दी गयी 1965-66 मेंलघु सिंचितक्षेत्र 70 लाख हेक्टेयर था जो 1968-69 में बढ़कर 190 लाख हेक्टयर हो गया 165-66 की तुलना में 1968-69 तुलना में खाद्यान्न, तिलहन, कपास व जूट के उत्पादन में क्रमश: लगभग 13.6-7, .6, .15 व .40 करोड़ टन की वृद्धि हुयी केवल गन्ने का उत्पादन नहीं बढ़ा इस प्रकार वार्षिक योजनायें कृषि विकास की दृष्टि से सन्तोषजनक रहीं

चौथी पंचवर्षीय योजना- इस योजना का लक्षय स्थिरता के साथ विकास तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था, इसीलिये एक ओर खाद्य कीमतों को स्थिर रखने का प्रयास किया गया तो दूसरी ओर कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु क्रांन्ति पर जोर दिया गया इस योजना का कुल व्यय 15,779 करोड़ रूपये था और कृषि पर2,320 करोड़रूपयेव सिंचाईपर13554 करोड़ रूपये व्यय किये गये सिंचाई के साधनों का विस्तार 3.75 लाख हेक्टयर भूमि से बढ़ा कर 455 लाख हेक्टयर भूमि रखा गया

पांचवी पंचवर्षीय योजना(1973- से 79)- इस योजना का मूल लक्षण गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भरता प्रदान करना था इस लक्षय को प्राप्त करने हेतु कृषि विकास से संबंधित वृहद मध्यम व लघु सिंचाई, उर्वकों, कीटनाशकों, अनुसंधान, विस्तार तथा नवीन तकनीक का प्रयोग किया गया कुल योजना व्यय 39420 करोड़ रुपये था जिसमें कृषि पर 4,805 करोड़ं रूपये का तथा सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण पर 3877 करोड़ रूपये व्यय किये गये, जो कुल योजना व्यय का 21 प्रतिशत है इसमें कृषि विकास की वार्षिक दर का लक्ष्य4.5 प्रतिशत रखा गया जिसे प्राप्त कर लिया गया चौथी योजना की तुलना में खाद्यान्न, तिहलन, गन्ना, कपास व जूट के उत्पादन में क्रमशः 20.7, 1.7, 24.9 व 18.9 प्रतिशत की वृद्धि हुयी

छठीं पंचवर्षीय योजना (1979-80 से 1984-85)- छठीं योजना में ऊर्जा विकास मूल लक्षय रखा गया इस योजना में कृषि विकास पर 26 प्रतिशत व्यय किया गया कुल योजना व्यय 26,130 करोड़ रूपये किया गया जिसमें कृषि विकास पर 15,201 करोड़ रूपये व्यय किया गया ग्रामीण निर्धनता के निवारण हेतु इस योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों, लघु व सीमांत कृषकों तथा अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्गों के लोगों की आर्थिक सहायता करना रखा गया इस योजना काल में सिंचाई क्षमता में 110 लाख हेक्टयर की वृद्धि हुयी 1979-80 के भारी सूखे के बावजूद कतिपय फसलों का उत्पादन लक्षय से बढ़ गया अधिक उपजाऊ किस्म के बीजों के अधीन क्षेत्रफल 560 लाख हेक्टयर पर हो गया

सातवीं योजना (1985-86 से 1990-91)- इस योजना में कृषि विकास सम्बन्धी सभी कार्यक्रमों पर 39,769 करोड़रूपये व्यय किये गये जो कुल योजना व्यय का 22% प्रतिशत था सातवीं योजना में यह

कल्पना की गयी थी कि कृशि में उत्पादन का महत्पूर्ण भाग लघु व सीमान्त किसानों तथा वाले शु ष्क क्षेत्रों से प्राप्त किया जायेगा और िसचाई सुविधाओं के विस्तार को सर्वोच्च महत्व दिया गया

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1991-92 से 195-96)- आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास सम्बन्धी प्रमुख लक्षय जनसंख्या की मागों को पूरा करने के लिये, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना कृषकों की आय में बृद्धि करना तथा कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाना रखा गया है कृषि उत्पादकता में क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लक्षय में शामिल है इस योजना में कृषि कार्यक्रमों पर कुल व्यय 1,48,800 करोड़ रूपये का व्यय प्रस्तावित किया गया है केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित कृशिनीति प्रस्तावों के सशोंधित मसौदे में इस बात को दोहराया गया है कि भारत के नियोजित सामाजिक- आर्थिक विकास की सभी कार्य नीतियों का केन्द्र अपनी सम्पूर्णता में कृषि विकास ही है मसौदे में देश के सामनेकृषि क्षेत्र में17 चुनौतियों को स्वीकारा है

भारत के सुनियोजित सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए व्यापक अर्थों में कृषि का विकास के लिए व्यापक अर्थों में कृषि का विकाससभी कार्य नीतियों का केन्द्र बिन्दु है कृषि राज्यों का विषय होने के कारण राज्य सरकारें इस पर पूरा ध्यान देती रहेंगी और केन्द्र की भूमिका कृषि के विकास तथा क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए इसमें राज्यों के प्रयासों को पूरा करने की होगी

विगत चार दशाको में कृषि उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है किन्तु इसके साथ ही क्षेत्रों और फसलों के अनुसंधान और उत्पादन दोनों में असमान विकास हुआ है अतः इस नीति का उद्देश्य बागवानी, पशुधन मात्स्यिकी और रेशम कीट पालन सहित कृषि की आर्थिक व्यावहार्यता औरसमग्र विकास की गति तेज

करना है बुनियादी ढाँचे के विकास में सार्वजनिक निवेश प्राप्त करके और निजी निवेश पर अत्यधिक बल देकर नई गतिशीलता प्रदान करना इसका लक्षय होगा फार्मिंग को आवश्यक सहायता, प्रोत्साहन और बढ़ावा दिया जायेगा ताकि ग्रामीण लोग इस नेक व्यवसाय को चन्द्रमुखी विकास, कल्याण और आशा के रूप में देखे

आज भारतीय कृषि के सामने कुछ प्रमुख चुनौतियां है जिन्हे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है-

बढ़ती हुई आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करे के लिए कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना

उन क्षेत्रों का विकास करना जिनकी क्षमता का दोहन नहीं किया जा सकता है ताकि पूर्वी,पर्वतीय वर्षा सिंचित क्षेत्रों तथा सूखा प्रवण क्षेत्रों में असुन्तलन को दूर किया जा सके

भूमि पर बढ़ते हुए जैविक दबाव के कारण होने वाले परिस्थितियां असंतुलन और घटते हुए भूमि तथा जल संसाधनों के निम्नीकरण की चुनौतियों का सामना करना

भूमि जोतों में आकार को छोटा होना या खंडित होना जिसके कारण प्रबन्ध विकल्प सीमित हो गए है तथा आय स्तर गिर गया है

कृषि का विविधीकरण करके और बागवानी,मात्स्यिकी, डेयरी, पशुधन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन आदि को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में न्यून रोजगारी, बेरोजगारी और कुपोषण की समस्याओं का हल करन

परिसंस्करण, विपणन और भंडारण सुविधाओं मे वृद्धि करने पर लगातार जोर देने से ही कृषि मे अधिक मूल्य के पदार्थों को बनाना होगा यह कृषि परिसस्करण उद्योगो के लिए अनिवार्य है जो कृषि विकास के प्रमुख क्षेत्र हैं

ऋण, अदान व विस्तार सहायता विपणन व प्रसंस्करण की अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहकारी संस्थाओं को लोकतांत्रिक और पुनः गतिशील बनाना

वर्षा सिंचित, असिंचित तथा सूखा प्रवण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से व्यवसाय और स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए कृषि अनुसंधान पद्धति पर ध्यान देना और उन्नत कृषि तकनीकी में किसानों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए संस्थागत तन्त्र को मजबूर बनाया

कृषि समुदाय के सभी तबकों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रमुख क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ उठाना

फार्म पर काम करने वाली महिलाओं, आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले व ग्राम्य समाज के अन्य कमजोर तबको के जीवन की चाकरी और बोझ को दूर करने के लिए तथा उनकी आय मे वृद्धि करने हेतु प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण व आदान संबंधी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना

निर्यात व घरेलू मंडी दोनों के लिए प्रसंस्करण व विपणन की पूरी सहायता सहित वर्षा सिंचित व सिंचित बागवानी, पुष्प कृषि संगठित व औद्यीय बागवानी फसलें का विकास तेज करना

कृशि व कृषि वानिकी के माध्यम से सीमान्त भूमि के प्रभावी उपयोग को प्रोत्साहन देना व जैविक उत्पादन में वृद्धि करना

सिंचाई क्षमता के उपयोग में वृद्धि करना और जल संरक्षण और इसमें कुशल प्रबन्ध में वृद्धि करना

किसानों को उनके गांवों में या उनके निकट उन्नति किस्मके बीज, कृषि उपकरण तथा मशीनरी और अन्य महत्वपूर्ण आदान सुलभ कराना

विकेन्द्रित नियोजन के तर्कसंगत साधनों के रूप में किसान समुदाय के स्थानीय संस्थाओं को स्थानीय समुदाय के पूर्ण सहयोग से फिर से चालू करना और उन्हें मजबूत बनाना

कृषि विकास और ग्रामीण सुधार कार्यक्रमों में गैर सरकारी संगठनो की सहभागिगता में वृद्धि करना

व्यापार की स्थितियां ठीक करना ताकि वे कृषि के अनुकूल हो जाये और इस तरह संसाधन प्रवाह तथा कृषि में पूँजी सृजन की गति को बहुत अधिक बढ़ाना

कृषि विकास तथा अनुसंधान कार्यक्रमों को इन चुनौतियों से सम्बद्ध किया जायेगा एक समृद्ध और संपोषित कृषि अर्थव्यवस्था के लिये नीति को एक नई दिशा देनी होगी कृषि में पूंजी स्रजन में बाधक प्रवृत्ति खत्म की जायेगीं कृषि क्षेत्र में संसाधन आंवटन प्रणाली की समीक्षा की जयेगी ताकि उपलब्ध संसाधनों को वर्तमान सहायक उपायों के स्थान पर पूंजी स्रजन और वुनियादी तंत्र के सृजन के लिये इस्तेमाल किया जा सके अनुकूल कीमतों और व्यापार प्रणाली के द्वारा किसानों के अपने निवेशों और प्रयासों में वृद्धि करने के लिये आर्थिक माहौल उत्पन्न किया जायेगा

कृषि विकास और ग्रामीण विकास के लिए सहायक वुनियादी ढांचे के तीव्र विकास के लिये सार्वजनिक निवेशमें वृद्धि की जायेगी अनुसंधान, वुनियादी ढांचे के विकास तथापरिसंस्करणइत्यादि क्षेत्रों केप्रथमिकता दी जायगी विशेष रूप से जल संसाधनों के संरक्षण के लिए कृषि में प्लास्टिक का प्रयोग करने जैसे नयी पहल पर जोर दिया जायेगा। सचाई और अन्य कृषि कार्यों के लिए उनके वैकल्पिक और पुनः निर्वचनीय स्रोतों को प्रयोग आने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा बुनियादी ढांचे से सम्बन्धित निवेश में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने और स्थिति योग्य अधिक कीमत के अतिरिक्तपदार्थ निर्मितकरनेपर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा

अनेक वर्षों के परिश्रम से निर्मित ऋण तन्त्र ने कृषि विकास के मूलभूत सहायता प्रदान की है इस क्षेत्रमें ऋणप्रवाह में वृद्धि सुनिश्चित करना कृषि विकास एवं एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगी आर्थिक रूपसेव्यवहार्य कार्यकलापों में संलग्न व्यवसायिक रूप से प्रंवधित तथा लोकतन्त्रात्मक ढांचे पर चलने वाली सरकारी संस्थाओं के समसस्त प्रयासों को सरकार पूरा सहयोग देगी लोकतन्त्रात्मक प्रक्रिया के सुदृढ़ बनाने के लिए सरकारी कानूनों में संशोधन किया जायेगा तथा सरकारी आन्दोलन को राजनीति नियंत्रण से मुक्त किया जाएगा वैसे जिन क्षेत्रां में यह आन्दोलन कमजोर है अथवा जहां इसने अभी जड़े नहीं जमाई है वहां स्थित सरकारी समितियों को सरकार अब वित्तीय तथा विस्तार सहायता जारी रखी जायेगी

देश के विभिन्न क्षेत्रों, तथा विदेशों में कृषि उत्पादों के विपणन में सुधार के साथ कटाई पश्चात थी

प्रौद्योगिकी के विकासपर पर्याप्त बन दिया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए वहाँ कृषि प्रंसस्करण इकाइयां खोली जायेगीं कृषि उत्पाद के प्रभावी उपयोग तथा अधिक मूल्य वाले पदार्थों का निर्माण करने वाली सुविधाओं का सृजन उत्पादन स्थल के निकट करने पर जोर दिया जाएगा ताक उत्पादक को अधिक मूल्य दिलाना सुनिश्चित हो सके

खासतौर से वर्षा सिंचित क्षेत्रों में फसल नष्ट होना तथा उत्पादन स्तर की अस्थिरता से उत्पन्न जोखिमों का सामना करने में किसानों की असमर्थता के परिणामस्वरूप अक्सर कृषि में निवेश कम होता है इस प्रयोजन के लिए ऋण उपलब्धि की व्यवस्था तथा वृहत फसल तथा पशुधन बीमा योजना को फिर से तैयार किया जाएगा जिसमें कृषकों को वर्षा न होने तथा प्राकृतिक आपदायें आने से उत्पन्न होने वाली वित्तीय कठिनाइयों से राहत दिलाने का प्रावधान अन्तर्निहित होगी। कृषक समुदाय को लाभकारी मूल्य दिलाना सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में सरकार अपने दायित्व का निर्वाह करती रहेगी उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार मूल्य तन्त्र व्यापारिक पद्धति की लगातार समीक्षा करती रहेगी ताकिएकअनुकूलआर्थिक वातावरण बनाना सुनिश्चित हो सके इस क्षेत्र में अधिक पूंजी सृजन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी

आदानों के आयात की हमारी कम जरूरतों, हमारी उचित श्रम लागत तथा हमारी विविध कृषि जलवायु स्थितियों के कारण भारत के पास कृषि निर्यात का एक प्राकृतिक तुलनात्मक लाभ है फलों सब्जियों, मुर्गी तथा पशुधन उत्पादों के निर्यात पर विशेष जोर देकर इस लाभ को अधिकतम बनाकर कृषि निर्यात में आगे

अंश में भारी वृद्धि की जानी है उपर्युक्त की प्राप्ति हेतु कृषि उत्पादन केविस्तार और विविधीकरण की एक दीर्घावधि नीति बनानी होगी जो किसानों को उचित अंश देने के लिए हमारे समग्र उद्देश्यों के अनुकूल होगी

सरकार कृषि के लिए उद्योग के समान एक सृजनात्मक व्यापार और निवेश का वातावरण सृजित बनाने की कोशिश करेगी सरकारी नीति का उद्देश्य कृषि के लिए उसी तरह के लाभ सुलभ कराने के लिए प्रभावी पद्धतियाँ विकसित करना होगा जैसे उद्योगों के लिए सुलभ है लेकिन यह सुनिश्चित करने की ओर ध्यान दिया जाएगा कि कृषकों को सरकार के विनियमन और कर एकत्रकरनेके तन्त्र का सामना न करना पड़े साथ ही किसानों को निर्धारित नगर निगम सीमाओं के अनिवार्य कृषि अधिप्राप्ति पर पूँजीगत लाभ के भुगतान से मुक्त रखा जाएगा

भारतीय कृषि पूर्णतया छोटे और सीमान्त किसानों के प्रयासों पर निर्भर करती है भूमि सुधारों के मामलों में इस प्रकार कार्रवाई की जाएगी कि उनकी शक्ति के अधिक उत्पादन की प्राप्ति हेतु इस्तेमाल किया जा सके

सरकार देश की भूमि की क्वालिटी को अधिकतम महत्व देती है, तथा निम्नीकृत भूमि को फिर ठीक करने की उच्चतम प्राथमिकता दी जाएगी भूमि को उसकी क्वालिटी और क्षमता के अनुसार विकसित किया जाएगा, ताकि हमारी बढ़ती हुई आबादी की जरूरतें पूरी की जा सकें देश के विशाल वर्षा सिंचित क्षेत्रों को विकसित करने के लिए पनधारा प्रबंधन के माध्यम से वानस्पतिक संरक्षक उपायों द्वारा वर्षा के पानी के

संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि भू मिहीन कृ षि मजदू रों तथा छोटे और बहुत छोटे किसानों को स्वतः विनियमित लाभासुं भोगी वर्गो की मदद से समेलित विकास किया जा सके

भारत सरकार को विश्वास है कि कृषि नीति संबंधी इस वकतव्य को लोगों के सभी वर्गों का समर्थन मिलेगा तथा उससे कृ षि के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा जिसके परिणम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आय का सृजन होगा इससे गांवों के जीवन स्तर में सुधार होगा, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सेवाओं के मामले के अन्तर को दू र किया जा सकेगा तथा आत्मनिर्भरता के आधार पर लाभप्रद रोजगार के अवसरों का सृजन होगा

तालिका नं. 3.18

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कृषि उत्पादकता एवं व्यय की गई राशि (करोड़ टन/गाठे करोड़ रूपये)

योजना	खाद्यान्न	तिलहन	गन्ना	कपास	जूट	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र पर विकास		राष्ट्रीय आय में योगदान
						कृषि पर व्यय	सिंचाई पर व्यय	
पहली योजना	69.34	5.50	7.43	4.22	4.47	291	310	561
दू सरी योजना	82.33	6.86	11.41	5.55	4.14	530	340	53.9
तीसरी योजना	72.33	6.40	12.77	4.85	4.48	1089	580	-
वार्षिक योजना	86.00	7.00	11.00	5.00	4.90	976	471	47.4

चौथी योजना	104.70	8.85	14.40	6.30	6.20	2320	1354	-
पांचवी योजना	126.41	9.00	17.96	7.24	7.17	4805	3877	406
छठी योजना	155.20	12.80	17.70	6.58	7.40	1500	-	35.4
सातवी योजना	170.60	16.80	22.26	11.40	8.40	30769	-	30.5
आठवीं योजना संभावितलक्षय	210.00	23.00	27.5	14.60	9.50	148800	-	30.25

इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं और विभिन्न नीतियों के द्वारा कृषि के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया गया है पिछले व र्षो को देखते हुए कृ षि के उत्पादन में काफी बढ़ोत्तरी हुयी है इसके साथ ही भारतीय कृ षकों की खेती करने की दिशा में भी परिवर्तन हुआ है अब वह परम्परागत तरीकों को छोड़कर कृ षि के नये तरीकों को अपना रहा है इससे कृ षि के क्षेत्र में नयी आशा जगी है

ग्रामीण विकास के लिये केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की भूमिका

भारत मे पंच वर्षीय योजनाओं का मुख्य लक्षय अर्थव्यवस्था में वितरणात्मक माप के साथ सामाजिक ओर आर्थिक विकास के उच्चतर प्रतिमानों को प्राप्त करना रहा है गरीबी विछड़ापन ओर वेरोजगारी की समस्याओं का निदान योजनाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है आर्थिक नीति की सफलता ओर सार्थकता इसी बात से सिद्ध होती है वह गरीब वेरोजगार एवं कमजोर वर्ग के लोगों के हितदान करे अत: कमजोर लोगा के हितदान के लिये नियोजन के ही ढ़ाचे में जुताई 1975 को 20 सूत्री कार्यकम के नाम पर एक विशाल कार्यक्रम चलाया गया इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम में 14 जनवरी 1982 में कुछ संशोधन किया गया पुन: 20 अगस्त, 1986 को कुछ संशोधन सहित नवीन 10 सूत्री कार्यक्रम घोषित किया गया

भारत में जुलाई 1975 के निकट-पूर्व समय में अर्थव्यवस्था में कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां बनी जो बीस सूत्री कार्यक्रम की घोषणा केलिये प्रेरक रही है नियोजन काल में कम से कम 1969 तक उत्पादन ,वृद्धि में विकास का मूल तत्व माना गया था परंतु इसके परिमाण अनुकूल सिद्ध नही हुये हैं यह विचार कि आर्थिक संवृद्धि के लाभ गरीब लोगों तक पहुचेगे भ्रामक सिद्ध हुआ गरीबी और असमानता वृद्धि हुयी देश का अधिकांश जन समूह इन विकास कार्यक्रमों से अछूता रहा था गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 1968 के 40 प्रतिशत से बढ़बर 1974 में 60 प्रतिशत हो गया 1970-72 में प्रति व्यक्ति आय में 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर गिरावट आयी प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धि 191965 के 480 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से घटकर 1973 में 41.8 ग्राम हो गयी प्रति 1000 जनसंख्या पर मृत्युदर 1969 में 14 थी जो 1973 में बढ़कर 16.9 हो गयी इन तथ्यों से यह प्रतीत होता कि जुलाई, 1975 के पूर्व लगातार कई वर्षो से आर्थिक गतिविधियों में गिरावट की प्रवृत्ति थी

1971 में चलाये गये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की प्रगति अत्यन्त मंद ओर अनिश्चित थी

1972-73 मे सरकार को अपने कई निर्णयों से हटना पड़ा था तथा चावल व्यापार का अधिग्रहण बंद करना पड़ा था निजी क्षेत्र बिना किसी नियंत्रण के बढ़ने लगा था राजनीतिक क्षेत्र मे विनियोग घट रहा था और कई नवीन वस्तुओं के आयात बढ़ने लगे थे इनके अतिरिक्त् विशिष्ट-वर्गीण् उपयोग वस्तुओं के उत्पादन हेतु विनियोग बढ़ रहा था कृषि की नवीन तकनीक के कारण ग्रामीण क्षेत्र में आप और सम्पत्तिगत असमानताये बढ़ रही थी योजनागत लक्षयों ओर उपलब्धियों का अंतर बढ़ गया था योजनाओं के क्रियान्वयन में लगन ओर साहस मे कमी हो रही थी भारतीय अर्थ व्यवस्था को नरम राज्य की कोटि पर बिना जाने लगा था जिसमें किसी नवीन गैर-परम्परागत कार्यक्रमों को लागू कर पाना अत्यन्त कठिन होता है

गांवो की प्रगति देश की प्रगति है जब तक गांव खुशहाल नही होगें देश में खुशहाली नही आ सकती गांवो को आगे बढ़ाकर ही हम देश को आगे बढ़ा सकते है ये केवल नारे ही नही वरन एक वास्तविकता रही है जिसकी अनुभूति स्वतंत्रता से पूर्व ही देश के कर्णधारो को हो चुकी थी गांधी जी ने कहा था सच्चा स्वराज गांवों में निहित है, इसके लिये गांवों का चर्तुमुख विकास अपरिहार्य है स्वतंत्रता मिलने के उपरान्त राष्ट्रपिता के अनुयायियों ने इस सैद्धांतिक विचार को व्यावहारिक रुप देने की जो पहल की इसका आभास हमें अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में स्पष्ट रुप से देखने को मिलता है आयोजना के आरम्भिक वर्षो में ही गांवो का काया पलट करने हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं के माध्यम से गांवों में आर्थिक क्रांति लाने का एक स्वप्न सजोया गया इसके बाद सभी योजनाओं में गावों की गरीवों व बेरोजगारी मिटाने के लिये अनेंको कार्यक्रम हाथ में लिये जाते रहे है

यों तो सभी पंचवर्षीय योजनओं में गरीबी के साथ-साथ बेरोजगारी को गम करने के प्रयास बराबर

रहे हैं लेकिन इधर छठी व सातवीं योजना में इस उददेश्य की पूर्ति हेतु कुछ विशेष कार्यक्रम अपनाये गये हैं

1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम- नियोजित विकास की प्रक्रिया में यह स्पष्ट हो गया कि आर्थिक विकास का लाभ निम्न आय वर्ग को प्राप्त नहीं हुआ है और प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय मे वृद्धि के बावजूद निर्धनता में कमी नहीं हुयी है अत: निर्धनता पर सीधा प्रहार करने की रणनीति अपनायी गयी देश मे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के ऊपर उठाने तथा उन्हें रोजगार उललब्ध कराने की दृष्टि से सन 1976-77 में सरकार ने एकीकृत ग्रामीण विकास योजना आरम्भ की गयी यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 को देश के 5011 विकास खण्डों में लागू कर दिया गया इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति विकास खण्ड 600 निर्धन परिवारों को लोभार्थी के रूप में चुना गया और प्रति ब्लाक 35 लाख रुपे आवंटित किये गये कुल व्यय का आधा हिस्सा केन्द्र सरकार और आधा हिस्सा राज्य सरकार ने वहन किया इस कार्यक्रम को लागू करने के लिये जिला स्तर पर एक प्रशासनिक संस्था बनाई गयी जिसे जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का काम दिया गया इसका उददेश्य ग्रामीण निर्धनों को ऐसी परिसमिति (भैंस, बकरी आदि) देने का निर्णय किया गया जिससे लाभार्थी को सतत आय प्राप्त हो सके और वह रोजगार में लग जाय यह परिकल्पना की गयी कि सहायता दिये जाने वाले परिवारों में कम से कम 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति व अनुसचित जन जातियों के परिवार होने चाहिये विकास प्रक्रिया में महिलाओं की वेहतर भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये यह निर्णय लिया गया था कि लाभार्थियों में कम से कम 30 प्रतिशत महिलाये होनी चाहिएद्य सहायता देने में उन परिवारों को प्राथमिकता दी जात१ ड्ढ्व्क्ैंश्८ १०० त्ऊैंद ×ें ५२ ैंण्ण्व

ैंत्र-ऊ८ ैंत्र त्ळउश्रस प्व्ईं ऊ ड्ढ भ्ध्र्ष्ट ैंण्ण्व ऊ८ ्रुइत्इ ैं त्ऊैंहट्टि श्रस्र ऊ८ ऊैंव त्ळउश्रस प्व्ईंएँ श्र

होनी चाहिए। सहायता देने में उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है जिन्हें अतिरिक्त भूमि आवंटित की गयी हो , अथवा मुक्त किये गये वधुआ मजदूर हो या फिर विकलांग हो । छोटे किसानों को सब्सिडी २५ % सीमान्त किसानो, खेतीहर मजदूरों तता ग्रामीण कारीगरो को ३३ १ /३ दी जाती है । जन जातीय परिवारो के ५०% सब्रिडी दिये जाने का प्रावधान है । इस सहायता की सीमा सामान्य क्षेत्र में ३,००० रू० सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में और म क्षेत्रों में ४,००० रू० तता जनजातीय इलाकों में ५००० रू० हैं। वार्णिक कार्य योजना के अनुसार जनवरी ८७ के अन्त तक ८०ज्ञ परिवारो को सहायता देने का प्रताव था । जनवरी १९८७ तक भौतिक तथा प्रगति निम्न तालिका में दी गयी है ।

१९८८-८९ में प्रगति के दौरान ३१ । ६४ लाख परिवारों को सहायता देने का लक्ष्य रखा गया । इस कार्यक्रम के लिये ६८७ । ६५ करोड़ रूपये की व्यवसथा की गयी । दिस्मबर १९८८ के अन्त तक २३ । ६२ लाख परिवारों को ला पहुँचाया गया और इस पर ४६० । ७४ करोड़ रूपये व्यय किये गये ।

उत्तर-प्रदेश में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्क्रम में प्रत्येक वर्ष में लक्ष्य की प्राप्ति की गयी है केवल १९८५-८६ में उपलब्धि का प्रतिशत ६३ । ५ प्रतिशत था जो कि लक्ष्य से कम

था । वर्ष १६८७-८८ में सवसे अधिक ७६६०६३ परिवारों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य था जबकि १६८८-८६ में सवसे कम ६१०८४२ परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था । सबसे अधिक उपलब्धि प्रतिशत १६८८-८६ में ११२।७ प्रतिशत था ।

कार्यक्रम की शुरुवात के वाद से अनेक संगठनों ने इसके क्रियान्वय का मूल्यांकन किया है प्रमुख मूल्यांकन अध्ययन भारतीय रिजर्व बैंक, राषट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, वित्तीय प्वन्ध एवं अनुसंधान संस्थान तथा योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किये गये हैं। इन अध्ययनों में से किसी ने भी कार्यक्रम की उपयोगिता और इसके अन्तर्गत तैयार की गयी नीति में कोई दोष नहीं बताया है । इस नीति का कार्यक्रम के लाभार्थियों पर रचनात्मक प्रूआव देखा गया बै । अधिक तर लाभ अनुसूचित जातियों व जनजातीय के लोगों को मिले है । लेकिन लगभग सभी अध्ययनों में लाभार्थियों के चयन में त्रुटियों कम पूंजी निवेश, वुनियाद सुविधाओ के अभाव आदि की ओर संकेत किया गया है । इस दिशा में जो शोध निष्कर्ष सामने आये हैं वे भी अत्यधिक उत्साह वर्धक

नही कहे जा सकते वहां भी पहली शिकायत यही रही है कि असली जरुरत मंद का चयन ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम-

गरीबों के लिये आय सृजित करने का पहला उपाय मजदूरी रोजगार प्रदान करना है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार के लिये त्वरित योजना, प्रयोगिक गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम से प्राप्त हुये अनुभवों के साथ लागू किया गया था यह अप्रैल 1981 से छठी पंचवर्षीय योजना का एक स्थायी भाग बन गया है और तब से इसे केन्द्रीय प्रयोजित कार्यक्रम के रुप में केन्द्र और राज्यों के बीच 50-50 अनुपात के आधार पर चलाया जाता रहा इस कार्यक्रम के पीछे तीन प्रमुख उददेश्य रखे गये एक ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्परोजगार लोगों के लिये अतिरिक्त लाभकारी रोजगार का सृजन करना दूसरे ग्रामीण आर्थिक एवं सामाजिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिये उत्पादन स्वरुप की सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना और तीसरें ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के समूचे जीवन स्तर में सुधार लाना सामान्यतया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अर्न्तगत केवल उन्ही कार्यो को शुरु किया जाता है जिसे सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण होता है छठी योजना के दौरान केन्द्रीय और राज्य दोनो क्षेत्रों में 1620 करोड़ रुपये का परिव्यय सुलभ किया गया था, तथापि योजना अवधि के लिये वास्तविक आवटन 1873 करोड़ रुपये था सूखे की स्थिति होने पर यह तय हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व ग्रामीण भूमि हीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अर्न्तगत अनुमोदित कार्यो की सूची में से कवेल वही कार्य किये जा सकते है जो सूखे से बचाव के सामान्य उददेश्यों तथा सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम मे निर्धारित नीतियों के अनुरुप है अब केवल उन्हीं कार्यो पर जोर दिया जा रहा है जिनसे उत्पादक मूल सुविधाओं का सृजन हो

सातवीं योजना में भोजन, काम और उत्पादकता को मूल प्राथमिकता दी गयी है इन तीनों लक्ष्यों के अनुरुप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पर जोर सातवीं योजना के दौरान वेहतर नियोजन, अधिक निगरानी तथा अधिक कुशल संचालन के जरिये जारी है योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिये 2,487,47 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है इससे प्रतिवर्ष रोजगार के 29 करोड़ श्राम दिनों के रोजगार सृजन हुआ है

तालिका3

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत रोजगार सृजन लाख श्रमिक दिन

वर्ष	लक्षय	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
1985.86	228	316.41	138.77
1986.87	275.08	395.39	143.76
1987.88	363.56	370.07	101.79

तालिका से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम के तहत 1985 से 1988 तक प्रत्येक वर्ष में 100 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुयी है वर्ष 1987-88 में सबसे कम 101.79 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त हुयी है जबकि वर्ष 1986-87 में सर्वाधिक उपलब्धि 143.76 प्रतिशत की रही है

ग्रामीण तालिका नां 4.4

उत्तर-प्रदेश में राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के अन्तगत रोजगार सृजन

हजारमानव दिवस

वर्ष	लक्षय	उपलब्धि	प्रतिशत
1985-86	42700	47239	110.6
1986-87	38200	44000	115.2
1987-88	53022	60825	114.7
1988-89	58000	81295	140.2

स्रोत-सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर-प्रदेश

उत्तर-प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 में सर्वाधिक लक्षय 58000 मानव दिवसों का रखा गया परंतु उपलब्ध 81295 मानव दिवसों के साथ 140.2 प्रतिशत रही जो कि अब तक की उपलब्धि प्रतिशत 1986-87 115.2 प्रतिशत से भी अधिक ह वर्ष 1985-86 में सबसे कम 110.6 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की गयी जो कि शत प्रतिशत से भी अधिक रही है इस प्रकार उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम तहत प्रत्येक वर्ष लक्षय से 100 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि प्राप्त की गयी है

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के मूल्यांकन के लिये बराबर अध्ययन किये जाते रहे है 1981-82 में तथा 1982-83 के लिये योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन किया था कार्यक्रम की सफलता के बारे में अध्ययन मंडल की मिली जुली प्रतिक्रिया रही वर्ष 1987-88 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के मुकावले 361.13 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गयी इस वर्ष में 370.8 मिलियन श्रम दिन रोजगार सृजित किया गया, जो 290 मिलियन श्रम दिन रोजगार सृजन के वार्षिक योजना लक्षय से अधिक था

ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारन्टी कार्यक्रम

यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार जुटाने, उत्पादक परिसम्पत्यों का निर्माण करने तथा ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने के उददेश्य से 15 अगस्त 1983 को शुरु किया गया था किंतु साधनों की कमी के कारण इस कार्यक्रम का गारन्टी भाग अभी तक क्रियान्वित नहीं किया जा सका है लक्षय रखा गया था कि रोजगार योजना के अर्न्तगत किये गये निवेश से दीर्घकालीन रोजगार के अवसर पैदा किये जायं और जिन क्षेत्रों में मजदूरी बहुतकम ह वहां वेतन का भाव स्थिर करते हुये उसे कानूनी प्रावधान के जरिये लागू कराया जाय रोजगार देने में भूमि हीन मजदूरों, महिलाओं अनूसूचित जातियों ओर जनजातियों को प्राथमिकता दी जाती है इस कार्यक्रम के अर्न्तगत सामाजिक वानिकी, छोटी सिचाई योजना भूमि विकास वंजर और घटिया भूमि को उपजाऊ बनाने तथा सतही जल संसाधनों को बढाने जैसे आर्थिक दृष्टि से उत्पादक कार्यक्रम चलाने पर बल दिया गया है इस कार्यक्रम के अर्न्तगत चलाई जाने वाली परियोजनाओं को योजना बनाने देख-रेख निगरानी ओर कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है

ग्रामीण भूमि हीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकयता कार्यक्रम और 20 सूत्रीय कार्यक्रम से संबंधित अन्य परियोजनाये भी शामिल हैं सातवीं योजना में 1743.78 करोड़ रुप की राशि निर्धारित की गयी ओर 1 बड़ा मिलियन कार्य दिवसों का रोजगार पैदा किया गया

तालिका नं0 4.5

ग्रामीण भूमि हीन श्रमिक रोजगार गारन्टी कार्यक्रम-

1987-88 1988-89

निधियों का आवंटन	667.90 करोउ रुपये	730 करोड़ रुपये
खर्च की गयी राशि	653.53 करोड़ रुपये	364.25 करोड़ रुपये
पैदा हुआ रोजगार	304.11 मिलियन श्रम दिन	168.09 मिलियन दिन

तालिकासं4.6
उत्तर-प्रदेश ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम
(हजार मानव दिवस)

	लक्षय	उपलब्धि	प्रतिशत
1985-86	38500	40726	105.8
1986-87	39000	44700	114.6
1988-89	50085	59645	119.4

स्रात-सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर-प्रदेश, लखनऊ

प्रदेश में ग्रामीण भूमि हीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम अत्यन्त सफल रहा है इस कार्यक्रम में भी प्रदेश ने शत प्रतिशत से अधिक सफलता प्राप्त की है 1985-86 में 385000 हजार मानव दिवसों के लक्षय से उलब्धि 40727 हजार मानव दिवस रही जो लक्षय का 105.8 प्रतिशत है इस वर्ष लक्षय को प्रतिशत अन्य वक्षों की अपेक्षा सबसे कम है परंतु फिर भी यह 100 प्रतिशत से अधिक रहा है वर्ष 1985-86 के बाद के वर्षो में उपलब्धि का प्रतिशत निरंतर प्रतिवर्ष बढ़ता रहा है 1988-89 में 42770 हजार मानव दिवसों के

लक्षय से अधिक 54472 हजार मानव दिवसों का सृजन हुइ जो कि अब तक के लक्षय से सर्वाधिक 127.4 प्रतिशत रहा है

क्योकि इस कार्यक्रम को चालू हुये अधिक समय नहीं हुआ है अत: ग्रामीण अर्थ व्यवस्था पर इसके प्रभाव का सही मूल्यांकन सम्भव नहीं हो सकि है फिर भी योजना आयोग ने इस कार्यक्रम के बारे में कुछ नमूना अध्ययन किये है उनसे विदित हुआ है कि वेतन की दरों में स्थिरता लाने के साथ-साथ इस कार्यक्रम में टिकाऊ सामुदायिक परि सम्पत्तियों के निर्माण और रोजगार पैदा करने में मदद मिली है किंतु इस कार्यक्रम के क्रियान्त्रयन में अन्य दूसरे कार्यक्रमों के समान त्रुटिया भी मिली है एक विशेष त्रुटि यह रही है कि इस कार्यक्रम परिसम्पत्तियों के निर्माण का ही अन्तिम लक्षय मान लिया गया है फलत: मजदूरी के अवसर पैदा करने की उपेक्षा हो रही है

ट्राइसेम- कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण कमजोर वर्ग के लोगों में कुशलता की कमी रही है, इसीलिये समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत "ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम अगस्त 1979 से चलाया जा रहा है इस योजना में ग्रामीण युवकों की अधिक निपुण जोखिम वहन करने योग्य बनाने और स्वरोजगार के व्यवसाय अपनाने में समर्थ बनाने के लिये दिया जाता है ताकि वे ग्रामीण क्षेत्र में ही स्वरोजगार के अवसर ढूढने में सर्मि हो सके लघु एवं सीमान्त कृषक कृषिश्रमिक, ग्रामीणी कारीगर तथा अन्य गरीबी की रेखा से नीये रहने वाले परिवारों के युवजन इसमें सहायतार्थ इर्य समझे जाते है यह लक्षय रखा गया कि प्रत्येक विकास खण्ड मे कम से कम 40 व्यक्तियों को प्रतिवर्ष अवश्य प्रशिक्षित किया जाय इस कार्यक्रम के अर्न्तगत युवकों को राजगीरी बढई गीरी, माचिस बनाना, दरी कालीन बुनना, वस्त्र बुनना, सिलाई बुनाई आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सम्बद्ध व्यवसाय के

लिये आवश्यक संसाधन वहां उपलब्ध हो प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक तिहाई स्त्रियों को समायोजित करने की व्यवस्था की गयी है कि उन्हें उत्पादक स्वरोजगार के उपयुक्त अवसर मिल सकें पुनजनों को प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षण संस्थानों की तो सुविधा उपलब्ध ही है, साथ-साथ औद्योगिक संस्थानों, सिद्धहस्त शिल्पयों, कारीगरों और कुशल कामगारों द्वारा भी प्रशिक्षण सुविधा प्रदान की जाती है प्रशिक्षण की अवधि सामान्य रुप स 5 माह निर्धारित की गयी है प्रशिक्षण की अवधि में युवा को परियोजना रिपोंट तैयार करने में सहायता प्रदान की जाती है इस योजना के अर्न्तगत गांव में ही प्रशिक्षण पाने वाले को 75 रुपये प्रतिमाह और गांव से बाहर प्रशिक्षण लेने वाले युवा को मुफ्त आवास के साथ 150 रु0 और आवास न मिलने पर 200 रुपये की वृत्ति दी जाती है प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति को 500 रु0 का एक टूलफिट भी दिया जाता है

तालिका4.7

ट्राइसेम योजना के अर्न्तगत लाभार्थी (अखिल भारत में)

क्रम संख्या वितरण	लाभार्थियों की संख्या	
	1987-88	1988-89
१. प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	1,96,930	1,02,867
2. स्वरोजगार में लगे प्रशिक्षित युवओं की संख्या	1,00,277	38,663
3. मजदूरी पर लगे प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	24,263	8,545
4. रोजगार पर लगे प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	1,24,550	47,208
5. प्रशिक्षित युवाओं में अनुसूचित जाति/ जनजाति युवाओं की संख्या	82,263	39,115
6. महिलाओं की संख्या	91,814	46,543

इसमें संन्देह नहीं कि कुछ स्थानों पर यह ग्रामीण विकांस के लिये एक उत्प्रेरक कार्यक्रम सिद्ध हुआ है पर कई स्थानों पर इसके परिणा वांछित स्तर से नीचे रहे है इस कार्यक्रम के मूल्यांकन की दिशा मे जो अध्ययन हुये है उनसे यह विदित हुआ कि इन युवाओं को प्रशिक्षण तो दिया जा रहा है लेकिन बाद में उसे

स्वयं रोजगार के तौरपर चलाने की जानकारी का उनके पास अभाव है परिणामत: लाभार्थी स्वरोजगार की न जाय दूसरे के यहां काम करना अधिक सुगम समझ लेते हैं दसूरे पशिक्षण प्राप्त युवाओं को अपना धन्धा प्रारम्भ करने के लिये ऋण तथ अनुदानमिलों की भी समुचित व्यवस्था रही है इसके अतिरिक्त इन अध्ययनों से और भी ओजो कमियो की जानकारी योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है पूरे देश में उत्तर-प्रदेश के पश्चात संस्थान के लोगों को हही इस योजना में सर्वाधिक लाभ मिला है

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम (आकरा)

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम गरीबी की रेखा के नीचे बसर कर रहे ग्रामीण परिवारों की महिलाओं के लिये है इस योजना का उददेश्य उन्हे स्वरोजगार के उपयुक्त अवसर प्रदान करना है यह कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उपयोजना के रुप में सितम्बर 1982 से शुरु किया गया था महिलाओं को अपने परिवार की आम में बढ़ोत्तरी करने के लिये आगे आने तथा आप सृजित करने वाले कार्य शुरु करने हेतु प्रोत्साहित करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम में महिलाओं के ग्रुप बनाने की नीति को अपनाया गया

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम प्रारम्भ में 50 चुने हुये जिलों में शुरु किया गया था तभी से इसका विक्रय का चरण वार विस्तार हो रहा है आठवी योजना के दौरान शेष सभी जिलों को इस कार्यक्रम के अर्न्तगत शामिल किये जानेका प्रस्ताव है जिलों का चयन करते समय उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है जिनमें महिलाये कम पढ़ी-लिखी होती है अथवा जहां शिशु मृत्यु पर अधिक है

इस कार्यक्रम के अर्न्तगत बहु उददेशीय सामुदायिक केन्द्रों की प्रावधान शामिल है इस केन्द्र में

प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन की व्यवस्था करने, आप सृजन की गति विधियां चलाने बच्चों के लिये बालवादी तथा ग्राम सेविका के रिहापशी आवास की व्यवस्था करने केलिये जगह उपलब्ध कराई जाती है, 1991 92 के लिये इस कार्यक्रम के लिये 12 करोड़ 75 लाख रुपये का वजट रखा गया है

इन्दिरा आवास योजना-

इन्द्रिरा आवास योजना 1985-86 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की एक अभियोजना के रुप में शुरु की गयी थी जिसका उददेश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सबसे गरीब लोगों तथा मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों के लिये मकानों का निर्माण करना है जो उन्हें निशुल्क उपलब्ध कराये जाते है अब यह योजना जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्यान्यवित की जा रही है

1991-92 में 1.22 लाख मकानों के निर्माण का लक्षय पूरा करने के लिये इन्दिरा आवास योजना हेतु 157.38 करोड रुपये आवंटित किये गये थे

तालिका नं0 4.8

उ0 प्र0 में आवास स्थल आवंटन (संख्या में)

वर्ष	लक्षय	उपलब्धि	प्रतिशत

1985-86	40000	88733	221.8
1986-87	50000	87952	175.9
1987-88	50000	75297	150.6
1988.89	50000	70611	141.2

स्रोत-सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग लखनऊ, उत्तर-प्रदेश

उत्तर-प्रदेश में निर्बल वर्ग आवास स्थल आंवटन में अभूतपूर्व सफलता की है सबके लिये मकान नीति के तहत निर्बल वर्ग के लोगों भूमि हीनों, ग्रामीण शिल्पकारों आदि को आवास कराने हेतु आवा स्थल आवंटित करने का काम बड़ी त्परता से किया गया हि प्रत्येक वर्ष में लक्षय के शत प्रतिशत से अधिक उपलब्धि प्राप्त की गयी है जबकि वर्ष 1985-86 में तो यह प्रतिशत 221.8 है

तालिकाक्रं4.9

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में निर्बल वर्ग आवास एवं इन्दिरा आवास निर्माण कार्यक्रम

(संख्या में)

वर्ष	लक्षय	उपलब्धि	प्रतिशत
1985-86	17988	30399	169.0
1986-87	28756	31158	108.4
1987-88	36210	47852	132.1
1988-89	43400	187958	433.1

स्रोत सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग लखनऊ, उत्तर-प्रदेश

इस कार्यक्रम के अर्न्तगत उत्तर-प्रदेश ने एतिहासिक सफलता प्राप्त की है इस कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रति वर्ष लक्षय में वृद्धि होती रही है साथ ही साथ इस लक्षय को प्राप्ति के प्रतिशित में भी बढ़ोत्तरी होती रही है 1985-86 में 17988 आवास निर्माण का लक्षय था जो कि 1988-89 में बढ़कर 43400 मकानें तक

पहुच गया इसी प्रकार 1985-86 में सफलता का प्रतिशत 169 प्रतिशत था जो 1988-89 में 433.1 प्रतिशत हो गया निर्बल वर्ग आवास योजना के अर्न्तगत 1988-89 में केवल 20 हजार आवासो के निर्माण का लक्षय था जबकि लक्षय से आठ जुडे से अधिक 1,64,087 आवास बनाये गये जो लक्षय का 820.4 प्रतिशत है इन्दिरा आवास योजना के अर्न्तगत 23871 आवासों का था इस प्रकार उपलब्ध लक्षय की 102 प्रतिशत रही है इन दोनों के सम्मिलित लक्षय की उलब्धि 433.1 प्रतिशत रही है

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-

यद्यपि समान के सभी लघु एवं सीमान्त कृषक गरीबी का जीवन विताते है, अनुसूचित जातियों के लधु और सीमान्त कृषकों तथा अन्य गरीबों की समस्या अधिक जटिल एवं गंभीर है इस कारण अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के गरीबों केलिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान चलाया जा रहा है यह योजना समन्वित ग्राम विकास योजना के तुल्य है जिसमें यह विचार है कि छठी योजना केअर्न्तगत कम से कम 50 प्रतिशत हरिजन परिवारों के गरीबी की रेखा के ऊपर उठाया जायेगा हरिजन वर्ग के सदस्यों को समानान्तर प्रतिभूति के अभाव में व्यापारिक बैंको से ऋण नहीं मिल पाते है बैंक इन वर्गो से ग्रहण पुनर्यादागी के प्रति आश्वस्त नहीं रहता है इस लिये स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत लघु कृषकों और सीमांत कृषकों को शामिलितमयी की व्यवस्था के आधार पर प्रदत्त सहायता का 50 प्रतिशत अनुदार करने में कठिनाई का अभास नहीं करते है ग्रामीण हरिजन परिवारों के लिये स्पेशल कम्पोनेंट प्लान बनाने का यही लक्षय रहा है कि योजनागत परिव्यय सेजो कार्यक्रम चलाये जा रहे है उनके लाभ अधिकांश हरिजन परिवारों को ही मिले इससे हरिजन परिवारों के आर्थिक स्थिति में अन्याय सुधार होगा

तालिकाक्रं4.10

उत्तर-प्रदेश में अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता (संख्या में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1985-86	300000	330765	110.3
1986-87	300000	414260	138.1
1987-88	356000	438856	123.3
1988-89	360000	370353	102.9

स्रोत-सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग लखनऊ उत्तर-प्रदेश

तालिकानं.4.11

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आर्थिक सहायता (संख्या में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1985-86	3200	4772	141.1
1986-87	3200	4151	129.1
1987-88	3200	4708	147.1
1988-89	3200	3124	97.6

स्रोत- सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग लखनऊ, उत्तर प्रदेश

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के परिवारों को प्रतिवर्ष लक्ष्य से अधिक सहायता प्रदान की गयी है इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल वर्ष 1988-89में अनुसूचित जनजाति को लक्ष्य से कम सहायता प्राप्त हुयी है इस वर्ष केवल 97.6 प्रतिशत परिवारों को ही सहायता प्रदान की जा सकी है जबकि अन्य सभी वर्षों में यह लक्ष्य से 100 प्रतिशत से अधिक रहा है

मिलियन वेल्स स्कीम- इस योजना के अन्तर्गत लक्ष्य समुदाय अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु

एवं सीमान्त कृषक व मुक्त बंधुआ मजदूरों जो गरीबी रेखा के नीचे होंगे इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी होते है योजना का मुख्य उद्देश्य लक्षय गरीबी को उत्पादन वृद्धि की ओर उन्मुक्त रोजगार सृजन का है इसके माध्यम से सिंचाई संसाधनों के तथा भूमि विकास की विस्तृत सुविधा अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को उपलब्ध करायी जायेगी

इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में सीलिंग भूमि केन्द्र आवंटन का कार्य बहुत ही सफल रहा है 1985-86 में इसकी सफलता का प्रतिशत 3635 प्रतिशत था 1988-89 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 505.4 प्रतिशत की भारी सफलता अर्जित की गयी है इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1987-88 में सबसे कम सफलता का प्रतिशत 170.1 प्रतिशत रहा है इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में बंधुआ मजदूरों के पुनर्वासन में प्रतिवर्ष सफलता का प्रतिशत बढ़ता ही रहा है 1985-86 में इस योजना के अन्तर्गत 105 प्रतिशत लोगों को पुर्नवासित किया गया जबकि 1987-88 में 161.8 प्रतिशत लोगों को पुर्नवासित किया गया

तालिका नं.12

उत्तर प्रदेश में सीलिंग भूमि का आवंटन (एकड़)

वर्ष	लक्षय	उपलब्धि	प्रतिशत
1985-86	1000	3635	363.5
1986-87	2000	4508	225.4
1987-88	2400	4083	170.1
1988-89	1268	6408	505.4

तालिका नं.13

उत्तर प्रदेश बंधुआ मजदूरों का पुनर्वासन (संख्या में)

वर्ष	लक्षय	उपलब्धि	प्रतिशत
1985-86	4000	4199	105.0

1986-87	4000	4749	118.7
1987-88	2196	3554	161.8
1988-89	-	-	-

तालिकानं.14

उत्तरप्रदेश में पम्पसेटों / नलकूपों का अर्जन संख्या में

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1985-86	31000	27904	900
1986-87	30000	30082	1003
1987-88	18000	21917	121.8
1988-89	21200	23301	109.9

स्रोत- सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश

जवाहर रोजगार योजना- इस कार्यक्रम की घोषणा 28 अप्रैल 1989 को की गयी पहले से चह रहे दो कार्यक्रमों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम को जवाहर रोजगार योजना में मिला दिया गया है इसके लिये संसाधन जुटाने के प्रयास में जिन लोगों की आय 59000 रू. से अधिक है उन्हें जो आयकर देय था उस पर 8 प्रतिशत का अतिभार लगा दिया गया है इस कार्यक्रम की निम्न विशेषताएं हैं-

(i) इस कार्यक्रम का अनुपालन ग्राम पंचायतों द्वारा ही किया जायेगा

(ii) छठी योजना से लेकर 1988 के बीच राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन

रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल 55% गांव प्रभावित हो सके थे जवाहर रोजगार कार्यक्रम प्रत्येक गांव को शामिल करेगा

(iii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में केन्द्र और राज्यों पर खर्च का आधा-आधा भाग आता था जवाहर रोजगार योजना में केन्द्र का भाग 80% व राज्यों का 20% कर दिया गया

(iv) राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की मात्रा इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्य की जनसंख्या का कितने प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे है

(v)इस योजना के अन्तर्गत कुल रोजगार का 30 प्रतिशत महिलाओं के लिये सुरक्षित है

इस योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य किये जा सकते हैं—

(1) भूमि विकास तथा परती, या वंजर भूमि का विकास

(2) सामाजिक वानिकी कार्य

(3) निजी भूमि पर वृक्षारोपण

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों के लिये निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना

(5)इंदिरा आवास योजना में मकान बनाना

(6) अनुसूचितजाति/जनजाति के परिवारों के लिये निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना

(7) 10 लाख कुओं की योजना

(8) भूमि तथा पानी सरंक्षण कार्य

(9) सामुदायिक सिचाई कुओं का निर्माण का मरम्मत

(10) मध्यम या मुख्य निकास नालियों का निर्माण या मरम्मत

(11) श्वेत की नालियों का निर्माण व मरम्मत

(12) गावों में तालाब बनाना या मरम्मत

(13) बाढ़ से बचाव के कार्य

(14) पानी की निकासी तथा पानी इकट्ठा न होने देने वाले काम

(15) सामुदायिक स्वच्छ शौचालयों का निर्माण

(16) ग्रामीण सम्पर्क कार्यो का निर्माण

(17) प्राथमिक स्कूल भवनों का निर्माण

(18) औषधालयों का निर्माण

(19) पंचायत घरों का निर्माण

(20) सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण

(21) आगनवाड़ी, वालबाड़ी ओर शिशुग्रहों का निर्माण

(22) ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास कार्यक्रम के लिये साम्दायिक कार्यशालाओं का निर्माण

(23) मानव एवं पशुओ के पीने के पानी की व्यवस्था हेतु सामुदायिक कुओं/हैण्डपम्पों का निर्माण

(24) जन शिक्षण नियमां के लिये भवनों का निर्माण

तालिकानं.15

उत्तरप्रदेशके पाँच जिलों में 1989-90 से 1991-92 तक जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आवांटित राशि और व्यय की प्रगति (लाख रू. में)

आवांटित राशि	एटा	झांसी	राय बरेली	इलाहाबाद	चमोली	योग
1989-90						
राशि	719.51	619.54	1683.45	1128.11	399.53	4550.14
व्यय	568.08	535.07	1622.13	805.21	341.22	3871.71
प्रतिशत	78.95	86.36	96.36	71.38	85.40	85.09
1990-91						
राशि	779.45	614.13	1240.27	2114.21	310.23	5058.29
व्यय	527.56	478.31	1146.29	1602.90	248.83	4003.89
प्रतिशत	67.68	77.88	92.42	75.82	80.21	79.15
1991-92						
राशि	730.81	84.65	1316.88	2072.07	350.60	5285.07
ल्व्यय	730.81	773.92	1160.60	1866.09	299.20	4830.62
प्रतिशत	100.00	95.00	88.13	90.06	85.32	91.40

स्रोत- ग्राम्य विकास विभाग जवाहर भवन लखनऊ, उत्तर पद्रेश

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 1991-92 में एटा जिले में आवांटित राशि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है यहां वर्ष 1991-92 में एटा का प्रतिशत 100 रहा है वर्षा 1991-92

में विभिन्न जिलों में आवांटित राशि का सर्वाधिक उपयोग हुआ है जबकि सबसे कम उपयोग वर्ष 1990-91 में हुआ है प्रत्येक जिले के आवांटित राशि में परिवर्तन होता रहा है

तालिकान्‌ 16

उत्तरप्रदेशमें वर्ष 1989-90 से 1991-92 तकजवाहररोजगारयोजनाकेअन्तर्गतआवांटितराशि एवंव्ययकीक्षेत्रानुसारप्रगति(लाखरूपये में)

	उत्तर प्रदेश के क्षेत्र					
राशि एवं व्यय	पश्चिमी	बुन्देलखण्ड	केन्द्रीय	पूर्वी	पहाड़ी	उ. प्र.
1989-90						
कुल राशि	16875.39	4060.31	11578.77	25160.96	4530.00	62205.43
व्यय	14744.36	3534.42	9851.24	20925.05	3078.02	52933.09
प्रतिशत	87..37	87.04	85.08	83.16	85.60	85.09
1990-91						
कुलराशि	16313.31	3617.6	11127.40	23353.93	3322.26	57734.59
व्यय	13218.44	2722.12	8858.10	18122.51	2812.44	45733.61
प्रतिशत	81.02	75.24	79.60	77.59	84.65	79.21
1991-92						
कुलराशि	15571.62	3974.47	9616.51	21930.26	5227.30	56520.16
व्यय	14001.00	3365.30	8714.24	18650.88	3314.96	48046.38
प्रतिशत	89.00	84.67	90.61	85.04	63.41	85.00

स्रोत- ग्राम्य विकास विभाग जवाहर भवन लखनऊ उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 1989-90 से 1991-92 तक किसी भी वर्ष में कुलराशि के लक्षय को प्राप्त नहीं किया जा सका है सबसे अधिक लक्षय वर्ष 1991-92 में मध्य क्षेत्रमें 90.61 प्रतिशत प्राप्त किया जा सका है सफलता के प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि वर्ष 1989-90 में ही सबसे अधिक प्राप्त किया जा सका है

तालिका नं. 4.17

उत्तरप्रदेश में 1989-90 से 1991-92 तक जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार में क्षेत्रानुसार प्रगति (लाख-मानव दिवस में)

रोजगार में प्रगति	उत्तरप्रदेश के क्षेत्र					
	पश्चिमी	बुन्देलखण्ड	मध्य	पूर्वी	पहाड़ी	उ. प्र.
1989-90						
लक्ष्य	456.46	109.84	351.24	631.06	122.06	1670.56
उपलब्धि	427.38	108.65	298.88	648.74	141.28	1624.93
प्रतिशत	93.62	98.91	85.09	102.80	115.74	97.26
1990-91						
लक्ष्य	443.56	115.91	356.48	765.38	110.4	1791.73
उपलब्धि	423.70	100.89	319.63	673.79	110.91	1628.92
प्रतिशत	95.52	87.04	89.66	88.03	100.46	90.91
1991-92						
लक्ष्य	381.99	109.39	270.50	605.06	105.77	1472.69
उपलब्धि	414.38	109.37	297.69	618.55	121.15	1562.14
प्रतिशत	108.47	100.00	110.05	102.22	114.54	106.07

स्रोत सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जवाहर भवन लखनऊ,उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष 1989-90 से पहाड़ी क्षेत्र मे सफलता का सबसे अधिक प्रतिशत 115.74 रहा है और पूर्वी क्षेत्र में यह 102.80 प्रतिशत रहा है जबकि अन्य क्षेत्रों पश्चिमी, बुन्देल खण्ड,मध्य

और प्रदेश में यह प्रतिशत 100 से कम क्रमशः 93.62, 98.91, 87.26 प्रतिशत रहा है 1990-91 के दौरान पहाड़ी क्षेत्र के 100.46 प्रतिशत उपलब्धि को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में यह प्रतिशत 100 से कम रहा है 1991-92 मे क्षेत्रानुसार रोजगार सृजन का प्रतिशत बढ़कर सभी क्षेत्रों में 100 प्रतिशत से अधिक हो गया है इस प्रकार वर्ष 1991-92 में सभी क्षेत्रों में अच्छी प्रगति हुयी है

तालिका नं0 4.18

उत्तर-प्रदेश के पांच जिलो में वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगारस्रजनमेंप्रगति(लाखमें)

रोजगार में प्रगति	एटा	झांसी	राय बरेली	इलाहाबाद	चमोली	योग	
1989-90							
लक्षय	19.30	16.49	42.94	66.50	1059	155.87	
उपलब्धि	19.39	14.87	45.50	66.70	13.43	159.89	
प्रतिशत	100.5	90.2	106.0	100.2	126.8	102.6	
1990-91							
लक्षय	22.22	19.65	40.50	68.30	9.60	160.27	
उपलब्धि	24.97	16.75	41.44	68.33	10.30	161.79	
प्रतिशत	112.4	85.2	102.3	100.1	107.3	100.9	
1991-92							
लक्षय	18.69	22.06	34.71	57.34	9.02	141.82	
उपलब्धि	19.56	22.26	36.97	160.37		10.69	149.85
प्रतिशत	104.7	100.9	106.5	105.3	118.9	105.7	

स्रोत- ग्राम्य विकास विभाग जवाहर भवन लखनऊ उत्तर प्रदेश

तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर-प्रदेश के विभिन्न जिलों में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है वर्ष 1989-90 के अन्तर्गत चमोली जिले में सबसे अधिक

126.8 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की गयी जबकि सबसे कम बुन्देल खण्ड के झांसी जिले में 90.2 प्रतिशत की उपलब्धि रही इसी प्रकार एटा, राय बरेली और प्रदेश में 100 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि प्राप्त की गयी है वर्ष 1989-90 के अन्तर्गत झांसी में सबसे कम तथा एटा में सबसे अधिक 112.4 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की गयी अन्य जगहों पर इसका प्रतिशत 100 से अधिक रहा है वर्ष 1991-92 में रोजगार सृजन में सभी जिलों एवं प्रदेश में 100 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि प्राप्त की गयी

सघन मिनी डेरी परियोजना

प्रदेश को रोजगार परक आर्थिक कार्यक्रमों से आच्छादित करने की अनेक ददीनदयाल विकास योजनाओं में सघन मिनी डेयरी परियोजना का विशिष्ट स्थान है इस परियोजना के क्रियान्वयन से अअधिकतम लोगों को उनके गाव में ही अधिकतम अवधि के लिए रोजगार प्राप्त होंगे ऐसा करने से क्षेत्र एवं गांव का विकास तो होगा ही, साथ में ग्रामीण युवकों का शहरों की ओर पलायन रुकेगा और सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति भी हो सकगी

पशुपालन व्यवसायों को विकसित करने से दो स्पष्ट लाभ हैं :-

(1) भारी संख्या में कृषि व्यवसाय में लगे परिवारों को यह व्यवसाय अतिरिक्त आय देकर प्रमुख व्यवसाय को और अधिक बल देते हैं

(2) छोटी जोत के कृषक परिवारों को यह प्रमुख व्यवसाय के रूप में आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की क्षमता रखता है

सघन मिनी डेरी परियोजना अन्य विभागों द्वारा वर्तमान में इस प्रकार की संचालित की जा रही योजनाआं कई मायनों में भिन्न है जैसे :-

(1) सघन मिनी डेरी परियोजना किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष के लिए ही है प्रत्येक वर्ग जाति य धर्म का सदस्य इसका लाभ प्राप्त कर सकता है

(2) इस परियोजना के माध्यम से सृजित होने वाले रोजगार गिने चुने दिनों के लए नहीं बल्कि निरन्तर चलने वाले हैं ल (3) इस परियोजना में सरकार सेवा योजक नहीं बल्कि (प्रेरक) की भूमिका निभा रही है

(4) परियोजना 'प्रोजेक्ट एप्रोच' के आधार पर चलाई जा रही है जिसका एक निश्चित लक्षय निर्धारित है

यह परियोजना विभिन्न विभागों संस्थाओं जैसे डेरी नीकास, पी.सी.डी:एफ., राज्य दुग्ध परिषद पशुपालन संस्थागत कृत व्यावसायिक बैंक ससएवं बीमा कम्पनियों आदि के अपसी तालमेल एवं उपलब्ध संसाधनों के सही मिश्रण का रचनात्मक उपयोग करते हुए चलाई जा रही है

परियोजनान्तर्गत चयनित जनपद

पूर्वी जनपद-वाराणसी, बलिया, गोरखपुर, वस्ती, इलाहाबाद पश्चिमी जनपद मेरठ, विजनौर, पीलीभीत, अलीगढ़, मध्यवर्ती जनपद-लखनऊ, सीतापुर बाराबंकी फतेहपुर, कानपुर एवं बांदा पर्वतीय जनपद- अल्मोडा, पौड़ी गढ़वाल

परियोजना के लाभार्थी-

(क) चयनित 17 जिलों में संगठित दुग्ध सरकारी समितियों के सदस्य

(ख) चयनित जनपदों के महानगरीय, नगरीय, टाउन एरिया, एवं कस्बों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के इच्छुक व्यक्ति

लाभार्थी की अर्हतायें- (1) एसे सदस्य पशुपालक जिनके पास बैंक ऋण राशि के मूल्य की सिंचित असिंचित पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो

(2) बैक के पक्ष में भूमि वंधक रखने पर वंधक विलेख पर रु0 62.30 प्रति हजार बैंक ऋण राशि की दर से स्टाम्प शुल्क वहन करने की क्षमता रखतता हो

(3) ऐसे सदस्य पशुपालक जो किसी बैंक के बकायेदार न हो

(4) ऐसे सदस्य पशुपालक जो कम से कम एक एकड़ भूमि पर वर्ष पर्यन्त पशुआं के लिए हरा चारा उगा सके

(3) ऐसे सदस्य पशुपालक जो बैंक यको देय मार्जिन मनी की धनराशि (सरकार द्वारा स्वीकृत मार्जिन मनी को घटाकर) व्यय करने को तैयार हो

लाभार्थियों का चयन-

(क) दुग्ध समिति ग्रामों में प्रबंधान्त्रिक रूप में निर्वाचित प्रबन्ध कारिणी द्वारा इच्छुक सदस्यों का चान जिन्हें उत्पादित अतिरेक दुग्ध को दुग्ध समिति के माध्यम से विक्रय करने की अनिवार्यता होगी

(ख) महानगरीय/नगरीय/टाउन एरिया/कस्बा क्षेत्र के ग्रामों के इच्छुक पशुपालकों का चयन उनके प्रार्थना पत्र पर जिले की टेक्नॉलाजी मिशन कमेटी (डेरी) द्वारा वरीयता क्रमानुसार चयन एवं लाभान्वित किया जाएगा इन क्षेत्रों के चयनित लाभार्थियों को दुग्ध समितियों के सदस्य बनने अथवा उत्पादित दूध का विक्रय समितियों को करने की अनिवार्यता नही होगी

लाभार्थियों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता

1. इकाई लागत का 5% अधिकतम 2000 रु0 प्रति लाभार्थी की दर से मार्जिन मनी के लिए ब्याज रहित ऋण के रूप में सरकार द्वारा लाभार्थी को आर्थिक सहायता जिसकी वसूली दो वर्षों में की जाएगी

(2) कम लागत पर अधिक दुग्ध उत्पादन पशुपालन, रोग नियन्त्रण आदि विषयों को लाभार्थियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था

(3) सम्बन्धित दुग्ध संघ पशुपालन विभाग तथा अन्य संस्थाओं के माध्यम से पशु चिकित्सा, पशु प्रजनन, पशु पोषण, आदि की सामयिक व्ययवस्था

(4) परियोजनान्तर्गत क्रय किए जाने वाले दुधारू पशुओं की मास्टर पालिसी के अन्तर्गत घटी दर पर केन्द्रीययत बीमा सुरक्षा व्यवस्था

चार छ: माह के उपरान्त दुग्ध उत्पादन की निरन्तरता बनाये रखने के लिए पुन: दो दुधारू पशुओं के लिए लाभार्थी द्वारा जनपद के परियोजना प्रबन्धक के माध्यम से ऋण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जायेंगे

नाबार्ड द्वारा पूर्व अनुमोदित मार्जिन मनी जो लाभार्थियों से ली जानी है, लघु/सीमान्त, मध्य एवं अन्य कृषकों से क्रमश: 5,10 एवं 15% की दर से ली जाएगी

परियोजना के अन्य प्रमुख सेवा कार्य- (1) प्रदेश के प्रगतिशील पशुपालकों का पंजीकरण (2) प्रदेश के उन्नतशील दुधारू पशुओं का पंजीकरण (3) एसे इच्छुक व्यक्ति जो चार दुधारू पशुआं से लेकर सौ दुधारू पशुओं हेतु बैंक ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, को सहयोग (4) लाभार्थियों को तकनीकी निदेश सुविधाओं का प्रबन्ध (तकनीकी संस्थाओं का आधुनिक ज्ञान गोष्ठियों एवं सेमिनार आयोजन के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुँचाना (तु प्रयास करना तथा पशु प्रदर्शनियों आदि का आयोजन

खेत/ परिवार के आधार पर नयी कृषि तकनीकों की आर्थिक समीक्षा

वर्तमान शोध अध्ययन के अन्तर्गत उत्तर-प्रदेश को भौगोलिक रूप से पांच भागों में विभाजित किया गया है ये पांच भाग हैं- पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षत्र, मध्य क्षेत्र बुन्देलखण्ड और पहाड़ी क्षेत्र उपरोक्त पांचों क्षेत्रो में से प्रत्येक से एक एक जिले का चुनाव किया गया है ये जिले हैं- एटा, इलाहाबाद, राय बरेली, झाँसी और चमोली प्रत्येक जिले से दो विकास खण्डों का चयन किया गया है तथा प्रत्येक विकास खण्ड से एक गांव का चयन किया गया है प्रत्येक गांव से दस कृषकों का आकार वर्ग के अनुसार चयन किया गया है इस प्रकार प्रत्येक जिले से 20 किसानों का चयन किया गया है किसानों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है-

0-2	हेक्टयर	लघु किसान
2-4	हेक्टयर	मध्यम किसान
4 से अधिक हेक्टयर		बड़े किसान

इस प्रकार 100 किसानों का चयन किया गया है पहाड़ी क्षेत्र के चमोली जिले के चयनित दोनों गांवों से सभी किसान लघु किसानों की श्रेणी के हैं क्योंकि किसी भी गांव से कोई भी किसान 2 हेक्टयर जमीन से अधिक का मालिक नहीं पाया गया इस प्रकार इस शोध में 60 किसान लघु आकार के 24 किसान मध्यम आकार और 16 किसान बड़े आकार के हैं तथा शोध का सवल कृषि वर्ष 1991-92 रहा है

चयनित जिलों विकास खण्डों और गॉवो ककी सूची-

एटा	कासगंज	किनावा
	जलेसर	खानपुर
रायबरेली	महाराजगंज	वनैटी
झांसी	हरचन्दपुर	मदन तुसी
	मोठ	काशीपुर
इलाहाबाद	चिरगांव	नन्दपुरा
	कोडिहनर	भलक हरहर
चमोली	होलाढ़	उमरियासारी
	केदारनाथ	केदारनाथ
	जोशी मठ	पौखनी

तालिका-5.1

उत्तरप्रददेशवेःचर्यानतजनपदोंमेंचर्यानर्ताविकासखण्डोंकाक्षेत्रानुसार(संख्या में)

क्षेत्र	चयनित जनपद	विकास खण्डों की संख्या	चयनित विकास खण्डों की संख्या
पहाड़ी क्षेत्र	चमोली	11	2
पश्चिमी क्षेत्र	एटा	15	2
मध्यक्षेत्र	रायबरेली	19	2
पू र्वी क्षेत्र	इलाहाबाद	20	2
बुन्ददेल खण्ड	झांसी	8	2
कुल	5	73	10

उत्तर-प्रदेश के चमोली जिले में सभी किसान छोटी जोत के पाये गये हैं चयनित 20 किसानों के पास कुल 25 हेक्टयर जमीन थी जिसमें कृषित भूमि 24.60 हेक्टयर थी 10.98 हेक्टयर क्षेत्र एकबार से अधिक प्रयोग किया गया था 23 हेक्टयर भूमि पर खरीफ फसल के दौरान खेती हुयी और 21.23 हेक्टयर भूमि का प्रयोग रवी की फसलों में हुआ जायद के मौसम में कोई फसल नहीं बोयी गयी इस प्रकार कुल 44.23 हेक्टयर भूमि का प्रयोग किया गया था इस प्रकार चमोली जनपद में खरीफ की फसल में अधिक

भूमि का प्रयोग किया गया फिर भी खरीफ और रवी की फसल में लगभग बराबर भूमि प्रयोग की गयी में लघु कृषकों ने

तालिका-5.2

वर्ष 1991-92 में उत्तर-प्रदेश के पहाड़ी जिले चमोली में चयनित कृषकों का क्षेत्र (हेक्टयर में)

श्रेणी	संख्या	निजी क्षेत्र	कृषित क्षेत्र	एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र	फसलों के अनुसार कृषित सक्षेत्र खरीफ	रवी	जायद	कुल
लघु किसान	20	25-	24.60		23	21.23	-	44.23
		(1.25)	(1.23)	.98	(1.15)	(1.06)		(2.21)
मध्यम किसान	-	-	-	-	-	-	-	-
बड़े किसान	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	20	25	24.60	23	21.23		-	44.23
		(1.25)	(1.23)	(.98) (1.15)	(1.06)			(2.21)

(ब्रेकेट में प्रति कृषक क्षेत्र प्रदर्शित है)

चमोली जिले के चयनित गांवों में प्रति किसान निजी भूमि का औसत 1.25 हेक्टयर पाया गया जिसमें से प्रति किसान 1.23 हेक्टयर भूमि कृषित सभूमि थी 0.98 हेक्टयर भूमि प्रति किसान एक बार से अधिक प्रयोग में लायी गयी खरीफ फसल के दौरान प्रति किसान 1.15 और रवि फसल में 1.06 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया इस प्रकार वर्ष भर में प्रति किसान 2.21 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया था

उत्तर-प्रदेश के एटा जनपद के चयनित गांवों के चयनित लघु किसानों के पास भूमि का निजी क्षेत्र

17.77 हेक्टयर है जिसमें से 17.20 हेक्टयर भूमि कृषित भूमि है खरीफ, रवी और जायद फसलों में क्रमश: 16.63, 16.08 और 5.35 हेक्टयर भूमि पर कृषित कार्य हुआ इस प्रकार कुल 38.06 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया था इस प्रकार एटा जनपद में खरीफ और रवी के सीजन में लगभग समान क्षेत्र पर कृषि कार्य हुआ और जायद की फसल के अन्तर्गत लगभग एक तिहाई भूमि पर कृषि कार्य हुआ है लघु किसानों में प्रति किसान निजी भूमि 1.78 हेक्टयर का औसत पाया गया जिसमें 1.72 हेक्टयर औसत कृषित भूमि का था प्रति किसान औसतन 2.09 हेक्क्टयर भूमि एक बार से अधिक प्रयोग में लायी गयी थी खरीफ, रवी और जायद फसलों में औसतन प्रति किसान क्रमश: 1.66 , 1.61 और .54 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया था इस प्रकार कुल कृषित भूमि का प्रति किसान औसत 3.81 हेक्टयर था

चयनित मध्यम किसानों ने कुल 40.55 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया जिसमें से खरीफ, रवी और जायद फसलों में से क्रमश: 18,19 और 3.55 हेक्टयर हिस्सा था मध्यम किसानों के पास कुल स्वीकृत भूमि 20 हेक्टयर थी जिसमें से कृषित भूमि 19 हेक्टयर थी मध्यम किसानों के पास प्रति किसान 3.33 हेक्टयर निजी भूमि का क्षेत्र था जिसमें से प्रति किसान औसतन 3.17 हेक्टयर भूमि कृषित थी प्रति किसान औसतन 3.59 हेक्टयर भूमि का प्रयोग एक बार से अधिक किया गया था खरीफ, रवी और जायद फसलों में क्रमश: प्रति किसान औसतन 3, 3.17 और .59 हेक्टयर भूमि का प्रयोग किया गया इस प्रकार मध्यम किसानों ने प्रति किसान 6.76 हेक्टयर के औसत से कृषि कार्य किया जनपद के मध्यम कृषकों ने खरीफ और रवी की फसल में लगभग बराबर भूमि पर कृषि कार्य किया था परन्तु जायद की फसल के अन्तर्गत बहुत कम लगभग इसके छठवे हिस्से पर कृषि कार्य बराबर कृषि कार्य किया गया

चयनित बड़े किसानों के पास 21.90 हेक्टयर भूमि निजी भूमि थी जिसमें 21.65 हेक्टयर भूमि पर

कृषित कार्य किया गया था खरीफ, रबी जायद फसलों में क्रमशः 21,21.95, 5.15 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया था इस प्रकार कुल 48.10 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया बड़े कृषको ने भी खरीफ और रवी की फसलों में लगभग बराबर भूमि प्रयुक्त की है और जायद के फसल में इसके लगभग चौथाई भूमि का प्रयोग किया गया है इस प्रकार चयनित बड़े किसानो में प्रति किसान निजी क्षेत्र का औसत 5.48 हेक्टयर था जिसमें से प्रति किसान 5.41 हेक्टयर के औसत से कृषि कार्य किया गया औसतन प्रति किसान 6.62 हेक्टयर क्षेत्र एक बार से अधिक प्रयोग में लाया गया खरीफ, रबी और जायद फसलों में क्रमशः प्रति किसान 5.25, 5.49 और 1.29 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया था इस प्रकार प्रति किसान वर्ष भर में 12.03 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया था

चयनित सभी किसानों के पास कुल 59.67 हेक्टयर भूमि थी जिसमें से 57.85 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया खरीफ, रवी और जायद फसलों में क्रमशः 55.63, 57.03 और 14.05 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया इस प्रकार वर्ष भर में कुल 126.71 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया चयनित कुल किसानों में प्रति किसान 2.98 हेक्टयर भूमि निजी भूमि थी जिसमें से 2.89 हेक्टयर भूमि पर प्रति किसान कृषि कार्य किया गया और 3.44 हेक्टयर भूमि को प्रति किसान एक बार से अधिक प्रयोग में लाया गया खरीफ, रवी, और जायद फसलों में क्रमशः प्रति किसान 2.78, 2.85 और .70 हेक्टयर भूमि का प्रयोग किया गया इस प्रकार वर्ष भर में प्रति किसान 6.33 हेक्टयर भूमि का प्रयोग किया गया जनपद के सभी कृषकों द्वारा खरीफ और रवी की फसल में लगभग बराबर भूमि प्रयुक्त की थी जबकि जायद की फसल

में इसमें लगभग एक चौथाई भूमि का प्रयोग हुआ एटा जनपद में रवी की फसल में खरीफ की फसल से ,

ज्यादा भूमि प्रयुक्त होती है

तालिका-5.3

वर्ष 1991-92 में पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के एटा जिले में चयनित गांवों का क्षेत्र (हेक्टयर में)

कृषकों का श्रेणी	कृषकों की संख्या	निजी स्वीकृत क्षेत्र	कृषित क्षेत	एकबार से अधिक दिखाया क्षेत्र	फसलो के अनुसार कृषित क्षेत्र खरीफ	रवी	जायद	कुल
लघु किसान	10	17.77	17.20		16.63	16.08	5.35	38.0 %
		(1.78)	(1.72)	(2.09)	(1.66)	(1.61)	(.54)	(3.81)
मध्यम किसान	6	20.00	19.00		18.00	19.00	3.55	40.55è
		(3.33)	(3.17)	(3.59)	(3.00)	(3.17)	(.59)	(6.76)
बडड़े किसान	4	21.90	21.65	(6.62)	21.00	21.95	5.15	48.10è@TAB2 =
		(5.25)	(5.49)	(1.29) (12.03)				
कुल	20	59.67		57.85	55.63	57.03	14.05	126.71
		(2.98)		(2.89)	(3.44) (2.78)	(2.85)	(.70)	(6.33)

(ब्रेकेट में प्रतिकृपक क्षेत्रप्रदर्शित है)

उत्तर-प्रदेश के चयनित जिले रायबरेली जिले के चयनित गांवों में चयनित लघु किसानों के पास 15.60 हेक्टयर निजी क्षेत्र था जिसमें से 14.10 हेक्टयर भूमि कृषित भूमि थी रवी खरीफ, रवी और जायद फसलों मे लघु कृषक क्रमशः 13.80,12.50 और .80 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किये थे इस प्रकार लघु कृपकों द्वारा वर्ष भर में 27.10 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया था रायबरेली जनपद में लघु कृपकों द्वारा

खरीफ की फसल में रवी की फसल से अधिक भूमि प्रयुक्त की गयी थी परन्तु यह अन्तर लगभग बराबर था जबकि जायद की फसल में इनकी तुलना में बहुत कम भूमि प्रयुक्त की गयी जायद की फसल में इनका लगभग 16वाँ हिस्सा ही प्रयुक्त किया गया लघु कृषकों के पास प्रति कृषक 1.56 हेक्टयर के औसत से स्वीकृत भूमि थी जिसमे 1.41 हेक्टयर पर प्रति कृषक कृषि कार्य किया गया प्रति कृषक 1.30 हेक्टयर भूमि एक बार से अधिक प्रयोग में लायी गई थी प्रति कृषक खरीप, रवी और जायद फसलों में क्रमशः 1.38, 1.25 और .08 हेक्टयर भूमि प्रयोग में लायी गई थी इस प्रकार लघु कृषकों के द्वारा प्रति कृषक 2.71 हेक्टयर भूमि वर्ष में प्रयोग की गई थी

जिले के चयनित मध्यम कृषकों के पास 17.40 हेक्टयर भूमि निजी भूमि थी जिसमें 17 हेक्टयर पर कृषि कार्य किया गया था खरीफ, रवी और जायद फसलों में मध्यम कृषकों द्वारा क्रमशः 16.50, 16 और 2.80 हेक्टयर भूमि का उपयोग किया गया था इस प्रकार वर्ष भर में कुल 35.30 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया था मध्यम किसानों में प्रति कृषक 2.90 हेक्टयर स्वीकृत भूमि थी मध्यम कृषकोंद्वारा खरीफ और रवी की फसलों में लगभग बराबर भूमि का प्रयोग हुआ परन्तु जायद की फसल में इनका मात्र 8 वां हिस्सा भूमि ही प्रयुक्त हुयी जिसमें प्रति कृषक 2.83 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया प्रति किसान 3.06 हेक्टयर भूमि एक बार से अधिक प्रयोग में लायी गई खरीफ, रवी और जायद फसलों में क्रमशः प्रति किसान क्रमशः 2.75, 2.67 और .47 हेक्टयर भूमि का प्रयोग किया गया इस प्रकार पूरे वर्ष में प्रति कृषक 5.89 हेक्टयर भूमि का प्रयोग किया गया था

चयनित बड़े कृषकों के पास 20.50 हेक्टयर निजी भूमि थी इसमें 20 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया था खरीफ, रवी और जायद फसलों में क्रमशः 18.85, 17 और 4 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया

गया था इस प्रकार व र्ष भर में कुल39.85 हेक्टयर भू मि पर कृ षि कार्य किया गया बड़े कृ षकों के पास प्रति कृ षक औसतन5.12 हेक्टयर भूमि थी जिसमें 5 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया बड़े कृषकों द्वारा खरीफ की फसल में अधिक भू मि प्रयुक्त की गयी जबकि रवी की फसल में खरीफ के क्षेत्र से थोड़ा ही अन्तर था जायद की फसल में इनका लगभग छठा भाग ही प्रयुक्त किया गया प्रति कृ षक4.91 हेक्टयर भू मि एकबार से अधिक प्रयोग में लायी गयी खरीफ, रवी और जायद फसलों में प्रति कृषक 4.71, 4.25 और 1.00 हेक्टयर भू मि पर कृ षि कार्य किया गया इस प्रकार व र्ष भर में9.96 हेक्टयर भू मि पर कृ षि कार्य किया गया

चयनित ग्रामों में वर्ष भर में 102.25 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया जिसमें खरीफ, रवी और जायद फसलों में क्रमशः 49.15, 45.50 और 7.60 हेक्टयर भू मि पर कृ षि कार्य किया गया कुल चयनित कृ षकों के पास53.50 हेक्टयर भू मि स्वीकृत भू मि थी जिसमें से 51.10 हेक्टयर भू मि पर कृ षि कार्य किया गया कृषकों के पास प्रति कृषक 2.68 हेक्टयर भूमि थी जिसमें से 2.55 हेक्टयर भूमि पर प्रति कृषक कृषि कार्य किया गया 2.57 हेक्टयर भू मि प्रति कृ षक एक बार से अधिक प्रयोग में लायी गयी खरीफ, रवी और जायद फसलों में प्रति कृ षक क्रमशः2.46, 2.28 और .38 हेक्टयर भू मि पर कृ षि कार्य हु आ इस प्रकार व र्ष भर में प्रति कृ षक5.12 हेक्टयर भू मि पर कृ षि कार्य हु आ

तालिका-5.4

वर्ष 1991-92 में उत्तर-प्रदेश के मध्य क्षेत्र के जिले रायबरेली में चयनित कृषकों का क्षेत्र (हेक्टयरमें)

श्रेणी	संख्या	निजी क्षेत्र	कृषित क्षेत्र	एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र	फसलों के अनुसार कृषित क्षेत्र खरीफ	रबी	जायद	कुल
लघु किसान	10	15.60 (1.41)	14.10 (1.41)	(1.30)	13.80 (1.36)	12.50 (1.25)	.80 (.8)	27.10 (2.71)
मध्यम किसान	6	17.40 (2.90)	17 (2.83)	(3.06)	16.50 (2.75)	16 (2.67)	2.80 (.47)	35.30 (5.89)
बड़े किसान	4	20.50 (5.12)	20 (5.00)	(4.96)	18.85 (4.71)	17 (4.25)	4.00 (1.00)	39.85 (9.96)
कुल	20	53.50 (2.68)	51 (2.55)	(2.57)	49.15 (2.46)	45.50 (2.28)	7.60 (.38)	102.25 (5.12)

ब्रेकेट में प्रति कृषक क्षेत्र प्रदर्शित है

उत्तर-प्रदेश के पूर्वी जिले इलाहाबाद के चयनित ग्रामों में लघु किसानों के पास 18.70 हेक्टयर

निजी भूमि थी इसमें से 18.10 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य हुआ खरीफ, रबी और जायद फसलों मे क्रमश: 17.64, 18 और .75 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य हुआ इस प्रकार लघु कृषकों के द्वारा वर्ष में 36.39 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य हुआ खरीफ और रबी के फसलों में इसका क्षेत्र लगभग समान था जबकि जायद की फसल में इनका मात्र 20 वां हिस्सा ही प्रयुक्त किया गया

चययनित मध्यम कृषकों के पास 18.40 हेक्क्टयर निजी भूमि थी जिसमें से 17.40 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य हुआ खरीफ रवी और जायद फसलो के अन्तर्गत 16.85, 16 और 1.50 हेक्क्टयर भूमि पर कृषि कार्य हुआ इस प्रकार वर्ष में लघु कृषकों द्वारा 34.35 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया

चयनित बड़े कृषकों के पास 20.50 हेक्टयर भूमि निजी भूमि थी इसमें से 19 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य हुआ खरीफ, रवी और जायद फसलों के अन्तर्गत क्रमश: 18.65, 18.90 और 2.50 हेक्टयर भूमिपर कृषि कार्य हुआ इस प्रकार वर्ष भर में कुल 40.05 हेक्टयर भूमि परर कृषि कार्य हुआ बड़े कृषकों ने खरीफ और रबी की फसल में लगभग समान क्षेत्र प्रयुक्त किया जबिक जायद में फसल में इनके हिस्से का मात्र 9वां हिस्सा ही प्रयुक्त किया गया

चयनित कुल कृषको के पास 57.60 हेक्टयर भूमि स्वीकृत भूमि थी इसमें से 54.50 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य हुआ खरीफ रवी और जायद फसलों के अन्तर्गत क्रमश:53.14, 52.90 और 4.75 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया इस प्रकार वर्ष भर में कुल 110.79 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य हुआ कृषकों द्वारा

खरीफ की फसल रवी की फसल से अधिक भाग पुयुक्तत किया गया परन्तु यह अन्तर लगभग बराबर था जबकि जायद की फसल में इनका लगभग 11 वां हिस्सा ही प्रयुक्त हुआ है

चयनित लघु कृषकों में प्रति कृषक 1.87 हेक्टयर स्वीकृत भूमि थी जिसमें से 1.81 हेक्टयर पर कृषि कार्य हुआ प्रति कृषक 1.83 हेक्टयर भूमि का एक बार से अधिक प्रयोग किया गया खरीफ, रवी और जायद फसलो के अन्तर्गत प्रति कृषक क्रमशः 1.76, 1.80 और .08 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य हुआ इस प्रकार वर्ष भ्भर में प्रति कृषक 3.64 हेक्टयर भूमि पर प्रति लघु कृषक कृषि कार्य हुआ

चयनित मध्यम कृषकों के पास औसतन 3.07 हेक्टयर निजी भूमि थी जिसमें से 2.90 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य हुआ था 2.83 हेक्टयर भूमि प्रति कृषक एक बार से अधिक प्रयोग में लायी गयी खरीफ, रबी और जायद फसलों के अन्तर्गत प्रति कृषक क्रमशः 2.81, 2.67 और .25 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य हुआ इस प्रकार वर्ष में कुल 5.73 हेक्टयर भूमि पर प्रति कृषक कृषि कार्य किया गया

चयनित बड़े कृषकों में प्रति कृषक 5.13 निजी भूमि थी जिसमें से 4.75 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य हुआ और प्रति कृषक 5.27 हेक्टयर भूमि एक बार से अधिक प्रयोग में लायी गयी खरीफ, रबी और जायद फसलों के अन्तर्गत प्रति कृषक 4.66, 4.73 और .63 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया वर्ष भर में प्रति कृषक 10.02 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया

इस प्रकार कुल चयनित कृषकों में प्रति कृषक 2.88 हेक्टयर निजी भूमि औसतन थी इसमें से 2.73 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया और प्रति कृषक 2.82 हेक्टयर भूमि का एकबार से अधिक प्रयोग किया गया खरीफ, रवी और जायद फसलों के अन्तर्गत प्रति कृषक क्रमशः 2.66, 2.64 और .25 हेक्टयर

भूमि पर कृषि कार्य किया गया इस प्रकार वर्ष भर में कुल कृषकों द्वाराप्रति कृषक5.55 हेक्टयर भूमिपर कृषि कार्य किया गया

तालिका- 5.5

उत्तर-प्रदेशमें1991-92 पूर्वी उत्तरप्रदेशके इलाहाबादजनपदमेंचयनितकृषकोंका क्षेत्र (हेक्टयर में)

श्रेणी	संख्या	निजी क्षेत्र	कृषित क्षेत्र	एकबार से अधिक बोया क्षेत्र	फसलों के अनुसार कृषित क्षेत्र खरीप	रबी	जायद	कुल
लघु किसान	10	18.70	18.10		17.64	18.00	.75	36.39
		(1.87)	(1.81)	(1.83)	(1.76)	(1.80)	(.08)	(3.64)
मध्यम किसान	6	14.40	17.40		16.85	16.00	1.50	34.35
		(3.07)	(2.90)	(2.83)	(2.81)	(2.67)	(.25)	(5.73)
बड़े किसान	4	20.50	14.00		18.65	18.90	2.50	40.05
		(5.13)	(4.75)	(5.27)	(4.66)	(4.73)	(.63)	(10.02)
कुल	20	57.60	54.50		53.14	52.90	4.75	110.79
		(2.88)	(2.73)	(2.82)	(2.66)	(2.64)	(.25)	(5.55)

ब्रेकेट में प्रति कृषक क्षेत्र प्रदर्शित है

उत्तर-प्रदेश के बुन्देल खण्ड क्षेत्र के चयनित गांवों में चयनित लघु कृषको के पास 14.38 हेक्टयर निजी भूमि थी जिसमें से 14.10 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य हुआ खरीफ, रवी और जायद फसलों के अन्तर्गत क्रमशः 13.83, 13.55 और 1.80 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया प्रति कृषक 1.44 हेक्टयर

के औसत से भूमि थी जिसमें से 1.41 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया प्रति कृषक 1.51 हेक्टयर भूमि एक बार मे अधिक प्रयोग में लायी गयी खरीफ रवी और जायद फसलों के अन्तर्गत प्रति कृषक क्रमश: 1.38, 1.36 और .18 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया वर्ष मे प्रति लघु कृषक द्वारा 2.92 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया लघु कृषकों द्वारा खरीफ और रवी की फसलों में लगभग समान भूमि प्रयुक्त की गयी जायद की फसल में बहुत कम लगभग 11 वा हिस्सा भूमि प्रदत्त की गयी

चयनित मध्यम कृषकों के पास 16.80 हेक्टयर भूमि स्वीकृत भूमि थी जिसमें 16.00 हेक्टयर पर कृषि कार्य किया गया खरीफ रवी और जायद पसलों के अन्तर्गत क्रमश: 15.40, 15.50 और 2.30 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया इस प्रककार मध्यम कृषकों द्वारा कुल वर्ष भर में कुल 33.20 हेक्टयर भूमि पर कृषि ककार्य किया गया मध्यम कृषकों के पास 2.80 हेक्टयर के अऔसत से प्रति कृषक निजी भूमि थी इसमें से प्रति कृषक 2.67 हेक्टयर भूमि पर कृषि सकार्य किया गया प्रति कृषक 2.86 हेक्टयर भूमि का प्रयोग एक बार से अधिक किया गया खरीफ, रबी और जायद फसलों के अन्तर्गत प्रति कृषक क्रमश: 2.57, 2.58 और .34 हेक्टयर भूमि का प्रयोग किया गया इस प्रकार वर्ष भर में प्रति कृषक 5.53 हेक्टयर भूमि का प्रयोग किया गया कृषकों द्वारा खरीफ और रवी की फसल में लगभग बराबर भूमि प्रयुक्त की गयी जायद की फसल में इसकी मात्र 7 वां हिस्सा ही भूमि प्रयुक्त की गयी

चयनित बड़े कृषकों के पास 22.90 हेक्टयर भूमि थी इसमें से 22.75 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य हुआ खरीफ, रबी और जायद फसलों के अन्तर्गत क्रमश: 21.55, 22.10 और 8 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया इस प्रकार कुल 47.65 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया बड़े कृषकों में प्रति कृषक 5.73 हेक्टयर

के औसत निजी क्षेत्र था इसमें 5.69 हेक्टयर भूमि कृषि भूमि थी प्रति कृषक6.23 हेक्टयर भूमि एक बार से अधिक बार प्रयोग की गयी खरीफ, रबी और जायद फसलों के अन्तर्गत प्रति कृषक क्रमश: 5.39, 5.53 और 2 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया इस प्रकार वर्ष भर में प्रति कृषक1.92 हेक्टयर भूमिपर कृषि कार्य किया गया इस प्रकार वर्ष भर में प्रति कृषक1.92 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया इस प्रकार खरीफ और रबी की फसलों में लगभग बराबर भूमि प्रयुक्त की गयी जायद की फसल में इसका लगभग एक तिहाई हिस्सा ही प्रयुक्त किया गया

झांसी जनपद के चयनित कुल कृषकों के पास 54.08 हेक्टयर निजी भूमि थी और प्रति कृषक कुल 2.70 हेक्टयर भूमि औसतन थी 52.85 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया प्रति कृषक2.64 हेक्टयर औसतन कृषित भूमि थी प्रति कृषक3.08 हेक्टयर भूमि का एक बार से अधिक प्रयोग किया गया खरीफ, रबी और जायद फसलों के अन्तर्गत क्रमश: 50.78, 51.65 और 12.10 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य हुआ है खरीफ, रबी और जायद फसलों के अन्तर्गत प्रति कृषक2.54, 2.58 और .60 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया इस प्रकार वर्ष भर में कुल114.03 और प्रति कृषक5.72 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया कृषको द्वारा खरीफ और रवी की फसल में लगभग समान भूमि प्रयुक्त की गयी परन्तु रवी की फसल में यह थोड़ी सी अधिक थी जायद की फसल में इनका लगभग एक चौथाई हिस्सा ही प्रयुक्त हुआ है

तालिका- 5.6

उत्तर-प्रदेश के वर्ष 1991-92 में झांसी जनपद के चयनित कृषकों का क्षेत्र (हेक्टयर मे)

श्रेणी	संख्या	निजी क्षेत्र	कृषित क्षेत्र	एक बार से अधिक दिखाया गया क्षेत्र	फसलों के अनुसार कृषित क्षेत्र खरीप	रबी	जायद	कुल
लघु किसान	10	14.38	14.10		13.83	13.55	1.80	29.18
		(1.44)	(1.41)	(1.51)	(1.38)	1.36	.18	(2.92)
मध्यम किसान	6	16.80	16.00		15.40	15.50	2.30	33.20
		(2.80)	(2.67)	(2.86)	(2.57)	(2.58)	(.40)	5.53
बड़े किसान	4	22.90	22.75		21.55	22.10	8.00	47.65
		(5.73)	(5.69)	(6.23)	(5.36)	(5.53)	2.00	(13.71)
कुल	20	54.08	52.85		50.78	51.65	12.10	114.03
		(2.70)	(2.64)	(3.08)	(2.54)	(2.54)	(2.58) 65	(5.70)

ब्रेकेट में प्रति कृषक क्षेत्र प्रदर्शित है

उत्तर- प्रदेश के चयनित पांचों जिलों के चयनित लघु कृषकों के पास 91.95 हेक्टयर निजी भूमि थी इसमें से 88.10 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य हुआ 86.86 हेक्टयर भूमि एक बार से अधिक प्रयोग में लायी गयी खरीफ, रबी और जायद फसलों के अन्तर्गत 84.90, 81.36 और 8.70 हेक्टयर भूमि पर कृषि

कार्य हुआ इस प्रकार 174.96 हेक्टयर भूमि पर वर्ष भर में कृषि कार्य हुआ प्रदेश के पांचों जिलों में लघु कृषकों के पास 1.53 हेक्टयर औसतन निजी भूमि थी प्रति कृषक 1.46 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया और प्रति कृषक 1.46 हेक्टयर औसतन भूमि एक बार से अधिक प्रयोग में लायी गयी खरीफ, रबी और जायद फसलों के अन्तर्गत प्रति कृषक 1.42, 1.36 और .15 हेक्टयर भूमि पर औसतन कृषि कार्य किया गया इस प्रकार प्रति कृषक वर्ष भर में 2.92 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया लघु कृषकों ने खरीफ की फसल में अधिक भूमि की प्रयोग किया रवी की फसल में इससे थोड़ी ही कम लगाग बराबर भूमि प्रयुक्त की गयी जायद की फसल में इसका लगभग 10 वां हिस्सा ही भूमि प्रयुक्त की गयी सभी चयनित मध्यम कृषकों के पास 72.60 हेक्टयर निजी भूमि थी जिसमें से 69.40 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया 73 हेक्टयर भूमि एक बार से अधिक प्रयोग में लायी गयी खरीफ, रबी और जायद फसलों के अन्तर्गत क्रमशः 66.75, 65.50 और 10.15 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया इस प्रकार मध्यम कृषकों द्वारा वर्ष भर में कुल 142.40 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया मध्यम कृषकों में प्रति कृषक 3.03 हेक्टयर निजी भूमि औसतन थी जिसमें प्रति कृषक 2.89 हेक्टयर पर औसतन कृषि कार्य किया गया प्रति कृषक 3.05 हेक्टयर भूमि का एक बार से अधोक प्रयोग किया गया खरीफ रबी और जायद फसलों के अन्तर्गत प्रति कृषक क्रमशः 2.78, 2.73 और .43 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य किया गया इस प्रकार वर्ष भर में प्रति कृषक 5.94 हेक्टयर पर औसतन कृषि कार्य किया गया मध्यम कृषकों द्वारा खरीफ और रबी की फसल मे लगभग समान भूमि का प्रयोग हुआ इसमें से जायद की फसल में दसवें हिस्से से भी कम क्षेत्र में प्रयोग हुआ था खरीफ की फसल में कुछ थोड़ी सी ज्यादा भूमि का प्रयोग किया गया था

बड़े कृषकों के पास 85.80 हेक्टयर निजी क्षेत्र था जिसमें 83.40 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य हुआ

96.25 हेक्टयर भूमि का एक बार से अधिक प्रयोग किया गया खरीफ, रबी और जायद फसलों के अन्तर्गत बड़े कृषकों द्वारा क्रमशः 80.05, 79.95 और 9.05 हेक्टयर भूमि का प्रयोग जायद की फसल में हुआ खरीफ और रबी की फसलों के कृषि क्षेत्र में मामूली सा अन्तर था खरीफ की फसल में थोड़ी सी अधिक भूमि का प्रयोग किया गया था जब कि जायद की फसल में इसका क्षेत्र खरीफ के क्षेत्र से 9 गुने से भी अधिक कम था इस प्रकार वर्ष भर में कुल 179.65 हेक्टयर भूमि का प्रयोग किया गया बड़े कृषकों में औसतन 5.36 हेक्टयर लघु कृषकों के पास निजी क्षेत्र था प्रति कृषक 5.21 हेक्टयर कृषित क्षेत्र था प्रति कृषक 6.02 हेक्टयर भूमि एक बार से अधिक प्रयोग की गयी खरीफ, रवी और जायद की फसलों के अन्तर्गत प्रति कृषक क्रमशः 5, 5 और 1.23 हेक्टयर भूमि का प्रयोग किया गया इस प्रकार वर्ष भर में कुल 11.23 हेक्टयर भूमि का प्रयोग किया गया

उत्तर-प्रदेश के पांचों जिलों में चयनित कृषकों के पास कुल 250.35 हेक्टयर निजी भूमि थी कुल 240.90 हेक्टयर कृषित भूमि थी256.11 हेक्टयर भूमि एक बार से अधिक प्रयोग की गयी खरीफ, रबी और जायद फसलों के अन्तर्गत क्रमशः 231.70, 226.81 और 38.50 हेक्टयर भूमि का प्रयोग किया गया इस प्रकार वर्ष भर में कुल 497.01 हेक्टयर भूमि का उपयोग किया गया प्रति कृषक 2.50 हेक्टयर औसतन निजी भूमि थी जिसमें से प्रति कृषक2.41 हेक्टयर भूमि कृषित भूमि थी प्रति कृषक2.56 हेक्टयर भूमि का एक बार से अधिक प्रयोग किया गयया खरीफ रवी और जायद फसलों के अन्तर्गत क्रमशः 2.32, 2.27, और .38 हेक्टयर भूमि का प्रति कृषक प्रयोग किया गया इस प्रकार वर्ष भर में प्रतिकृषक कुल4.97 हेक्टयर भूमि

का प्रयोग किया गया इस प्रकार कृ षकों द्वारा खरीफ में फसल में रवी की फसल से थोड़े से अधिक अन्तर से कृषि कार्य किया गया जायद की फसल में खरीफ और रवी के फसल के 7 वे हिस्से के बराबर भूमि का प्रयोग हुआ

तालिका- 5.7

उत्तर प्रदेश के पाँच जिलों में वर्ष 1991-92 मे चयनित कृषकों का क्षेत्र (हेक्टयर में)

श्रेणी	संख्या	निजी क्षेत्र	कृषित क्षेत्र	एक बार से अधिक दिखाया गया क्षेत्र	विभिन्न फसलों के अनुसार कृषित क्षेत्र			
					खरीफ	रवी	जायद	कुल
लघु कृषक	60	91.95	88.10	86.86	84.90	81.36	8.70	174.96
		(1.53)	(1.46)	(1.46)	(1.42)	(1.36)	(0.15)	(2.92)
मध्य कृषक	24	72.60	69.40	73.00	66.75	66.50	10.15	142.40
		(3.03)	(2.89)	(3.05)	(2.78)	(2.73)	(10.43)	(5.94)
बड़े कृषक	16	85.80	83.40	96.25	80.05	79.95	19.65	179.65
		(5.36)	(5.21)	(6.02)	(5.00)	(5.00)	(1.23)	(11.23)
कुल	100	250.35	240.90	256.11	231.70	226.81	38.50	497.01
		(2.50)	(2.41)	(2.56)	(2.32)	(2.27)	(0.38)	(4.97)

ब्रेकेट में प्रति कृषक क्षेत्र प्रदर्शित है

उत्तर-प्रदेश के चमोली जिले में खरीफ की फसल में वर्ष 1991-92 में चयनित कृषको द्वारा 10233 रु0 व्यय किये गये खरीफ की फसल में धान पर सर्वाधिक 3479 रु0 प्रति हेक्टयर तथा उर्द पर सबसे कम 1014 रु0 व्यय किये गये खरीफ में धान, मक्का, मडुआ, सांवा और उर्द की फसलों की खेती की गयी जनपद में रबी में गेहूं, चना, मटर और आलू की फसलों की खेती की गयी प्रति हेक्टयर 8514 रु0 व्यय किये गये गेहूं पर सर्वाधिक 2708 रु0 व्यय किये गये जबकि चने पर सबसे कम 1294 रु0 व्यय किये गये

तालिका 5.8

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में चयनित कृषकों का खरीफ और रवी सीजन की विभिन्न फसलों परव्यय(रुपये / हेक्टयरमें)

फसले	लघु कृषक रु0	मध्यम कृषक	बड़े कृषक	औसत
खरीफसीजन				
धान	3479			3479
मक्का	2108			2108
मडुआ	1729			1729
सवान	1903			1903
उर्द	1014			1014
कुल खरीफ	10233			10233
रबीसीजन				
मटर	1992			1992

बाजरा	1294	11294
गेहूं	2708	2708
आलू	2520	2520
कुल रबी	8514	8514

पहाड़ी क्षेत्र में मानवीय श्रम पर सर्वाधिक व्यय किया गया वर्ष 1991-92 की खरीप सीजन की फसलो पर मानवीय श्रम पर 4320 रु0 प्रति कुल व्यय ककिये गये सबसे कम व्यय द पर 213 रु0 किया गया

तालिका 5.9

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में विभिन्न श्रेणी के चयनित कृषकों द्वारा प्रति हेक्टयर

जिन्सवार व्यय का विवरण (रु0 में प्रति हे0)

श्रेणी	श्रम			बीज	खाद और	दवायें	सिंचाई	कुल
	मानवीय	बैल	मशीन		रासायनिक उर्वरक			
लघु कृषक	4320	1616	240	1555	1963	213	326	10233
मध्यम कृषक	-	-	-	-	-	-	-	
बड़े कृषक	-	-	-	-	-	.		
औसत	4320	1616	240	1555	1963	213	326	10233

रबी की फसल में मानवीय श्रम पर 3306 रु0 व्यय किये गये दवाई और सिचाई पर क्रमश: मात्र 71 रु0 व्यय किये गये

तालिका -5.10

उत्तर-प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में विभिन्न श्रेणी के चयनित कृषकों द्वारा प्रति हेक्टयर जिन्सवार व्यय का विवरण

श्रेणी	श्रम मानवीय	बैल	मशीन	बीज	खाद और रासायनिक उर्वरक	दवाये	सिचाई	अन्य	कुल
लघु कृषक	3306	1844	184	1085	1949	71	75	-	8514
मध्यम कृषक									
बड़े कृषक									
कुल	3306	1844	184	1085	1949	71	75	-	8514

बीज और उर्वरक पर भी अच्छा व्यय किया गया कृषकों द्वारा दवाई और सिचाईपर बहुत कम व्यय किया गया था प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में चयनित कृषकों द्वारा खरीफ की फसल में धन पर सर्वाधिक 34 प्रतिशत

व्यय किया उर्द पर सबसे कम 9.90 प्रतिशत व्यय किया मक्का, मंडुआ और सवान पर क्रमशः 20.60, 16.90 और 18.60 प्रतिशत व्यय किया गया इस प्रकार कृषको में धान की फसल सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही मक्का मडुआ और सवान पर थोड़े अन्तर से लगभग समान व्यय किया गया

तालिका 5.11

पहाड़ी क्षेत्र में खरीफ में विभिन्न फसलों पर चयनित कृषकों का प्रतिशत व्यय
(व्यय प्रतिशत में)

फसले	लघु कृषक	मध्यम कृषक	बड़े कृषक	औसत
धान	34.00	-	-	34.00
मक्का	20.60	-	-	20.60
मडुआ	16.90	-	-	16.90
सवान	18.60	-	-	18.60
उर्द	9.90	-	-	9.90
कुल खरीफ	100	-	-	100

रवी की फसलों में मटर पर सर्वाधिक व्यय किया गया मटर पर चयनित कृषकों द्वारा 31.80 प्रतिशत रुपया व्यय किया गया आलू, गेहूं चना पर क्रमशः 29.60, 23.40 और 15.20 प्रतिशत रुपया व्यय किया गया कृषको द्वारा रवी की फसल में गेहूं और आलू की फसल को व्यय के रूप में प्रधानता दी 60 प्रतिशत से अधिक इन दोनों फसलों पर व्यय किया गया

तालिका 5.12

पहाड़ी क्षेत्र में रवी सीजन की विभिन्न फसलों पर चयनित कृषकों का व्यय
(व्यय प्रतिशत में)

फसले	लघु कृषक	मध्यम कृषक	बड़े कृषक	औसत
मटर	23.40			23.40
चना	15.20	–		15.20
गेहूं	31.80			31.80
आलू	29.60	–		29.60
कुल रबी	100	–		100

प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में खरीफ ऋतु में धान से सर्वाधिक आय प्राप्त की गयी चयनित कृषकों को धान की फसल से 5481 रुरुपये प्रतिहे0 प्राप्त हुये कृषकों को सबसे कम उर्द की फसल से1600 रुपये प्राप्त हुये

खरीफ के सीजन में चयनित कृ षकों को16103 रु0 प्रति हेक्टयर प्राप्त हुये मक्का, मडुआ आर सवान पर

क्रमश: 3323, 2695 रु0 आय प्राप्त हुयी

तालिका- 5.13

पहाड़ी क्षेत्र में रवि के सीजन में विभिन्न फसलों पर चयनित कृषकों की आय (रु0 प्रतिहेक्टयरमें)

फसले	लघु कृषक	मध्यम कृषक	बड़े कृषक	कुल
धान	5481			5481
मक्का	3323	–		3323
मंडुआ	2695	–		2695
सवान	2995	–		2995
उर्द	1600	–		1600

तालिका- 5.14

प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में रवी सीजन की विभिन्न फसलों से चयनित कृषकों की आय (रु0 प्रति हेक्टयर)

फसले	लघु कृषक	मध्यम कृषक	बड़े कृषक	औसत
मटर	4620	–		4620
बाजरा	3000	–		3000
गेहूं	6272	–		6272

आलू	5820	–	5820
कुल	19712	–	19712

रवी के सीजन में चयनित कृषकों को गेहूं से सर्वाधिक 6272 रु0 की आय प्राप्त हुयी तथा सबसे कम आय चना से 3000 रु0 की आय प्राप्त हुयी गेहूं तथा आलू से उस सीजन में 4620 और 5820 रु0 की आय प्राप्त हुयी इस सीजन में 19712 रु0 प्रति हेक्टयर की आय प्राप्त हुयी

प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में खरीफ ऋतु में चयनित कृषकों को धान की फसल से 34.03 प्रतिशत तथा सबसे कम उर्द की फसल से 9.91 प्रतिशत आय प्राप्त हुयी इसी प्रकार मक्का, मंडुआ और सावॉं की फसलों से क्रमश: 20.63, 16.73 और 18.70 प्रतिशत आय प्राप्त हुयी

तालिका- 5.15

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में खरीफ ऋतु की विभिन्न फसलों द्वारा चयनित कृषककों की आय

(आयप्रतिशतमें)

फसलें	लघु कृषक	मध्यम कृषक	बड़े कृषक	औसत
धान	34.03	–	—	34.03
मक्का	20.63	–	—	20.63
मंडुआ	16.73	–	—	16.73
सवान	18.70	–	—	18.70
उर्द	9.91	–	—	9.91
कुल खरीफ	100	–	—	100

पहाड़ी क्षेत्र में रवी ऋतु में चयनित कृषकों को मटर की फसल से सर्वाधिक 31.82 प्रतिशत की आय प्राप्त हुयी आलू, गेहूं और चने की फसलों से कृषकों को क्रमश: 29.53, 23.43 और 15.22 प्रतिशत की आय प्राप्त हुयी गेहूं और आलू से कृषकों को लगभग समान आय प्राप्त हुयी बाजरा की फसल से इसकी लगभग आधी आय प्राप्त हुयी इस प्रकार पहाड़ी क्षेत्र में धान, मटर और आलू की फसल से सर्वाधिक आय प्राप्त हुयी गेहू और मक्का की फसल से भी कृषकों को अच्छी आय प्राप्त हुयी

तालिका- 5.16

उत्तर-प्रदेश की पहाड़ी क्षेत्र में रवी ऋतु की विभिन्न फसलों से चयनित कृषकों की आय (आय प्रतिशतमें)

फसलें	लघु कृषक	मध्यम कृषक	बड़े कृषक	औसत
मटर	23.43	–		23.43
बाजरा	15.22	–		15.22
गेहूं	31.82	–		31.82
आलू	29.53	–		29.53
कुल रवी	100	–		100

पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के चयनित जनपद एटा के विभिन्न श्रेणियों के चयनित कृषकों का खरीफ ऋतु में कुल 15049 रु0 प्रति हेक्टयर औसतन व्यय हुआ लघु कृषकों तथा मध्यम कृषकों ने गन्ने पर सर्वाधिक व्यय किया सभी कृषकों का सर्वाधिक व्यय भी गन्ने पर 8211 रु0 प्रति हेक्टयर रहा सबसे कम व्यय उर्द पर किया गया मध्यम कृषकों ने मूँगफली की फसल ही नहीं ली थी लघु कृषकों ने कुल 13168 रु0 प्रति

हेक्टयर व्यय किये तथा मध्यम और बड़े कृषकों ने क्रमशः 15787 और 16193 रु0 प्रति हेक्टयर व्यय किये थे इस प्रकार बड़े कृषक मध्यम कृषक और लघु कृषकों ने क्रमशः व्यय किया था

तालिका- 5.17

पश्चिमी उत्तर- प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा खरीप ऋतु वर्ष 1991-92 में विभिन्न फसलों पर व्यय (रु0 प्रति हेक्टयर)

फसलें	लघु कृषक	मध्यम ककृषक	बड़े कृषक	औसत
धान	1501	2258	1781	1847
मक्का	1040	1294	1085	1140
उर्द	645	963	761	790
मू गफली	2462	- 3	660	3061
गन्ना	7520	11272	8906	8211
कुल	13168	15787	16193	15049

रवी के सीजन में पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के चयनित लघु कृषकों ने 11677, मध्यम और बड़े कृषकों ने क्रमशः 11816 और 11669 रु0 प्रतिहे0 व्यय किये इस प्रकार कुल 11721 रु0 प्रतिहे0 औसतन व्यय किया

गया कृ षको द्वारा आलू पर सर्वाधिक व्यय किया गया चने की फसल पर सबसे कम व्यय किया गया सरसों

ततथा अरहर पर लघु कृ षकों ने मध्यम तथा बड़े कृ षकों से अधिक व्यय किया ल

तालिका- 5.18

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा वर्ष 1991-92 में रवी ऋतु में विभिन्न फसलों पर व्यय (रु0 प्रति हे0)

फसले	लघु कृ षक	मध्यम कृषक	बड़े कृषक	औसत
गेहू	643	674	618	645
चना	572	579	572	574
मटर	712	697	713	715
अरहर	759	756	758	762
सरसो	701	697	688	692
आलू	5885	5979	5951	5931
गन्ना	2405	2434	2369	2402

कुल रबी 11677 11816 11669 11721

जायद सीजन की फसलों पर मध्यम कृषकों द्वारा प्रति हेक्टयर सर्वाधिक व्यय किया गया जायद की फसल में लघु कृषक मध्यम कृषक और बड़े कृषकों द्वारा क्रमश: 2400, 3543 और 2671 रु0 प्रति हे0 व्यय किये गये इस प्रकार जायद की फसल में 2871 रुपये प्रति हेक्टयर की औसत से व्यय किया गया

तालिका- 5.19

पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा वर्ष 1991-92 जायद की फसल में विभिन्न फसलों परव्यय(रु0 प्रति हे0)

फसल	लघु कृषक	मध्यम कृषक	बड़े कृषक	औसत
धान	—	-		
मक्का	1057	1555	1181	1264
उर्द	632	927	707	755
मूंग	711	1061	783	852
कुल जायद	2400	3543	2671	2871

पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में खरीफ ऋतु में मानतीप श्रम पर 4263-67 रुपये प्रतिहेक्टयर के औसतन व्यय किया

गया था प्रतिहेक्टयर मानतीप श्रम पर सर्वाधिक व्यय मध्यम कृषक करते थेलघु कृषक और बड़े कृषक ने मानतीप श्रम पर लगभग बराबर व्यय किया है मध्यम कृषकों ने दवायें पर सबसे कम व्यय किया था कृषकों द्वारा सिचांई पर भी व्यय किया गया था

तालिका-20

पश्चिमी उत्तर-प्रदेश की खरीफ ऋतु में 1991-92 में चयनित विभिन्न श्रेणियों के कृषकों का वेसवार

व्यय का विवरण (रू0 प्रतिहेक्टयर)

श्रेणी	श्रम			बीज	खाद और उर्वरक	दवायें	सिंचाई	अन्य	कुल
	मानतीय	बैल	मशीन						
लघु कृषक	3974	2770	269	2185	3125	546	299	-	13168
मध्यम कृषक	4831	4085	582	2118	3040	281	701	149	1578
बड़े कृषक	3986	3818	769	2259	3613	824	751	173	1619
औसत	4263.67	3557.67	540	2187.33	3259.33	550.33	583.67	107.33	1504[illegible]

पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के लधु कृषकों ने रवी की फसल के लिये 11677 रु0 प्रतिहेक्टर व्यय किये तथा मध्यम और बड़े कृषकों ने क्रमशः 11816 प्रतिहेक्टयर तथा 11669 रु0 प्रतिहेक्टयर औसतन व्यय किये गये सभी कृषकों द्वारा 11720.67 रु0 के औसत से रवी की फसल केलिये रुपों व्यय किय गये मध्यम कृषकों द्वारा रवी पर सबसे कम व्यय किया गया बड़े कृषकों ने उर्वरकों पर लघु एवं मध्यम कृषको से अधिक व्यय

किया था बीजो पर सर्वाधिक व्यय लघु कृषकों द्वारा किया गया बीजों पर मध्यम और बड़े कृषकों द्वारा प्रति हेक्टयर लगभग समान व्यय किया गयालरवी

तालिका5.21

पश्चिमी उत्तर-प्रदेश की रवी ऋतु में 1991-92 में विभिन्न श्रेणियों के कृषकों का जिन्सवार व्यय का विवरण(रुपये प्रति हेक्टयर)

श्रेणी	श्रम			बीज	खाद एवं उर्वरक	दवायें	सिंचाई	अन्य	कुल
	मानवीय	बैल	मशीन						
लघु कृषक	3835	2550	200	1445	2329	765	643	-	11677
मध्यम कृषक	2922	4427	415	1070	2034	565	299	89	11816
बड़े कृषक	3351	3022	700	1068	2829	180	370	149	11669
औसत	3369.33	3331.33	4338.33	1194.33	2397.33	473.33	437.33	79.33	11720.67

पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा जायद की फसल में 2871.33 रु0 प्रति हेक्टेयर औसत से व्यय किया गया लघु कृषको द्वारा2400 रु0 मध्यम कृषकों द्वारा3543 रु0 तथा बड़े कृषकों द्वारा2671 रु0 प्रतिहेक्टयर रुपये व्यय किये गये है लघु कृषकों ने रासायनिक दवाओं पर जायद की फसल में को व्यय नहीं किया जायद की फसल में बड़े कृषकों ने सिंचाई और दवाओं पर बहुत कम व्यय किया था मध्यम कृषकों ने दवाओं पर बड़े कृषकों से छः गुने से भी अधिक कृषकों ने लघु कृषकों से लगभग दुगुना व्यय किया था इसी प्रकार सिंचाई पर लघु कृषकों से लगभग दुगुने से अधिक व्यय किया था

तालिका 5.22

पश्चिमी उत्तर-प्रदेश की जायद की फसल में वर्ष 1991-92 में विभिन्न श्रेणियों के चयनित कृषकों द्वारा जिन्सवार विवरण (प्रति हेक्टयर)

श्रेणी	श्रम			बीज	खाद एवं उर्वरक	दवायें	सिंचाई	अन्य	कुल
	मानवीय श्रम	बैल	मशीन						
लघु कृषक	764	428	198	330	505	-	175	-	2400
मध्यम कृषक	1138	863	120	448	518	150	306		3543
बड़े कृषक	1075	875	50	213	355	23	80	-	2671
औसत	992.33	722.1	22.657	330.33	459.33	57.67	187	-	2871.33

पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में खरीफ की फसल में गन्ना पर सर्वाधिक व्यय किया गन्नेपर सबसे अधिक मध्यम कृषकों नें 71.40 प्रतिशत व्यय किया गया धान की फसल पर सभी कृषकों द्वारा गन्ने पर 54.56 प्रतिशत के औसत से व्यय किया गया धान की फसल पर सभी कृषकों ने अच्छा ध्यान दिया है यहां सभी कृषकों द्वारा 12.27 प्रतिशत धान पर व्यय किया गया मूंगफली पर 20.34 प्रतिशत व्यय किया गया धान और उर्द की फसल पर लघु और बड़े कृषकों द्वारा लगभग समान व्यय किया गया इसी प्रकार लघु और बड़े कृषकों द्वारा गन्ने की फसल पर समान व्यय किया गया कृषकों द्वारा सर्वाधिक महत्व गन्ने की फसल को दिया गया

तालिका-5.23

पश्चिमी उत्तर-प्रदेश कीजायद की फसल में वर्ष 1991-92 में विभिन्न फसलों पर प्रतिशत व्यय

(व्ययप्रतिशतमें)

फसलें	लघु कृषक	मध्यम कृषक	बड़े कृषक	औसत
धान	11.40	14.30	11.00	12.27
मक्का	7.90	8.20	6.70	7.58

उर्द	4.90	6.10	4.70	5.25
मूंगफली	18.70	-	22.60	20.34
गन्ना	57.10	71.40	55.00	54.56
कुल खरीफ	100.00	100	100	100

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा रवी की फसल में आलू पर 50.60 प्रतिशत का व्यय किया गया गन्ने पर 20.50 प्रतिशत रुपये का व्यय किया गया अन्य फसलो पर थोड़े अन्तर का ही व्यय रहा कृषकों द्वारा खरीफ की फसल में आलू की पसल पर सर्वाधिक व्यय किया गया सभी श्रेणियों के कृषकों ने आलू पर लगभग समान व्यय किया इसी प्रकार गन्ना और अन्य फसलों पर सभी श्रेणियों के कृषकों ने समान व्यय किया था आलू की फसल से गन्ने की फसल से लगभग ढ़ाई गुना अधिक व्यय किया गयया और आलू की फसल पर अन्य सभी फसलों के योग का आधा व्यय किया गया इसी से रवी की फसल में कृषकों द्वारा आलू की फसल को दिये गये महत्व का पता चलता है

तालिका- 5.24

पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों के द्वारा रवी की फसल में 1991.92 में विभिन्न फसलों पर प्रतिशत व्यय (व्यय प्रतिशत में)

फसले	लघु कृषक	मध्यम कृषक	बड़े कृषक	औसत
गेहूं	5.51	5.70	5.30	5.50
चना	4.90	4.90	4.90	4.90
मटर	6.10	5.90	6.11	6.10

अरहर	6.50	6.40	6.50	6.50
सरसों	6.00	5.90	5.90	5.90
आलू	50.40	50.60	51.00	50.60
गन्ना	20.59	20.60	20.30	20.50
कुल रबि	100	100	100	100

पशिचर्मा उत्तर प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा जायद की फसल में धान पर सर्वाधिक 36 कि.ग्रा. प्रतिशत व्यय किया मक्का पर 28.21 प्रतिशत का व्यय ककिया गया जायद की फसल में कृषकों द्वारा धान की फसल पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया सभी श्रेणी के कृषकों ने धान की फसल पर लगभग समान व्यय किया था

तालिका-5.25

पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा जायद की फसल में वर्ष 1991-92 में विभिन्न फसलोंपरप्रा तिशततव्यय(व्ययप्रा तिशतमें)

फसल	लघु कृषक	मध्यम कृषक	बड़े कृषक	औसत
मक्का	44.0	43.9	44.2	44.00
उर्द	26.3	26.2	26.5	26.3
गृंग	29.6	19.32	29.3	29.6
कुल जायद	100	100	100	100

पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में चयनित कृषकों को खरीफ ऋतु में 30652 रु0 प्रति कुल 43652 रुपये हेक्टेयर की आय प्राप्त हुयी थी लघु कृषककों को 26730 रु0 प्रति हेक्टेयर की आय प्राप्त हुयी तथा प्रति हेक्टेयर बड़े कृषकों को सर्वाधिक 33660 रु0 की आय प्राप्त हुयी तथा लघु कृषकों को 31566 रु0 प्रति हेक्टयर की आय प्राप्त हुयी कृषकों को सर्वाधिक आय गन्ने की फसल से प्राप्त हुयी कृषकों ने गन्ने की फसल से सर्वाधिक आय प्राप्त की थी गन्ने की फसल से मध्यम श्रेणी के कृषकों को सर्वाधिक सआय प्राप्त हुयी गन्ने से प्राप्त आय प्रति हेक्टेयर कुल आय के आधे से भी अधिक है मूगफली की फसल से लघु एव बड़े कृषकों ने भी अच्छी आय प्राप्त की थी ककृषकों को उर्द की फसल से सबसे कम आय प्राप्त हुयी

तालिका- 5.26

पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों को वर्ष 1991-92 में खरीफ ऋतु में विभिन्न फसलों से प्राप्तआय(रु प्रतिहेक्टेयर)

फसले	लघु कृषक	मध्यम कृषक	बड़े कृषक	औसत
धान	3200	4516	3420	3712
मक्का	2080	2600	2200	2293
उर्द	1400	1950	1540	1630
मूंगफली	5050	-	8500	4517
गन्ना	15000	22500	18000	18500
कुल	26730	31566	33660	30652

पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में चयनित कृषकों को रवी के सीजन में कुल 24252 रु0 प्रति हेक्टेयर की आय प्राप्त हुयी बड़े कृषकों को सर्वाधिक 24602 रु0 प्रति हेक्टयर की आय प्राप्त हुयी मध्यम कृषकों को इससे थोड़ी सी कम 24330 रु0 प्रति हेक्टयर की आय प्राप्त हुयी तथा छोटे कृषकों को इस सीजन में सबसे कम 23824 रु0 प्रति हेक्टययर प्राप्त हुये कृषकों को सर्वाधिक आय आलू की फसल से प्राप्त हुयी आलू की फसल से कृषककों को 12097 के औसत से रुपये प्राप्त हुये आलू की फसल से कृषकों को कुल आय की आधे से भी अधिक आय प्राप्त हुयी कृषकों को सबसे कम आय चने की फसल से प्राप्त हुयी गेहूं और सरसों से कृषकों को लगभग समान आय प्राप्त हुयी

तालिका-5.27

पश्चिमी उ०-प्रदेश के चयनितत कृषको द्वारा वर्ष 1991-92 में रबी की ऋतु में विभिन्न फसलों से प्राप्त आय (रुपये प्रति हेक्टयर)

फसले	लघु कृषक	मध्यम कृषक	बड़े कृषक	औसत
गेहूं	1300	1510	1420	1410
चना	1140	1290	1210	1213
मटर	1524	1480	1620	1541
अरहर	1740	1690	1810	1747
सरसों	1530	1480	1402	1471
आलू	11800	12150	12340	12097
गन्ना	4790	4730	4800	4773
कुल	23824	24330	24602	24252

एटटा जनपद के चयनित कृषकों को जायद की फसल से 5039 रुपये प्राप्त हुये। सबसे कम आय मध्यम कृषकों को 4945 रु० प्रति हेक्टेयर की हुयी। लघु कृषको और बड़े कृषकों की आय में थोड़ा अन्तर पाया गया। यह लगभग बराबर ही थी। कृषको को मूंग और उर्द की फसल से लगभग समान आय प्राप्त हुयी।

तालिका- 5.28

पश्चिमी उ०-प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा वर्ष 1991-92 में जायद में विभिन्न फसलों से प्राप्त आय (रुपये प्रति हेक्टयर)

फसले	लघु कृषक	मध्यम कृषक	बड़े कृषक	औसत
मक्का	2067	2029	2098	2065
उर्द	1480	1447	1527	1485
मूंग	1508	1469	1492	1489
कुल	5055	4945	5117	5039

इस प्रवार चयनित वृषवों खरीप में सर्वाधिव आय गन्ने वी पसल से प्राप्त हुयी है । इसमें वृषवों वो 61.21 प्रतिशत वी आय प्राप्त हुयी है । मध्यम वृषवो वो गन्ने वी पसल से 71.44 प्रतिशत वी सर्वाधिव आय प्राप्त हुयी । वृषवों ने अपनी आय 60 प्रतिशत से अधिव गन्ने वकी पसल से प्राप्त विया था । अन्य पसलों मे धान और मूंगपली वी पसलों से वृषवों वो अच्छी आय प्राप्त हुयी थी ।

तालिवा- 5.29

पश्चिमी उत्तर-प्रदेश वे चयनित वृषवों वी वर्ष 1991-92 में खरीप ऋतु में विभिन्न पसलों से प्राप्त प्रतिशतआय(आयप्रतिशतमें)

पसलें	लघु वृषव	मध्यम वृषव	बड़े वृषव	वुल
धान	11.43	14.28	11.00	12.24
मक्का	7.86	8.16	6.72	7.58
उर्द	4.90	6.12	4.72	5.25
मूंगपली	18.65	-	22.56	13.72
गन्ना	57.16	71.44	55.00	61.21
वुल खरीप	100	100	100	100

जनपद वे चयनित वृषवों वो रवी वे सीजन में आलू वी पसल से 50.66 प्रतिशत आय प्राप्त हुयी । गन्ने से 20.50 प्रतिशत आय प्राप्त हुयी । इस प्रकार इन पसलों से वुल 71.16 प्रतिशत वी वुल आय प्राप्त हुयी है । अन्य सभी पसलों वा प्रतिशत 4 से 7 वे बीच रहा है । गेहूं वी पसल से वृषवों ने आश्चर्यजनव रूप से गेहूं वी पसल से मात्र 5.49 प्रतिशत आय प्राप्त वी ।

तालिका- 5.30

पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों की वर्ष 1991-92 में रबी ऋतु में विभिन्न फसलों से प्राप्त प्रतिशतआय(आयप्रतिशतमें)

फसले	लघु कृषक	मध्यम कृषक	बड़े कृषक	औसत
गेहूं	5.51	5.69	5.27	5.44
चना	4.93	4.87	4.92	4.90
मटर	6.08	5.95	6.12	6.05
अरहर	6.49	6.39	6.50	6.46
सरसों	5.97	5.91	5.94	5.94
आलू	50.44	50.59	50.93	50.66
गन्ना	20.58	20.60	20.32	20.50
कुल रबी	100	100	100	100

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के,चयनित कृषकों ने जायद की ऋतु में मक्का की फसल से सर्वाधिक आय प्राप्त की थी। मक्का की फसल से कृषकों को 41 प्रतिशत की आय प्राप्त हुयी थी। उर्द और मूंग की फसल से भी लगभग बराबर 29 प्रतिशत की आय कृषकों को प्राप्त हुयी। कृषकों ने मक्का की फसल से सर्वाधिक आय प्राप्त

वी । सर्भभिणियों वे वृषवों ने मववा वी पसल से 41 प्रतिशत आय प्राप्त वी जबवि उर्द और मूंग वी पसल से वृषवों वो लगभग बराबर आय प्राप्त हुयी।

तालिवा- 5.31

पश्चिमी अर-प्रदेश वे चयनित वृषवों वी वर्ष 1991-92 में जायद वी ऋतु में विभिन्न पसलों से प्राप्तआय(आयप्र तिशतमें)

पसलें	लघु वृषव	मध्यम वृषव,	बड़े वृषव	वुल
मववा	40.9	41.0	41.0	41.0
उर्द	29.3	29.3	29.9	29.6
मूंग	29.8	29.7	29.1	29.4
वुल जायद	100	100	100	100

अर प्रदेश वे मध्य क्षेत्र वे चयनित जनपद रायबरेली वे,चयनित वृषवां.ारा खरीप वे मौसम में 14432 रुपये प्रति हेवटयर वा व्यय विया गया। सबसे अधिव व्यय बड़े वृ षवों ने17826 रुपये प्रति हेवटेयर वा व्यय विया। लघु वृ षवो ने प्रति हेक्टेयर मात्र9049 रुपये वा व्यय विया। वृ षवों.ारा सर्वाधिव व्यय धान वी पसल पर 4879 रु0 विया गया। मववा, मू ग और उर्द वी पसल पर मध्यम तथा बड़े वृ षवों ने लघु वृषवों से लगभग दु गना व्यय विया था।

तालिका- 5.32

अर प्रदेश में मध्य क्षेत्र वे चयनित वृषवों ारा खरीप वी पसल में वर्ष 1991-92 में विभिन्न पसलों परव्यय(रू0 प्रति हेवटयर)

पसले	लघु ववृषव	मध्यम वृषव	बड़े वृषव	वुल
धान	3963	4713	5954	4879
मववा	1719	4401	4670	3600
मूंग	977	2102	3637	2243
उर्द	1059	2430	3565	2351
अन्य	1331	2775	-	1359
औसत	9049	16421	17826	14432

मध्य क्षेत्र वे चयनित वृषवों ने रवी वी पसल वे लिये वुल 16033 रु0 प्रति हेवटयर व्यय विये। सबसे अधिव व्यय 8012 रु0 आलू वी पसल पर विया गया। मध्य क्षेत्र वे चयनित वृषवों में मध्यम वृषवों ने सर्वाधिव 19708 रुपये प्रति हेक्टेयर व्यय विये। बड़े वृषवों ने लघु वृषवों से लगभग चार हजार रुपये से अधिव व्यय विया। मध्यम वृषवों ने 12278 रु0 आलू वी पसल पर व्यय विया। गन्ने वी पसल पर भी वृषवों ारा भारी व्यय विया। गन्ने वी पसल पर 4274 रुपये व्यय वविये गये। बाजरे वी पसल पर सबसे वम व्यय विया गया। इस पर वृषवों ारा वेवल 646 रुपये व्यय विये गये। गेहूं वी पसल पर बड़े वृषवों ारा सर्वाधिव व्यय विया गया। लघु वृषवों वो रवी वी पसल वुल जितना व्यय विया गया मध्यम वृषवों ने आलू वी ही पसल में लगभग उतना ही व्यय विया।

तालिका- 5.33

उत्तर-प्रदेश में मध्य क्षेत्र के चयनित कृषकों द्वारा वर्ष 1991-92 में रवी की फसल में विभिन्न फसलों पर किया गया व्यय (रुपये प्रति हेक्टेयर)

फसलें	लघु कृषक	मध्यम कृषक	बड़े कृषक	औसत
गेहूं	782	1281	1035	3101
बाजरा	453	887	598	646
गन्ना	3325	5262	4235	4274
आलू	7665	12278	10298	8012
कुल रवी	12225	19708	16166	16033

मध्य क्षेत्र के कृषकों ने जायद की फसल में 2335 रु0 प्रति हेक्टेयर के औसत से रुपये व्यय किये। जायद की फसल में सबसे अधिक मध्यम कृषकों ने 3006 रु0 प्रति हेक्टेयर व्यय किये। धान की फसल पर सबसे अधिक 810 रु0 प्रति हेक्टेयर के औसत व्यय किया गया। कृषकों द्वारा जायद की फसल में मक्का और उर्द की फसल पर लगभग बराबर के औसत से व्यय किया गया था। कृषकों ने मूंग की फसल पर सबसे कम व्यय किया। धान की फसल पर व्यय मूंग की फसल के व्यय के दुगने से कुछ ही कम है।

तालिका- 5.34

उत्तर-प्रदेश में मध्य क्षेत्र के चयनित कृषकों द्वारा वर्ष 1991-92 में जायद की फसल में विभिन्न फसलों पर किया गया व्यय (रुपये प्रति हेक्टेयर)

फसलें	लघु कृषक	मध्यम कृषक	बड़े कृषक	औसत
धान	566	1094	743	810
मक्का	416	691	543	550
उर्द	399	628	521	516
मूंग	354	593	457	459
कुल जायद	1735	3006	2264	2335

मध्य क्षेत्र के चयनित कृषकों ने खरीफ की फसल में धान पर कुल 33.80 प्रतिशत व्यय किया। मक्का

वी पसल पर 24.94 प्रतिशत व्यय विया गया। लघु वृषवों ने धान वी पसल पर सर्वाधिव व्यय विया। इन वृषवों ने धान वी पसल पर वुल ब्यय वा 43.79 प्रतिशत व्यय विया। बड़े वृषवों ने इस पसल पर 33.40 प्रतिशतत व्यय विया। बड़े वृषवों ने मूंग वी पसल पर भी वापी 20.40 प्रतिशत ब्यय विया। लघु वृषवो ारा मवव्रा और उर्द वी पसल पर लगभग समान व्यय विया गया। वृषवो ने मवका, उर्द और मृग आदि सभी पसलो पर थोड़े अन्तर से व्यय विया था।

तालिवा-5.35

अर-प्रदेश वे चयनित वृषवो ारा मध्य क्षेत्र में वर्ष 1991-92 में खरीप पसल में विभिन्न पसलों पर वियागयाब्यय(ब्ययप्रतिशतमें)

पसल	लघु वृषव	मध्यम वृषव	बड़े वृषव	औसत
धान	43.79	28.70	34.40	33.80
मववा	19.00	26.80	26.20	24.94
मूंग	10.80	12.80	20.40	15.54
उर्द	11.70	14.80	20.00	16.29
अन्य	14.71	16.90	-	9.43
वुल खरीप	100	100	100	100

मध्य क्षेत्र वे चयनित वृषवों ने रवी वी पसल में आलू पर वुल 62.90 प्रतिशत रुपये वा ब्यय विया गया जो वि अन्य पसलों वे ब्यय वे वितरण में सर्वाधिव है। वृषवों ारा गन्ने पर भी अच्छा ब्यय विया गया। गन्ने वी पसल पर वृषवों ारा 26.66 प्रतिशत ब्यय विया गया। वृषवों ारा गेहूं वी पसल पर लगभग समान

ब्यय विय़ा गया । वृषवों ारा बाजरे वी पसल पर सबसे वम ब्यय विया गया । गेहूं और बाजरे वी पसल पर ब्यय वा प्रतिशत वम था ।

तालिवा- 5.36

उार प्रदेश में मध्य क्षेत्र वे चयनित वृषवों ारा रवी वी पसल मे वर्ष 1991-92 में विभिन्न पसलो पर ब्यय(ब्ययप्रा तिशतमें)

पसले	लघु वृषव	मध्यम वृषव	बड़े वृषव	औसत
गेहूं	6.40	6.50	6.40	6.43
बाजरा	3.70	4.50	3.70	4.03
गन्ना	27.20	26.70	26.20	26.66
आलू	62.70	62.30	63.70	62.90
वुल	100.00	100.0	100	100

मध्य क्षेत्र वे वृषवों ारा जायद वी पसल वे दौरान धान वी पसल पर सर्वाधिव ब्यय विया गया । इस पसल पर 34.69 प्रतिशत ब्यय विय़ा गया । धान वी पसल पर मध्यम वृषवों ारा सर्वाधिव 36.39 प्रतिशत ब्यय विय़ा गया जो वि अन्यश्रेणी वे वृषवो में सर्वाधिव है । अन्य सभी पसलो में मध्यमश्रेणी वे वृषवों ने अन्यश्रेणी वे वृषवों से वम ब्यय विया है । मध्यम और बड़े वृषवों ने लघु वृषवों से उर्वरवों में लगभग तीन गुने से वुछ ही वम ब्यय विया था । दवाओं पर मध्यम और बड़े वृषवों ने लगभग समान ब्यय विया था । जबवि लघु वृषवों ने दवाओं और सिंचाई पर बहुत वम ब्यय विया था ।

तालिका- 5.37

उत्तर- प्रदेश में मध्य क्षेत्र के चयनित कृषकों द्वारा जायद की फसल मे वर्ष 1991-92 में विभिन्न फसलों पर व्यय (व्यय प्रतिशत में)

फसले	लघु कृषक	मध्यम कृषक	बड़े कृषक	औसत
धान	32.62	36.39	32.82	34.69
मक्का	23.98	22.99	23.98	23.55
उर्द	23.00	20.89	23.01	21.91
मूंग	20.40	19.73	20.19	19.65
कुल जायद	100	100	100	100

मध्य क्षेत्र के कृषकों ने खरीफ की फसल में मानवीय श्रम को ही महत्व प्रदान किया है । कुल व्यय में सर्वाधिक व्यय श्रम पर ही किया गया है श्रम के बाद सर्वाधिक व्यय खाद एवं उर्वरक पर किया गया । लघु कृषकों और मध्यम कृषकों ने मशीनी श्रम पर कोई व्यय नहीं किया । खरीफ की फसल के लिये मात्र बड़े कृषकों ने ही व्यय किया था । दवाओं पर लघु कृषकों ने कोई व्यय नही किया । सिचाई पर सभी श्रेणी के कृषकों ने लगभग समान व्यय किया था । बीजों पर सर्वाधिक व्यय बड़े कृषकों ने किया जबकि उर्वरको पर मध्यम कृषकों ने सर्वाधिक व्यय किया ।

तालिका- 5.38

उत्तर-प्रदेश के मध्य क्षेत्र में चयनित कृषकों द्वारा वर्ष 1991-92 में खरीफ की फसल के लिये जिन्सवार व्यय (रुपये प्रति हेक्टयर)

श्रेणी	श्रम मानवीय	बैल	मशीन	बीज	खाद एवं उर्वरक	दवाये	सिचाई	अन्य	कुल
लघु कृषक	4530	2029	-	813	1359	190	128	-	9049
मध्यम कृषक	6575	2749	-	2145	3729	514	508	401	16421
बड़े कृषक	7268	1985	853	2335	3971	515	434	465	17826
औसत	6124	2254	284	1764	3020	406	357	289	14432

मध्य क्षेत्र के कृषकों ने रबी की फसल में भी श्रम पर ही अधिक जोर दिया है । मानवीय श्रम पर कृषकों

द्वारा 6616 रु0 प्रति हेक्टयर व्यय किये गये । मशीनश्रम पर केवल 326 रु0 प्रति हेक्टेयर के औसत से रुपये व्यय किये गये । कृषकों द्वारा खादों पर भी भारी व्यय किया गया । खादों पर 3900 रु0 प्रति हेक्टेयर के औसत से रुपये व्यय किये गये । मध्यम कृषकों ने खादों पर 5380 रुपये प्रति हेक्टयर का भारी खर्च किया । रबी की फसल के लिये सर्वाधिक व्यय मध्यम कृषकों ने किया । मध्यम ककृषकों ने सर्वाधिक 19708 रुपये प्रति हेक्टयर व्यय किये । लघु कृषकों द्वारा मशीनश्रम पर कोई व्यय नहीं किया गया ।

तालिका- 5.39

उत्तर-प्रदेश में मध्य क्षेत्र के चयनित कृषकों द्वारा वर्ष 1991-92 में रबी की फसल में विभिन्न जिन्सवार व्यय(रुपये प्रति हेक्टेयर)

श्रेणी	श्रम			बीज	खाद एवं उर्वरक	दवाये	सिचाई	अन्य	कुल
	मानवीय	बैल	मशीन						
लघु कृषक	4813	2250	-	1545	287	1 215	361	170	12225
मध्यम कृषक	7996	2686	339	2025	5380	464	479	339	19708
बड़े कृषक	7040	2268	640	1631	3449	364	466	308	16166
औसत	6616	2401	326	1734	3900	348	435	272	16033

मध्य क्षेत्र में कृषकों द्वारा जायद की फसल पर 2335 रु0 प्रति हेक्टेयर के औसत से व्यय किया गया । कृषकों द्वारा मानवीयश्रम पर ही जोर दिया गया । किसी भी श्रेणी के कृषकों ने मशीनश्रम का कोई उपयोग नही किया । साथ ही साथ रसायनिक दवाओं पर भी कम व्यय किया गया । कृषकों को सबसे अधिक आय धान की फसल से प्राप्त हुयी । मूंग और उर्द की फसल से कृषकों को धान की फसल में आधे से भी कम आय प्राप्त हुयी ।

तालिका- 5.40

अर प्रदेश में मध्य क्षेत्र वे चयनित वृषवों ारा वर्ष 1991-92 में जायद वी पसल में जिन्सवार ब्यय
(रुपये प्रति हेवटयर)

श्रेणी	श्रम मानवीय	बैल	मशीन	बीज	खाद	दवाये एवं उर्वरव	सिचाई	अन्य	वुल
लघु वृषव	685	293	-	188	494	-	75	-	1735
मध्यम वृषव	1130	493	-	310	908	94	71	-	3006
बड़े वृषव	935	328	-	335	515	81	70	-	2264
औसत	917	371	-	278	639	58	72	-	2335

मध्य क्षेत्र वे वृषवों ारा खरीप वी पसल में धान वी पसल से सर्वाधिव आय प्राप्त हुयी थी । खरीप वी पसल से वुल 16580 रु0 प्रति हेवटयर वे औसत से आय प्राप्त हुयी । बड़े वृषवों वो सर्वाधिव 18310 रु0 प्रति हेवटेयर वी आय प्राप्त हुयी । सबसे वम आय 13642 रु0 प्रति हेक्टेयर वी लघु वृषवों वो प्राप्त हुयी । मध्यम वृषवों वो धान और मवका और मूंग से भी वापी आय प्राप्त हुयी । वृषवो वो धान और मवका वी पसल से अधिव आय प्राप्त हुयी जबवि दालों से वम आय प्राप्त हुयी ।

तालिका-5.41

अर-प्रदेश वे मध्यक्षेत्र में चयनित वृषवों ारा खरीप वी पसल में विभिन्न पसलों से प्राप्त आय
(रुपये प्रति हेवटयर)

पसलें	लघु वृषव	मध्यम वृषव	बड़े वृषव	औसत
धान	5973	5110	6107	5730
मवका	2597	4759	4795	4050
मूंग	1472	2274	3742	2496
उर्द	1600	2646	3666	2637
अन्य	2000	3000	-	1667

वुल	13642	17789	18310	16580

उार प्रदेश वे मध्य क्षेत्र वे वृषवों ने रवी वी पसल में आलू वी पसल से सर्वाधिव आय प्राप्त वी थी। आलू वी पसल से मध्यम वृषवों ने सर्वाधिव आय १८४१७ रु0 प्रति हेक्टेयर वी प्राप्त वी थी। वृषवों ने गन्ने वी पसल से भी भारी मात्रा में आय प्राप्त वी थी। वृषवों ारा बाजरा वी पसल से सबसे वम आय प्राप्त वी है। वृषवों ारा आलू वी पसल से औसतन 15372 रु0 वी आय प्राप्त वी थी। वृषवों ारा गन्ने वी पसल से औसतन 7753 रु0 वी आय प्राप्त वी थी जो वि आलू वी पसल से प्राप्त आय वी लगभग आधी थी।

तालिवा- 5.42

उार-प्रदेश वे मध्य क्षेत्र में चयनित वृषवों ारा रबी वी पसल में विभिन्न पसलों से प्राप्त आय (रुपये प्रति हेवटयर)

पसले	लघु वृषव	मध्यम वृषव	बड़े वृषव	औसत
गेहूं	1446	1564	1573	1528
बाजरा	980	1410	1090	1160
गन्ना	7650	7600	8010	7753
आलू	12310	18417	15390	15372
वुल	22386	28991	15372	25813

मध्य क्षेत्र वे चयनित वृषवों ारा जायद वी पसल से 4635 रु0 प्रति हेवटयर वी आय प्राप्त वी थी। वृषवों वी सर्वाधिव, आय धान वी पसल से 1670 रु0 प्राप्त हुयी। मववा तथा उर्द वी पसल से वृषवों वो औसतन व्रमश: 1100 तथा 1027 रु0 प्राप्त हुयी। मूंग वी पसल से वृषवों वो सबसे वम आय प्राप्त हुयी। मध्यमश्रेणी वे वृषवों वो सबसे अधिव 5645 रु0 प्रति हेवटयर वी आय प्राप्त हुयी। सबसे वम आय लघु

श्रेणी वे वृषवों वो प्राप्त हुयी थी । वृषवो वो धान और मववा वी पसल से सर्वाधिव आय प्राप्त हुयी । जबवि दालों से सबसे वम आय प्राप्त हुयी वृषवों वो मूंग और उर्द से लगभग समान आय प्राप्त हुयी ।

तालिवा- 5.43

उत्तर प्रदेश में मध्य क्षेत्र वे चयनित वृषवों द्वारा जायद वी पसल में विभिन्न पसलों से प्राप्त आय (रुपये प्रति हेक्टेयर)

पसलें	लघु वृषव	मध्यम वृषव	बड़े वृषव	औसत
धान	1230	2210	1570	1670
मववा	880	1230	1190	1100
उर्द	880	1120	1080	1027
मूंग	560	1085	870	838
वुल	3550	5645	4710	4635

मध्य क्षेत्र के चयनित वृषवों में खरीप वी पसल में धान पर सर्वाधिव आय प्राप्त वी थी । धान वी पसल पर वुल 34.56 प्रतिशत आय प्राप्त हुयी । मूंग और उर्द वी पसल पर 15 से 16 प्रतिशत वे बीच आय प्राप्त हुयी । मववा वी पसल से भी वृषवों वो 24.43 प्रतिशत वी आय प्राप्त हुयी । लघु वृषववों वो धान वी पसल से सर्वाधिव आय 43.78 प्रतिशत प्राप्त हुयी । बड़े वृषवों वो भी 33.35 प्रतिशत वी आय धान वी पसल से प्राप्त हुयी । वृषवों वो धान और मववा वी पसल से सर्वाधिव आय प्राप्त हुयी । जबवि दालों से सबसे वम आय प्राप्त हुयी वृषवों वो मूंग और उर्द से लगभग समान आय प्राप्त हुयी थी ।

तालिका- 5.44

पूर्वी उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा वर्ष 1991-92 में खरीफ की फसल में विभिन्न फसलों से प्राप्त आय (आय प्रतिशत में)

फसले	लघु कृषक	मध्यम कृषक	बड़े कृषक	औसत
धान	43.78	28.72	33.35	34.56
मक्का	19.03	26.75	26.18	24.43
मूंग	10.79	12.78	20.43	15.05
उर्द	11.72	14.87	20.02	15.91
अन्य	14.66	16.86	-	10.05
कुल	100	100	100	100

मध्य क्षेत्र के चयनित कृषकों ने रबी की फसल में आलू की फसल से सर्वाधिक आय 59.55 रु0 प्रतिशत प्राप्त हुयी । आलू की फसल से मध्यम कृषकों को सर्वाधिक 63.53 रु0 प्रतिशत की आय प्राप्त हुयी । कृषकों को गन्ने की फसल से भी कृषकों को 30.04 प्रतिशत रुपये की आय प्राप्त हुयी । इस प्रकार लगभग 90 प्रतिशत की आय आलू और गन्ने की फसल से प्राप्त हुयी थी । लघु कृषक गन्ने की फसल से 34.17 प्रतिशत रुपये की आय प्राप्त करते थे । जो कि अन्य श्रेणी के कृषकों से अधिक है ।

तालिका- 5.45

मध्य उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा वर्ष 1991-92 में रवी फसल में विभिन्न फसलों से प्राप्त आय (आय प्रतिशत में)

फसल	लघु कृषक	मध्यम कृषक	बड़े कृषक	औसत
गेहूं	6.46	5.39	6.04	5.92
बाजरा	4.38	4.86	4.18	4.49
गन्ना	34.17	26.21	30.73	30.04
आलू	54.99	63.53	59.05	59.55
कुल	100	100	100	100

मध्य क्षेत्र के चयनित कृषकों को जायद की फसल में धान की फसल से सर्वाधिक 36.03 प्रतिशत रुपये की आय प्राप्त हुयी। धान की फसल से मध्यम श्रेणी के कृषकों ने सर्वाधिक 39.15 प्रतिशत रुपये की आय प्राप्त की थी। मक्का तथा उर्द की फसल से भी क्रमशः 23.73 और 22.15 प्रतिशत रुपये की आय कृषकों को प्राप्त हुयी थी।

तालिका- 5.46

उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा वर्ष 1991-92 में जायद की फसल में विभिन्न फसलों से प्राप्त आय (आय प्रतिशत में)

फसलें	लघु कृषक	मध्यम कृषक	बड़े कृषक	औसत
धान	34.65	39.15	33.33	36.03
मक्का	24.79	21.79	25.27	23.73
उर्द	24.79	19.84	22.93	22.15
मूंग	15.77	19.22	18.47	18.07
कुल	100	100	100	100

धान की फसल में मूंग की फसल से दुगनी आय प्राप्त हुयी । मक्का और उर्द की फसल से प्राप्त आय में थोड़ा ही अन्तर था ।

पूर्वी उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों ने प्रति हेक्टयर वर्ष 1991-92 में खरीफ की फसल में 8154 रु0 के औसत से व्यय किया था बड़े कृषकों ने सर्वाधिक 11609 रु0 प्रति हेक्टेयर व्यय किये । लघु कृषकों ने सबसे कम 5917 रु0 प्रति हेक्टेयर व्यय किये जो कि मध्यम कृषकों से लगभग 1000 रु0 कम थे । कृषकों द्वारा धान की फसल पर सर्वाधिक व्यय किया गया । जबकि कृषकों ने मक्का और उर्द की फसल पर भी अच्छा व्यय किया । कृषकों द्वारा मक्का और उर्द की फसलों पर लगभग समान व्यय किया गया ।

तालिका- 5.47

पूर्वी उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा वर्ष 1991-92 में खरीफ फसल में विभिन्न फसलों पर व्यय (रु0 प्रति हेक्टयर)

फसले	लघु कृषक	मध्यम कृषक	बड़े कृषक	औसत
धान	2509	2887	3053	2853
मक्का	1704	1943	2090	1932
उर्द	1704	2110	1881	1926
अन्य	-	-	4585	1443
कुल खरीफ	5917	6940	11609	8154

पूर्वी उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों ने रवी की फसल में वर्ष 1991-92 में 5722 रु0 प्रति हेक्टेयर व्यय किये कृषकों द्वारा सर्वाधिक व्यय आलू की फसल पर किया गया । लघु कृषकों ने गेहूं की फसल पर बड़े

कृषकों का लगभग आधा व्यय किया था। इसी प्रकार लघु कृषकों ने चने और आलू की फसल पर मध्यम और बड़े कृषकों से लगभग आधा और 2/3 व्यय किया था। लघु कृषकों ने प्रति हेक्टयर अन्य श्रेणी के कृषकों से काफी कम व्यय किया था।

तालिका- 5.48

पूर्वी उत्तर प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा वर्ष 1991-92 में रवी की फसल में विभिन्न फसलों पर व्यय (रु0 प्रति हेक्टयर)

फसले	लघु कृषक	मध्यम कृषक	बड़े कृषक	औसत
अरहर	209	353	413	326
चना	176	301	358	275
गेहूं	336	589	647	526
आलू	2090	3618	3902	3199
गन्ना	927	1681	1562	1396
कुल रवी	3738	6542	6882	5722

पूर्वी उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा जायद की फसल में प्रति हेक्टयर मात्र 268 रुपया व्यय किया गया। लघु कृषकों ने जायद की फसल नहीं की। बड़े कृषकों द्वारा धान की फसल पर 226 रुपये व्यय किये गये जायद की फसल पर बड़े कृषकों द्वारा 540 रुपये व्यय किये गये। इसके आधे से भी कम व्यय 260 रु0 मध्यम कृषकों द्वारा किया गया।

तालिका- 5.49

पूर्वी उ0 प्र0 के चयनित कृषकों द्वारा वर्ष 1991-92 में जायद की फसल में विभिन्न फसलों पर व्यय

फसले	लघु कृषक	मध्यम कृषक	बड़े कृषक	औसत
धान	-	109	226	112
मक्का	-	78	169	82
उर्द	-	73	151	74
कुल जायद	-	260	546	268

पूर्वी उत्तर प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा खरीफ की फसल में बीज पर ही सर्वाधिक व्यय किया गया था। कृषकों द्वारा उर्वरक और उन्नत किस्म के बीजों पर भी अच्छा व्यय किया गया। बीजों पर बड़े कृषकों द्वारा 1912 रु0 प्रति हेक्टयर व्यय किये गये। इसी प्रकार बड़े कृषकों द्वारा उर्वरक और खादो पर 1980 रुपये प्रति हेक्टयर व्यय किया गया। बड़े कृषकों ने रासायनिक दवाओं पर 160 रु0 प्रति हे0 व्यय किये जब कि अन्य कृषकों ने रासायनिक दवाओं पर बहुत कम व्यय किया गया दवाओं पर कृषकों द्वारा मात्र 71 रु0 प्रति हेक्टयर के औसत से व्यय किया गया। कृषकों द्वारा सिचाई पर 513 रुपये प्रति हेक्टयर व्यय किये गये। बड़े कृषकों द्वारा बीज पर 1336 रुपये प्रति हेक्टयर व्यय किये गये। सिचाई पर बड़े कृषकों ने मध्यम कृषकों से लगभग दुगना व्यय किया। दवाओं पर लघु और मध्यम कृषकों ने बहुत ही कम व्यय किया था जो बड़े कृषकों के व्यय के आठ गुने से भी कम था।

तालिका- 5.50

पूर्वी उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा वर्ष 1991-92 में खरीफ की फसल पर जिन्सवार व्यय का विवरण (रुपये प्रति हेक्टयर)

श्रेणी	श्रम			बीज	खाद एवं उर्वरक	दवायें	सिचाई	अन्य	कुल
	मानवीय	बैल	मशीन						
लघु कृषक	2938	225	543	991	775	20	425	-	5917
मध्यम कृषक	3429	265	623	1107	1118	33	365	-	6940
बड़े कृषक	5465	195	974	1912	1980	160	750	173	11609
औसत	[illegible]	228	713	1336	1291	71	513	58	8154

पूर्वी उत्तर- प्रदेश के चयनित कृषकों में रवी की फसल में श्रम पर ही सर्वाधिक व्यय किया गया। बड़े कृषकों द्वारा मानवीय श्रम पर 3014 रुपये प्रति हेक्टेयर व्यय किये गये। बैलो पर कम व्यय हुआ। इससे अधिक मशीनी श्रम पर कृषकों द्वारा 514 रु0 प्रति हेक्टयर व्यय किये गये। बीजों पर प्रति हेक्टयर 1095 रुपये व्यय किये गये। सिचाई पर 354 रुपये प्रति हेक्टयर के औसत से व्यय किया गया। लघु कृषकों ने सिचाई पर सबसे कम 243 रुपये प्रति हेक्टयर व्यय किये जो मध्यम और बड़े कृषकों से क्रमशः 132 एवं 200 रु0 कम था।

तालिका- 5.51

पूर्वी उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा वर्ष 1991-92 में रवी फसल पर जिन्सवार व्यय का विवरण (रुपये प्रति हेक्टयर)

श्रेणी	श्रम			बीज	खाद एवं उर्वरक	दवायें	सिचाई	अन्य	कुल
	मानवीय	बैल	मशीन						
लघु कृषक	1818	183	273	708	513	-	243	-	3738
मध्यम कृषक	2989	160	704	1211	1005	98	375	-	6542
बड़े कृषक	3014	130	564	1365	1193	173	443	-	6882
औसत	2607	158	514	1095	904	90	354	-	5722

पूर्वी क्षत्र- प्रदेश मे चयनित लघु कृषवों ने जायद वी फसल ही नहीं की । मध्यम कृषवों ने मानवीय श्रम पर 145 रु0 प्रति हेक्टेयर मशीनी श्रम पर 20 रु0 प्रति हेक्टेयर बीज पर 45 रु0 प्रति हे0 सिंचाई पर 50 रु0 प्रति हेक्टयर वा अल्प व्यय क्यिा । इसी प्रवार बड़े कृषवों ने मानवीय श्रम पर 313, मशीनी श्रम पर 38 रु0 बीज और सिचाई पर क्रमश: 100 और 45 रु0 प्रति हेक्टयर व्यय विये । उर्वरव, दवाइयां और बैलों पर कृषवों द्वारा वोई व्यय नही विया गया । बड़े कृषवों ने मध्यम कृषवों से लगभग दुगना व्यय विया ।

तालिवा- 5.52

पूर्वी उत्तर- प्रदेश वे चयनित कृषवों द्वारा वर्ष 1991-92 में जायद पसल पर जिन्सवार व्यय वा विवरण(रूपये प्रति हेक्टयर)

[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	मानवीय	बैल	मशीन		एवं उर्वरव				
लघु कृषव	-		-	-	-	- -			
मध्यम कृषव	145	-	20	45	-	-	50	-	260
बड़े कृषव	313	-	38	100	-	-	95	-	546
औसत	153	-	19	48	-	-	48	-	268

पूर्वी उत्तर- प्रदेश वे चयनित कृषवों द्वारा खरीप वी पसल में सर्वाधिव व्यय धान वी पसल पर 35.00 प्रतिशत वा विया गया । कृषवों द्वारा मक्वा और उर्द वी पसल पर लगभग बराबर क्रमश: 23.69 और 23.62 प्रतिशतत व्यय विया गया । बड़े कृषवों ने धान वी पसल पर मात्र 26.30 प्रतिशत व्यय विया । उन्होने 39.50 प्रतिशत वा व्यय अन्य पसलो (जैसे चारा और सब्जी) पर विया । छोटे कृषवों द्वारा मक्वा और उर्द पर समान 28.80 प्रतिशतत व्यय विया गया ।

तालिवा- 5.53

पूर्वी उत्तर- प्रदेश वे चयनित वृषवों द्वारा वर्ष 1991-92 में खरीप वी पसल मे विभिन्न पसलों मे व्यय

पसले	लघु वृषव	मध्यम वृषव	बड़े वृषव	औसत
धान	42.40	41.60	26.30	35.00
मववा	28.80	28.00	18.00	23.69
उर्द	28.80	30.40	16.20	23.62
अन्य	-	-	39.50	17.69
वुल खरीप	100	100	100	100

पूर्वी उत्तर प्रदेश वे चयनित वृषवों द्वारा रबी वी पसल में सर्वाधिव व्यय आलू वी पसल पर 55.90 प्रतिशत विया गया। गन्ने पर 24.40 प्रतिशत वा व्यय विया गया जो वि आलू वी पसल वे आधे से भी वम था। अन्य पसलों में व्यय बहुत वम प्रतिशत क्यिा गया। गेहूं पर 5.70, चना पर 4.81 और अरहर पर 9.19 प्रतिशत वा व्यय विया गया।

तालिवा- 5.54

पूर्वी उत्तर- प्रदेश वे चयनित वृषवों द्वारा वर्ष 1991-92 में रवी वी पसल में विभिन्न पसलों पर व्यय
(व्ययप्रतिशतमें)

पसले	लघु वृषव	मध्यम वृषव	बड़े वृषव	औसत
अरहर	5.60	5.40	6.00	5.70
चना	4.70	4.60	5.20	4.81
गेहू	8.99	9.00	9.40	9.19
आलू	55.91	55.30	56.70	55.90

गन्ना	24.80	25.70	22.70	24.40
कुल रवि	100	100	100	100

पूर्वी उत्तर प्रदेश के चयनित वृषवों ने वर्ष 1991-92 में जायद वी पसल में मात्र तीन पसलों वी खेती वी । धान वी पसल पर सर्वाधिव 41.79 प्रतिशत व्यय विया गया । लघु वृषवों ने जायद वी पसल में वोई खेती नही वी । मववा और उर्द पर क्रमश: 30.60 और 27.61 प्रतिशत रुपयों वा व्यय विया गया । उर्द वी पसल पर बड़े वृषवों ने सबसे वम व्यय विया । मववा वी पसल पर लगभग समान व्यय विया गया ।

तालिवा- 5.55

पूर्वी उत्तर-प्रदेश वे चयनित कृषकों द्वारा वर्ष 1991-92 में जायद वी पसल में विभिन्न पसलो पर व्यय(व्ययप्रतिशतमें)

पसले	लघु वृषव	मध्यम वृषव	बड़े वृषव	औसत
धान	-	41.92	41.39	41.79
मक्वा	-	30.00	30.95	30.60
उर्द	-	28.08	22.66	27.61
कुल जायद	-	100	100	100

पूर्वी उत्तर- प्रदेश वे वृषवों वो खरीप में 152 रु0 प्रति हेवटेयर वी आय प्राप्त हुयी वृषवों ने धान वी पसल से सर्वाधिव आय प्राप्त हुयी । बड़े वृषवों ने इस पसल से 4120 रु0 प्राप्त विये । वृषवों ने मववा और उर्द वी पसल से भी लगभग बराबर 2255 और 2240 रुपये प्राप्त विये बड़े वृषवों ने चारे और सब्जियों से लगभग 5000 रु0 प्राप्त विये । लघु वृषवों ने मववा और उर्द से लगभग समान आय प्राप्त वी ।

तालिवा- 5.56

पूर्वी उत्तर-प्रदेश वे चयनित वृषवो द्वारा वर्ष 1991-92 में खरीप वी पसले से विभिन्न पसलों द्वारा प्राप्त आय (रुपये प्रति हेवटयर)

पसले	लघु वृषव	मध्यम वृषव	बड़े वृषव	औसत
धान	3406	3521	4120	3317
मववा	2244	2241	2280	2255
उर्द	2240	2430	2050	2240
अन्य	-	-	5000	1667
वुल	7823	8212	12750	9512

पूर्वी उत्तर-प्रदेश वे चयनित वृषवों वो रवी वी पसल से वृत 8910 रु0 प्रति हेवटयर वी आय प्राप्त हुयी। वृषवों वो सर्वाधिव आय 4985 आलू वी पसल से प्राप्त हुयी। आलू वी पसल से 5070 रु0 वी सर्वाधिव आय लघु वृषवों ने प्राप्त वी। गन्ने वी पसल से वृषवों वो 2177 रु0 वी आय प्राप्त हुयी। गन्ने वी पसल से सभी श्रेणी वे वृषवो वो लगभग समान आय प्राप्त हुयी है। वृषवों में लघु श्रेणी वे वृषवों वो सर्वाधिव आय प्राप्त हुयी। जो 9064 रु0 थी। प्रति हेवटर थी। गेहूं वी पसल में सभी श्रेणी वे वृषवों ने लगभग समान व्यय विया था। आलू वी पसल से वृषवों वो आधी से अधिव आय प्राप्त हुयी।

तालिवा- 5.57

पूर्वी उत्तर-प्रदेश वे चयनित वृषवों द्वारा वर्ष 1991-92 में रवी वी पसल से विभिन्न पसलों से प्राप्त आय (रुपये प्रति हेवटयर)

पसले	लघु वृषव	मध्यम वृषव	बड़े वृषव	औसत
अरहर	504	482	525	504
चना	428	408	458	431
गेहूं	812	800	827	813
आलू	5070	4901	4985	4985
गन्ना	2250	2280	2000	2177
वुल	9064	8818	8975	8910

पूर्वी उर-प्रदेश वे चयनित वृषवोंद्वरा वर्ष 1991-92 में जायद वी पसल से 1036 रु0 प्रति हेवटयर वी औसत आय प्राप्त वी गयी । लघु वृषवों ने जाययद वी पसल नही वी । बड़े और मध्यम वृषवों ने व्रमश: 1069 और 1003 रु0 प्रति हेवटयर वी आय प्राप्त वी । धान वी पसल से वृषवो वो सबसे अधिव आय प्राप्त हुयी । मध्यम और बड़े वृषवों वी आय मे थोड़ा सा ही अन्तर था ।

तालिका- 5.58

पूर्वी उर-प्रदेश के चयनित वृषवों द्वारा 1991-92 में जायद वी पसल मे विभिन्न पसलों से प्राप्त आय(रुपये प्रति हेवटयर)

पसले	लघु वृषक	मध्यम वृषव	बड़े वृषव	औसत
धान	-	422	443	432
मक्का	-	301	332	317
उर्द	-	280	294	287
वुल	-	1003	1069	1036

पूर्वी उर-प्रदेश वे चयनित वृषवोंद्वरा खरीप वी पसल में धान वी पसल से सर्वाधिव 34.99 प्रतिशत आय प्राप्त वी गयी । लघु वृषवों ने वुल आय वी धान से 42.44 प्रतिशत आय प्राप्त वी गयी । धान वी पसल से सबसे वम आय वा प्रतिशत 26.24 बड़े वृषवों वे पास रहा । लघु वृषवों ने मवका और उर्द वी पसल से लगभग बराबर 28.81 अऔर 28.75 प्रतिशत आय प्राप्त वी । मध्यम वृषवों ने उर्द वी पसल से 30.41 प्रतिशत आय प्राप्त हुयी वतथा इससे वम मवका वी पसल से 28.04 प्रतिशत आय प्राप्त हुयी । बड़े वृषवों ने धान, मक्का और उर्द वी पसल से वम आय प्राप्त वी जबवि उन्होने चारा और सब्जियों से 39.54 प्रतिशत आय प्राप्त वी ।

तालिका- 5.59

पूर्वी उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा वर्ष 1991-92 में खरीफ की फसल में विभिन्न फसलों से प्राप्त आय (आय प्रतिशत में)

फसले	लघु कृषक	मध्यम कृषक	बड़े कृषक	औसत
धान	42.44	41.55	26.24	34.99
मक्का	28.81	28.04	18.02	23.79
उर्द	28.75	30.41	16.20	23.63
अन्य	-	-	39.54	17.59
कुल	100	100	100	100

पूर्वी उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा रवी फसल में आलू से सर्वाधिक 55.95 प्रतिशत आय प्राप्त की गयी । [illegible] से कृषकों को [illegible] आय [illegible] प्रतिशत प्राप्त हुयी । इस प्रकार [illegible] फसलों से कृषकों ने 80 प्रतिशत से अधिक आय प्राप्त की । गेहूं की फसल से सभी श्रेणी के कृषकों ने लगभग समान आय प्राप्त की थी । कृषकों ने अरहर की फसल में चने की फसल से लगभग दुगनी आय प्राप्त की थी ।

तालिका- 5.60

पूर्वी उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा वर्ष 1991-92 में रवी की फसल में विभिन्न फसलों से प्राप्त आय(आय प्रतिशत में)

फसले	लघु कृषक	मध्यम कृषक	बड़े कृषक	औसत
अरहर	5.56	5.43	5.97	5.65
चना	4.73	4.61	5.21	4.85
गेहूं	8.57	9.01	9.40	9.13
आलू	55.93	55.24	56.68	55.95
गन्ना	24.81	25.71	22.14	24.42
कुल रवी	100	100	100	100

तलिका- 5.61

पूर्वी उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा वर्ष 1991-92 में जायद की फसल में विभिन्न फसलों से प्राप्त आय(आयप्रतिशतमें)

फसले	लघु कृषक	मध्यम कृषक	बड़े कृषक	औसत
धान	-	42.08	41.43	91.73
मक्का	-	30.00	31.07	30.55
उर्द	-	27.92	27.50	27.72
कुल जायद	-	100	100	100

पूर्वी उत्तर प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा वर्ष 1991-92 में जायद की फसल मे धान की फसल पर 41.73 प्रतिशत आय प्राप्त की गयी । मक्का की फसल से कृषकों से 30.55 प्रतिशत की आय प्राप्त की गयी । तथा उर्द की फसल से 27.72 प्रतिशत आय प्राप्त की । लघु कृषकों ने जायद की फसल नही की । मध्यम और बड़े कृषकों ने फसलों थोड़े अन्तर से आय प्राप्त की ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र मे खरीफकी फसल में कुल व्यय 14084 रु0 प्रति हेक्टयर हुआ, जिसमें बड़े कृषकों ने 12998 रु0 प्रति हेक्टयर खर्च किये । मध्यम किसानों और लघु कृषको ने क्रमशः रु0 14384 और रु0 7862 प्रति हे0 खर्च किये । खरीफ की फसल में सबसे अधिक खर्च मूंग पर आया । मूंग पर कुल खर्च का औसत रु0 5958 हुआ । जिसमें सबसे अधिक खर्च बड़े किसानों ने रु0 9298 किया और मध्यम कृषकों ने रु0 6976 एवं लघु कृषकों ने रु0 1984 खर्च किया । इसी प्रकार खरीफ की फसल में सब से कम कुल खर्च का औसत उर्द पर रु0 1521 हुआ । जिसमें बड़े कृषक, मध्यम कृषक और लघु कृषकों ने क्रमशः रु0 1740, रु0 1424 एवं

UNIVERSITY LIBRARY ALLAHABAD

रुपया 1212 खर्च विये । धान पर वुल खर्च वा औसत रु0 2746 है जिसमे बडड़े वृषवों ने रु0 4400 वा खर्च विया एवं मध्यम वृषवों और छोटे वृषवों ने झ0 1755 और रु0 2143 खर्च विये । धान में बड़े विसानों ने मध्यम वृषवो और छोटे वृषवों वा दुगने से अधिव खर्च विया मूंग वी पसल पर मध्यम और बड़े वृषवों ने व्रमश: लगभग तीन गुना और चार गुना व्यय विया । इस प्रवार इन श्रेणियों वे वृषवों द्वारा सरसों वी पसल पर भी लगभग डेढ़ गुना और दुगना व्यय विया गया था ।

तालिवा- 5.62

उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड क्षेत्र वे चयनित वृषवों द्वारा वर्ष 1991-92 खरीप वी पसल में विभिन्न पसलों पर व्यय (रुपये प्रति हेवटयर)

पसलें	लघु वृषव	मध्यम वृषव	बड़े वृषव	औसत
धान	1755	2143	4400	2746
मवका	1929	2273	2700	2366
उरद	1212	1424	1740	1521
मूंग	1984	6976	9298	5958
सरसों	982	1568	1860	1493
वुल	7862	14384	12998	14084

रवी वी पसल पर बुन्देल खण्ड वे चयनित वृषवों ने 10400 रु0 प्रति हेवटयर व्यय विया । बड़े वृषवों ने सर्वाधिव 11925 रु0 प्रति हेवटयर व्यय विया । लघु वृषवों ने सबसे वम 8630 रु0 प्रति हेवटयर व्यय विया । वृषवों द्वारा मूगपली वी पसल पर सर्वाधिव व्यय विया गया । मूगपली पर 2709 रु0 वे औसत से

व्यय किया गया। मूंगफली पर 3637 रु0 का व्यय बड़े कृषकों ने किया। कृषकों द्वारा आलू, गेहूं और चना पर भी क्रमशः 1556, 1912 और 1542 रु0 के औसत से व्यय किया गया। बड़े कृषकों द्वारा 11921 का व्यय किया गया। लघु कृषकों द्वारा सबसे कम 8630 रु0 प्रति हेक्टयर का व्यय किया गया। कृषकों द्वारा गेहूं, आलू और चने पर लगभग समान व्यय किया गया। बड़े कृषकों द्वारा गेहू पर सबसे कम व्यय किया गया। बड़े कृषकों ने बाजरे की फसल पर लघु कृषको से लगभग दुगना व्यय किया था।

तालिका- 5.63

उत्तर प्रदेश के बुन्देल खण्ड क्षेत्र में वर्ष 1991-92 में रबी की फसल में विभिन्न फसलों पर व्यय (रुपये प्रति हेक्टयर)

फसलें	लघु कृषक	मध्यम कृषक	बड़े कृषक	औसत
मटर	1113	1576	2003	1584
बाजरा	794	958	1538	1097
गेहूं	2192	3003	513	1912
चना	1130	1384	2111	1542
मूगफली	2149	2342	3637	2709
आलू	1252	1384	2123	1556
कुल रबी	8630	10647	11925	10400

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के चयनित कृषकों द्वारा 1870 रु0 प्रति हेक्टर के औसत से जायद की फसल में व्यय

विया । सर्भोगणी वे वृषवो द्वारा जायद वी पसल पर लगभ्भग समान व्यय विया गया । वृषवों ने जायद वी पसल में वेवल दो पसलों मक्का और मूंग वी खेती वी । बड़े वृषवों ने मववा वी पसल मे और लघु वृषवों ने मूंग वी पसल में सर्वाधिव व्यय विया लघु वृषवों ने मववा और मूंग वी पसल में लगभग समान व्यय विया ।

तालिवा- 5.64

उत्तर-प्रदेश वे बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्ष 1991-92 में जायद वी पसल में विभिन्न पसलों पर व्यय (रुपये प्रति हेवटयर)

पसलें	लघु वृषव	मध्यम वृषव	बड़े वृषव	औसत
मववा	920	1061	1035	1008
मूंग	902	886	806	862
वुल	1822	1947	1841	1870

बुन्देल खण्ड क्षेत्र वे वृषवों ने भी खरीफ वी पसलोंम पर वापी मात्रा में व्यय विया है । मानवीय श्रम पर सर्वाधिव व्यय विया गया । बड़े वृषवों द्वारा सबसे अधिव 8573 रु0 प्रति हेवटयर वा व्यय माननीय श्रम पर किया गया । लघु वृषवों द्वारा मशीनी श्रम पर वोई व्यय नहीं विया गया । मानवीय श्रम पर वृषवों द्वारा मशीनी श्रम से लगभग 10 गुना अधिव व्यय विया गया । खाद और उर्वरवो पर भी वृषवों द्वारा अच्छा व्यय विया गया । इस पर वृषवों द्वारा 2665 रु0 प्रति हे0 वे औसत से व्यय विया गया । वृषवों द्वारा बीजों पर भी 1586 रु0 प्रति हे0 औसत से व्यय किया गया । लघु और मध्यम वृषवों ने दवाओं पर बहुत वम व्यय विया सिचाई पर बड़े वृषवों ने मध्यम से दुगने से अधिव और लघु वृषवों से 10 गुने से अधिव व्यय विया ।

तालिका- 5.65

उत्तर प्रदेश के बुन्देल खण्ड क्षेत्र में चयनित कृषकों द्वारा खरीप की फसल में जिन्सवार व्यय का विवरण(रुपये प्रति हेक्टयर)

श्रेणी	श्रम मानवीय	बैल	मशीन	बीज	खाद एवं उर्वरक	दवाये	सिचाई	अन्य	कुल
लघु कृषक	4071	1338	-	785	1559	28	50	41	7872
मध्यम कृषक	6998	2046	638	1670	2424	44	234	330	14384
बड़े कृषक	4573	2478	1390	2303	4013	305	506	430	19998
औसत	6547	1954	676	1586	2665	126	267	297	14084

बुन्देल खण्ड क्षेत्र के चयनित कृषकों द्वारा रवी की फसल में भी मशीनी श्रम पर कम व्यय किया गया है । जबकि मानवीय श्रम पर 4520 रु0 प्रति हे0 के औसत से व्यय किया गया और मशीनी श्रम पर मात्र 25 रु0 प्रति हे0 के औसत से व्यय किया गया । खाद एवं उर्वरकों पर 2137 रु0 प्रति हे0 के औसत से व्यय किया गया । बीजो पर भी 1776 रु0 प्रति हे0 के औसत से व्यय किया गया । दवाओं पर मात्र 166 रु0 प्रति हे0 व्यय किये गये । इस प्रकार कृषकों द्वारा 10400 रुपये प्रति हे0 व्यय किये गये । सिचाई पर सभी श्रेणी के कृषकों ने लगभग समान व्यय किया इसी प्रकार बीजों पर भी सभी कृषकों ने लगभग समान व्यय किया । दवा पर लघु कृषकों ने कम व्यय किया । बीजों पर मध्यम कृषकों ने सर्वाधिक व्यय किया ।

तालिवा नं.- 5.66

अर प्रदेश वे बुन्देल खण्ड में चयनित वृषवों ारा रवी वी पसल में जिन्सवार व्यय वा विवरण
(रूपये प्रति हेवटयर)

	ोणी ्ीम			बीज	खाद एवं उर्वरव	दवायें	सिंचाई	अन्य	वुल
	मानवीय	बैल	मशीन						
लघु वृषव	3470	1379	-	1019	2151	63	490	58	8630
मध्यम वृषव	4778	1658	288	1705	1466	185	448	119	10647
वड़े वृषव	5313	1238	489	1105	2794	250	533	203	11925
औसत	4520	1425	259	1276	2137	166	490	127	10400

बुन्देलखण्ड क्षेत्र वे चयनित वृषवों ारा जनपद वी पसल में मशीनी ्ीम पर वोई व्यय नही विया गया। वृषवों ारा बीज और सिंचाई पर लगभग समान 367 और 361 रू. प्रति हेवटयर वे औसत से व्यय विया गया। सिंचाई पर लगभग 69.33 रू. प्रति हेवटयर वे औसत से व्यय विया। वृषवो ारा खाद और उर्वरव में

तालिवा नं.5.67

अरप्रदेशवेबुन्देलखण्डक्षेत्रमेंचयनितवृषवों ाराजायदवीपसलमें [illegible] विवरण
(रूपये प्रति हेवटयर)

	ोणी ्ीम			बीज	खाद एवं उर्वरव	दवायें	सिंचाई	अन्य	वुल
	मानवीय	बैल	मशीन						
लघु वृषव	773	298	-	368	330	-	53	-	1822
मध्यम वृषव	801	305	-	370	390	-	61	20	1947
वड़े वृषव	703	299	-	363	363	-	94	19	1841
औसत	759	30067	-	367	361	-	69.33	13	1870

व्यय में कोई विशेष अन्तर नहीं था। कृषकों द्वारा जायद की फसल पर बहुत कम व्यय किया गया। बुन्देल खण्ड क्षेत्र के चयनित कृषकों द्वारा मूंग की फसल पर 40.68 प्रतिशत का व्यय किया जो कि फसलों पर व्यय का सर्वाधिक था। मूंग की फसल पर मध्यम कृषकों द्वारा सर्वाधिक 48.50 प्रतिशत का व्यय किया। लघु कृषकों द्वारा 25.24 प्रतिशत का व्यय किया गया। धान की फसल पर कृषकों द्वारा 19.74 प्रतिशत का व्यय किया गया। लघु और बड़े कृषकों ने धान की फसल पर लगभग बराबर 22.32 और 22.00 प्रतिशत का व्यय किया। मध्यम कृषकों में धान की फसल पर मात्र 14.90 प्रतिशत का व्यय किया गया। लघु कृषको ने मक्का और उर्द की फसल पर सर्वाधिक व्यय किया गया जबकि उर्द की फसल पर मध्यम और बड़े कृषकों ने (तालिका - 5.68) लगभग वर्ष 1991-92 में समान व्यय किया।

तालिका नं.- 5.68

उत्तर-प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा खरीफ की फसल में विभिन्न फसलों पर व्यय (व्यय प्रतिशत में)

फसलें	लघु कृषक	मध्यम कृषक	बड़े कृषक	औसत
धान	22.32	14.90	22.00	19.74
मक्का	24.53	15.80	13.50	17.98
उर्द	15.42	9.90	9.70	11.70
मूंग	25.24	48.50	46.50	40.68
सरसों	12.19	10.90	9.30	10.90
कुल खरीफ	100	100	100	100

बुन्देल खण्ड क्षेत्र के चयनित कृषकों द्वारा रवी की फसल में मूंगफली पर सर्वाधिक औसतन 26.04

प्रतिशत का व्यय किया गया । कृषकों द्वारा मटर की फसल पर 18.38 प्रतिशत के औसत से व्यय किया गया । गेहूं पर मध्यम श्रेणी के कृषकों द्वारा सर्वाधिक 28.20 प्रतिशत का व्यय किया गया । बड़े कृषकों ने गेहूं पर मात्र 4.30 प्रतिशत का व्यय किया । लघु कृषकों द्वारा गेहूं की फसल 51.13 प्रतिशत के औसत से व्यय किया । मूंगफली की फसल पर बड़े कृषकों द्वारा सर्वाधिक 30.50 प्रतिशत का व्यय किया गया । कृषकों द्वारा आलू और चने की फसल पर लगभग समान व्यय किया जबकि बड़े कृषकों ने इस पर अधिक व्यय किया । इसी प्रकार आलू और चने की फसल पर मध्यम और बड़े कृषकों ने अलग-अलग मात्रा में समान व्यय किया ।

तालिका नं. 5.69

उत्तर प्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा रवी की फसल में वर्ष १९९१-९२ में विभिन्न फसलों पर व्यय (रूपये प्रति हेक्टयर)

फसल	लघु कृषक	मध्यम कृषक	बड़े कृषक	औसत
मटर	12.90	14.80	16.80	15.23
बाजरा	9.20	9.00	12.90	10.55
गेहूं	25.40	28.20	4.30	18.38
चना	13.09	13.00	17.70	14.84
मूंगफली	24.90	22.00	30.50	26.04
आलू	14.51	13.00	17.80	14.96
कुल रवी	100	100	100	100

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के चयनित कृषकों में मक्का और मूंग की मात्र दो ही फसलें की गयी । कृषकों द्वारा

मक्का की फसल पर 53.90 प्रतिशत के औसत से व्यय किया गया । मूंग की फसल पर 46.10 प्रतिशत का व्यय किया गया । बड़े और मध्यम कृषकों ने मक्का की फसल पर जोर दिया ।

तालिका नं. 8.70
अतरप्रदेश के चयनित कृषकों द्वारा जायद की फसल में वर्ष 91-92 में विभिन्न फसलों पर व्यय
(प्रतिशत रूपये प्रति हेक्टयर)

फसल	लघु कृषक	मध्यम कृषक	बड़े कृषक	औसत
मक्का	50.49	54.49	56.22	53.90
मूंग	49.51	45.51	43.78	46.10
कुल	100	100	100	100

दूसरी ओर लघु कृषकों ने मूंग की फसल पर अधिक व्यय किया । बुन्देलखण्ड क्षेत्र के कृषकों को खरीफ की फसल से 17300 रू. प्रति हेक्टयर की औसत आय प्राप्त हुई । सबसे अधिक आय बड़े कृषकों को 21484 रू. प्रति हेक्टयर प्राप्त हुयी । लघु कृषकों को मात्र 11915 रू. प्रति हेक्टयर प्राप्त हुये । कृषकों को सबसे अधिक आय मूंग की फसल से प्राप्त हुयी । बड़े कृषकों को इस फसल से 1000 रू. प्राप्त हुये । धान की फसल से कृषकों को 3382 रू. के औसत से आय प्राप्त हुयी । मध्यम कृषकों को 18502 रू. प्रति हेक्टयर की आय प्राप्त हुयी । लघु कृषकों ने मूंग की फसल में सरसों की फसल से दुगुनी आय प्राप्त की जबकि मध्यम और बड़े कृषकों ने चार गुनी और पांच गुनी आय प्राप्त की थी । मक्का की फसल से लगभग सभी श्रेणियों के कृषकों को समान आय प्राप्त हुयी ।

तालिका नं. 6.71

उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र से चयनित कृषकों द्वारा 1991-92 में विभिन्न फसलों से प्राप्त आय
(रूपये प्रति हेक्टेयर में)

फसल	लघु कृषक	मध्यम कृषक	बड़े कृषक	औसत
धान	2668	2760	4717	3382
मक्का	2915	2928	2903	2915
उर्द	1832	1838	1864	1845
मूंग	3000	8976	10000	7325
सरसों	1500	2000	2000	1833
कुल	11915	18502	21484	17300

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के चयनित कृषकों को रबी की फसल से 19315 रू. प्रति हेक्टेयर औसत से आय प्राप्त हुयी । मध्यम श्रेणी के कृषकों को 21058 रू. प्रति हेक्टेयर की सर्वाधिक आय प्राप्त हुयी । कृषकों को मूंगफली की फसल से सर्वाधिक आय प्राप्त हुयी । कृषकों को गेहूं की फसल से भी अच्छी आय प्राप्त हुयी । मूंगफली की फसल से लघु कृषकों को सर्वाधिक आय प्राप्त हुयी । कृषकों ने मूंगफली की फसल में आलू की फसल से दुगनी से अधिक आय प्राप्त की । आलू की भी फसल से सभी श्रेणियों के कृषकों ने समान आय प्राप्त की थी । लघु कृषकों ने आलू और गेहूं की फसल से समान आय प्राप्त की थी ।

तालिका नं. 6.72

अरप्रदेश वे बुन्देलखण्ड क्षेत्र वे चयनित वृषवों द्वारा रवी की पसल में वर्ष 91-92 में विभिन्न पसलों से प्राप्त आय (रूपये प्रति हेक्टयर)

पसले	लघु वृषव	मध्यम वृषव	बड़े वृषव	औसत
मटर	2440	2991	2671	2701
बाजरा	1970	2020	3600	2530
गेहू	4704	6200	1204	4036
चना	2205	2400	2600	2401
मूंगपली	5500	4950	5000	5150
आलू	2497	2497	2497	2497
वुल	19316	21058	17572	19315

बुन्देल खण्ड वे क्षेत्र वे चयनित वृषवों द्वारा मूंग वी पसल से 1846 रू. वी आय प्राप्त वी । मूंग वी पसल में छोटे वृषवों द्वारा 1955 रू. वी आय प्राप्त हुयी । वृषवों वो मववा वी पसल से 1753 रू. वी आय प्राप्त हुयी ।

तालिका73

अरप्रदेशवे,बुन्देलखण्डक्षेत्रवे,चयनितवृषवों,राजायदवीपसलसे वर्ष1-92 में विभिन्नपसलों से प्राप्तआय(रूपये प्रतिहेवटयर)

पसलें	लघु वृषव	मध्यम वृषव	बड़े वृषव	औसत
मववा	1660	1970	1830	1753
मूंग	1944	1805	1790	1846
वुल	3604	3575	3620	3594

बुन्देलखण्ड क्षेत्र वे चयनित वृषवों वो खरीप वी पसल में मूंग वी पसल से सर्वाधिव 42.34 प्रतिशत वी आय प्राप्त हुयी मध्यम वृषवों वो इस पसल से 48.57 प्रतिशत वी आय प्राप्त हुयी लघु वृषवों वो मूंग वी पसल से मात्र 15.18प्रतिशत वी आय प्राप्त हुयी । लघु वृषवो ने उर्द और मूंग से लगभग समान आय प्राप्त वी थी । सरसों से दुगनी आय मववा वी पसल से प्राप्त हुयी । मध्यम एवं बड़े वृषवों ने उर्द वी पसल पर वम व्यय विया था ।

तालिवान्ं.74

अरप्रदेशमेंबुन्देलखण्डक्षेत्रवे,चयनितवृषवों,राखरीपवीपसलमेंवर्ष-92 में विभिन्न पसलोंसे प्राप्तआय(प्रतिशतरूपये प्रतिहेवटयर)

पसले	लघु वृषव	मध्यम वृषव	बड़े वृषव	औसत
धान	22.39	14.92	21.96	19.55
मववा	24.46	15.83	13.51	16.85
उर्द	15.38	9.93	8.68	10.66
मूंग	15.18	48.51	46.55	42.34

सरसों	12.59	10.80	9.31	10.59
वुल	100	100	100	100

बुन्देलखण्ड क्षेत्र वे चयनित वृषवों ने रवी वी पसल में मूंगपली वी पसल से 26.66 प्रतिशत औसत आय प्राप्त वी। वृषवों वो मटर वी पसल से 20.90 प्रतिशत आय प्राप्त वी। मध्यमश्रेणी वे वृषवों द्वारा मटर वी पसल से 29.44 प्रतिशत आय प्राप्त वी गयी। मूंगपली वी पसल से लघु एवं बड़े वृषवों ने लगभग समान आय प्राप्त वी थी। इसी प्रवार लघु एवं मध्यम वृषवों ने चने वी पसल से समान आय प्राप्त वी थी। बाजरे वी पसलें से बड़े वृषवों ने लघु एवं मध्यम वृषवों दुगनी आय प्राप्त वी। आलू वी पसल से वुल वृषवों तथा लघु वृषवों वो प्राप्त आय बराबर थी। बड़े वृषवों ने गेहूं वी पसल से बहुत वम 6.85 प्रतिशत आय प्राप्त वी। लघु एवं मध्यम वृषवों ने मूगपली और गेहू वी पसल से अन्य पसलों वी तुलना में आधे से अधिव आय प्राप्त वी थी।

तालिवा नं. 6.75

उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड क्षेत्र वे चयनित वृषवों द्वारा रवी वी पसल में 1991-92 में विभिन्न पसलों से प्राप्त आय (प्रतिशत रूप प्रति हेवटयर)

पसलें	लघु वृषव,	मध्यम वृषव,	बड़े वृषव,	औसत
मटर	12.63	14.20	15.20	13.98
बाजरा	10.20	9.59	20.49	13.10
गेहूं	24.35	29.44	6.85	20.90

चना	11.42	11.40	14.80	12.43
मूगफली	28.47	23.51	28.45	26.66
आलू	12.43	11.86	14.21	12.93
वुल	100	100	100	100

बुन्देलखण्ड क्षेत्र वे चयनित वृषवों ारा जायद वी पसल से मूंग वी पसल में सर्वाधिव आय प्राप्त वी गयी । इस पसल से वृषवों वो 51.29 प्रतिशत वी आय प्राप्त हुयी । सबसे वम आय बड़े वृषवों वो 49.45 प्रतिशत रूपये वी प्राप्त हुयी । लघु वृषवों ने मूंग –

तालिवा नं. 6.76

उ ार प्रदेश में बुन्देलखण्ड क्षेत्र वे चयनित वृशवों ारा जायद वी पसल में वर्ष 91-92 में विभिन्न पसलों से प्राप्त आय (प्रतिशत रूपये प्रति हेवटयर)

पसले	लघु वृषव	मध्यम वृषव	बड़े वृषव	औसत
मववा	46.06	49.51	50.55	48.71
मूंग	53.94	50.49	49.4	51.29
वुल	100	100	100	100

और बड़े वृषवों ने मववा वी पसल से अधिव आय प्राप्त वी थी ।

इस प्रवार वुल आय प्राप्ति वे विवरण वो देखने से पता चलता है वि वृषवों ने दालों से अधिव आय प्राप्त वी थी । वृषवों वो धानों से वम आय प्राप्त हुयी थी ।

तालिकांक 6.77
उ.प्र. प्रदेश के चयनित जिलों में चयनित कृषकों (1991-92) में विभिन्न फसलों की आय, व्यय एवं लाभ का विवरण (रूपये प्रति हेक्टयर)

जिला	व्यय				आय				लाभ			
	खरीफ	रवी	जायद	वुल	खरीफ	रवी	जायद	वुल	खरीप	रवी	जायद	वुल
चमोली	10233	8514	-	18747	16103	19712	-	35815	5870	11198	-	17068
एटा	15049	11721	2871	29641	30652	24252	5039	59943	15603	12531	2168	30302
रायबरेली	14432	162033	2335	32800	16580	25813	4635	47028	2148 2148	9780	2300	14228
इलाहाबाद	8154	5722	268	14144	9572	8910	1036	19518	1418	3188 3188	768	5374
झांसी	14084	10400	1870	26354	17300	19315	3599	40212	3216	8915	1729	13860

तालिका से स्पष्ट है कि एक हेक्टयर में कृषकों को सर्वाधिक लाभ एटा जिले में प्राप्त हुआ है । सबसे वम लाभ इलाहाबाद जनपद के कृषकों को 5374 रू. का हुआ । एटा जनपद के कृषकों को सर्वाधिक लाभ खरीप की पसल से हुआ है जबकि अन्य जनपदों के कृषकों को रवी की पसल की पसल से अधिक लाभ प्राप्त हुआ है । इस प्रकार इलाहाबाद जनपद के कृषकों की मासिक आय लगभग 450 रू. प्रतिमास की आय प्राप्त होती है । प्रति हेक्टयर सर्वाधिक व्यय रायबरेली जनपद के कृषकों ने किया है । सबसे कम व्यय इलाहाबाद जनपद के कृषकों ने किया है । जायद की पसल में चमोली जनपद के कृषकों ने कोई व्यय नहीं किया है । रवी की पसल से सर्वाधिक आय 25813 रू. राय बरेली जनपद के कृषकों को प्राप्त होती है । परन्तु अधिक व्यय के कारण उन्हें इस पसल में मात्र 9780 रू. का लाभ प्राप्त होता है ।

तालिका सं.78

उत्तर प्रदेश के चयनित जनपदों में लघु श्रेणी के कृषकों का वर्ष 1991-92 में विभिन्न कृषीय ऋतुओं में आय, व्यय एवं लाभ का विवरण (रू. प्रति हेक्टयर)

जनपद	व्यय				आय				लाभ			
	खरीफ	रवी	जायद	कुल	खरीफ	रवी	जायद	कुल	खरीप	रवी	जायद	कुल
चमोली	10233	8514	-	18747	16103	19712	-	35815	5870	11198	-	17068
एटा	13168	11677	2400	27245	26730	23824	5055	55609	13565	12147	2655	28367
रायबरेली	9049	12225	1735	23009	13642	22386	3550	39578	4593	10161	1815	16569
इलाहाबाद	5917	3738	-	9655 7855	7823	9064	-	16887	1906	5326	-	7232
झांसी	7862	8630	1822	18314	11915	19316	3604	34835	4053	10686	1782	16521
कुल	46229	44784	5957	96970 76970	76213	94302	12209	182724	20087	49518	6252	85757

लघु कृषकों में एटा जिले के लघु कृषकों को सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ है तथा सबसे कम लाभ इलाहाबाद जनपद के कृषकों को हुआ है। झांसी और रायबरेली जनपदों में लगभग बराबर आय प्राप्त हुयी है रायबरेली जनपद में लघु कृषकों ने प्रति हेक्टयर सर्वाधिक व्यय किया है तथा सबसे कम व्यय इलाहाबाद जनपद के कृषकों द्वारा किया गया है। यदि लाभ और व्यय पर निगाह डाली जाय तो स्पष्ट होता है कि जिन जनपदों में प्रति हेक्टयर कृषकों द्वारा अधिक व्यय किया गया है। वहीं कृषकों को अधिक लाभ भी प्राप्त हुआ है। रायबरेली जिले के कृषक इसका अपवाद हैं। वहां व्यय की अपेक्षा लाभ कम हुआ है। एटा जनपद के कृषकों को अन्य जनपदों के कृषकों से लगभग .912 हजार रूपये अधिक का लाभ प्राप्त हुआ है।

तालिका नं. 6.79

उत्तर प्रदेश के चयनित जनपदों में मध्यम श्रेणी के कृषकों का वर्ष 1991-92 में विभिन्न कृषि ऋतुओं में आय, व्यय एवं लाभ का विवरण (रूपये प्रति हेक्टेयर)

जनपद	व्यय				आय				लाभ			
	खरीफ	रवी	जायद	कुल	खरीफ	रवी	जायद	कुल	खरीफ	रवी	जायद	कुल
चमोली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एटा	15787	11816	3543	31146	31566	24330	4945	60841	12514	1402	29695	
रायबरेली	16421	19708	3006	39135	17789	28991	5645	52425	1468	9283	2639	13290
इलाहाबाद	6840	6542	260	15142	8212	8871	1003	18086	1272	2329	743	4344
झांसी	14384	10647	1947	26978	18502	21058	3575	43135	4118	10411	1628	16157
कुल	53532	48713	8756	111001	76069	83250	15168	174487	22537	34537	6412	63486

उत्तर प्रदेश के चयनित जनपदों में चमोली जनपद में मध्यम श्रेणी का कोई कृषक नहीं है। जनपदों में मध्यम श्रेणी के कृषकों ने एटा जिले में सर्वाधिक लाभ प्राप्त किया। इलाहाबाद जनपद के चयनित कृषकों में मध्यम श्रेणी के कृषकों ने सबसे कम लाभ प्राप्त किया। मध्यम श्रेणी के कृषकों ने रायबरेली जिले में सर्वाधिक व्यय किया है तथा एटा जनपद के कृषकों ने सर्वाधिक आय प्राप्त की है। रायबरेली जनपद को छोड़कर अन्य

जनपदों में कृषकों द्वारा खरीफ की फसल में सर्वाधिक व्यय किया गया है । जायद की फसल पर कृषकों द्वारा कम व्यय किया गया है तथा कृषकों को कम लाभ भी प्राप्त हुआ है ।

तालिका 80

अध्ययन प्रदेश के चयनित जनपदों में बड़े कृषकों का वर्ष 91-92 में विभिन्न कृषीय ऋतुओं में आय, व्यय एवं लाभ का वितरण (रूपये प्रति हेक्टयर)

जनपद	व्यय				आय				लाभ			
	खरीफ	रवी	जायद	कुल	खरीफ	रवी	जायद	कुल	खरीफ	रवी	जायद	कुल
चमोली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एटा	16193	11669	2671	30533	33660	24602	5117	63379	12933	32846		
रायबरेली	17826	16166	2264	36256	18310	26063	4710	49083	484	9897	2446	12827
इलाहाबाद	11609	6882	546	19037	13450	8795	1069	23314	1841	1913	523	4277
झांसी	9998	11925	33764	21484	17572	3620	42676	1486	5647	1779	8912	
कुल	65626	46642	7322	119590	8690	14516	178452	21278	30390	10163	58862	

बड़े कृषकों द्वारा एटा जनपद में सर्वाधिक लाभ प्राप्त किया है । इलाहाबाद जनपद में लाभ सबसे कम रहा है । झांसी जनपद के कृषकों को भी वर्षभर में मात्र 8912 रू. का प्रति हेक्टयर लाभ प्राप्त हुआ है । रायबरेली जनपद के कृषकों ने सर्वाधिक व्यय किया है तथा 12827 रू. का लाभ प्राप्त किया है । जायद की फसल में कृषकों द्वारा बहुत ही कम व्यय किया गया है इलाहाबाद जनपद के कृषकों द्वारा जायद की फसल में मात्र 546 रू. का व्यय किया गया तथा इस फसल से उन्हें मात्र 523 रू. की आय प्राप्त हुयी है । एटा, रायबरेली और इलाहाबाद जनपद के कृषकों ने खरीफ की फसल में अधिक व्यय किया था । जायद की फसल पर कृषकों द्वारा 8 से 20 गुने तक कम व्यय किया गया था । जो जायद की फसल के कम महत्व को प्रदर्शित करता है ।

तालिका नं. 6.81

उत्तर प्रदेश के चयनित जनपदों में विभिन्न श्रेणियों के कृषकों द्वारा प्राप्त आय एवं लाभ का विवरण

(रूपये प्रति हेक्टयर)

जनपद	लघु कृषक			मध्यम कृषक			बड़े कृषक		
	व्यय	आय	लाभ	व्यय	आय	लाभ	व्यय	आय	लाभ
चमोली	18747	35815	17068	-	-	-	-	-	-
एटा	27245	55609	28367	31146	60841	29695	30533	63379	32846
रायबरेली	23009	39578	16569	39135	52425	13290	36256	49083	12827
इलाहाबाद	9655	16887	7232	13742	18086	4344	19037	23314	4277
झांसी	18314	34835	16521	26978	43135	16157	33764	42676	8972
कुल	96970	182724	85754	1111001	174477	63486	119590	178452	58862

तालिका से स्पष्ट है कि लघु कृषकों ने एटा जनपद को छोड़कर अन्य जनपदों में मध्यम श्रेणी और बड़े कृषकों से अधिक लाभ प्राप्त किया है। एटा जनपद के बड़े कृषकों द्वारा प्रति हेक्टयर सर्वाधिक लाभ प्राप्त किया है। अन्य जनपदों में लघु कृषक, मध्यम कृषक और बड़े कृषक के क्रम से लाभ प्राप्त किया है। इलाहाबाद जनपद में लाभ में लघु, मध्यम कृषकों और बड़े कृषकों में बहुत कम अन्तर रहा है।

प्राप्त तथ्यों का सारांश और सुधार के लिये सुझाव

भारतीय वृद्धि पर मानसून की निर्भरता एवं घटी तो है परंतु इसका प्रभाव अभी भी भारतीय कृषि पर पडता है । योजना काल से अभी तक 14 सूखे पड़ चुके है । लगभग 4 वर्ष में सामान्य श्रेणी का सूखा पड़ जाता है । और लगभग 14 वर्ष में गम्भीर श्रेणी का सूखा पड़ जाता है । इस सूखे का फसलों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है भारत में फसलों के उत्पादन वृद्धि में क्रमिकता नहीं रह पायी है । भारत में लगभग एक वर्ष के अन्तराल में चावल के उत्पादन में कमी आ जाती है और अगले वर्ष उसका उत्पादन बढ़ जाता है । जिन वर्षो में चावल उत्पादन में कमी आयी है उन्हीं वर्षो में गेंहू के उत्पादन में भी कमी आयी है । दाल, मोटे अनाज, कुल, खाद्यान्न और तिलहन की फसलें इस बात का उदाहरण हैं कि भारत में विभिन्न वर्षो में दन फसलों में उतार-चढ़ाव आया है । चावल गेहूं का उत्पादन 1984-85 में (-5.33) प्रतिशत घट गया तो 1985-86 में इसके उत्पादन में 20.03 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी । गेंहू को उ त्पादन में 1985-86 में 5.65 प्रतिशत की वृद्धि हुयी तो 1988-89 में इसमें वृद्धि उछलकर 22.19 प्रतिशत हो गयी । इसी प्रकार प्रदेश में अन्य फसलों के उत्पादन में असामान्य वृद्धि हुयी है । परंतु कुल मिलाकर उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है ।

देश में भूमि क्षरण की समस्या के कारण नदियों में मिटटी तीव्र गति से पहुच रही है और उससे नही का तल ऊचां होता जा रहा है । भूमि क्षरण के कारण मिटटी के जल अवशोषण क्षमता अत्यन्त कम हो रही है ।

उत्तर-प्रदेश में छोटी जोतों की समस्या भायवह रुप धारण कर रही है । 0.5 हेक्टयर के कम जमीन 50.5 प्रतिशत लोगो के पास है । तथा 0.5-1.0 हेक्टयर भूमि 20 प्रतिशत लोगो के पास है इस प्रकार प्रदेश में 70.5 प्रतिशत लोगों के पास एक हेक्टयर से कम भूमि है । जो असमान भूमि वितरण की द्योतक है ।

छोटी जोत के कारण प्रदेश के कृषक ग्रीन तकनीक का प्रयोग कर पाने में अपने आपको असमर्थ पा रहे है ।

प्रदेश में ग्रामीण असंगठित मजदूर है । इनकों गरीबी की रेखा के उपर लाने के लिये जो जमीन दी जाती है वह साधनों और अच्छी भूमि के अभाव में अपर्याप्त होती है ।

प्रदेश में रासायनिक उर्वकरों के बढ़ते प्रयोग ने अनेक कठिनाइयां पैदा करनी शुरु कर दी है । प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ने के बाद अब घटने लगा है । अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा है । भूमिगतजल में रेडियों धर्मी पदार्थ, जस्ता, निकल, सीसा, मैगनीज, लोहा और नाइट्रेट जैसे पदार्थो में बढ़ोत्तरी होने लगी है । इनके अधिक प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति अवरोधित हुयी है ।

व्यर्थ उत्तर-प्रदेश मे कुल भोगोलिक क्षेत्र का 15.45 प्रतिशत भूमि के अर्न्तगत आता है । बुन्देल खण्ड क्षेत्र में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि है तथा पहाड़ी क्षेत्र में सबसे सम व्यर्थ भूमि है ।

प्रदेश में बुन्देलखण्ड क्षेत्र सबसे अधिक गर्म क्षेत्र है जबकि पहाड़ी क्षेत्र कम गर्म क्षेत्र है ।इस प्रकार यह अनुभव होता है कि गर्म क्षेत्र में व्यर्थ भूमि अधिक होती है जब ठड़े क्षेत्र में यह कम होती ह । अत: बुन्देलखण्ड में व्यर्थ भूमि सर्वाधिक है ।

उत्तर-प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र में सर्वाधिक वन है जबकि पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्रों में वनों का प्रतिशत वहुत कम है । परती भूमि सर्वाधिक मध्मक्षेत्र में है और पहाड़ी क्षेत्र में यह सबसे म लगभग नगण्य है । प्रदेश में सर्वाधिक चारागाह पहाड़ी क्षेत्र में है ।

उत्तर-प्रदेश में खेती योग्य व्यर्थ भूमि सर्वाधिक बुन्देल खण्ड क्षेत्र में है जिसमें से बंजर भूमि का हिस्सा अधिक है। खेती योग्य निरर्थक भूमि भी बुन्देलखण्ड क्षेत्र मे सर्वाधिक है। खेती योग्य निरर्थक भुमि पहाड़ी क्षेत्र में सबसे कम है। जो कि सीधे सीधें तापमान से संबंधित होती प्रतीत होती है।

प्रदेश में रेतीली भूमि सर्वाधिक पहाड़ी क्षेत्र में हैं खेती में प्रयुक्त न होने वाली भूमि भी सर्वाधिक पहाड़ी क्षेत्र में हैं।

प्रदेश में कुल प्रतिवदित क्षेत्र पश्चिम क्षेत्र में सर्वाधिक है तथा पहाड़ी क्षेत्र में सबसे कम है फसल गहनता की दृष्टि से पूर्वी क्षेत्र में सार्वधिक फसल गहनता है। मध्यक्षेत्र को छोड़कर खरीफ की फसल में अधिक भूमि प्रयुक्त होती है जबकि मध्य क्षेत्र में रवी की फसल में अधिक प्रयोग होता है। जायद की फसल में सभी क्षेत्रों में कम क्षेत्र में कृषि कार्य किया गया है।

देश में सभी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुयी है। परंतु सबसे अधिक वृद्धि गेहूं की फसल में हुयी है देश में चावलध् गेहूं, दाल और खाद्यान्नों में के उत्पादन में तेजी से विकास हुआ है। मोटे अनाज के उत्पादन में धीमी गति से वृद्धि हुयी है जबकि चावल का उत्पादन सामान्य गति से बढ़ा है

नब्वे के दशक में देश में गन्ने को छोड़कर खाद्यान्नों, गेहूं, चावल, मोटा अनाज, दालों ओर तिलहन के उत्पादन में कमी आयी।

छटवीं योजना में गेहूं और तिलहन की फसलें लक्षय से अधिक उपलब्धि प्राप्त की है। चावल, मोटा अनाज, दाल, खाद्यान्न और गन्ने की फसलों में लक्षय से कम उत्पादन हुआ है।

सावतीं योजना में गेहूं, दाल, खाद्यान्न और तिलहन की फसलों में लक्षय से कम उत्पादन हुआ है

जबकि चावल मोटा अनाज और गन्ने की फसल में लक्षय से अधिक उत्पादन हुआ है आठवीं योजना में सभी फसलों के लक्षय में भारी बढ़ोत्तरी की गयी है ।

उत्पादन की ही भांति कृषि उपज में भ् वृद्धि का प्रतिशत छठी और सातवीं योजना में लक्षय से कम रहा है कृषि उपज अपने लक्षयों को कभी भी नहीं छू पायी है छठी योजना में गेहूं और सातवीं योजना म गन्ना अपने लक्षय को छू पाया है ।

भारत में प्रतिहेक्टयर कृषि उपज में खाद्यान्न, चावल, गेहूं, ज्वार, गन्ना, और आलृ आदि फसलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुयी है । जबकि दाल, तिलहन, चना और मक्का की फसलों में वृद्धि उतार चढ़ाव के साथ रही है ।

देश में ज्वार, बाजरा, मक्का, तिलहन और चना की फसलों के अर्न्तगत क्षेत्र कृषि क्षेत्र में कमी आ रही है जबकि खाद्यान्नों, गेहूं दाल, चावल गन्ना और आलू के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है ।

उत्तर-प्रदेश में भी गेहूं के क्षेत्र उत्पादन और औसत उपज में निरंन्तर वद्धि हो रही है । प्रदेश में गन्ना आर आलू के क्षेत्र, उत्पादन और औसत उपज में उल्लेखनीय वृद्धि हुयी है जबकि मक्का और दालों के क्षेत्रों में कमी आ रही है ।

उत्तर-प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में गेहूं, धान, गन्ना और मक्का के क्षेत्रफल में वृद्धि हुयी है जबकि चावल, दाल, तिलहन और खाद्यान्नों के क्षेत्रफल में कमी आयी है । प्रमुख्र फसलों के क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में हुयी है ।

उत्तर-प्रदेश के सभी क्षेत्रों में आलू के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुयी है । अन्य सभी फसलों मे सामान्य वृद्धि हुयी है केवल मक्का का उत्पादन कम हुआ है । चावल के भी उत्पादन में कमी आयी है ।

प्रदेश के चुने हुए जिलों में पश्चिमी क्षेत्र में और केन्द्रीय क्षेत्र में मक्का के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुयी है । कुल धान का उत्पादन झांसी बरेजी जिलों में फसलो के उत्पादन में वृद्धि हुयी है । जबकि अन्य जिलों में उत्पादन में कमी आ रही है ।

उन्नत किस्म के बीजों के अर्न्तगत देश का बड़ा हिस्सा आ गया है गेहूं में उन्नत किस्म के बीजों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है । अन्नत किस्म के बीजों के अर्न्तगत प्रतिवर्ष क्षेत्र में वृद्धि हो रही है । उन्नत किस्म के बीजों के अर्न्तगत मक्का का कम क्षेत्र आया है ।

प्रमाणित बीजों का उत्पादन असमान गति से बढ़ा है । प्रारम्भिक वर्षो में इन बीजों का वितरण तेजी से हुआ है जबकि बाद के वर्षो में इन बीजों के वितरण की गति धीमी पड़ी है ।

भारत में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में निरंतर वृद्धि हुयी है रासायनिक उर्वकरों का प्रयोग 1985-8स6 के बाद से तीव्र गति से बढ़ा है ।

भारत में सिचन क्षमता में लगातार वृद्धि हुयी है परंतु गेहूं और गन्ने की फसल में सिचिंत क्षेत्र तीन गुने से भी अधिक वृद्धि हुयी है । सिंचाई में वृहद एवं लघ सिंचाई माध्यमों का भी प्रसार हुआ है लघु सिंचाई से अधिक भूमि सिंचित की जाती है ।

सभी फसलों के सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुयी है परंतु गेहूं और गन्ने की फसल में सिचिंत क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुयी है ।

उत्तर-प्रदेश में दालों के सिंचित क्षेत्र में कमी हो रही है जबकि चावल के सिंचित क्षेत्र में भारी वृद्धि हुयी है । अन्य फसलों में सिचिंत क्षेत्र में सामान्य गति से वृद्धि हुयी है ।

उत्तर प्रदेश मे पश्चिमी क्षेत्र में सिचिंत क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुयी है जबकि पहाड़ी क्षेत्र और बुन्देल खण्ड में यह सबसे कम है । बुन्देल खण्ड क्षेत्र में सबसे कम सिचिंत क्षेत्र है ।

योजनओं में दूसरी योजना और तीसरी योजना में कृषि उत्पादन में अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त की जा सकी । वार्षिक योजनायें कृषि विकास की दृष्टि से संतोषजनक रही हैं । पांचवी और छठी योजना में वृद्धि विकास की गति तीव्र हुयी है । सातवीं योजना में सिंचाई विकास को महत्व प्रदान किया गया है ।

भारत में योजनाओं के मध्य राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान योजना-दर-योजना कम होता जा रहा है । उत्तर प्रदेश में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में विभिन्न वर्षो में 100 प्रतिशत से भी अधिक सफलता प्राप्त की गयी है । वर्ष 1988-89 में लक्षय से सर्वाधिक उपलब्धी प्राप्त की गयी । अनेकों संगठनों ने इस कार्यक्रम का मूल्यांकन किया है । इन अध्ययनों में इसके अन्तर्गत तैयार की गयी नीति में कोई दोष नहीं बताया गया है । इस नीति का कार्य क्रम के लाभार्थियों पर रचनात्मक प्रभव देखा गया है । सबसे अधिक लाभ अनुसचित जाति/जनजाति के लोगों को मिला है । लगभग सभी अध्ययनों में लाभार्थियों के चयन में ऋण, कम पूंजी निवेश बुनियादों सुविधाओं के अभाव की ओर सकेत किया है । असली जरुरत भद का चयन ठीक प्रकार से नहीं हो पाया है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में उपलब्धि के प्रतिशत में लगातार वृद्धि हुयी है

और इसका प्रतिशत 100 से ऊपर रहा है वर्ष 1988-89 में सर्वाधिक सफलता अर्जित की गयी है । कार्यक्रम की सफलता के बारे में मिली-जुली प्रति क्रिया रही है ।

ग्रामीण भूमि हीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम में भी उत्तर प्रदेश में शत-प्रतिशत से अध्थ्क सफलता प्राप्त की है । इस कार्यक्रम में भी उत्तर प्रदेश में उत्तरोत्त वृद्धि हुयी है । वर्ष 1988-89 में सर्वाधिक सफलता अर्जित की गयी है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के निर्माण को ही अन्तिम लक्षय मान लिया गया है फलत: मजदूरी के अवसर पैदा करने की उपेक्षा हो रही है ।

ट्राइसेम कार्यक्रम संदेह नहीं है कि कुछ स्थानों पर यह ग्रामीण विकास के लिये एक उत्प्रेरक कार्यक्रम सिद्ध हुआ है । पर कई स्थानों पर इसके परिणाम वांछित स्तर से नीचे रहे है । इस कार्यक्रम के मूल्यांकन से स्पष्ट होता है कि युवाओं को प्रशिक्षण के पश्चात रोजगार चलाने के लिये पर्याप्त प्रशिक्षण नही दिया जाता है । अत: युवा स्वयं रोजगार प्रारम्भ न करके दूसरों के यहां नौकरी कर लेते है । उत्तर-प्रदेश और राजस्थान का इस योजना से सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ है । इन्दिरा आवास योजना के अर्न्तगत उत्तर प्रदेश में भारी सफलता प्राप्त की है । इस कार्यक्रम में प्रदेश में 175 प्रतिशत से भी अधिक सफलता प्राप्त की गयी है । वाद के वर्षों में इस की सफलता के प्रतिशत में कमी आ रही है । फिर भी यह कार्यक्रम भारी सफलता अर्जित कर रहा है ।

निर्बल वर्ग आवास एवं इन्दिरा आवास कार्यक्रम के अर्न्तगत उपलब्धि में वृद्धि होती रही है । इस कार्यक्रम के अर्न्तगत उत्तर प्रदेश में 1988-89 में भारी सफलता प्राप्त की गयी है ।

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अर्न्तगत अनुसूचित जाति के परिवारों को प्रत्येक वर्ष में लक्षय से अधिक

सफलता प्राप्त की है इस कार्यक्रम के अर्न्तगत 100 प्रतिशत से भी अधिक लक्षय प्राप्त किया गया है । इस कार्यक्रम के अर्न्तगत अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभ प्रदान करने में वाद के वर्षो में कमी आयी है । वर्ष 1988-89 में यह कार्यक्रम अपने लक्षय को प्राप्त नहीं कर सका ।

उत्तर-प्रदेश में बधुआ मजदूरों के पुनर्वासन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुयी है वर्ष 1987-88 में सबसे अधिक बंधुआ मजदूरों को पुनर्वासित किया गया ।

जवाहर रोजगार योजना के अर्न्तगत उत्तर-प्रदेश में राशि का व्यय लक्षय से कम रहा है । सबसे कम प्रतिशत 1990-91 में रहा है । जबकि अन्य वर्षो में यह समान रहा है । इस योजना के अर्न्तगत रोजगार सृजन में वर्ष 1991-92 में 100 प्रतिशत लक्षय प्राप्त किया जो कि अन्य वर्षो से सर्वाधिक है । उत्तर-प्रदेश के चयनित जिलों में रोजगार सृजन में पहाड़ी क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 100 प्रतिशत से अधिक सफलता अर्जित की है । वर्ष 1991-92 में सभी जिलों मे 100 प्रतिशत से अध्क्क सफलता प्राप्त कीह गयी ।

उत्तर-प्रदेश में लगभग सभी योजनाओं में शत प्रतिशत से अधिक लक्षय प्राप्त किया गया है इससे प्रदेश की गतिशीलता का प्राप्त तो चलता है साथ ही साथ यह भी महसूस होता है कि कुछ कार्यक्रमों के अर्न्तगत लक्षय अत्यन्त कम रखे गयें है और आकड़े बढ़ा-चढ़ाकर प्रदर्शित किये गये है ।

चमोली जिलें में एक भी कृषक मध्यम या बड़ी श्रेणी का नहीं पाया गया । अर्थात चमोली जिले में किसी भी कृषक के पास दो हेक्टयर या अधिक जमीन नहीं थी । चमोली जनपद में खरीफ और रवी की फसल में लगभग बराबर भूमि का प्रयोग किया गया । इस जनपद में जायद की फसल नहीं की गयी ।चमोजी जनपद में प्रति कृषक 1.25 हेक्टयर भूमि पायी गयी ।

एटा जनपद में चयनित कृषकों में प्रति औसतन 2.98 हेक्टयर भूमि पायी गयी । जबकि लघु कृषकों के पास औसतन 1.78 पर प्रति कृषक भूमि थी । कृषकों प्रति कृषक द्वारा औसतन 3.44 हेक्टयर भूमि एक बार से अधिक बोयी गयी जो कि प्रदेश के चुने हुये जिलों में सर्वाधिक है । एटा जनपद में कृषक फसल गहनता के कारण अपनी भूमि के बार-बार प्रयोग से लगभग ढाई गुनी भूमि का प्रयोग करत थे । एटा जनपद में रवी फसल में खरीफ की फसल से कुछ ज्यादा भूमि का प्रयोग किया गया । जनपद मे खरीफ और रवी की फसल में लगभग बराबर प्रयोग किया था जबकि कृषकों द्वारा जनपद की फसल में मात्र एक चौथाई भूमि का ही प्रयोग किया गया ।

रायबरेजी जनपद में चयनित कृषकों में प्रति कृषक औसतन 2.68 हेक्टयर भूमि पायी गयी जबकि प्रति लघु कृषक औसतन 1.41 हेक्टयर भूमि थी । कृषकों द्वारा वर्ष भर में अपनी भूमि सेस दुगुनी भूमि का प्रयोग किया गया । खरीफ और रवी की फसलों में लगभग बराबर भूमि प्रयुक्त की गयी । खरीफ की फसल में थोड़ी सी ज्यादा भूमि का प्रयोग किया गया । जबकि इन दोनों फसलों में जायद की फसल से लगभग छः गुनी भूमि प्रयुक्त की गय । इस प्रकार जायद में बहुत कम भूमि का प्रयोग हुआ ।

इलाहाबाद जनपद में चयनित कृषकों में प्रति कृषक औसतन 2.88 हेक्टयर भूमि थी । लघु कृषकों के पास औसतन 1.87 हेक्टयर भूमि थी । लघु कृषको में इलाहाबाद जनपद में प्रति कृषक सर्वाधिक भूमि पायी गयी । प्रति कृषक औसतन 2.82 हेक्टयर भूमि एक बार से अधिक बोयी गयी । इस प्रकार कृषकों ने वर्ष भर में लगभग दुगुनी भूमि से कुछ कमही प्रयोग किया । इलाहाबाद जनपद में खरीफ और रवी की फसलों में लगभग बराबर भूमि प्रयुक्त की । जबकि इन दोनों फसलो मे जायद की फसल से लगभग 10 गुनी अधिक भूमि प्रयुक्त की गयी ।

झांसी जनपद में चयनित कृषकों में प्रति कृषक औसतन 2.70 हेक्टयर भूमि थी । जिसमें से लघु कृषकों के पास औसतन 1.44 हेक्टयर भूमि थी । कृषकों द्वारा 3.08 हेक्टयर के औसत से भूमि का एक बार से अधिक प्रयोग किया गया । इस प्रकार कृषकों ने वर्ष भर में भूमि का दुगुना उपयोग किया । कृषकों द्वारा खरीफ और रवी की फसल मे लगभग बराबर भूमि का प्रयोग किया गया । जायद की फसल में इनकी मात्र लगभग एक चौथाई भूमि का प्रयोग किया गया ।

उत्तर प्रदेश के चयनित समस्त पांचों जनपदों में चयनित कृषकों के पास औसतन 2.50 हेक्टयर भूमि थी । लघु कृषकों के पास औसतन 1.53 हेक्टयर भूमि थी । औसतन 2.56 हेक्टयर भूमि का प्रति कृषक एक बार से अधिक प्रयोग किया गया । प्रति कृषक खरीफ और रवी की फसलों में लगभग समान क्षेत्र का प्रयोग किया गया । जायद की फसल ने इन फसलों का लगभग दस गुना कम क्षेत्र प्रयुक्त किया गया । मध्यम और बड़े कृषकों के पास प्रति कृषक क्रमशः लगभग दुगुनी से कुछ ही कम भूमि का प्रयोग किया जो फसल गहनता को दर्शाता है । कृषकों के पास निजी क्षेत्र से कृषित क्षेत्र कम था ।

इस प्रकार एटा और झांसी जनपद में फसल गहनता अधिक दिखायी दी । इन दोनों जनपदों में अन्य जनपदों की अपेक्षा एक बार से अधिक बोयी गयी भूमि का अधिक प्रयोग किया गया था । केवल एटा और झांसी जनपद में रवी की फसल में खरीफ की फसल से अधिक भूमि का प्रयोग किया । अन्य जनपदों की अपेक्षा इन दोनों जनपदों में जायद की फसल मे अधिक भूमि का प्रयोग किया गया । फिर भी जायद की फसल में भूमि का बहुत ही कम प्रयोग हुआ था ।

चमोली जनपद के कृषकों ने खरीफ की फसल में धान पर सर्वाधिक 3479 रु0 व्यय किया था । जबकि उर्द की फसल पर सबसे कम व्यय किया था । इस फसल पर कृषकों द्वारा धान की फसल से लगभग

तीन गुना कम व्यय किया गया । कृषकों ने मडुआ और सवान फसल पर लगभग बराबर व्यय किया । इस प्रकार कृषकों द्वारा खरीफ की फसल में 10233 रु0 प्रति हेक्टयर व्यय किये गये ।

चमोली जनपद के कृषकों ने रबी की फसल पर 8514 रु0 प्रति हेक्टयर व्यय किया जो कि खरीफ की फसल से कम था । कृषकों ने मटर और आलू की फसल से सर्वाधिक व्यय किया । सबसे कम व्यय वाजरा की फसल पर किया गया ।

चमोली जनपद में खरीफ और रवी सीजन में मानवी श्रम पर सर्वाधिक व्यय किया गया । कृषकों द्वारा खरीफ और रबी सीजन में खाद और उर्वरकों पर लगभग समान व्यय किया गया । रबी के सीजन में बैलों पर खरीफ से कुछ ज्यादा व्यय किया । खरीफ सजीन में सिंचाई और दवाओं पर रबी सीजन से चार गुने से भी अधिक व्यय किया । श्रम पर बीज और उर्वरकों से लगभग दुगुने से अधिक व्यय किया गया ।

चमोली जनपद के कृषकों को खरीफ फसल से प्रति हेक्टयर 16103 रु0 की आय प्राप्त हुयी । इसमें धान की फसल से कृषकों को सर्वाधिक 34.03 प्रतिशत की आय प्राप्त हुयी । उर्द की फसल से सबसे कम 9.91 प्रतिशत की आय प्राप्त हुयी । इस प्रकार इस फसल में धान की फसल से एक तिहाई से भी कम आप प्राप्त हुयी । कृषकों को मक्का की फसल से लगभग 2 प्रतिशत कम आय प्राप्त हुयी । रवी की फसल में आलू और मटर की फसलों से 60 प्रतिशत से अधिक आय प्राप्त हुयी । रवी की फसल से कृषकों को प्रति हेक्टयर पर 19712 रु0 की आय प्राप्त की । बाजरे की फसल से कृषकों ने मटर की फसल से आधी से कम आय प्राप्त की ।

एटा जनपद में खरीपा की फसल में मध्यम कृषकों द्वारा सर्वाधिक 15787रु0 प्रति हेक्टयर व्यय

किये गये । जबकि औसतन प्रति हेक्टयर खरीफ की फसल में 15049 रु0 व्यय प्रति कृषक द्वारा किया । खरीफ की फसल में कृषकों द्वारा गन्ने की फसल पर सबसे अधिक 8211 रु0 के औसत से व्यय किया गया । उर्द की फसल पर कृषकों द्वारा सबसे कम व्यय किया गया । उर्द की फसल पर गन्ने की फसल के दस गुने से भी कम व्यय किया गया । एटा जनपदों मेकृषकों द्वारा रवी के सीजन में औसतन 11721 रु0 व्यय किया गया । कृषकों ने आलू की फसल पर सर्वाधिक कुल व्यय का लगभग आधा व्यय किया । आलू की फसल पर कृषकों ने गन्ने की फसल पर लगभग आधा व्यय किया था । जायद की फसल पर कृषकों द्वारा प्रति हेक्टयर मात्र 2871 रु0 व्यय किया गया । जायद की फसल में मध्यम कृषकों द्वारा सर्वाधिक व्यय किया गया । जायद में कृषकों ने मक्का की फसल पर सर्वाधिक व्यय किया । चयनित कृषकों ने गन्ने की फसल पर 54.56 प्रतिशत व्यय किया । मध्यम कृषकों ने गन्ने की फसल पर 71.40 प्रतिशत का भारी व्यय किया गया । कृषकों द्वारा गेहूं और दालों जैसे चना मटर और अरहर की फसल पर कृषकों द्वारा बहुत कम व्यय किया गया । जायद की फसल में दालों उर्द और मूंग की फसल पर लगभग 56 प्रतिशत व्यय किया ।

एटा जनपद में श्रम पर व्यय का लगभग आधा व्यय किया गया । कृषकों ने बीज, खाद, और उर्वरकों पर अच्छा व्यय किया था जबकि सिंचाई और दवाओं पर कृषकों द्वारा कम व्यय किया गया । कृषकों द्वारा दवाई और सिचांई पर लगभग बराबर व्यय किया । जायद की फसल मे मध्यम कृषकों ने दवाओं और बड़े कृषकों ने सिचांई पर अधिक व्यय किया ।

एटा जनपद के चयनित कृषकों ने खरीफ की फसल से प्रति हेक्टयर 30652 रु0 की आय प्राप्त की गयी । सर्वाधिक आय बड़े कृषकों को प्राप्त हुयी । कृषकों को सर्वाधिक आप गन्ने की फसल से प्राप्त हुयी । कृषक ने सर्वाधिक आय आलू की फसल से प्राप्त की । कृषकों को आलू की फसल से रवी सीजन

मे कुल आय की लगभग आधी आय प्राप्त हुयी। कृषकों को सबसे कम चने की फसल से प्राप्त हुयी। जायद की फसल से कृषकों को सर्वाधिक 41 प्रतिशत की आय प्राप्त हुयी।

रायबरेली जनपद में चयनित कृषकों ने खरीपा की फसल में औसतन 14432 रु0 प्रति हेक्टयर का व्यय किया। मक्क मूग और उर्द की फसल पर मध्यम और बड़े कृषकों ने लगभग दुगुना व्यय किया। चयनित कृषकों ने सर्वाधिक व्यय धान की फसल पर किया।

रायबरेली जनपद के चयनित कृषकों ने रबी की फसल में औसतन 16033 रुप प्रति हेक्टयर का व्यय किया। कृषकों द्वारा गन्ने और आलू की फसल पर सर्वाधिक क्रमश: 26.66 और 62-90 प्रतिशत व्यय किया गया। गन्ने की फसल पर कृषकों ने आलू की फसल को महत्व दिया। बाजरे की फसल पर मात्र 4.03 प्रतिशत व्यय किया गया। जायद की में कृषकों द्वारा वहुतकम व्यय किया गा। मध्यम कृषकों ने लघु कृषकों से लगभग दुगुना व्यय किया गया।

रायबरेजी जनपद के चयनित कृषकों ने श्रम पर सर्वाधिक व्यय किया। लघु और मध्यम कृषकों न मशीनी श्रम पर कोई व्यय नहीं किया मध्यम ओर बड़े कृषकों ने बीज और उर्वरकों पर लघु कृषकों से तीन गुने से कुछ ही कम व्यय किया। लघु कृषकों द्वारा सिंचाई पर भी कम ही व्यय किया। रवी की फसल में उर्वरकों पर मध्यम कृषकों द्वारा 5380 रु0 प्रति हेक्टयर का भारी खर्च किया गया। जायद की फसल मे बीज दवा और सिंचाई पर कृषकों द्वारा बहुत कम व्यय किया गया। मध्यम कृषकों ने उर्वरकों पर अधिक व्यय किया। लघु कृषकों ने दवाओं पर कोई व्यय नहीं किया।

रायबरेली जनपद में चयनित कृषकों ने खरीफ के सीजन में धान की फसल से 34.56 प्रतिशत आप

प्राप्त की । लघु कृषकों ने इस फसल से सर्वाधिक 43.78 प्रतिशत आप प्राप्त की । कृषकों को मूंग ओर उर्द की फसल से म आय प्राप्त हुई । रवी की फसलमें कृषकों को आलू की फसल से सर्वाधिक 59.55 प्रतिशत की भारी आय प्राप्त हुयी । कृषकों ने गन्ने और आलू की फसल से सम्मिलित रुप से लगभ्ग 90 प्रतिशत आय प्राप्त हुयी । मध्यम कृषकों ने आलू की फसल से सर्वाधिक आय प्राप्त की । जायद की फसल में कृषकों को धान की फसल से सर्वाधथ्क आय प्राप्त हुयी । उर्द और मक्का की फसल से कृषकों को लगभग समान आप प्राप्त की ।

इस प्रकार रायबरेली जनपद के कृषकों ने धान, गन्ना और आलू की फसल से सर्वाधिक आय प्राप्त की । कृषकों को दालों, गेहूं और बाजरा की फसल से कम आय प्राप्त हुयी ।

इलाहाबाद जनपद के चयनित कृषकों ने खरीफ की फसल में 8154 रु0 के औसत से व्यय किया । बड़े कृषकों ने लघु कृषकों से लगभग दुगुना व्यय किया । कृषकों ने धान की फसल पर सर्वाधिक 2853 रु0 व्यय किये कृषकों ने चारा ओर सब्जियों पर सर्वाधिक 39.05 प्रतिशत व्यय किया जबकि लघु और मध्यम कृषकों न इन फसलों को नहीं किया रवी की फसल में चयनित कृषकों न आलू की फसल पर सर्वाधिक व्यय किया कृषकों द्वारा चने की फसल पर सबसे कम वयय किया गया । इलाहाबाद जनपद में लघु कृषकों ने जायद की फसल ही नहीं की । कृषकों द्वारा जायद की फसल पर अति अल्प 268 रु0 प्रतिहेक्टयर के औसत से व्यय किया गया ।

इलाहाबाद जनपद के चयनित कृषकों ने खरीफ की फसल में रासायनिक दवाओं पर बहुत कम व्यय किया । कृषकों द्वारा बीजों ओर उर्वरकों पर अच्छा व्यय किया गया फिर भी यह व्यय बहुत कम था । श्रम पर कुल व्यय का लगभग आधा व्यय किया गया । सिंचाई पर भी कृषकों द्वारा कम व्यय किया गया ।

बैलों से अधिक मशीनी श्रम पर व्यय किया गया । जायद की फसल में कृषकों द्वारा उर्वरक और दवाओ पर कोई व्यय नहीं किया गया । सिचांई और बीजों पर भी बहुत कम व्यय किया गया ।

इलाहाबाद जनपद में चयनित कृषकों ने खरीफ की फसल से 951 रु0 प्रति हेक्टयर की आय प्राप्त की जिसमें धान की फसल से सर्वाधिक 34.99 प्रतिशत की आय प्राप्त की । कृषकों ने मक्का और उर्द की फसल से लगभग समान आय प्राप्त की । रवी के फसल के सीजन में आलू की फसल से बड़े कृषको ने सर्वाधिक 56.68 प्रतिशत आय प्राप्त हुयी । जायद की फसल में कृषकों को 58.27 प्रतिशत आय मक्का और उर्द की फसल से हुयी । जायद की फसल में कृषकों को बहुत कम आय प्राप्त हुयी । कृषकों ने खेतों में बीज डालकर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया ।

इस प्रकार इलाहाबाद जनपद में कृषकों को धान, आलू, मक्का, और दालों से अच्छी आय प्राप्त हुयी । चने की फसल से कृषकों को बहुत कम आय प्राप्त हुयी ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के चयनित जनपद झांसी में खरीफ की फसल में कृषकों द्वारा औसतन 14084 रु0 प्रति हेक्टयर व्यय किया गया । कृषकों द्वारा खरीफ सीजन में दालों पर भारी व्यय किया गया । बड़े और मध्यम कृषकों ने मूंग की फसल पर सर्वाधिक व्यय किया । दालों पर 52.38 प्रतिशत व्यय किया गया जिसमें से मूंग की फसल पर 40.68 प्रतिशत का व्यय किया गया रवी सीजन में कृषकों ने मूगफली पर सर्वाधिक 26.04 प्रतिशत व्यय किया गया । कृषकों द्वारा गेहूं चना और मटर पर भी अच्छा व्य यकिया गया । कृषकों द्वारा जायद के सीजन में मात्र दो ही मूंग की फसल से मक्का और मूंग की फसलें की गयी । जिसमें मक्क की फसल पर कुद अधिक ही व्यय किया गया ।

झांसी जनपद के चयनित कृषकों ने खरीफ सीजन में श्रम पर कुल व्यय आधे से भी अधिक व्यय किया गया । कृषकों द्वारा प्रति हेक्टयर उर्वरकों ओर बीज पर भी काफी व्यय किया गया । किंतु सिचाई और दवाओं पर कृषकों ने कम व्यय किया । विशेष रुप से लधु कृषकों और मध्यम कृषकों ने दवाओं पर बहुत कम व्य यकिया । रवी सीजन मे कृषकों ने दावओं पर खरीफ की अपेक्षा अधिक व्यय किया । मशीनी श्रम पर कम व्यय किया । रवी के सीजन में सिचांई पर खरीफ की अपेक्षा अधिक व्यय किया । जायद की फसल के सीजन में कृषकों द्वारा बीज और खाद पर कम व्यय किया गया । यह व्यय क्रमश: 367 और 361 रु0 प्रति हेक्टयर पर था । सिचाई पर बहुत ही कम व्यय किया गया । जबकि इस सीजन में दवाओं पर कोई व्यय नहीं किया गया ।

झांसी जनपद के चयनित कृषकों ने खरीफ के सीजन में 17300 रु0 प्रति हेक्टयर की आय प्राप्त की । बडे कृषक ने सर्वाधिक 21484 रु0 की प्रतिहेक्टयर की आय प्राप्त की । कृषकों को दालों से सर्वाधिक लगभ्ग 53 प्रतिशत आय प्राप्त हुयी । मध्यम ओर बड़े कृषकों ने मूंग की फसल स सर्वाधिक आय प्राप्त की । रवी के सीजन में कृषकों को मूंगफली की फसल से सर्वाधिक 26.66 प्रतिशत आय प्राप्त हुयी । जबकि मध्यम कृपकों ने गेहूं की फसल से सर्वाधिक आय प्राप्त की । गेहूं की फसल से कृषकों ने 20.90 प्रतिशत की आय प्राप्त की जायद की फसल से कृषकों ने मूंग की फसल से 57.29 प्रतिशत की आय प्राप्त की ।

इस प्रकार झांसी जनपद के कृषकों ने सर्वाधिक महत्व दालों को दिया । कृषकों द्वारा दवाई और सिंचाई पर कम व्यय किया गया ।

वर्ष 1991.92 में चयनित कृषकों में सर्वाधिक लाभ 30302 रु0 प्रति कृषक एटा जनपद के कृषकों को हुआ । एटा जनपद के कृषकों ने वर्ष भ रमें कुल 29641 रु0 प्रति हेक्टयर के औसत से व्यय किया

जबकि उन्हे 59943 रु0 प्रति हेक्टयर की औसित आय प्राप्त हुयी । इस प्रकार एटा जनपद के कृषकों ने व्यय के लगभग दुगुनी आय प्राप्त की ।

रायबरेली जनपद के चयनित कृषकों को वर्ष भर में प्रति कृषक 14228 रु0 वार्षिक लाभ्र प्राप्त हुआ । रायबरली जनपद में सर्वाधिक 32800 रु0 प्रति हेक्टयर का व्यय किया गया जबकि उन्हें प्रति कृषक 47028 रु0 की आय प्राप्त हुयी । इस प्रकार रायबरेली जनपद के कृषकों ने वर्ष भर में प्रति कृषक 1.43 गुनी आय प्राप्त को कृषकों द्वारा रवी की फसल को अधिक महत्व प्रदान किया ।

इलाहाबाद जनपद में कृषकों ने वर्ष 1991-92 में प्रति कृषक 13860 रु0 वार्षिक लाभ प्राप्त हुआ । वर्ष में प्रति कृपक् 2635 रु0 का व्यय किया गया । जबकि उन्हें प्रति कृपक 40214 रु0 की आय प्राप्त की । इस प्रकार झांसी जनपद में कृषकों को व्यय से 1.53 गुनी आप प्राप्त हुयी ।

चमोली जनपद में प्रति कृषक 1706 रु0 को वार्षिक लाभ प्राप्त चमोली जनपद में 18747 रु0 प्रति कृषक वार्षिक व्यय किया गया । जबकि प्रति कृषक 35815 रु0 की आय प्राप्त हुयी । इस प्रकार प्रति कृषक व्यय से 1.91 गुनी आय प्राप्त की ।

कृषकों द्वारा खरीफ की फसल को अधिक महत्व दिया गया । केवल रायबरेली जनपद में रवी की फसल को अधिक महत्व दिया गया । जायद की फसल को सभी जनपदों में बहुत कम महत्व दिया गया । चमोली और इलाहाबाद जनपद में कृषकों ने जायद की फसल ही नही की ।

उत्तर प्रदेश के वर्ष 1991-92 में चयनित एटा जनपद चयनित लघु कृषकों ने सर्वाधिक लाभ प्राप्त किया तथा सबसे कम लाभ इलाहाबाद जनपद के कृषकों को हुआ था । रायबरेली जनपद के लघु कृषकों

ने सर्वाधिक व्यय किया था तथा सबसे कम व्यय इलाहाबाद जनपद के कृषकों ने किया। रायबरेली और झांसी जनपदो के कृषको को लगभग बराबर 16509 और 16521 रु0 का लाभ प्राप्त किया। चमोली और एटा जनपदों लघु कृषकों ने व्यय से लगभग दुगुनी आय प्राप्त की।

चयनित मध्यम कृषकों में भी एटा जनपद के कृषकों ने सर्वाधिक लाभ प्राप्त किया। रायबरेली जनपद में मध्यम कृषकों ने सर्वाधिक व्यय किया। एटा जनपद में मध्यम कृषकें को व्यय के दुगुने से कम लाभ प्राप्त हुआ।

चयनित बड़े कृषकों द्वारा एटा जनपद में व्यय क दुगुने से अधिक लाभ प्राप्त हुआ। रायबरेली जनपद के बड़े कृषकों द्वारा सर्वाधिक व्यय किया गया। जायद की फसल पर भी बहुत कम व्यय किया गया तथा कृषकों को इससे लाभ की कम प्राप्त हुआ।

चमोली और एटा जनपद के कृषकों ने व्यय से लगभग दुगुनी आय प्राप्त की थी। इस प्रकार इन दोनों जनपदों के कृषकों ने कृषि की नवीन तकनीक का सर्वाधिक लाभ उठाया। झांसी और रायबरेली के जनपदों के कृषकों द्वारा व्यय का लगभग ड़ेढ गुनी आय प्राप्त की गयी अत: इन जनपदों के कृषकों को कृषि की नवीन तकनीक अपनाने का आंशिक लाभ प्राप्त हुआ। जबकि इलाहाबाद जनपद के कृषकों ने बहुत कम लाभ प्राप्त किया तथा वे कृषि की नवीन तकनीक से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सके। वर्ष 1991-92स में एटा जनपद के बड़े कृषकों ने सर्वाधिक लाभ प्राप्त किया जबकि अन्य जनपदों के लघु कृषकों ने मध्यम और बड़े कृषकों से अधिक लाभ प्राप्त किया। इस प्रकार लघु कृषकों ने कृषि की नवीन तकनीक को ज्यादा बेहतर ढंग से अपनाया था। बड़े कृषकों ने वर्ष 1991-92 में एटा जनपद को छोड़कर अन्य जनपदों में कृषकों द्वारा कम आय प्राप्त की गयी।

उत्तर-प्रदेश में कृषि और ग्रामीण विकास के लिये कुछ सुझाव निम्न प्रकार है-

यद्यपि सूखे की अधिक सम्भावना वाले क्षेत्रों में सूखा ग्रस्त क्षेत्रीय कार्यक्रम और मरुस्थल क्षेत्रों को विकसित करने के लिये विशेष कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को विकसित करना और वहाँ की आर्थिक गतिविधि को विविधीकृत करना है। इसलिये सर्व प्रमुख आवश्यकता सूखे के पूर्वानुमान करने की है। इसके लिये मौसम पूर्वानुमान विभाग को अधिक सुविधायुक्त और वैज्ञानिक अनुसंधान की नवीनतम विधियों से युक्त करना होगा।

अब मौसम पूर्वानुमान विभाग के अल्पकालिक अनुमान वर्षा के समुचित पूर्वानुमान प्रस्तुत करने में समर्थ है। इस आधार पर सम्यक क्रिया विधि बनायी जा सकती है। इस आकलन के आधार पर वर्षा की दशाओं में ध्यान रखकर उचित फसलें बोयी जा सकती हैं।

सूखे की भयावहता घटाने का दूसरा सर्व प्रमुख माध्यम कम परिपक्वता अवधि वाले वीजों का प्रसार करना है। कम परिपक्वता अवधि वाले वीजों से कम वर्षा दिनों वाले मौसम में भी सामान्य स्तर तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। धान और गेहूं हमारे यहाँ की अति प्रमुख खाद्यान्न फसल है इन फसलों में कम परिपक्वता अवधि वाले वीजों की आवश्यकता है।

प्राय: यह देखा गया है कि मानसून विलम्ब से क्रियाशील होता है। इससे खरीफ फसल की बुवाई व रोपाई में विलम्ब होने से रवी की फसल की बुवाई पर भी प्रतिकूल प्रभाव होता है। अत: पर्याप्त उत्सपादन सामर्थ्य युक्त अल्प परिपक्वता अवधि वाले बीजों का प्रसार किया जाय।

चारे वाली फसलों मे ऐसे वीजों के प्रसार की आवश्यकता है जिनसे अपेक्षा कृत कम वर्षा की स्थिति में चारे का उत्पादन किया जा सके।

सूखे के वर्षो में मोटे अनाजों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाकर अर्थ व्यवस्था को खाद्य संकट से बचाया जा सकता है। मोटे अनाज कम समय, कम पानी और कम उर्वरक की अपेक्षा करते हैं। सिचाई की छोटी और बड़ी परियोजनाओं के उदय के बाद मानसून पर कृषि की निर्भरता घटी है। इससे सूखे से होने वाली हानि को कुछ हद तक कम किया जा सका है फिर भी देश में बिजली और ईधन की कमी के कारण सिंचित क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है अअत: एक सुझाव यह है कि हमें गोबर गैस के प्रयोग से सिचाई को बढ़ावा देना चहिए। बिहार के नालन्दा जिले में इस प्रकार के संयन्त्र है। इनके प्रयोग से कृषकों के व्यय में कमी आयेगी और हमारे देश में व्यर्थ जाने वले गोबर का सही उपयोग भी हो सकेगा। अत: गोबर गैस संयन्त्रों को उपयुक्त रूप से बढ़ावा देना चाहिए। इसी प्रकार सिचाई में पवन चक्की और सौर-ऊर्जा का भी सद्पयोग हो सकता है। उत्तर प्रदेश में सौर-ऊर्जा का एक संयन्त्र स्थापित भी है।

भूमि के क्षरण को रोकने के लिए परती-भूमि पर फलदार, छायादार और इमारती लकड़ी वाले वृक्षों कको रोपाई की जाय, जिससे जहाँ एक ओर बहुमूल्य लकड़ी प्राप्त होगी वह पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा।

यह सुनिश्चित की जाय, कि वन सम्पदा का उपयोग मकान और जलाऊ लकड़ी के रूप मे न किया जाय। भूमि को बंजर होने से बचाने, पर्यावरण की रक्षा तथा वन रोपण हेतु सिचाई की व्यवस्था में सुधार के लिए अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाये जाय।

योजना आयोग पर्यावरण और वन-विभाग, गैर परम्परागत ऊर्जा विभाग, विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग बीच इस प्रकार का समन्वय किया जाय कि ये तीनों विभाग वनों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हो। वनों की सुरक्षा और भूमि-सुरक्षा कके लिए अलग-अलग प्रयास करने से काम नही चलेगा। इसके लिए समन्वित उपाय के द्वारा अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।

उत्तर प्रदेश में छोटी जोतों की बहुसंख्या है ये जोते बिखरी हुई होने के साथ-साथ अनार्थिक भी होती है। अतः कोई ऐसी योजना बनायी जानी चाहिए, जिससे ये जोते मिलकर सामूहिक फार्म बन सके इसके लिए सहकारी संस्थाओं आदि का सहयोग लिया जाना चाहिए या कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें ऐसी जोत की सीमा बँधी हो, जो आर्थिक हो उससे कम जोत के खेत को सरकार अपने नियंन्त्रण में ले ले।

सीलिंग भूमि के आवंटन में असंगठित और बन्धुआ मजदूरों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में सिचित भूमि दी जानी चाहिए या उन्हें किसी विशेष कार्य का प्रशिक्षण देकर रोजगार देना चाहिए।

रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते प्रयोग से भूमि से भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित हुई है अतः इनके प्रयोग से पहले उर्वरकों पर वैज्ञानिक प्रयोग होने चाहिए। जैसे काई का उर्वरक के रूप में धान की फसल में प्रयोग बहुत सफल रहा है काई जैसे उर्वरको को और सुलभ बनाकर किसानो तक पहुंचाया जाना चाहिए।

उर्वरकों में किसानों को मिलावट की बहुत शिकायत रहती है। अतः दुकानों पर उर्वरको के वितरण

को लाइसेन्स प्रक्रिया के द्वारा नियन्त्रित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उर्वरकों की कीमत किसानों की क्रय शक्ति के अन्दर होनी चाहिए।

प्रदेश मे व्यर्थ भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए सिचाई सुविधाओ का विस्तार किया जाना चाहिए और बंजर भूमि पर सामाजित वानिकी आदि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे कृषकों को अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगी।

रासायनिक दवाओं के प्रयोग से फसलों कके उत्पादन में नुकसान से बचा जा सकता है। रासायनिक दवाओं के बारे में किसानों को कम जागरूकता होती है। अत: प्रचार के द्वारा इन दवाओं को अधिकाधिक मात्रा में किसानों के पास तक पहुँचाया जाना चाहिए, साथ ही साथ यह भी अनिवार्य शर्त होनी चाहिए कि उनके मूल्य नियन्त्रित होने चाहिए।

कृषकों की आर्थिक उन्नति के लिए परम्परागत कृषि के बजाय आधुनिक कृषि पर बल दिया जाना चाहिए जिसमें कम आय देने वाली फसलों के बजाय नकदी फसलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

सरकार द्वारा चलाये जा रहे रोजगार कार्यक्रमों में निम्न श्रेणी के लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। लाभार्थियों के चयन में गम्भीरता बरती जानी चाहिये और इन योजनाओं में पूंजी निवेश पर्याप्त मात्रा में होना चाहिये।

उत्तर-प्रदेश मे सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों में शत प्रतिशत से भी अधिक की उपलब्धि प्राप्त की है। अत: इन कार्यक्रमों में ऐसे लक्षय निर्धारित किये जाय, जिन्हें प्राप्त करने में वास्तव में उपलब्धि महसूस हो।

ग्रामीण लोगों की आय बढ़ाने के लिये कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित लघु उद्योगों जैसे मुर्गीपालन, पशुपालन, मधु मक्खी पालन मत्स्य पालन जैसे उद्योगों को बढ़ावा देना चहिये ।

इसके लिये अधिकाधिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने चाहिये तथा उन स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये जहां पर उत्पादकता कम है । उत्तर प्रदेश में कृषक जायद की फसल में बहुत कम खेती करते हैं अत: इस फसल में अधिक उत्पादन और भूमि उपयोग को बढ़ावा दिया जाने का प्रयास किया जाना चहिये ।

उत्तर प्रदेश में दालों के क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता में कमी आ रही है । दालों की फसलें तैयार होने में अधिक समय लेती है और उनमें बीमारियां भी अधिक लगती हैं । अत: जल्दी तैयार हेने वाले वीजों को तैयार किया जाना चाहिये ।

प्रमाणित वीजों का मूल्य सामान्यत: अधिक होता है अत: सरकार को इन वीजों पर सब्सिडी देनी चाहिये ।

मिश्रित फसलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये जैसे मूंग, और अरहर बाजरा और तिलहन की फसलों के साथ बोयी जा सकती है । रवी के सीजन में चना और मसूर, जौ के साथ बोये जा सकते हैं ।

जल्दी पकने वली आलू की फसल के साथ सरसों की खेती कृषकों की आर्थिक सहायता में वृद्धि कर सकती है । इसकी एक एकड़ की सम्मिलित खेती आलू के डेढ़ एकड़ की खेती के बराबर आय प्रदान कर सकती है ।

सन्दर्भित पुस्तकों की सूची

1. C.H. Hanumantha Rao, Technelogical change and Distribution of gains, in Indian Agriculture (1975)

2. C.H. Shah, Agricultural Development in India (1919)

3. D.R. Gadgil, Planning for Agricultural Development in India.

4. C.H. Hanumantha Rao, Agricultural Groth and Stagration in India.

5. N. Rath, Garibi Hatao: Can IRUP do it? Economic & Political Weekly Feb. 9, 1985

6. T.W. Schulty, Economic Growth and Agriculture.

7. K. Shanker, Economic Development of Uttar Pradesh.

8. P.V. Soni, Agriculture Development in India, A new stralogy in Management.

9. म.म. मालेराव, भारतीय कृषि अर्थशास्त्र

10. आगे बढ़ता देश हमारा (आर्थिक प्रगति आंकड़ों में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन)

11. A.F.Scriber and other, Economics of orban Problems.

12. पांचवी पंचवर्षीय योजना, भारत सरकार

13. छठवीं पंचवर्षीय योजना, भारत सरकार

14. G.R. Saini, Farmsine, resourch use efficiency and income distribution.

15. उत्तर-प्रदेश की आर्थिक समीक्षा (लखनऊ राज्य नियोजन संस्थान)

16. D.P. Sharma & V.V. Desai, Pural Economy of India.

17. G.S. Azad, Uttar Pradesh Agriculture in Brief.

18. B.K. Tripathi & G.C. Tripathi, Dynamics of India Agriculture.

19. B. Singh & S. Mishra, Study of land reforms in Uttar Pradesh.

20. Agriculture development in eastern U.P.

21. Indian Economic Survey 1988-89.

22. Indian Economic Survey 1989-90.

23. Indian Journals of Economics.